महानगर नई दिल्ली मंगलवार 17 मार्च, 2020, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

कोरोना के मद्देनजर केजरीवाल का एलान | 31 मार्च तक की रोक में धार्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक कार्यक्रम शामिल, शादी में छूट

दिल्ली में पचास से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि कोरोना विषाणु के बढ़ते कहर के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 31 मार्च तक 50 से अधिक लोगों की मौजूदगी वाले धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजनीतिक बैठकें करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि विवाह समारोहों को इस पाबंदी से मुक्त रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार ने मार्च अंत तक सभी जिम, नाइट क्लब और स्पा को भी बंद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि 31 मार्च तक 50 से अधिक लोगों वाले धार्मिक, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजनीतिक बैठक नहीं होंगी। ये प्रतिबंध प्रदर्शनों पर भी लागू होंगे। उन्होंने कहा कि शादियों को कोरोना विषाणु के संबंध में जारी पाबंदियों से बाहर रखा गया है लेकिन तारीखों बाकी पेज 8 पर

शाहीन बाग धरने पर 'कोरोना संकट'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ राजधानी के शाहीन बाग में बीते 90 दिनों से जारी धरने पर कोरोना विषाणु का कहर भारी पड़ सकता है। इस धरने को समाप्त कराने की अब तक हुई तमाम कोशिशों के नाकाम होने के बाद दिल्ली सरकार का ताजा फरमान यहां चल रहे धरने को खत्म कराने में निर्णायक साबित हो सकता है।

दरअसल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को यह घोषणा की कि कोरोना विषाणु के विस्तार पर लगाम लगाने के लिए शहर में आगामी 31 मार्च तक ऐसे किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या अन्य कार्यक्रमों की बाकी पेज 8 पर

अंकित की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

दिल्ली पुलिस ने गुप्तचर ब्यूरो (आइबी) के कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली की एक अदालत से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है।

पिछले महीने उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान भीड़ ने आइबी कांस्टेबल अंकित की हत्या कर दी थी। हुसैन इसी मामले में आरोपी हैं। पुलिस ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पवन हिंस रजावत से हुसैन को पांच दिन के लिए पुलिस हिरासत में बाकी पेज 8 पर

कुछ और देशों से आने पर पाबंदी

24 घंटे में कोरोना के चार नए मामले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 मार्च।

लद्दाख, ओड़ीशा, जम्मू-कश्मीर और केरल में सोमवार को कोरोना विषाणु से संक्रमण का एक-एक नया मामला सामने आने के साथ ही देश में कुल संक्रमितों की संख्या 114 पहुंच गई है।

देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 114 पहुंच गई। **011**23978046 के अलावा 1075 नंबर पर भी फोन कर कोरोना के बारे में जानकारी ली जा सकेगी। **अब तक** 13 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं जबकि दो लोगों की मौत हुई है।

इधर, यूरोपीय संघ के देशों, तुर्की, यूरोपीयन मुक्त व्यापार संघ और ब्रिटेन से भारत की यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये निर्देश फिलहाल 31 मार्च तक जारी रहेंगे।

वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यूएई, कतर, ओमान और बाकी पेज 8 पर

स्वास्थ्य कर्मचारियों का योगदान सराहनीय

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 मार्च।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कोरोना विषाणु से मुकाबला करने में डाक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कड़ी मेहनत और योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि कोरोना विषाणु के फैलाव को रोकने के लिए समन्वित और एकजुट कदम उठाए जा रहे हैं और लोग स्वस्थ रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए कोई बाकी पेज 8 पर

'इलाज का पूरा खर्च बिहार सरकार उठाएगी'

पटना, 16 मार्च (भाषा)।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को घोषणा की कि राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी। बिहार विधानसभा में नीतीश ने कहा कि कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज पर होने वाले सारा खर्च का भुगतान मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से राज्य सरकार करेगी। राज्य में किसी भी बाकी पेज 8 पर

मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र 26 मार्च तक स्थगित

कमलनाथ आज ही साबित करें बहुमत : राज्यपाल

भोपाल, 16 मार्च (भाषा)।

अपने पहले निर्देश का पालन नहीं किए जाने पर मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पुनः एक पत्र लिखकर मंगलवार यानी 17 मार्च तक सदन में शक्ति परीक्षण करवाने व बहुमत सिद्ध करने के निर्देश दिए हैं। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री से कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो यह माना जाएगा कि वास्तव में आपको विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है।

इससे पहले कांग्रेस ने अपनी सरकार को बचाने के लिए देश एवं विदेश में चल रही महामारी 'कोरोना वायरस' को सोमवार को अपना अस्त्र बनाया और विधानसभा की कार्यवाही करीब 37 मिनट चलने के बाद 26 मार्च तक स्थगित कर राज्यपाल लालजी टंडन के निर्देशानुसार कमलनाथ सरकार के आज होने वाले शक्ति परीक्षण को टाल दिया।

इस बीच, प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने देश में कोरोना वायरस के खतरे तथा इस मामले में बाकी पेज 8 पर

विधानसभा की कार्यवाही करीब 37 मिनट चलने के बाद 26 मार्च तक स्थगित कर दी गई। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने देश में कोरोना वायरस के खतरे तथा इस मामले में केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का हवाला।

टंडन ने पत्र में लिखा है कि मेरा आपसे पुनः निवेदन है कि आप संवैधानिक व लोकतंत्रीय मान्यताओं का सम्मान करते हुए 17 मार्च 2020 तक मध्य प्रदेश विधानसभा में शक्ति परीक्षण करवाएं और अपना बहुमत सिद्ध करें, अन्यथा यह माना जाएगा कि वास्तव में आपको विधानसभा में बहुमत प्राप्त नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट कमलनाथ सरकार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने का निर्देश देने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई के लिए सोमवार को तैयार हो गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को 16 मार्च को सदन में अपना बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था।

कमलनाथ ने टंडन को पत्र लिखा

भोपाल, 16 मार्च (भाषा)।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोमवार को सुबह राज्यपाल लालजी टंडन को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी पार्टी के विधायकों को भाजपा द्वारा कर्नाटक पुलिस के नियंत्रण में बंगलुरु में 'बंदी' के रूप में रखा गया है और ऐसी स्थिति में सदन में शक्ति परीक्षण कराना अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक होगा।

फरवरी में थोक महंगाई घटकर 2.26 फीसद

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

फल, सब्जी, चाय, अंडे और दलहन, गेहूं और मक्का जैसे अनाज सस्ते होने के कारण फरवरी में थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआइ) आधारित महंगाई (मुद्रास्फीति) कम होकर 2.26 फीसद रह गई। इस साल जनवरी में थोक मुद्रास्फीति 3.1 फीसद थी। फरवरी 2019 में यह 2.93 फीसद पर थी।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 में खाद्य सामग्रियों की थोक मुद्रास्फीति जनवरी 2020 के 11.51 फीसद से घटकर 7.79 फीसद पर आ गई। आलू और प्याज की थोक मुद्रास्फीति भी जनवरी 2020 के 293.37 फीसद और 87.84 फीसद से कम होकर फरवरी 2020 में क्रम से 162.30 और 60.73 फीसद पर आ गई।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2020 में खाद्य सामग्रियों की थोक मुद्रास्फीति जनवरी 2020 के 11.51 फीसद से घटकर 7.79 फीसद पर आ गई।

आलोच्य माह के दौरान खाद्य पदार्थों व सब्जियों के दाम में 14 फीसद की कमी आई। इसके अलावा चाय आठ फीसद, अंडा व मक्का सात-सात फीसद, मसाले व बाजरा चार-चार फीसद, चना व ज्वार दो-दो फीसद और मीठे जल की मछलियां, सुअर मांस, रागी, गेहूं, उड़द व मसूर एक-एक फीसद सस्ते हो गए। हालांकि समुद्री मछली और भैंसे का मांस पांच-पांच फीसद, पान के पत्ते चार फीसद, मूंग और मुर्गे तीन-तीन फीसद, बकरे का मांस दो फीसद और जौ, राजमा व अरहर एक-एक फीसद महंगे हुए हैं। ईंधन व बिजली बाकी पेज 8 पर

सूचकांक में दूसरी बड़ी गिरावट, 2,713 अंक लुढ़का

मुंबई, 16 मार्च (भाषा)।

चौतरफा बिकवाली से बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सोमवार को 2,713 अंक का गोता लगा गया। यह दूसरा मौका है जब अंकों के आधार पर सूचकांक में इतनी बड़ी गिरावट आई है। कोरोना वायरस माहामारी की चिंता में एशिया के अन्य बाजारों में गिरावट के साथ घरेलू बाजार में भी गिरावट रही।

तीस शेयरों वाला बंबई शेयर बाजार का सूचकांक सोमवार को 2,713.41 अंक की गिरावट के साथ 31,390.07 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 757.80 अंक की गिरावट के साथ 9,197.40 अंक पर बंद हुआ। अंकों के आधार पर सूचकांक में यह एक दिन में दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 12 मार्च को सूचकांक और निफ्टी क्रम से 2,919.26 और 868.25 अंक टूटे थे।

चीन में कारखाना उत्पादन और खुदरा बिक्री आंकड़ा कमजोर रहने के बाद एशियाई बाजारों में जोरदार गिरावट आई है। इससे आशंका बढ़ी है कि कोरोना वायरस के कारण आर्थिक नरमी आ सकती है। इस बीच, अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक ने दूसरी बार नीतिगत दर में कटौती की। उसके बाद यह 0 से 0.25 फीसद के दायरे में आ गई है। 2008 में वैश्विक वित्तीय संकट के समय नीतिगत दर का यही स्तर था। सूचकांक के सभी शेयर बाकी पेज 8 पर

सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश सिंह की याचिका खारिज की

निर्भया मामले में तीन दोषी आइसीजे पहुंचे

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या कांड मामले के चार दोषियों में से तीन ने हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय अदालत (आइसीजे) का दरवाजा खटखटाकर अपनी गैरकानूनी फांसी की सजा रोकने का अनुरोध करते हुए आरोप लगाया है कि दोषपूर्ण जांच के जरिए उन्हें दोषी करार दिया गया और उन्हें प्रयोग का माध्यम (गिनी पिग) बनाया गया है।

दोषी के वकील एपी सिंह के माध्यम से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि चारों दोषियों विनय शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, अक्षय सिंह और मुकेश सिंह ने अभी तक अपने सभी कानूनी उपचारों का उपयोग नहीं किया है। इधर, सुप्रीम कोर्ट ने सभी कानूनी विकल्पों को बहाल करने का अनुरोध करने वाली निर्भया सामूहिक बलात्कार व हत्याकांड के दोषी मुकेश सिंह की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

होग में दायर याचिका में कहा गया है कि यह सूचित करना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि मौत की सजा पाए इन दोषियों के कानूनी उपचार/मुकदमे भारत में विभिन्न अदालतों/संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष लंबित हैं, लेकिन बेहद आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत में, केंद्रीय तिहाड़ जेल ने योजना तैयार कर ली है और उन्हें 20 मार्च को फांसी देने वाली है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्भया मामले में दोषियों ने जांच के दौरान कई बार पॉलीग्राफ, लाइ डिटेक्टर और ब्रेन मैपिंग कराने का अनुरोध किया था, लेकिन ऐसे सभी अनुरोधों को बिना किसी तर्क के खारिज कर दिया गया।

आइसीजे से अनुरोध किया गया है कि वह मामले के एकमात्र चश्मदीद, पीड़िता के मित्र की गवाही झूठ होने की संभावनाओं की तत्काल जांच करें। उसमें दावा किया गया है कि दोषियों के साथ 'गिनी पिग' की भांति व्यवहार किया गया और उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। आइसीजे से अनुरोध है कि वह मामले में तत्काल जांच का आदेश दे।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा में नामित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 मार्च।

भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गोगोई को राज्यसभा के लिए नामित किया है। उन्हें सेवानिवृत्त होने के करीब चार महीने बाद मनोनीत किया गया है।

इस संबंध में गृह मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया, 'भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (1) के उपखंड (ए), जिसे उस अनुच्छेद के खंड (3) के साथ पढ़ा जाए, के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति को रंजन गोगोई को राज्यसभा में एक सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने से खाली हुई सीट पर मनोनीत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।'

यह सीट केटीएस तुलसी का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने से खाली हुई थी। गोगोई ने उस पांच न्यायाधीशों के पीठ का नेतृत्व किया जिसने पिछले साल नौ नवंबर को संवेदनशील अयोध्या मामले पर फैसला सुनाया था। वह उसी महीने बाकी पेज 8 पर

दरअसल

पुष्टि में एक साल से 18 महीने का वक्त लगेगा | **उम्मीद** | प्रत्येक प्रतिभागी को अलग-अलग मात्रा में सुई लगाई जाएगी

अमेरिका में कोरोना वायरस के टीके का परीक्षण

वाशिंगटन, 16 मार्च (एपी)।

अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाने के लिए बनाए गए टीके का नैदानिक परीक्षण सोमवार से शुरू होने जा रहा है।

अधिकारी ने पहचान उजागर न करने की शर्त पर बताया कि परीक्षण के पहले प्रतिभागी को सोमवार को प्रायोगिक टीका दिया जाएगा। परीक्षण के बारे में सार्वजनिक तौर पर फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान (एनआइएच) इस परीक्षण के लिए धन मुहैया करा बाकी पेज 8 पर

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने योग और ध्यान की सलाह दी

अमेरिका के एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान ने कोरोना वायरस से जुड़ी व्यग्रता से निपटने के लिए योग, ध्यान लगाने व सांस पर नियंत्रण की सलाह दी है।

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने अपने नए स्वास्थ्य दिशा-निर्देश में कहा है कि योग, ध्यान व सांस लेने पर नियंत्रण, 'शांत होने के कुछ सही व आजमाए हुए तरीके हैं।' 'कोरोन की व्यग्रता से निपटने' विषय पर लेख इस हफ्ते प्रकाशित हुआ है।

नियमित ध्यान बहुत राहत देने वाला है।' उन्होंने कहा, 'अगर आप योग नहीं करते हैं? जब तक मन करें तब तक कोशिश न करें। कई बार कुछ नई चीजें करना और नई गतिविधियों का पता लगा कर आप लाभ ले सकते हैं। योग स्टूडियो और पॉकेट योग जैसे ऐप पर विचार कर सकते हैं। वैसे वायरस को लेकर बुरी ही खबरें आएंगी। लेकिन लोगों को चाहिए कि वे जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों की बात सुनें जो उन्हें सही रास्ता दिखा सकते हैं।

-जॉन शार्प, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के संकाय व यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के डेविड गेफन स्कूल ऑफ मेडिसिन के बोर्ड प्रमाणित मनोरोग चिकित्सक

'कोरोना के इलाज में एचआइवी रोधी दो दवाओं का संयोजन अहम साबित'

जयपुर 16 मार्च (भाषा)।

राजस्थान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कोरोनो वायरस मरीजों के इलाज में एचआइवी रोधी दो दवाओं का संयोजन महत्त्वपूर्ण साबित हुआ है।

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों को एचआइवी रोधी दवाएं दी गईं और उनकी स्थिति में सुधार हुआ। राज्य में कोरोना वायरस के चार मरीजों में से तीन अब इस विषाणु से मुक्त हो गए हैं। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राजस्थान के पहले दो कोरोना वायरस मरीज 69 वर्षीय और 70 वर्षीय इतावली दंपत्ति थे जिनमें फ्लू जैसे लक्षण बाकी पेज 8 पर

www.readwhere.com

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

It is for general information that I Sunil Kumar Chopra S/O Late Satpal Chopra R/O,-H.No.C-772 J.J. Colony Hastsal Road Uttam Nagar West Delhi-110059 inform that the name of mine and my father has been wrongly written as Sunil Kumar and Satpal in my service record.The actual name of mine and my father are Sunil Kumar Chopra and Satpal Chopra respectively. Which may be amended accordingly. 0040535721-9

It Is For General Information That I,Laxman Kumar Singh,S/O Late.Bhagwan Singh, Residing At-H.No-455, Sector-1, R.K.Puram, New Delhi-110022 Have Changed My Old Name In All Document,From Laxman Kumar Singh To Laxman Kumar Arya,For All Future Purposes. 0040535716-7

It Is For General Information That I, Laxman Kumar Singh,S/O Late.Bhagwan Singh Residing At H.No-455, Sector-1, R.K.Puram, New Delhi-110022.Have Changed My Daughter Old Name,From Somya To Somya Arya In All Document,For All Future Purposes. 0040535716-8

I,Smt Gayatri Devi,W/o-Late Kishan Chand,H.No.50,Village-Khori,Lakka Pur,Surajkund, Faridabad-121009,Haryana, inform that Gayatri Devi & Savitri Devi both are one & the same person. 0040535725-4

I, Wazir Ahmed S/o Babu Khan R/o-PN-15, Gali No-1, Welcome Seelampur Delhi-110053 have changed my name to Wazir. 0040535721-4

I, Vivek S/o Md. Sagir R/o H.No.194, B-2nd, Madangir, New Delhi-110062, have changed my religion from Hindu to Islam with effect from-15.02.2020 and also changed my name from Vivek to Firoz Khan for all purposes. 0040535716-10

I, Virendra Kumar S/o Chetram residing at D-349, Ganesh Nagar Complex, Pandav Nagar, Delhi-110092 have changed the name of my minor son Rishabh Singh Jayant aged 06-10-2006 and shall hereafter be known as Rishabh Singh. 0040535729-2

I, Vikram Sekar S/o Pichaimuthu Sekar R/o 6A/6, Raju Flats, Alexandra Road, Tiruchirappalli, Tamil Nadu-620001, have changed my minor son's name from Brahan aged 9 years to Brahan Vikram forever 0070703053-1

I, Singh Govindsingh S/O Gyan Singh R/O Gurudwara Dashmesh Darbar,Behind Telephone Exchange, Palghar, Maharashtra-401404 have changed my name to Govind Singh 0050163901-1

I, Siddhartha Niyogi S/o Balai Chandra Niyogi R/o-F3/215, Southend Apartments, Charmwood-Village, Surajkund-Faridabad, Haryana-121009.changed my minor daughter name, Svetlana Niyogi to Svetlana Neogi. 0040535721-6

I,Kaptan Singh Kaim alias Kaptan Singh S/o Tika Ram R/o-22/1041,Lodhi colony. New.Delhi-3,have changed my name to Kaptan Singh for,all purpose. 0040535725-2

I, Shyam Lal Regar S/O Kailash Chandra Regar, Village Changedi Tehsil Mavli District Udaipur, Have Changed My Name as Radheshyam Regar 0130015343-1

I, Sheeba Mohsin W/o Akhtar Husain R/o-RZ-D-1, 2ndFloor, Pankha-Road, Sitapuri, Dabri, New Delhi-110045 affirm and confrim that Sheeba Mohsin and Sheeba Akhtar both name are the same person. 0040535727-9

I, Shamim Ahmad Khan S/o-Kamaluddin Khan R/o-N-89/A, Lane-No.2, Batla-House, Jamia-Nagar, ND-25.inform that name'of my wife wrongly-written in my passport as Ghazala Khan instead,of Ghazala Ameer. 0040535727-1

I, Shamim Ahmad Khan S/o Kamaluddin Khan R/o-N-89/A, Lane-No.2, Batla-House, Jamia-Nagar, ND-25.inform that name 'of my mother'wrongly-written in my,passport as Masooda Khanam instead,of Masudah Kamal 0040535727-2

I, Shakil Ahmad S/o Abdul Sattar R/o-B-5/147,Yamuna Vihar Delhi-110053. have changed my name to Shakeel Ahmed. 0040535721-5

I Bhoopendra Singh S/o Ved Pal Singh R/o E-422, Street No-16, Ashok Nagar, Mandoli, Delhi-110093, have finally changed my name to Bhoopendra Ken 0070703051-1

I Amisha Kumari D/o B.K. Singh R/o C-2/2297, Pocket-A, Vasant Kunj, Delhi-110070, have changed my name to Amisha Singh 0070703054-1

I Ranuka Sharma W/o Kewal Krishan Kaushal R/o 380, Sector-3A, Mandi, Gobindgarh, Mandigobindgarh, Fatehgarh Sahib, Punjab-147301, have changed my name to Veena Kaushal 0070703043-1

व्यक्तिगत

I, Shahzadi W/o Wazir R/o-15/80, Gali No-1, Welcome Seelampur Delhi-110053 have changed my name to Shehjadi. 0040535721-3

I, Satinder Pal Sahi S/o Joginder Singh Sahi R/o House No-135, Sector-21D, Faridabad-121002 Have Changed my Name to Satinder Singh Sahi. 0070703030-1

I, Satender Singh serving 25 Raj Rif C/o 56APO have changed my wife name Suman to Suman Devi d.o.b 04-04-1986 for all future purposes. 0040535608-1

I, Sanowar Jahan W/o Shakeel Saifi R/o-C-382 Sector-10, Noida U.P.,have changed my name Sanovar for all Purpose. 0040535699-1

I, Samriti Kundan W/o Mr. Sijit Xavier R/o Flat No. 442, Block-20, DDA Flats, Dakshinpuri Extension New Delhi 110062, do hereby confirm that Samriti Kundan and Samriti is one and same person. 0040535696-1

I, Sakshi Anand D/o Sheel Kumar Anand R/o J-9/12, Rajouri Garden, N.Delhi-110027 have changed my name to Vishakha Anand permanently. 0040535727-4

I, Rajinder Singh S/O Ram Singh R/O-Hno.96, Bazad Wali Gali, Hiranki, Delhi-110036. Changed My Name To Rajender Singh. 0040535729-8

I, Pooja Sehgal W/o Dr. Retesh Gambhir R/o B-46, U.G.F., Inderpuri, N.Delhi-12 have changed my name to Pooja Retesh Gambhir. 0040535727-7

I, Pooja Retesh Gambhir W/o Dr. Retesh Gambhir R/o-B-46, U.G.F.,Inderpuri, N.Delhi-12 changed my minor daughter's name Srishti Sehgal to Srishti Gambhir. 0040535727-6

I, Payal Goyal W/o Raman Goyal R/o-B-J-3 West Shalimar Bagh Delhi-110088, changed my minor son,s name Kanav to Gatik Goyal. 0040535721-10

I, PRAKUL VERMA S/o DHARMENDRA KUMAR VERMA R/o-D-38, IstFloor, Block-D,Sector-108, Gautam Buddhanagar, Noida, U.P.-201301, have changed my name to KENNY VERMA. 0040535727-8

I, Nikki S/o Sh.Rakesh Kumar R/o-H.No.1581/21, Gali.No.21D, Surat Nagar, Phase-II, Gurugram-122001, Haryana, have changed my name to Nikki Rastogi,for all future purposes. 0040535716-1

I, Nagina W/O Abdul Mazid R/O Hno.21-C, III-Floor, Block-B3, Dda Flats, Inderlok,Onkar Nagar,Delhi-110035. Changed My Name to Nageena Begam. 0040535729-5

I, Monika W/o Ajay Uppal R/o-108 Top-Floor Sandesh Vihar Pitampura Delhi-110034, changed my name to Monika Uppal for all purposes. 0040535721-8

I, Mohd Arif Rehman S/o Aziz Ur Rehman R/o H.No. 2338, Gali Mir Madari, Rodgaran Lal Kuan Delhi-6 have changed the name of my minor daughter from Yuza Rehman to Yashfeen Rehman for all purposes. 0040535693-1

I, Mohammed Jubar S/O Haji Israil R/O-VPO-Akera, District-Mewat Nuh, Haryana-122107, Have Changed My Name To Juber Ahmed For All,Future Purposes. 0040535716-3

I, Mohammed Arif(UID.NO-514393170048), S/o Mohammad Yusuf R/o-716, New.No.1772, Street.No.4, Islam-Nagar, Ghaziabad, Uttar-Pradesh-201001,have changed my name to Mohammad Arif for all,future purposes. 0040535716-2

I, Mohamad Yunus S/O Abdul Mazid R/O Hno.21-C, III-Floor, Block-B3,Dda Flats, Inderlok, Onkar Nagar,Delhi-110035. Changed my Name to Yunus Khan. 0040535729-4

I, Mohamad Abdul Mazid S/O Ewaj Ali R/O Hno.21-C, III-Floor, Block-B3, Dda Flats, Inderlok,Onkar Nagar,Delhi-110035.Changed My Name to Abdul Mazid. 0040535729-6

I, Meena W/o Sh.Mohd Yasin R/o-E-68/H70, E-Block, Kathputli Colony New-Patel Nagar, Delhi-110008,have changed my name from Meena to Najma Begam for all purposes. 0040535675-1

I, Manjeet Kumari W/O Rajiv Kumar R/O Hno.96, Bazad Wali Gali, Hiranki, Delhi-110036. Have Changed My Name To Manjeet. 0040535729-7

I, Luxmi Devi W/o Jai Bhagwan R/o D-83,Rajdhani Park,Mundka,Delhi-41,have changed my name to Laxmi Devi for all purpose. 0040535694-1

I Milan Munjal S/o Indra Munjal R/o A/1, Krishna Nagar Colony, Metro Gali Ratu Road, Hehal, Ranchi, Jharkhand-834005, have changed my name to Siddharth Munjal 0070703041-1

I Laxmi Nandan S/O Awdhesh Kumar Rai H.No-Rz-7/29, Geetanjali-Park, Sagarpur, South/West Delhi-110046 Changed My Name To Lakshmi Nandan Rai. 0040535736-2

I, Varun Kumar S/o Late Sh. Amar Nath R/o B-145, Sector-22, Noida have changed my minor daughter's name from Pragya Varun Kumar Pathak to Pragya Pathak permanently. 0040535712-1

I, LIZY MOL.K.P W/o LATE.NANDA KUMAR R/o-A-113/F-2, BLOCK-A, DILSHAD-COLONY, Delhi-110095,Have Changed my Name to LISSY NANDA KUMAR for All future Purposes 0040535700-1

I, LHACHOE DOLMA D/o Late NIMA CHHUMBAY R/o-L-Village H.No-6, Tibetan-Settlement, PO-Kollegal, Chamrajanagr, Karnataka-571457, India Presently Delhi,have changed my old name LAJO DOLMA to LHACHOE DOLMA for all purpose in future. 0040535700-2

I, Khushbu Kumar/Khushbu Chanana W/O Neeraj Chanana R/O-B-402,Jhulelal Apartment, Road no.44, Pitampura, Delhi-110034. Changed My Name to Khushboo Chanana. 0040535716-6

I, Kamal Rastogi S/o Nathu Singh Rastogi R/o-289, Thater-Wada, Meerut City, UP-250002 have changed my name Kamal Kant Rastogi. 0040535716-5

I, Jyoti Bharadwaj D/o Sanjeev Kumar R/o MCF-70, Gali No-5B, Bhudatt Colony Ballabgarh Faridabad-121004 Have Changed my Name to Jyoti Bhardwaj. 0070703029-1

I, Jasvir Singh S/O Gurcharan Singh Sabharwal R/O-J-3/184, Rajouri Garden Delhi-110027 Have Changed My Name To Jasvir Singh Sabharwal. 0040535729-1

I, JC No.340319F Sub (H/LT) Sanjiw Kumar S/o Kundan Singh R/o Vill-Kotyoura, PO-Hupuli, Teh.- Munsiyari, Distt-Pithoragarh, (UK)-262553, inform that my son's name wrongly written in my service record as Master Abhishek Singh instead of Abhishek Singh. His correct DOB is 05/02/2004. 0040535678-3

I, JC No.340319F Sub (H/LT) Sanjiw Kumar S/o Kundan Singh R/o Vill-Kotyoura, PO-Hupuli, Teh.- Munsiyari, Distt-Pithoragarh, (UK)-262553, inform that my daughter's name wrongly written in my service record as Kumari Priya instead of Priya. Her correct DOB is 01/06/2002. 0040535678-2

I, JC No.340319F Sub (H/LT) Sanjiw Kumar S/o Kundan Singh R/o Vill-Kotyoura, PO-Hupuli, Teh.- Munsiyari, Distt-Pithoragarh, (UK)-262553, inform that my daughter's name wrongly written in my service record as Kumari Pooja instead of Pooja. Her correct DOB is 05/02/1999. 0040535678-1

I, Hiba Arif D/o Mohd Arif R/o G-43/B, Abul Fazal Enclave-1, Jamia Nagar, Okhla, New Friends Colony, Delhi-110025, name of my father has been wrongly written as Mohammad Arif in my Educational Documents, Pan Number BZIPA3568B and Passport R6396395 and name of my mother has been wrongly written as Huma in my Birth Certificate. The actual name of my father and mother are Mohd Arif and Huma Arif respectively 0070703049-1

I, Gyaneshwar, S/o Lakhan Singh, R/o-B-292,Camp No.2, Nangloi, Delhi-41, have changed my name to Gayneshwar, for all purposes. 0040535721-2

I, Gulam Rasool S/o Abdul Barik R/o D-247, Amar Park, Zakhira, Delhi-110035 have changed my name to Gulam Rasul permanently. 0040535727-5

I, Gajendrasingh Singh S/O Govind Singh R/O Gurudwara Dashmesh Darbar, Behind Telephone Exchange, Palghar, Maharashtra-401404 have changed my name to Gajendra Singh 0050163902-1

I, Bhup Singh R/O Vill-Jhal, Teh-Kosli, Dist-Rewari-HR-123302 Have changed my wife name Pinky Devi to Pinki for all future purposes. 0040535607-1

I, Asif ali s/o abid ali H.No. 1455, gali no.2, Near govt. school, surat nagar phase-1, gurugram. Have changed my name from mustveen hussain to asif ali for all future purposes. 0040535732-1

I, Arvind Kumar R/o Qtr No 161-E C PWD Quarters Chitra Gupta Road Aram Bagh New Delhi 110055 have changed my name to Arvind Kumar Yadav 0070703028-1

I, Anand Kumar Gupta S/o Nand Kumar Gupta R/o B-11, Madiaon Janki Puram, 60 Feet Road, Lucknow, UP-226021, have changed my minor daughter's name from Khushi Gupta aged 17 years to Mudra Gupta forever 0070703040-1

I, Ajay Kumar Tiwari s/o Ramakant Tiwari R/o H.no 102, Gautam colony, chhawla ext, Chhawla, Delhi 110071 have changed my name Ajay Tiwari. 0070703033-1

I, AMRITA SAWHNEY, W/o-Jaspreet Singh Sahni, R/o-E30E, Rajouri Garden New Delhi-110027,have changed my name AMRITA KAUR SAHNI for all purposes 0040535721-1

I Dalchand S/o Ramji Lal R/o X-627-28, JJ Colony, Camp No-1, Nangloi, Delhi-110041, have changed my name to Dalchand Lalit 0070703052-1

I Brajendra Dubey S/o Mr. Parbhu nath. R/o H.NO. 60, New Ganesh Park Gali No 3. Delhi-51 have changed my name from. Bijender to Brajendra Dubey for all future Purposes. 0040535612-1

व्यक्तिगत

में, वैशाली सेठी (उर्फ वैशाली), पति-अभिनव ग्रोवर, निवास-B-7, द्रोणाचार्य अपार्टमेंट्स, मयूर विहार-1, दिल्ली, ने भविष्य में सभी उद्देश्यों के लिए मेरा नाम वैशाली सेठी ग्रोवर में बदल दिया है। शपथ पत्र दिनांकः 4 Feb 2020

I hitherto known as Susan Abbas D/o.Sh.Michael Alan Sim R/o.H.No.P-43, Ground-Floor, Private-Colony, Sriniwaspuri New Delhi-110065,have changed my name and shall hereafter be known as Susan Lesley Sim. 0040535716-9

I Sunaina D/o Jang Bahadur R/o-3A, G.F Masjid-Moth N.D-110049, have Changed my Name to Sunaina Gill, for all purposes. 0040535721-7

I Shrabani Pramanick D/O Adhir Kumar Pramanick R/o-Baneshwarpur, Bagda, North-24 Pargana, West Bengal-743270.have changed my name to Shrabani Das, for all purposes. 0040535729-9

I Sayara W/o Mohd Arif R/o-F-4, DDA Flats turkman gate Delhi have changed my name to Saira for all purposes. 0040535727-3

I Radha Rahu W/O Raju Chellappanachary H.No-G-1/542 Fif Dal Mill Road Uttam Nagar Delhi. Changed My Name To Radha Raju. 0040535736-3

I Naseem Kauser W/O Nawab Ali R/O-456 Zakir-Nagar West-New Delhi Changed My Name As Naseem Kausar, For All Future Purposes. 0040535729-3

I Mohmmad Ansari S/O Shokat Ali H.No-C-40, Block-C, Ground-Floor, Jafeabad North/East Delhi-110032, Changed My Name To Mohammad Aslam Ansari. 0040535747-1

I Mohit S/O Raj Kumar Bangia H.No-110 Street No-5, Surya Vihar, Part-2, Faridabad, Haryana-121013. Changed My Name To Mohit Bangia. 0040535736-1

I Mohd Razi S/O Mohd Wasi H.No-11, Kh.No-136/1, 1-Floor Street-No-9 Block-B, Wazirabad Village North Delhi-110084.Changed My Name To Razi Khan. 0040535747-2

I Devendra Singh S/O, Nain Singh R/o D-298 Sector-108, Noida, Gautam Budhha Nagar, UP-04 have changed my name to Devender Singh for all purposes. 0040535697-1

I Kashi Bai W/O Parma R/O-64, Ekta Vihar, Sector-6, R.K. Puram, New Delhi-110022 Have Changed my Name to Kashi. 0040535716-4

I, Saurav D.O.B. 01/04/2000 S/o Sarvesh kumar R/O Gram-Banamua, Post-Simriya,Tahsil-Sawajpur, Jila-Hardoi, have changed my name to SAURABH D.O.B.-03/07/2003. 0040535781-1

PUBLIC NOTICE

Be it known to all concern that my client Sh. Chand Babu Gupta, S/o. Late Sh. Ram Kumar Gupta, R/o. G-234, behind PVR Sonia, Vikas Puri, New Delhi-110018 has disowned and disinherited to his son, namely Sh. Sumeet Gupta @ Babloo, with immediate effect from his all moveable and immovable properties, anyone dealing with him, shall be to do so at his/her own risk and consequences and my above said client and his family members will not be liable in any manner for the acts, deeds of the above named him in future.

RAVINDER SINGH-ADVOCATE
Ch. No. C-35, C.L. Joseph Block,
Tis Hazari Court, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

IT IS HEREBY INFORMED THAT MY CLIENT **SMT. PRITI HANS PAL D/O SH. TRILOCHAN SINGH R/O 62, STATE BANK NAGAR, PASCHIM VIHAR, NEW DELHI,** IS THE PURCHASER OF **SHOP NO. 7, ON GROUND FLOOR, CSC MARKET, U.P. SAMAJ, DEEPALI, PITAM PURA, DELHI** AND SHE HAS MISPLACED/ LOST THE ALL ORIGINAL DDA DOCUMENT PAPERS SUCH AS DEMAND CUM ALLOTMENT LETTER, DDA POSSESSION, NOC FOR ELECTRICITY AND WATER, POSSESSION, SLIP, BANK CHALLAN, INCLUDING ORIGINAL CONVEYANCE DEED, SALE DEEDS 3 NOS. (1) PARVEEN KUMAR IN FAVOUR OF SUNIL SHARMA, (2) SUNIL SHARMA IN FAVOUR OF VED CHANDNA & (3) VED CHANDNA IN FAVOUR OF PRITI HANS PAL & HAVE LODGED A FIR/NCR VIDE LR NO. 205448/2020 DATED 27.02.2020, WITH POLICE STATION, CRIME BRANCH, DELHI, IF ANY BODY FIND THE SAID DOCUMENT, PLEASE INFORM HIM AT THE ABOVE SAID ADDRESS OR PH. NO. 7011763861.

IF ANY OTHER CLAIMENT HAS ANY RIGHT IN THE AFORESAID PROPERTY, HE/SHE SHOULD FILE AN FIR AND HIS/HER CLAIM WITHIN 15 DYAS, OTHERWISE MY CLIENT MAY DISPOSE OFF THE SAID PROPERTY.

Sd/-
RENU BALA
Advocate
Enrol No. D-4533/2014

PUBLIC NOTICE

"It is to inform to the public at large that Mrs. Pooja Mehra acquired the property i.e Built up Entire Upper Ground Floor without roof rights on Property No.10A/30, East Patel Nagar, New Delhi vide Sale Deed dated 08.05.2019 executed by Mrs. Dr. Rama Luthra, regd as document no. 5175 and Mrs. Pooja Mehra is the undisputed owner of said property till date also there is no dispute pending on said property till date in any court of INDIA. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

Ajay Kumar Giri - Advocate
H.No. 26/161, Basement, Vikram Vihar, Lajpat Nagar 4, New Delhi 110024

PUBLIC NOTICE

This public notice is being served on behalf of my client Sh. Umed Singh S/O Sh. Ratan Singh R/O Vill. Tajpur Kalan, Delhi-110036.

This is to inform public at large that M/S CMD Ushay Buildwell Pvt. Ltd. and Sh. Neeraj Narula entered into an agreement to sell with Sh. Umed Singh S/O Sh. Ratan Singh in respect of sale of their land measuring 18 Kanals/2 Acres comprised in Khewat No. 27, Khata No. 52 and Kila No. 10/9 (8-0) and 14/17 (8-0) situated at within revenue estate of Mouja Khari Ragdan, Tehsil Jagadhari, Distt. Yamuna Nagar, Haryana.

The said owners failed to perform their part of the contract and as a result there of a civil suit bearing No. 1408/2017 was filed and is pending in the court of Smt. Pratibha Mahla Hon'ble CJJD Jagadhari.

Any body dealing with M/S CMD Ushay Buildwell Pvt. Ltd. and Sh. Neeraj Narula and/or their assigns successors or any body claiming through them, in respect of the above said land shall be doing so at their own risk as to cost expense and consequences. The rights of the Parties shall be subject to the decision in the above referred pending civil suit as per section 52 of the Transfer of Property Act & any such deal entered by any of the parties, without prior permission of the Court shall be voidable.

Sanjay Relan (Advocate)
Ch. No. 310, Rohini Courts, Delhi-85

खोया+पाया

I, Simran preet singh S/o Amarjit singh R/o-F-190, 1st-floor. Mansarover-garden Delhi. have lost my original certificate/marksheet class-10th year-2005 Rollno-6142547 CBSE-Delhi. 0040535747-3

I, Smt. Meera W/o Sh. Pradeep Kumar Tyagi R/o H.No. Old 303, New 207, Mohalla Sarvodaya Nagar, Gram Mawai, Pargana Loni, Tehsil & District Ghaziabad, UP, have lost above property Sale Deed Registered as on 15/12/1984 by Jagpal Singh in Favour of Late Sh. Trilok Chand. If found please contact above address and Mobile No.9953597219. 0040535677-1

I, VIVEK BAGHEL S/o Ved Parkash R/o-S-392 S-Block Shakurpur Delhi-110092, have lost my 10th-Class marksheet Certificate Roll.No.8603850. Isuued by CBSE-DELHI Contract-9560824397. 0040535736-8

It is notified for the information that my original-Marksheet & Pass-Certificate of class-10th, passed-out year-2014, from RYAN International School, Kharghar, Navi Mumbai, issued by CISCE has been actually lost.Abhimanyu Sharma,S/o Santosh Sharma and Ruchi Sharma R/o-B-43, Raghunath Vihar-CHSL, Sector-14, Kharghar, Navi Mumbai-410210.If found, please return to above address. 0040535736-6

I Neeru D/o Kailash Chand R/o.C-45 D.D.A.Colony Jafrabad Delhi-32, have Lost my Lease Deed Conveyance Deed Suppl Lease Deed and Other documents of Shop No.103 Edward Line Delhi. Finder Contact-8920453805. 0040535736-5

I, Ashok Kumar S/o Krishan Kumar R/o-Pol.no-56f, vpo.Malikpur Delhi-110073 have lost my original certificate/marksheet Class-10th Rollno-8798396 Year-2013 CBSE-Delhi. 0040535736-7

I, DEEPAK S/o Ram sewak singh R/o-J-56 Arpan-vihar jaitpur extn.Badarpur N.D-44.have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8742950 CBSE-Delhi. 0040535736-10

I, DEEPAK S/o Ram sewak singh R/o-J-56 Arpan-vihar jaitpur extn.Badarpur N.D-44.have lost my original certificate class-10th year-2017 Rollno-8742950 CBSE-Delhi. 0040535736-10

I PARUL BAHRI D/o B K MONGA Lost my Original documents of Flat No.722, CA Apartment, Paschim Vihar, New Delhi, return if found. Mobile 9892233334 0040535698-1

LOST & FOUND

I Mrs G.vijayalaxmi presently posted senior branch manager w.e.f 27.05.2019 of syndicate bank Chhawla, BIC 9102, Najafgarh bijwasan Road,near Bsf camp at chhawla bring to the notice of the public the following points-Our branch has misplaced sale deed no 5238 dated 19.04.2006 of Mrs. INDU SHARMAPROPERTY DETAILS MENTIONED BELOW MORTGAGED TO SYNDICATE BANK CHHAWLA PROPERTY NO 182 (CREATED OUT OF KHASRA NO 181&182) admeasuring 600 square yards located in Village kanganheri New Delhi 110071.

FOUNDER PLEASE CONTACT
Call : 9811502111,8527032735

LOST & FOUND

My original Property 4 Documents i.e:1 lease deed & 3 Affidavits Lease deed in the name of Late **Smt. Sushila Kumari** W/o Late Bodh Raj Vaid dated **15-05-1963** registered Document no.5636, Book No.1, Addl. volume No.944 Page No.196-199 and 3 Affidavits(I) affidavit in the name of **Bhupinder Kumar Vaid** S/o Late Bodh Raj Vaid Document No.76561 Dated 15-02-1993 (2) Affidavit in the name of **Suman Bakshi** S/o Late Bodh Raj Vaid Document No.76564 dated 15-02-1993 (3/ Affidavit in the name of **Manorma Bali** W/o Jagdish Chander Bali Document No.76559 Dated-15-02-1993 have been lost. Finder contact: **Suman Bakshi** Mobile No.**9312423692**.

Lost & Found

LOST FILE CONTAINS OF ORIGINAL & PHOTOSTATES OF PROPERTY NO. P-4/6 BEARING PART OF BUILT ON PLOT NO. 6, BLOCK NO. 4, AREA 100 SQ. YRDS KHASRA NO. 775 DOCUMENTS NUMBERS (1) 457 DATED 16/10/1956 (2) 5444 DATED 4/10/1973 IN ADDITION BOOK NO. 4 VOLUME NO. 195 PAGE NO. 195 TO 196 IN OFFICE OR SR. DELHI (3) 14072 DATED 28/12/1973 (4) 10371 DATED 06/06/1995 (5) GPA ATTESTED BY NOTARY PUBLIC DELHI DATED 20/02/1996 FOUNDER MAY INFORM ANIL KUMAR SINGHAL S/O DHANI RAM SINGHAL R/O-115, SAVITA VIHAR, DELHI-110092

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Nitu w/o Satish R/o 494, Near Bhagat Singh Village, Mundka, Delhi-110041, have breakup all her relation with her brother Ashish Sharma & his wife Seema Sharma both R/o D-301, Extn.2-D, Nangloi Delhi-110041 and also severed all relations with them. Any person/s dealing with them shall be at his/her/their own risk. Parvesh Kr. Tyagi (Advocate), WZ-87A, Village Budhela, Vikaspuri, New Delhi-110018

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Jyoti Kaushik w/o Jitender Kumar R/o 151, Ext-2C, Kripal Ashram, Nangloi, Nilothi, Delhi-110041, have breakup all her relation with her brother Ashish Sharma & his wife Seema Sharma both R/o D-301, Extn.2-D, Nangloi Delhi-110041 & also severed all relations with them. Any person/s dealing with them shall be at his/her/their own risk. Parvesh Kr. Tyagi (Advocate), WZ-87A, Village Budhela, Vikaspuri, New Delhi-110018

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that My client **Sh. Panna Lal Gupta** S/o Sh. Dashar Gupta and his wife **Ms. Suman** both R/o P-4/519, Sultan Puri, Delhi-86, have disowned /debarred their son **Deepak** & their daughter-in-law **Anshu Kumari** from all their moveable & immoveable properties & have also severed all their relations with them due to their misconduct and hereafter if anybody deal with them in respect of their moveable or immoveable properties, the same would be at their own risk & my clients have no concern with the same. **Amrit Singh Thapa** (Advocate) CH.No. K-96, K.L.S. Blk, Tishazari Courts, Delhi.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लीला राम निवासी मकान नं. C-2/1, पुलिस स्टेशन आवास कॉलोनी मॉडल टाउन-1, दिल्ली-110009 ने अपने पुत्र रोहित एवं उसकी पत्नी राधिका को अपनी समस्त चल अचल संपत्ति से बेदखल कर उनसे संबंध विच्छेद कर दिए हैं। भविष्य में उनसे जो भी लेन देन करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा मेरे मुवक्किल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

KAMAL SINGH (Advocate)
OFF-QU-259A
Pitampura Delhi-88

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल मो० असरफ पुत्र श्री अख्तार हुसैन निवासी–मौहल्ला पक्केथान उत्तरी कला जिला मुरादाबाद यू०पी० ने अपने पुत्र मौ० सरफराज को अभद्र व्यवहार के कारण अथवा एक लड़की (नौशाबा पुत्री हसन बता — मौहल्ला अंसारियान उत्तरी कला, मुरादाबाद यू०पी०) के कारण मुवक्किल का पुत्र घर 20.02.2020 को उन्हें छोड़ कर चला गया है, इस कारण मेरे मुवक्किल उसे अपनी चल अचल संपत्ति से बेदखल करते हैं। भविष्य में किसी भी अनुचित कार्यों के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा मेरे मुवक्किल कि कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, म०न०-6, गली न०-3, दुर्गा एन्क्लेव, पीपयाना सुभाष, ग्रेटर नोएडा, यू०पी०।

S.K. Gupta (Advocate)
En. No. D-1048/08

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किला श्रीमती बनारसी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री राम, पता आर.जेड.एच-158, गली नं० 3, बैंक कॉलोनी, निकट साईं मंदिर चौक, राजनगर-II, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-110077, ने अपने पुत्र **संजय कुमार** और पुत्रवधू **दिव्या** को उनके प्रति दुर्व्यवहार व गलत आचरण के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर सम्बन्ध विच्छेद कर लिया है। भविष्य में इनके द्वारा किसी भी कृत्य, लेन-देन हेतु मेरी मुवक्किला व उनके परिवार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

S.K. Gupta (Advocate)
En. No. D-1048/08
Chamber No. D-205, Karkardooma Courts, Delhi-110032

सार्वजनिक सूचना

सर्वविदित हो कि मेरे मुवक्किल श्री सतीश कुमार सुपुत्र स्व श्री अत्वीर सिंह निवासी बाई 875,876, कैम्प नं.1,नांगलोई दिल्ली-110041 ने अपने पुत्र विनिन्द्र सिंह (उर्फ सचिन) को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, और अपने सभी रिश्ते नाते तोड़ लिये हैं।

भविष्य में इसके किसी भी क्रिया कलाप, लेन-देन,एवं दीवानी-फौजदारी मुकदमे आदि के लिये मेरे मुवक्किल एवं उनके परिवार जिम्मेदार नहीं होंगे।

प्रदीप कुमार शर्मा एडवोकेट

PUBLIC NOTICE

My client Shri Surender Kumar S/o Late Shri Karam Chand, and Mrs. Reena W/o Sh. Surender Kumar, R/o RZ-49, Aggarwal Colony, Near New Anaj Mandi Najafgarh, Delhi-110043, has disown their son, Mr. Vishal Bagri aged about 25 year and his wife Mrs. Poonam, D/o Late Shri Laxman aged about 25 year for the misconduct and threat done by them on various occasions, from my client's all movable and immovable property/properties. That They shall not inherit any of my client's property/properties and shall not be entitled to grant of probate to my client's will. Anybody transacting any business with Mr. Vishal and his wife Mrs. Poonam in respect to my client, is doing that in his or her own risk, my client and his family shall not be responsible at all, General Public take notice.

Sd/-
BALRAM (Advocate)
(M) 8860175911

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Vimal Jha S/o Sh. Dev Vansh Jha and my clientess Smt. Meera Devi W/o Sh. Vimal Jha R/o KH.No.51, Gali No.15, Mukund Vihar, Mukundpur Part-I, Delhi-110042 have debarred their son Praveen Kumar Jha from all their movable and immovable properties and have severed their relations from him as he is not in their control and any act done with him by any public will be at his/her own liability and my clients will not be responsible in any manner whatsoever.

Basant Kumar Singh (Advocate)
Ch.No.C-67, C.L. Joseph Block,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

FOR AND ON BEHALF OF MY CLIENT (1) SH. VED PARKASH GUPTA S/O LATE SH. S. R. GUPTA & (2) SMT. VINITA GUPTA W/O SH. VED PARKASH GUPTA BOTH R/O FLAT NO. 307-B, POCKET J&K, DILSHAD GARDEN, NEW DELHI - 110095, I RENU BALA (ADVOCATE) SERVE THIS PUBLIC NOTICE THAT HENCEFORTH MY CLIENT HEREBY SEVERE ALL THEIR RELATION WITH THEIR SON VIVEK GUPTA, THEIR DAUGHTER-IN-LAW PRITI MITTAL AND THEIR GRANDSON VIVAAN GUPTA (MINOR) S/O VIVEK GUPTA & PRITI MITTAL AND HEREBY DEBAR AND DISOWN THEM FROM ALL THEIR MOVABLE & IMMOVABLE PROPERTIES, AS THEY ARE NOT OBEDIENT TO MY CLIENT & DUE TO THEIR DISRESPECTFUL, THREATENING OF IMPLICATION IN FALSE CASE AND OUT OF CONTROL BEHAVIOR. ANYONE DEALING WITH THEM WILL BE DOING SO AT HIS/HER/THEIR OWN RISKS AND IN CASE THEY HURT OR MAKE FRAUD WITH ANYONE, MY CLIENT SHALL HAVE NO CONCERN.

Sd/-
RENU BALA (ADVOCATE)
Enrl. No. D-4533/2014

PUBLIC NOTICE

My clients Shri Praveen Bansal S/o Late Sh. Visheswar Dyal, and his wife Smt. Mamta Devi W/o Praveen Bansal Both R/o H. No. B-1-8, Hastal Vihar Uttam Nagar, D.K Mohan Garden, West, Delhi, Delhi-110059, have debarred and disowned his daughter Ms. Karishma Bansal D/o Sh. Praveen Bansal R/o H. No. B-1-8, Hastal Vihar Uttam Nagar, D.K Mohan Garden, West, Delhi, Delhi-110059, from all their moveable and immoveable properties and severed all relations with her out of control and creating trouble to my above said clients. If any body deal with her he/she shall be responsible for the same at his/her own risks and consequences. My clients shall not be responsible for their acts and deeds, whatsoever, in any manner.

Shivendra Pratap Singh (Advocate)
Ch. No. 135, Patiala House Courts,
New Delhi-110001

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given on behalf of Mr. Pawan Singh Chauhan who is the owner of the Plot on land area measuring 59.56 Sq. Yards, out of Khasra No 111, Situated at Sandeep Enclave Village Akbarpur Behrampur, Pargana Loni, Tehsil & Distt Ghaziabad U.P. vide Sale Deed dated 04.02.2020 and Further will be mortgaging against the Financial assistance from Ummeed Housing Finance Pvt. Ltd. That the death Certificate of Late Mr. Sukhpal Singh & Surviving Member Certificate of Legal Heirs of Late Mr. Sukhpal Singh is not available. To comply the requirements of bank/NBFC, we give this Public Notice that if any person(s) having any objection regarding ownership and /or creating mortgage of the said property is/are hereby requested to intimate in writing to the undersigned within 07 days from the date of this notice, at below address: **Lucem Legal LLP**
269, Rama House, Ground Floor, Masjid Moth, Opp. Uday Park, South Ext.II, New Delhi-49,Contact 011-40046316

PUBLIC NOTICE

It is for the information of general public that my clients Gurdev Singh S/o Late Yoginder Singh and his wife Paramjeet Kaur both R/o 810-A, Gali No. 7, Govindpuri, Kalkaji, New Delhi-110019, have disowned their son Rajinder Singh, his wife Akansha Sharma and their legal heirs from their movable/ immovable properties and have severed all relations with them. Anybody dealing with them shall do so at his/her own risk, costs and consequences.

Sd/-
MANJU BHATNAGAR
Advocate
D-56/80

PUBLIC NOTICE

"It is to inform to the public at large that Mr. Ashwani Rana 37.5% Share, Mr. Suresh Kr 37.5% Share and M/s. Navam Associates prop. Mr. Vinod Kr acquired the property i.e Plot no. 38, measuring 47 sq. yrds., Village Nawada Block-L, @ Block-L-Extn. Art-III, Mohan Garden Uttam Nagar, New Delhi, vide Sale Deed dated 23.09.2019 executed by Mr. Ajit Pal Katyal and they are the undisputed owner of said property till date and there is no dispute pending on said property till date in any court of INDIA. OR Any person / firm / institution / company having any claim or right in respect of the said Property by way of inheritance, share, sale, agreement, lease, license, gift, possession, legal heirs, partners or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate in writing to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice of his/her/their share or claim, if any, with all supporting documents at below mentioned address. After expiration of notice period, the claims, if any, of such person shall be treated null and void and also treated as waived and not binding on our client.

Ajay Kumar Giri - Advocate
H.No. 26/161, Basement, Vikram Vihar, Lajpat Nagar 4, New Delhi 110024

पोस्टर हटाने का मामला

अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए यूपी सरकार ने और वक्त मांगा

प्रयागराज, 16 मार्च (भाषा)।

उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में सीएए के विरोध के दौरान सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के पोस्टर लखनऊ के चौराहों से हटाने के मामले में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय मांगते हुए सोमवार को एक अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की।

इस आवेदन में राज्य सरकार ने यह आधार लिया है कि हाई कोर्ट के 9 मार्च के निर्णय के खिलाफ राज्य की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे बड़ी पीठ के पास भेज दिया है क्योंकि इसमें अहम मुद्दा शामिल है।

अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने अदालत से कहा कि इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में अंतिम निर्णय सुनाये जाने तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए राज्य सरकार और समय की जरूरत है।

इससे पूर्व नौ मार्च को राज्य सरकार को एक बड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को शहर की सड़कों के किनारे लगे प्रदर्शनकारियों के बैनर, पोस्टर आदि तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया था।

दंगों के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने की याचिका पर मांगा जवाब

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तरपूर्वी दिल्ली में हाल में हुए दंगों के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के लिए पुलिस को निर्देश देने संबंधी याचिका पर केंद्र, पुलिस और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर के पीठ ने अधिकारियों को सोमवार को नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च के लिए निर्धारित कर दी।

यह याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने दायर की है। याचिका में अनुरोध किया गया कि दिल्ली पुलिस को दंगा प्रभावित इलाकों के 23 फरवरी से लेकर एक मार्च तक के सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखने के निर्देश दिए जाएं। साथ ही इसमें मौके से साक्ष्य जुटाए बिना मलबा साफ नहीं करने का भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और एसआइटी के गठन का अनुरोध किया गया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को शामिल किया जाए।

याचिका में कहा गया कि पुलिस पर दंगा प्रभावित इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगे हैं जो कि सोशल मीडिया पर नजर आए वीडियो से साफ है। साथ ही कहा गया कि मलबे को जानबूझ कर साफ किया गया ताकि घटनास्थल से साक्ष्य नष्ट किए जा सकें। इसमें दावा किया गया कि दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है और आरोप लगाया कि पुलिस उन शिकायतों को नहीं सुन रही, जिनमें आरोपी के नाम बताए जा रहे हैं और जोर दे रहे हैं कि शिकायत अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई जाए। याचिका में आरोप लगाया गया कि दंगों के एक पीड़ित ने भाजपा नेता कपिल मिश्रा पर अपने बेटे की मौत और दंगों का आरोप लगाया था। इसमें पुलिस की कथित निष्क्रियता या दंगों में सक्रिय भागीदारी और साक्ष्यों को नष्ट करने के लिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी एवं अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की है।

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल अमर सिह पुत्र जवाहर सिंह निवासी-14/135, गीता कालोनी, दिल्ली-31 ने अपने पुत्र इन्द्रजीत सिंह व पुत्रवधू नवनीत कौर (सपरिवार) को अभद्र व्यवहार (अनियन्त्रित होने) के कारण इनसे सभी सम्बन्ध-विच्छेदकर इन्हें अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है, अपने कार्यों/लेनदेन के वे स्वयं जिम्मेदार होंगे मेरे मुवक्किल (सपरिवार) जिम्मेदार नहीं होंगे, पवन चौधरी एडवोकेट, En. No. D2235/2004

Sd./-
PAWAN CHAUDHARY
Advocate

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client Monika Kaushik w/o Sunil Kumar Vashisht R/o J-50, ARD Complex, R.K.Puram, Sector-13, Sarojini Nagar, Delhi-110023, have breakup all her relation with her brother Ashish Sharma & his wife Seema Sharma both R/o D-301, Extn.2-D, Nangloi Delhi-110041 and also severed all relations with them. Any person/s dealing with them shall be at his/her/their own risk. Parvesh Kr. Tyagi (Advocate), WZ-87A, Village Budhela, Vikaspuri, New Delhi-110018

कोरोना : बंद किए गए सिद्धिविनायक व तुलजा भवानी मंदिर

मुंबई/औरंगाबाद। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस फैलने के मद्देनजर मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर को अगली सूचना तक श्रद्धालुओं के लिए बंद करने की घोषणा सोमवार को की गई।

एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के उस्मानाबाद जिले में स्थित तुलजा भवानी मंदिर को भी श्रद्धालुओं के लिए 17 से 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों से भीड़भाड़ वाले स्थान से बचने का आग्रह किया था। प्रभादेवी क्षेत्र में स्थित भगवान गणेश को समर्पित सिद्धिविनायक मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं और यहां मंगलवार को अत्यधिक भीड़ होती है। (भाषा)

Contact for Advt. Booking: M/s Friends Publicity Service 23276901, 23282028 (M): 9212008155, 9212665841.

www.readwhere.com

गश्त पर निकले कांस्टेबल और होमगार्ड पर गोलीबारी

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

चोरी की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे थे दोनों

द्वारका जिला पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार

द्वारका इलाके में एक निर्माणाधीन साइट पर चोरी करने के लिए पहुंचे बदमाशों ने गश्त पर निकले एक कांस्टेबल और होम गार्ड को गोली मारकर घायल कर दिया। साइट पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने बदमाशों की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे थे। बदमाश गोली चलाने के बाद मौके से फरार हो गए।

हालांकि बाद में जिला पुलिस टीम ने एक मुठभेड़ के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनकी पहचान मोहम्मद अली (32) और मोहम्मद सुल्तान (29) के तौर पर हुई है। दोनों आरोपी हरियाणा के फारुख नगर के रहने वाले है।

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त अंटो अल्फोंस ने बताया कि सोमवार सुबह करीब चार बजे सूचना मिली थी कि बदमाशों ने कांस्टेबल राजीव और होम गार्ड अजय कुमार पर हमला कर दिया है। राजीव को गोली लगी है। सूचना मिलने पर पुलिस की एक टीम द्वारका सेक्टर–23 एक निर्माणाधीन साइट पर पहुंची। पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई। इसी बीच पुलिस टीम को पता चला कि चार संदिग्धों को भरथल गांव में देखा गया है। पुलिस ने एक बदमाश को वहां से गिरफ्तार कर लिया। हालांकि तीन बदमाश फरार हो गए। वहीं, जिला पुलिस इस घटना के बाद से सतर्क थी। पुलिस टीम ने एक और आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि एक बदमाश को गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। शुरुआती छानबीन के आधार पर पुलिस को पता चला कि इन बदमाशों ने बिजली वितरण करने वाली कंपनी बीएसईएस के पावर हाउस में डकैती की थी।

पिता की बीमारी के तनाव में बेटे ने जहर खाकर की खुदकुशी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

फतेहपुर बेरी इलाके में पिता की बीमारी से तनाव में रहने वाले एक युवक ने खुदकुशी कर ली। गुर्जर समाज में लोकप्रिय नीरज तंवर ने रविवार रात सल्फास खा लिया। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। सोमवार दोपहर इलाके में हुई अंत्येष्टि में भारी संख्या में स्थानीय लोगों के अलावा दिल्ली और गाजियाबाद के गुर्जर समाज के नेता शामिल हुए।

जिला पुलिस उपायुक्त के मुताबिक नीरज तंवर अपने पिता मुंशी राम के साथ फतेहपुर बेरी के हाउस नंबर–156 में रहता था। उसके पिता को कैंसर की बीमारी है जिसके कारण नीरज तनाव में रहता था। उसने गुरुग्राम में एक ढाबा भी खोला हुआ था लेकिन कुछ दिनों के बाद ढाबा बंद करना पड़ा। वह बाउंसर का काम करता था। तीन–चार महीने से उसे कोई काम भी नहीं मिला रहा था। रविवार रात साढ़े नौ बजे उसने सल्फास खा लिया। उल्टी दस्त होने के बाद परिजनों ने उसे फोर्टिस अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उसकी मौत हो गई।

संपत्ति विवाद में भाइयों ने एक-दूसरे को मारी गोली, दोनों की मौत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

सिविल लाइंस इलाके में आपसी झगड़े में एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। अस्पताल में दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वारदात रविवार देर रात करीब 12 बजे की है। पुलिस के मुताबिक, 27 साल के तनुज नागर का उसके अपने भाई 34 साल के राहुल नागर से झगड़ा हो गया। इसी क्रम में तनुज ने पिस्तौल से अपने भाई राहुल नागर को गोली मार दी। इसी बीच राहुल ने भी तनुज को गोली मार दी। राहुल एक अदालत में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी था। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है।

SRF LIMITED
Regd. Off.: The Galleria, DLF Mayur Vihar, Unit No. 236 & 237, 2nd Floor, Mayur Vihar Place, Noida Link Road, Mayur Vihar Phase I Extn, Delhi-110091
Tel. No (Regd office) : (+91-11) 49482870; Fax : (+91-11) 49482900
E-mail: info@srf.com, Website: www.srf.com; CIN: L18101DL1970PLC005197

NOTICE

Notice is hereby given that Certificates pertaining to Shares of the Company detailed below have been reported lost and request(s) for issue of duplicate Certificates in lieu thereof have been received by the Company :-

Sl. No.	Folio No.	Name of the Share Holder / Legal Heir (Claimant)	Cert-No.	Dist-No.	Lost Shares
1	P 0002625	Prakash Gupta	46567	2608651-700	50
			73478	3515468-92	25
			137804	5642402-38	37
			90032380-82	7325874-961	88
2	I 0000439	Ila Pal	884493	2323876-900	25
				3342933-43	11
				5183191-204	14
				6643102-51	50
				6643152-201	50
				6643202-51	50
				6643252-301	50
				6643302-51	50
				6643352-401	50
				24002568-87	20
				24002588-92	5
				24002593-94	2
3	SRF0125690	Sarika Jhunjhunwala	73124	3511201-16	16
			137498	5636941-73	33
4	SRF0106714	Lalit Kr Shroff	6182	1466251-300	50
			23237	1955526-75	50
			49500	2689676-725	50
			147691	5876932-81	50
			147692	5876982-7031	50
			90149010	1240106-10	5
				3451420-30	11
				5464802-15	14
				8657362-81	20
			90149011	8218794-813	20
				8218864-83	20
				9461360-69	10
			90149012	1569376-400	25
				1832326-40	15
				8218884-93	10
			90149013	1832341-50	10
				1915576-600	25
				1953401-15	15
			90149014	1953416-25	10
				1953451-75	25
				2076126-40	15
			90149015	2076141-50	10
				2112451-75	25
				2138151-65	15
			90149016	2138166-75	10
				2189726-50	25
				2296076-90	15
			90149017	2296091-100	10
				2352626-50	25
5	SRF0035142	Harpartap Rai Puri	589665	9180650-99	50
			589666	9180700-49	50
			90192762	15036015-64	50
			90192763	15036065-114	50
6	M 0003942	Madhu Gupta	132095	5474038-49	12
			976200	18578391-415	25
7	V 0002376	V Hooja	50870	2726826-50	25
			153248	6049340-57	18
			350571	16735958-77	20
			350572	16735978-87	10
			350573	16735988-88	1
			499571	24755750-69	20
			499572	24755770-79	10
			499573	24755780-80	1
			977527	18621562-72	11
8	SRF0118647	Nilima Aggarwal	424379	18223887-936	50
			573379	26243679-728	50
			661943	47252806-55	50
			661944	47252856-65	10
			748110	61803717-17	1
			775618	65756276-77	2

Any person having any claim /objection in respect of the above requests should lodge such claim/objection with the company at its Registered Office within 15 days of the publication of this notice, failing which the company will consider to give effect to the above requests.
Public is hereby cautioned against dealing with the aforesaid share certificates.

for SRF LIMITED
Sd/-
RAJAT LAKHANPAL
Vice President (Corporate Compliance) & Company Secretary

Place : Gurugram
Date : 16.03.2020

अनधिकृत कॉलोनी निवासियों के लिए संपत्ति कर में राहत

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनी निवासियों को बड़ी राहत देते हुए दक्षिणी निगम ने आम माफी योजना लाने की घोषणा की है। रविवार को मेयर ने कहा कि रिहायशी संपत्ति धारको को वर्तमान वित्तीय वर्ष का ही सपंत्ति कर अदा करना होगा।

पिछला बकाया संपत्ति कर माफ कर दिया जाएगा, जबकि व्यावसायिक संपत्ति धारको को पिछले तीन वर्षों का बकाया संपत्ति कर अदा करना होगा। मेयर सुनीता कांगड़ा ने कहा कि व्यावसायिक संपत्ति धारको को पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2017–18, 2018–19 व 2019–20 का बकाया कर जमा कराना होगा। यह योजना 31 मार्च, 2020 तक ही लागू की गई है।

कांगड़ा ने बताया कि सभी जोनों में संपत्तिकर विभाग से क्षेत्रीय पार्षदों के सहयोग से विशेष शिविर लगाए जाएंगे। लोगों से आग्रह किया जाएगा कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपना संपत्तिकर समय पर जमा कराएं।

हेरोइन तस्करी में एक युवक समेत दो अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने का दावा किया है। मामले में पुलिस ने एक विदेशी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर 10 किलो हेरोइन जब्त की गई है।

आरोपी तस्कर अफगानिस्तान के रास्ते मादक पदार्थ की खेप दिल्ली लेकर आए थे। इनकी पहचान पंजाब के संगरूर निवासी काका सिंह (26), अफ्रीकी मूल के रोमाउल्द कोफ्फी (42) और कोफ्फी दरीप्री (34) के तौर पर हुई है। दोनों विदेशी युवक फिलहाल उत्तम नगर के मोहन गार्डन इलाके में रहते थे।

स्पेशल सेल के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि एसीपी अत्तर सिंह की टीम को सूचना मिली थी कि पंजाब से एक तस्कर मादक पदार्थों की खेप के साथ दिल्ली आने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस की एक टीम जीटी कारनाल रोड के पास पहुंची। 13 मार्च की रात को करीब सवा 12 बजे एक युवक को शक के घेरे में लेते हुए टीम ने पकड़ा।

तलाशी लेने पर पुलिस को उसके बैग से चार किलो हेरोइन मिली। पूछताछ करने पर उसने बताया कि मोहन गार्डन में रहने वाले अफ्रीकी निवासी से उसने हेरोइन खरीदी थी।

''इस पॉलिसी में निवेश पोर्टफोलियो में निवेश का जोखिम पॉलिसीधारक द्वारा वहन किया जायेगा''

सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस

ऑनलाइन भी उपलब्ध

एक सीप – दो फायदे
बचत भी : सुरक्षा भी

एलआईसी की
सीप
योजना सं : 852 UIN 512L334V01
यूनिट लिंक्ड, असहभागी, व्यक्तिगत जीवन बीमा योजना

चुनने की आजादी:
बचत धनराशि:
आपकी बचत रु. 4000/– प्रति माह या रु. 40000/– प्रति वर्ष से शुरु हो कर जीवन के बड़े लक्ष्यों के लिए उससे अधिक हो सकती है।
4 फंड विकल्प:
आप बांड, सुरक्षित, संतुलित एवं वृद्धि में से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं।
निःशुल्क फंड परिवर्तन:
आप अपना धन वर्ष में चार बार निःशुल्क एक फंड से दूसरे फंड में परिवर्तित कर सकते हैं।
आवश्यकता पर निकासी :
5 वर्ष उपरांत आप आंशिक निकासी कर सकते हैं।*

पॉलिसी के लाभ:
• जोखिम सुरक्षा उपलब्ध
• गारंटीकृत लाभ: यूनिट फंड वैल्यू के साथ गारंटीकृत लाभ*
• पॉलिसी परिपक्वता: यूनिट फंड वैल्यू

पात्रता :
प्रवेश की आयु:
न्यूनतम आयु: 90 दिन
अधिकतम आयु: 65 वर्ष
परिपक्वता आयु:
न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
अधिकतम आयु: 85 वर्ष
पॉलिसी अवधि: 10 – 25 वर्ष

एसएमएस करें अपने शहर का नाम 56767474 पर

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
IRDAI Regn No.: 512
हर पल आपके साथ

खाना बनाते समय लगी आग, दंपति झुलसे

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

दक्षिण पश्चिम दिल्ली के किशनगढ़ इलाके में संदिग्ध हालात में दंपति के जलने का मामला सामने आया है। महिला लगभग 75 फीसद जल चुकी हैं। पत्नी को बचाने गया उसका पति भी 35 फीसद तक जल गया है। जिला उपायुक्त देवेंद्र आर्य ने बताया कि पुलिस को इस मामले की जानकारी एक पीसीआर कॉल से मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पति पंकज सिंह ओर पत्नी भगवती को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित महिला एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है, जबकि उसका पति प्लम्बर का काम करता है। पीड़ित महिला ने पुलिस को बताया कि फ्राइंग पैन में पड़े तेल में अचानक आग लग गई जिसे बुझाने में आग लगी।

प्रपत्र एनसीएलटी – 3ए
याचिका के विवरण संबंधी विज्ञापन
सीपी सं. 44 (एनडी) 2020
के विषय में :

1. ब्रेकिंग वेव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड [पैन : AAECB6685P]
.......आवेदक कम्पनी सं. 1/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 1
2. केपीएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड [पैन : AABCK6727E]
.........आवेदक कम्पनी सं. 2/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 2
3. सुप्राविन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड [पैन : AAACW2716L]
..........गैर आवेदक कम्पनी/अंतरणकर्ता कम्पनी सं. 3
4. इनट्रस्ट ग्लोबल ईसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड [पैन : AABCI3725J]
.........आवेदक कम्पनी सं. 3/अंतरिती कम्पनी

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के साथ पठित धारा 232 के तहत एक याचिका क) ब्रेकिंग वेव सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड ख) केपीएल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड तथा ग) सुप्राविन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का घ) इनट्रस्ट ग्लोबल ईसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ समामेलन की स्कीम के अनुमोदन हेतु राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तथा माननीय पीठ के आदेश दिनांकित 05 मार्च, 2020 के निर्देशों के अनुसरण में उक्त याचिका की सुनवाई माननीय पीठ के समक्ष 01 मई, 2020 को की जानी नियत है। कोई भी व्यक्ति, जो उक्त याचिका/आवेदन/विचारार्थ विषय के समर्थन अथवा विरोध का इच्छुक है, अपने आशय की सूचना, जो उसके अपने स्वयं के अथवा उसके अधिवक्ता के नाम और पता सहित हस्ताक्षरित हो, याचिकादाता के अधिकृत प्रतिनिधि को भेज सकता है, जो याचिकादाता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास याचिका/आवेदन/विचारार्थ विषय की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पूर्व पहुंच जानी चाहिए। यदि वह याचिका/आवेदन/विचारार्थ विषय का विरोध करने का इच्छुक है तो विरोध के आधार अथवा एक शपथपत्र की प्रति ऐसी सूचना के साथ अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को अधोहस्ताक्षरी द्वारा उसकी प्रति 30 दिन की अनुबद्ध अवधि तक प्रत्येक कार्यदिवस को, पूर्वा. 11.30 बजे और अप. 04.30 बजे के बीच, दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु उपगत शुल्क के भुगतान पर उपलब्ध कराई जाएगी।

हस्ता./–
वास्ते इनट्रस्ट ग्लोबल ईसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
अधिकृत प्रतिनिधि
बन्नी सहगल
सी/ओ विनोद कोठारी ऐण्ड कम्पनी
ए–467, प्रथम तल, डिफेंस कालोनी, नई दिल्ली–110024
फोन : 9830406084/ई–मेल आईडी : nitu@vinodkothari.com

दिनांकित : 17–03–2020

J&K Bank
Serving To Empower

द जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
बाधित परिसम्पत्ति पोर्टफालिओ प्रबंध विभाग
अंचल कार्यालय (उत्तर) प्लॉट नं. 132–134, सेक्टर 44, गुड़गांव (हरियाणा) भारत
GSTN :06 AAACT6167G1ZB
टेली.: +91 (O)0124-4715800 एफः +91 (O) 0124-4715800, ईमेलः iampd.del@jkbmail.com, www.jkbank.net

ई–नीलामी सूचना
(सरफैसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल गिरवी सम्पत्ति की बिक्री के लिये)
(देखें 8 (6) का प्रावधान)

एतदद्वारा आम जनता तथा विशेष रुप से ऋणधारकों तथा गारन्टरों को सूचित किया जाता है कि द जम्म एंड कश्मीर बैंक लि., बिजनेस यूनिट गाजियाबाद के पास मै. डी पी स्टील्स, पंजीकृत कार्यालयः 208, II रा तल, अंसल सुमेधा आरडीसी राज नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) को दी गई साख सुविधा के लिये प्रतिभूत नीचे वर्णित गिरवी सम्पत्ति जिसका सरफैसी अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है की, उसके निम्न पार्टनरों मार्टगैजरों तथा गारन्टरों के माध्यम से पार्टनरशिप फर्म से बैंक के बकाये रु.21257162.22 (रुपये दो करोड़ बारह लाख सत्तावन हजार एक सौ बासठ एंव पैसे बाईस मात्र) 31.03.2019 को तथा आगे के ब्याज, लागत चार्जेज की वसूली के लिये 21.04.2020 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' 'तथा 'जो कुछ भी वहां है' आधार पर बिक्री की जायेगी।

1) मै. डी.पी. स्टील्स पंजी. कार्या. 208, II रा तल अंसल सुमेधा आरडीसी राज नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) साथ हीं : शॉपनं. 1059, विकास नगर, मेरठ रोड, गाजियाबाद (उ.प्र.)
2) श्री सुखबीर सिंह, पुत्र स्व. दरबारा सिंह, निवासीः प्लॉट नं. सी–134, सूर्य नगर, गाजियाबाद (उ.प्र.) 201001 (पार्टनर/मार्टगैजर)
3) श्री प्रकाश सिंह, पुत्र जगमोहन सिंह, निवसीः 216 ए, ओल्ड पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद (उ.प्र.)–201001 (पार्टनर/मार्टगैजर)
4) श्री मनमोहन, पुत्र श्री राम अवतार निवासी 553, बेगमबाद, बुधाना–3, मोदीनगर, गाजियाबाद (उ.प्र.)–201204 (गारन्टर)

अचल सम्पत्ति का विवरण

श्री सुखबीर सिंह, पुत्र स्व. श्री दरबारा सिंह के नाम में नीचे की भूमि में आनुपातिक फ्री होल्ड अधिकार के साथ प्लॉट नं. सी–134, ब्लॉक–सी, सेक्टर–7, टी.एच.ए., सूर्य नगर गाजियाबाद में निर्मित फ्री होल्ड निर्मित सम्पत्ति फ्लैट जी–1, भू तल (फ्रान्ट साईड) कवर्ड एरिया माप 1500 वर्ग फीट (139.34 वर्ग मी.)

सम्पत्ति के विवरण तथा सभी नियमों एवं शर्तों से शामिल बोली दस्तावेज/प्रारूप वेबसाईट 'https://sarfaesi.auctiontiger.net' से प्राप्त एवं जमा की जा सकती है। (सम्पर्क व्यक्ति श्री नितीश झा 7982880393 तथा श्री निखिल ठाकुर 8318457886) उपरोक्त सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य रु. 155.29 लाख (एक करोड़ पचपन लाख तथा उन्नतीस हजार) तथा ईएमडी रु. 15.53 लाख (रुपये पन्द्रह लाख तिड़पन हजार मात्र) है। सम्पूर्ण बोली 20.04.2020 तक ऑन लाइन जमा की जा सकती है। ई–नीलामी का समय 21.04.2020 के 3 बजे अप. तक है। बैंक के अधिकारी के सम्पर्क का विवरणः श्री अनिल कुमार हंडू (प्राधिकृत अधिकारी) मो.: 9999001249 तथा श्री हरशद सिंह (शाखा प्रमुख) मो. नं. 9999920431

हस्ता/–
(श्री अनिल कुमार हंडू)
प्राधिकृत अधिकारी, द जम्मू एंड क. बैंक लि.,

यह सचूना प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के अनुसार उपरोक्त ऋणधारकों/मार्टगैजरों/गारन्टरों के लिये 30 दिनों की सूचना भी है कि वे नीलामी की तिथि से पूर्व ब्याज तथा खर्चे के साथ कुल बकाया ऋण राशि का भुगतान करें अन्यथा सम्पत्ति की नीलामी कर दी जायेगी तथा ब्याज तथा खर्चे के साथ शेष बकाये, यदि कोई हो, की उनसे वसूली की जायेगी।

तिथिः 16.03.2020, स्थानः गुरुग्राम, हरियाणा — प्राधिकृत अधिकारी

पंजाब नैशनल बैंक ...... भरोसे का प्रतीक !
punjab national bank ..... the name you can BANK upon

मण्डल कार्यालय : काशीपुर–बाजपुर रोड, काशीपुर (उ० सिं० नगर)244713 (उत्तराखंड) फोन– 05947–275135, 277533; E mail: samdkashipur@pnb.co.in

अचल संपत्तियों की ई–नीलामी के लिए विक्रय नोटिस

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 के अधीन वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 8(6) के अन्तर्गत विक्रय के लिये ई–नीलामी बिक्री की सूचना। जन सामान्य व उधारकर्ता(ओं), एवं गारंटीकर्ता (ओं) को सूचित किया जाता है कि निम्न दर्शायी गयी प्रतिभूति आस्तियां सुरक्षित लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिसका रचनात्मक/प्रतीकात्मक/भौतिक कब्जा बैंक/सुरक्षित लेनदारों द्वारा ले लिया गया है, को बैंक/सुरक्षित लेनदारों की उधारकर्ता(ओं) एवं गारंटीकर्ता (ओं) पर बकाया राशि की वसूली के लिये 'जैसे है जहां है', 'जैसे है जो है' एवं 'जो भी वहां है' के आधार पर निम्न तालिका मे दर्शायी गयी तिथि को विक्रय की जायेंगी। आरक्षित मूल्य व जमा धरोहर राशि निम्न सारणी में संदर्भित संपत्तियों के सामने दर्शायी गयी है।

प्रतिभूति आस्तियों की अनुसूची

क्रम संख्या	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गांरटरों के खाते का नाम और पता	अचल संपत्तियों का विवरण बंधक/मालिक का नाम (बंधक संपत्ति/संपत्तियाँ)	अ) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना की तिथि ब) बकाया राशि दिनांक 31/12/2019 स) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन कब्जे की तारीख द) कब्जे की प्रकृति (प्रतीकात्मक/भौतिक/ रचनात्मक)	अ) आरक्षित मूल्य (रु. लाख में) ब) ईएमडी स) ईएमडी जमा की अंतिम तिथि द) बोली बढ़ाने की राशि	ई नीलामी की तिथि व समय	सुरक्षित लेनदारों की जानकारी में विभिन्न बाधाओं/बोझ/ऋणभार की जानकारियां
1	शाखाः महुआखेड़ा गंज / मैसस एलाईड फाईबर्स इण्डस्ट्रीज़	आवासीय भवन डी डी ए फ्लैट नं0 33बी, G/F ब्लॉक CB, श्रेणी G-8, हरिनगर, नई दिल्ली–64 पर स्थित है। जो कि एस आर II कार्यालय जनकपुरी, नई दिल्ली मे दस्तावेज सं0 5096 अतिरिक्त वही सं0 1 खंड सं0 17443 प्रष्ठ सं0 155–159 में दिनांक 10.3.2010 को श्री तपन सिंघानिया के नाम पंजीकृत है। जिसका क्षेत्रफल 37 वर्ग मीटर है। भैतिक कब्जा	अ) दिनांक रु 01/02/2016 ब) रु. 4564.43 लाख ब्याज एवं अन्य खर्चे स) दिनांक 18/01/2017 द) भौतिक कब्जा कब्जा	अ) रु0 30.00 लाख ब) 3.00 लाख स) 30.03.2020 द) रु0 0.50 लाख	04.04.2020 प्रातः11.00 बजे से 12.00 बजे तक	नहीं

1. बिक्री को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन किया जाएगा एवं आगे प्रदत नियमो का अनुसरण करना होगा :
2. सम्पत्तियों कि बिक्री **'जैसे है जहां है', 'जैसे है जो है' एवं 'जो भी वहां है'** के आधार पर की जायेगी।
3. प्रतिभूत आस्तियों का विवरण जो अनुसूची मे ऊपर दिया गया है वह प्राधिक्रत अधिकारी की श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार है, लेकिन प्राधिक्रत अधिकारी उपरोक्त प्रकाशन में किसी भी त्रुटि/अशुद्ध वर्णन या चूक/भूल के लिये जवाबदेह नहीं होगा।
4. बिक्री अधोहस्ताक्षरी के द्वारा ई–नीलामी बिक्री पद्ति से बेवसाईट www.mstcecommerce.com पर दिनांक 30.03.2020 प्रातः 11.00 से 12.00 बजे तक की जायेगी।
5. विक्रय के नियमों और शर्तों के विवरण की विस्तृत जानकारी हेतु www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app पर देखें।
6. विस्तृत जानकारी के लिये कृप्या उपरोक्त वेव साईट पर देखें या प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी के फोन नं 6399222032, 9760026106 से सम्पर्क करें।

दिनांक : 16.03.2020
स्थान : काशीपुर

अशोक कुमार शुक्ला
प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक
सुरक्षित लेनदार

सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 8 (6) के अधीन संवैधानिक विक्रय नोटिस

कोरोना की बढ़ती महामारी को लेकर

नगर निगम के सख्त निर्देश

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

उपराज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने कोरोना विषाणु से बचाव करने और उसके फैलाव और नियंत्रण के लिए निगम अधिनियम 1957 की धारा 376 लागू करते हुए सोमवार को कई प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं।

निगम स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी होटल, मोटल, अतिथि गृह, मॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां, मार्केट-ट्रेडर एसोसिएशन, सभी रिहायशी कल्याणकारी संस्थाएं को यह सुनिश्चित करने कहा है कि उनकी संस्थापना के प्रवेश के निकट संक्रमण मुक्त करने की सुविधा (हाथ धोने के लिए साबुन व पानी और रोगाणुनाशक द्रव्य उपलब्ध हों।

वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रांगण में किसी एक स्थान पर विशेष रूप से अधिक लोग एकत्रित न हो। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेंगे। निगम के आदेश में यह साफ कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना करेगा तो उसके खिलाफ तय कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

उत्तरी निगम के जनप्रतिनिधि दौरे पर

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में मेयर, आयुक्त और नेता सदन ने कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों में संक्रमण रोधी दवा का किया छिड़काव और बैठकों का दौर जारी कर दिया है। उत्तरी दिल्ली के मेयर अवतार सिंह नें सोमवार को कोरोना विषाणु की रोकथाम हेतु उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों, केशवपुरम, सिविल लाईंस व शहरी व सदर पहाड़गंज कार्यालयों में संक्रमण रोधी दवा सोडियम हाइपोक्लोराइट का छिड़काव किया। उधर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन तिलक राज कटारिया ने शालीमार बाग क्षेत्र के अंदर सभी मार्केट स्थलों पर जाकर निगम के टॉयलेट ब्लॉकों का निरीक्षण किया। नेता विपक्ष सुरजीत सिंह पंवार ने अपने वार्ड किराड़ी से कोरोना विषाणु के खिलाफ जागरूगता अभियान की शुरूआत की।

विदेशियों के प्रवेश पर रोक, बाहरी लंगर भी बंद

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कोरोना विषाणु को रोकने की मुहिम के तहत हाल ही में विदेश से भारत आने वालों की दिल्ली के सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों में प्रवेश पर तत्काल प्रभाव से एहतियातन रोक लगा दी है।

दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि केवल भारत में 15 दिनों से ज्यादा समय से रहने वाले विदेशी पर्यटकों को ही अब दिल्ली के गुरुद्वारों में प्रवेश मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि कोरोना विषाणु के संक्रमण को रोकने के लिए गुरुद्वारा परिसरों के विभिन्न स्थानों पर सिख संस्थाओं व दानवीरों की ओर से लगाए जाने वाले बाहरी और निजी लंगरों पर भी तत्काल प्रभाव से पाबंदी लगाई गई है।

सभी सिख संस्थाओं व दानवीरों को मुख्य लंगर परिसर में ही अपना लंगर दान देने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि एहतियात के तौर पर गुरुद्वारों के लंगर में कच्ची

गुरुद्वारे में प्रवेश के लिए घर से लेकर आएं व्यक्तिगत रुमाल।

सब्जियों आदि के स्थान पर पैकेट बंद दालों चावलों आदि को पकाने के लिए कहा गया है ताकि कोरोना विषाणु संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं।

उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा परिसरों में कार्यरत सभी सेवादारों व कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी शुरू करने से पहले पूरी तरह कीटाणु मुक्त होने और साबुन से हाथ धोने के लिए कहा गया है। सिरसा ने कहा कि गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की ओर से प्रयोग की जाने वाली रेलिंग, लिफ्ट, कुर्सियों आदि को बार-बार कीटाणुरहित करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सभी को मुख्य गुरुद्वारा परिसर में प्रवेश के लिए अपने सिर ढकने के लिए अपना व्यक्तिगत स्कार्फ (सिर ढकने का कपड़ा) घर से लाने के लिए कहा गया है।

सभी सार्वजनिक वाहन होंगे किटाणुरहित

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली ,16 मार्च।

मेट्रो व बसों के बाद दिल्ली सरकार ऑटो-रिक्शा, ग्रामीण सेवा, मैक्सी कैब, ईको-फ्रेंडली वाहन समेत अन्य वाहनों को निःशुल्क कीटाणुरहित करेगी। सार्वजनिक परिवहन सेवा के सभी डीटीसी और क्लस्टर बस डिपो को दो पालियों में संक्रमण मुक्त किया जाएगा।

यह अभियान 17 मार्च को शुरू होगा और इसे मुफ्त किया जाएगा। सभी डीटीसी और क्लस्टर बस डिपो में रोजाना दो पालियों में कीटाणु शोधन किया जाएगा। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी, जबकि दूसरी पाली शाम 4.30 बजे से शाम साढ़े छह बजे तक होगी।

सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि हर किसी को अपने वाहन को प्रतिदिन कीटाणुरहित करना चाहिए, हालांकि यह सेवा सभी के लिए अनिवार्य नहीं है। 12 मार्च को, सभी अखबारों में सार्वजनिक सेवा वाहनों के मालिकों व ऑपरेटरों को इस अभियान में शामिल होने की अपील करते हुए एक अधिसूचना जारी की गई।

इससे पहले, दिल्ली सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत दिल्ली में प्रवेश करने वाली सभी अंतर-राज्यीय बसों को अपने-अपने राज्यों से कीटाणु शोधन प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा, आइएसबीटी परिसर में प्रवेश करने के बाद इन सभी बसों को फिर से कीटाणु रहित किया जा रहा है।

कोरोना महामारी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का तापीय परिक्षण (थर्मल स्क्रीनिंग) करते विशेषज्ञ।

दिल्ली में इंतजाम नाकाफी : बिधूड़ी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार के अस्पताल कोरोना वायरस की वजह से फैल रही महामारी से निपटने में पूरी तरह अक्षम हैं। बिधूड़ी ने कहा कि अस्पतालों में न तो कोई आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और न ही जांच केंद्र बनाए गए हैं। वहीं, बिधूड़ी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन की अगुआई में राम मनोहर लोहिया अस्पताल से लेकर सफदरजंग अस्पताल तक में किए गए इंतजामों की तारीफ की।

बिधूड़ी ने सोमवार को कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए दिल्ली सरकार की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अपने पार्टी के साथी विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, ओपी शर्मा, अनिल वाजपेयी, अभय वर्मा, जितेंद्र महाजन और अजय महावर के साथ दिल्ली सरकार के एलएनजेपी, जीबी पंत अस्पतालों का दौरा किया।इन अस्पतालों के दौरे के बाद बिधूड़ी ने अपने साथी विधायकों के साथ दिल्ली सरकार के भागीदारी वाले अपोलो अस्पताल का भी दौरा किया। वहां पर अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि सरकार का निर्देश मिलते ही अस्पताल में जांच केंद्र और लैब को शुरू कर दिया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है।

छेड़खानी के मामले में विधायक मोहनिया बरी

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया को 2016 के कथित छेड़खानी मामले में बरी कर दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा ने 20 हजार रुपए के जमानती बांड के भरने पर मोहनिया को बरी कर दिया। जमानती बांड यह सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता कि यदि बरी किये जाने को चुनौती देते हुए अपील दायर की जाती है तो संबंधित व्यक्ति की पेशी हो सके। अदालत ने कहा-मौजूदा मामले में प्रमुख गवाहों की गवाही में ठोस विरोधाभास और कमियां हैं।

एहतियात के तमाम दावों के बीच अस्पतालों में दिख रही लापरवाही

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली, 16 मार्च।

कोरोना को लेकर महामारी जैसी घोषणाएं हो रही हैं और वैश्विक स्तर पर एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। लेकिन दूसरी ओर चिकित्सा संस्थानों में ही इस पर अमल नहीं हो रहा है। अस्पतालों को संक्रमणरहित करने में कोताही के साथ ही, साफ-सफाई में लचर रवैया तो दिख ही रहा है सामूहिक कार्यक्रम से भी परहेज नहीं किया जा रहा है।

देश के सबसे नामी संस्थान में भी कोरोना को लेकर गंभीर एहतियात की कमी नजर आई। एम्स के नेत्र चिकित्सालय राजेंद्र प्रसाद नेत्र चिकित्सा केंद्र (आरपी सेंटर) का शनिवार को स्थापना दिवस था। इस मौके पर संस्थान को नेत्र चिकित्सा से जुड़ी रपट जारी करनी थी। इस बाबत संवाददाता सम्मेलन रखा गया था, लेकिन कोरोना के मद्देनजर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई लेकिन समारोह चलता रहा। सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य इमरजंसी घोषित कर सम्मेलन व सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) तो रद्द कर दी गई है लेकिन दूसरे जरूरी एहतियात की कमी है। इसी तरह मरीजों के बैठने की जगह लिफ्ट या सीढ़ियों की लागातार सफाई भी नहीं हो रही। यहां काम कर रहे एक सफाईकर्मी ने बताया कि सुबह व शाम को सफाई हो रही है। शनिवार को फर्श की धुलाई होती है।

सफदरजंग अस्पताल में जहां सबसे अधिक कोरोना मरीज है वहां भी साफ-सफाई में मुस्तैदी का अभाव है। यहां मरीजों के प्रतीक्षा कक्ष में या ओपीडी में लगी कुर्सियों पर जिनती सफाई होनी चाहिए वह अभी भी नहीं दिखाई दे रही है। कहीं-कहीं दवा का छिड़काव तो हो रहा है लेकिन कुर्सियां, बेंच व स्ट्रेचर व व्हीलचेयर की सफाई में कोताही है। छिड़काव के अलावा सैनिटाइजर से रेलिंग वगैरह पोछने का काम सुपरस्पेशियलिटी सेंटर में ही हो रहा है बाकी जगह पर ऐसा नहीं दिखा।

यही हाल एलएनजेपी व जीटीबी का भी है। कुछ अस्पतालों में मरीजों के जाने के बाद कार्यक्रम रखा गया। एलएनजेपी अस्पता के एक चिकित्सक ने कहा कि यहां बुखार व जुकाम के मरीजों का आना जारी है। इसलिए ओपीडी के दौरान हम कह नहीं सकते कि परिसर सुरक्षित है। इसलिए हम मरीजों से ही कर रहे हैं कि जुकाम या बुखार है तो मास्क पहनकर रखें। जीटीबी के चिकित्सकों ने कहा कि उन सभी को पर्याप्त मास्क नहीं मिल पा रहे हैं। मंगाने को कहा गया है।

समारोह में आए 500 लोग

आरपी सेंटर में संवाददाता सम्मेलन को तो रद्द कर दिया गया। उसमें 20 से 25 लोग आने थे। लेकिन डॉक्टरों के स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया जिसमें करीब 500 लोग जमा हुए। कार्यक्रम बंद हाल में किया गया। इस दौरान न तो हॉल की कुर्सियों को संक्रमण मुक्त किया गया था न ही हाथ मिलाने को लेकर परहेज दिखाई पड़ा। इतना ही नहीं समारोह में मुख्य कार्यक्रम के बाद लोगों को कार्यक्रम पूरा होने तक ठहरने आग्रह भी किया गया।

लूटपाट का विरोध करने पर नाबालिग को किया घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

मंडावली थाना क्षेत्र में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने एक नाबालिग के सिर को पत्थर मारकर घायल कर दिया। वारदात के बाद एक आरोपी पीड़ित का फोन लूटकर मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने पीड़ित आर्या पांडेय की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

सात देशों से आने वालों पर रहेगी नजर, सिनेमा हॉल बंद

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 16 मार्च।

सेक्टर- 39 स्थित जिला अस्पताल की नवनिर्मित इमारत में सात देशों से आने वाले लोगों के लिए 400 बिस्तर का क्वारेंटाइन केंद्र बनाया गया है। यहां आने वाले लोगों को 14 दिन की निगरानी में रखा जाएगा। उनके नमूनों की जांच की जाएगी। यदि कोई पॉजिटिव मामला निकलता है, तो उसे पृथक केंद्र (आइसोलेशन वॉर्ड) में रखा जाएगा। यह केंद्र ग्रेटर नोएडा स्थित जिम्स और नोएडा के बाल अस्पताल में बनाए गए हैं। नोएडा में 31 मार्च तक तरणताल, मल्टीप्लेक्स और सिनेमाहॉल बंद कर दिए गए हैं।

गौतमबुद्धनगर में कोरोना से प्रभावित सात देश चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, इटली, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन की यात्रा से लौटे लोगों को 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन केंद्र में भर्ती किया जाएगा। इसके लिए पूरे प्रदेश में 1093 बिस्तर आरक्षित किए गए हैं। सीएमओ डॉ अनुराग भार्गव के मुताबिक इन देशों से आ रहे विदेशी एवं भारतीय लोगों को चिन्हित करने का काम शुरू हो चुका है। 15 फरवरी के बाद इन देशों की यात्रा पर गए लोगों पर विशेष निगाह रहेगी।

नोएडा विधायक पंकज सिंह, डीएम बीएन सिंह और सीएमओ ने सोमवार को बनाए गए केंद्र का जायजा लिया। क्वारेंटाइन केंद्र में जिन देशों से लाए गए लोगों को रखा जाएगा, इसके अभी गोपनीय रखा गया है। यहां लाए जाने वाले लोग चिकित्सकों की निगरानी में रहेंगे। केंद्र में 200 बिस्तर नए अस्पताल और 200 बिस्तर स्टाफ क्वार्टर में बनाए गए हैं। अस्पताल को प्रत्येक दो घंटे के भीतर सेनेटाइज किया जाएगा। इसके लिए प्राधिकरण के 40 स्वास्थ्यकर्मियों की तैनाती की गई है। शहर के करीब तीन हजार कंपनियों में सोमवार से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरुकता अभियान शुरू किया गया। चिकित्सकों की कई टीमों ने यहां कर्मचारियों से संवाद किया। कंपनियों में विदेश से लौटने वालों की जांच कराने की अपील की है।

प्रभावी व्यवस्था के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच के दौरान विदेश से लौटने वालों का पूरा ब्योरा लेगी। इस दौरान यदि किसी बैठक या अन्य समारोह में कोई विदेशी शामिल हुआ है, तो उस बारे में भी जानकारी लेकर साथ रहे कर्मचारियों व साथियों की भी जांच की जाएगी।

स्वास्थ्यकर्मियों की छुट्टी रद्द

कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए शहर के सभी सामुदायिक केंद्र व बारात घरों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। यहां किसी तरह के कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी गई है। साथ ही पहले की गई बुकिंग निरस्त कर दी गई हैं। रविवार को जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी मल्टीप्लेक्स, तरणताल, सिनेमाहॉल को भी 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है। साथ ही शासन की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। यदि स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी अवकाश लेता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

प्राधिकरण ने अपने सभी कार्यालयों को किया विसंक्रमित

कोविड-19 (कोरोना वायरस) संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नोएडा की सड़कों की धुलाई की जाएगी। साथ ही व्यस्त बाजारों में रसायन युक्त पोछा लगाया जाएगा। ऐसे बाजारों और स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। सावधानी के लिए यह कार्य सप्ताह में दो बार किया जाएगा। इसके लिए खासतौर पर ऐसी सड़कों को चुना गया है, जिनके दोनों किनारों पर फुटपाथ है। प्राधिकरण के विशेष कार्याधिकारी अविनाश त्रिपाठी ने बताया कि वायरस का असर ना हो, इसके लिए सड़कों के उन हिस्सों की धुलाई की जाएगी, जहां लोग खुले में थूकते हैं। अधिकारियों के मुताबिक, बाजारों में हाइफ्लोक्लोराइड रसायन युक्त पोछा लगाया जाएगा। अधिकारी कक्ष पर लगे सेनेटाइजर से दोबारा हाथ धोने के बाद ही अधिकारियों से मिल सकेंगे। सभी कार्यालयों के कमरों में फ्यूमिगेशन किया गया है। जो आइसोप्रोपनाइल का छिड़काव होता है। बचाव के लिए प्राधिकरण ने स्वास्थ्य विभाग में बायोमेट्रिक मशीनों से लगने वाली हाजिरी पर रोक लगा दी है।

'लेट्स फाइट कोरोना' की पहल

कोरोना वायरस जागरुकता एवं निवारक उपायों पर मेट्रो अस्पताल ने 'लेट्स फाइट कोरोना...' (आओ कोरोना से लड़े) नाम से सामाजिक पहल शुरू की है। मेट्रो अस्पताल की अध्यक्ष डॉ सोनिया लाल ने बताया कि भारत में एच1एन1 स्वाइन फ्लू की तरह और भी बीमारियां हैं, जो कोरोना से ज्यादा फैली हुई हैं। 20 सेकंड में पूरी तरह से हाथों को कीटाणु मुक्त करने का तरीका भी बताया।

खबरों में शहर

कक्षाएं बंद पर ऑनलाइन कक्षा जारी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 16 मार्च।

कोरोना के विश्वव्यापी बढ़ते खतरे के चलते एमिटी विश्वविद्यालय ने 31 मार्च तक कक्षाएं स्थगित कर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन शुरू किया है। छात्रों के शिक्षण को प्रभावित होने से बचाने के लिए शिक्षक छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहे हैं। साथ ही उनकी शंकाओं का भी निवारण कर रहे हैं। लर्निंग प्रबंधन प्रणाली एवं आभासी (वर्चुअल) कक्षा व्यवस्था के तहत मौजूदा समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन शिक्षण प्रदान किया जा रहा है। एहतियात के तौर पर संस्थान में निरंतर दवा का छिड़काव और आने वालों का तापीय परिक्षण (थर्मल स्क्रीनिंग) किया जा रहा है।

अंधेरे में रहने को मजबूर लोग

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 16 मार्च।

सेक्टर- 50 स्थित आम्रपाली ईडन पार्क सोसायटी के महंगे फ्लैटों में रहने वाले सैकड़ों निवासियों को अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) की मनमानी के चलते अंधेरे में रहने के अलावा तमाम तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। कई निवासियों को पिछले पांच दिनों से अंधेरे में रहना पड़ रहा है। आरोप है कि भुगतान करने पर भी एओए प्रीपेड मीटर को रिचार्ज नहीं कर रहा है। पीड़ित निवासियों ने जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट और थाना सेक्टर-49 पुलिस से भी शिकायत की है लेकिन राहत नहीं मिल सकी है। निवासियों ने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है।

बिल्डर ने 2016 में खरीदारों को कब्जा दे दिया था। सोसायटी के 319 फ्लैटों में 309 परिवार रह रहे हैं। सोसायटी के रख-रखाव और मरम्मत के लिए एओए का गठन किया गया। फ्लैटों में रहने वालों का आरोप है कि एओए निवासियों को लूटने में लगी हुई है। किसी ना किसी बहाने से निवासियों से रुपए ऐंठ रही है। आरोप है कि चार साल पहले लगे प्रीपेड मीटर सही चल रहे हैं लेकिन एओए इन्हें हटाकर नए लगाने का दबाव डाल रही है। जो निवासी पुराने मीटर से संतुष्ट है और नहीं बदलवा रहे हैं, उनकी बिजली काट दी गई है। एओए इन्हें रिचार्ज करने को तैयार नहीं है। सोसायटी के फ्लैट संख्या बी-406 में परिवार सहित रहने वाले अशोक कुमार दास ने बताया कि 10 मार्च होली वाले दिन से बिजली काट दी गई है। रिचार्ज कराने के लिए एओए को दो हजार रुपए दिए लेकिन एओए मीटर बदलने की नाम पर 9500 रुपए लेने की मांग पर अड़ी है। निवासियों का आरोप है कि सोसायटी ने रख-रखाव शुल्क 60 फीसद बढ़ा दिया है। उप रजिस्ट्रार ने जनवरी 2019 से एओए को कालातीत घोषित कर दिया है। इसके बावजूद पदाधिकारी अपनी मनमानी करने पर उतारू हैं। सोसायटी में रहने वाली 79 वर्षीय डॉ. चित्रा जौहरी ने बताया कि लाखों-करोड़ों रुपए के फ्लैट में रहने वाले अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं, एओए अध्यक्ष जे. नारद का तर्क है कि सोसायटी के लोगों से बातचीत की जा रही है।

अलग-अलग मामलों में वांछित पांच आरोपी गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 16 मार्च।

दक्षिणी दिल्ली पुलिस के थाना नेब सराय और हौजखास पुलिस ने दिल्ली के अलग-अलग थानों से वांछित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों को दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग स्थानों पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपितों से पूछताछ कर उन्हें जेल भेज दिया गया है।

दक्षिणी जिला पुलिस अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि दिल्ली के अलग-अलग थाना क्षेत्रों से वांछित पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार आरोपितों की पहचान गाजियाबाद निवासी संजय कुमार चौहान, दिल्ली के गढ़ौली निवासी अनीश, सीमापुरी निवीास आशू व दीपक और उत्तम नगर निवासी अजय कुमार के रूप में हुई है।

www.readwhere.com

हरियाणा व पंजाब के बीच नहीं निकल पाया कोई मध्यम मार्ग : केंद्र

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

● पंजाब एवं हरियाणा, सतलुज यमुना संपर्क नहर से संबंधित विवाद

केंद्र ने सोमवार को कहा कि पंजाब एवं हरियाणा, सतलुज यमुना संपर्क नहर (एसवाईएल) मुद्दे के समाधान को लेकर कोई मध्यम मार्ग निकालने पर ''सहमत'' नहीं है।

जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिह शेखावत ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के जवाब में यह बात कही।

उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को निर्देश दिया था कि एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब एवं हरियाणा के साथ बातचीत कर कोई मध्यम मार्ग निकाला जाए। उन्होंने कहा कि इसे लेकर केन्द्र ने दोनों राज्यों से बातचीत की थी।

उन्होंने कहा कि इस बातचीत में दोनों ही राज्य कोई मध्यम मार्ग निकालने पर सहमत नहीं है।

शेखावत ने कहा कि केन्द्र अब इस बारे में उच्चतम न्यायालय को दोनों राज्यों के पक्ष से अवगत करा देगा।

उल्लेखनीय है कि एसवाईएल के तहत पंजाब की सतलुज नदी को नहर के जरिये हरियाणा में यमुना नदी से जोड़े जाने का लक्ष्य है। यह योजना विभिन्न कारणों के चलते कई दशकों से लटकी पड़ी है।

यह मामला वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और शीर्ष न्यायालय ने इस मामले में समाधान निकालने के लिए केन्द्र को दोनों राज्यों से बातचीत करने का निर्देश दिया था।

प्ररूप संख्या आईएनसी–26

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दुसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन

केन्द्रीय सरकार के समक्ष प्रादेशिक निदेशक उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी निगमन नियम 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में

और

एडम स्मिथ कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय–8वां फ्लोर कमर्शियल टॉवर होटेल ली मेरीडियन, दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली 110001 में स्थित है के मामले में,

याचिकाकर्ता

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के अधिन आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जिसमे कंपनी का पंजीकृत कार्यालय दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (रा.रा.क्षे.) से महाराष्ट्र राज्य में स्थानांरित करने के लिए तारीख मार्च 2, 2020 को आयोजित वार्षिक आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पुष्टि की मांग की गई है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत दर्ज कर सकता है या तो एक शपथ पत्र जिसमे उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी–2 विंग दूसरा फ्लोर, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 पर पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकते है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित पंजीकृत कार्यालय पर ही भेजेंगे–

8वां फ्लोर कमर्शियल टॉवर होटेल ली मेरीडियन, दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली 110001

कृते एवं हित
एडम स्मिथ कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड
आशीष मदान
निदेशक
(डीआईएन–00108676)

स्थान : दिल्ली
दिनांक : 17.03.2020 पताः जे–278, साकेत, मालवीय नगर, साउथ दिल्ली, दिल्ली–110017

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, पीठ – IV, नई दिल्ली के समक्ष

कम्पनी याचिका सं. (सीएए)–15 / एनडी / 2020
सीए (सीएए)–163 (एनडी) / 2019 से सम्बद्ध
कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 तथा 232 के मामले में

तथा

बी.एन. प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
जिसका पंजीकृत पता 202 / 47, थापर आर्केड कालू सराय, हौज खास, नई दिल्ली–110016 पर है
... **अन्तरक सं. 1 / आवेदक सं. 1 कम्पनी**

तथा

यदु ओवरसीज लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 202 / 47, थापर आर्केड कालू सराय, हौज खास नई दिल्ली–110016
... **अन्तरक सं. 2 / आवेदक सं. 2 कम्पनी**

तथा

धरमपुत्र बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत पता : 202 / 47, एस / एफ, बी / एफ, थापर आर्केड कालू सराय हौज खास, नई दिल्ली–110016
... **अन्तरक सं. 3 / आवेदक सं. 3 कम्पनी**

तथा

साउण्ड इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : ए–2 / 132 (बेसमेंट), मेन मार्केट, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली–110027
... **अन्तरिती / याचिका सं. 4 कम्पनी**

के साथ

एम.एम. वैकेशंस एण्ड टूर प्राइवेट लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय, 3, द्वितीय मंजिल, माधव कॉम्पलेक्स, सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर, दिल्ली–110092
... **अन्तरिती / आवेदक सं. 5 कम्पनी**

के समामेलन की योजना के मामले में

याचिका की सूचना

संजीव चौधरी, एडवोकेट द्वारा **बी.एन. प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, यदु ओवरसीज लिमिटेड, धरमपुत्र बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, साउण्ड इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड** के **एम.एम. वैकेशंस एण्ड टूर प्राइवेट लिमिटेड** के समामेलन की योजना के अनुमोदन हेतु कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत एक याचिका प्रस्तुत की गयी है और यह माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष कथित याचिका सुनवाई हेतु **1 अप्रैल, 2020** को निर्धारित की गयी है।

कथित याचिका का समर्थन या विरोध करने वाले किसी व्यक्ति को अपने इरादे की सूचना याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास उसके निम्नलिखित पते पर अपने द्वारा या अपने अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित अपने पूर्ण नाम तथा पते सहित इस प्रकार भेजी जाये ताकि यह याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधि के पास याचिका की सुनवाई की निर्धारित तिथि से अधिकतम दो दिन पूर्व तक पहुँच जाये। यदि वह याचिका का विरोध करता है तो इस सूचना के साथ विरोध की पृष्ठभूमि अथवा अपना शपथपत्र उल्लिखित करना होगा। याचिका की प्रति प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित शुल्क के भुगतान पर अधोलिखित द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

(संजीव चौधरी)
याचिकाकर्ता के एडवोकेट
कार्यालय सं. 03, द्वितीय तल, बी–32, माधव कॉम्पलेक्स
सुभाष चौक, लक्ष्मी नगर–110092
फोन: 011-22444014

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 17 मार्च, 2020

SBI

ग्लोबल आईटी सेंटर (illegible header): एयर इंडिया बिल्डिंग, कॉरपोरेट सेन्टर, नरीमन पॉइन्ट, मुंबई - 400 021.

शुद्धिपत्र-2

कृपया टोटल आउटसोर्स्ड मॉडल(टीओएम) फेस XIV (वर्ष 2020) के अंतर्गत एटीएम्स संस्थापित करने के लिए **शुद्धिपत्र-1** (आरएफपी सं.: SBI/AC/2019-20/006 दिनांक 07.02.2020) दिनांक 04.03.2020 देखें. 10,000 एटीएम्स संस्थापित करने के लिए संशोधित आरएफपी 17.03.2020 से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है. विवरण बैंक की वेबसाइट **https://bank.sbi** या **https://sbi.co.in** पर **''प्रोक्योरमेन्ट न्यूज''** के अंतर्गत उपलब्ध है.

हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक
(एटीएम-आई.एस.एस.)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 17/03/2020

बिक्री सूचना

कैलिबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
सीआईएन : U74140DL2003PTC118931
पंजीकृत कार्यालय : ई–20, लाजपत नगर–III, नई दिल्ली–110024

ऋणशोधन एवं दिवालिया संहिता, 2016 के तहत ई–नीलामी बिक्री सूचना

ऋणशोधन एवं दिवालिया संहिता, 2016 तथा उसके तहत निर्मित विनियमों के तहत जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कार्पोरेट देनदार के व्यापार को भारतीय ऋणशोध एवं दिवालिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(एफ) के अनुसार चालू कंसर्न के रूप में ''जहाँ है जैसे है, जो भी है वहीं है तथा उपचार रहित आधार'' पर बिक्री की जानी है और जबकि निस्तारण हेतु कथित प्रस्ताव बिना किसी वारंटी तथा क्षतिपूर्ति के है। नीचे तालिका में उल्लिखित परिसम्पत्तियों की बोली ऑनलाइन ई–नीलामी सेवा प्रदाता क्लेम–ब्रिज द्वारा वेबसाइट http://www.eauctions.org/ के माध्यम से होगी।

सम्भावित संविदाकार द्वारा अपेक्षित प्रपत्र, शपथपत्र, घोषणा आदि जमा करना	21.03.2020	
निरीक्षण की तिथि एवं समय	24.03.2020 से 26.03.2020 तक (10 बजे पूर्वा. से 05 बजे अप. तक)	
ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि	28.03.2020 को 05.00 बजे अप. से पूर्व	
नीलामी की तिथि एवं समय	31.03.2020 को 03:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. के बीच	
विवरण	**आरक्षित मूल्य (रु. में)**	**ईएमडी (रु. में)**
उपलब्ध आस्तियाँ : अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम तथा एक वाहन	रु. 6,30,54,661.50/–	रु. 63,00,000/–

इच्छुक आवेदक ई–नीलामी प्लेटफॉर्म http://www.eauctions.org/ तथा कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट www.kaliberassociates.in पर उपलब्ध ई–नीलामी के नियम एवं शर्तों सहित सम्पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज देख सकते हैं। परिसमापक को कोई संविदा स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा ई–नीलामी की किसी भी शर्त को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी शर्त को विस्तारित या संशोधित करने का पूर्ण अधिकार है।

ई–नीलामी से सम्बन्धित किसी पूछताछ के लिए cirp.kaliberaol@gmail.com पर ई–मेल करें।

ह./–
मोहन लाल जैन
परिसमापक
कैलिबर एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में
पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00006/2016-17/10006

आईबीबीआई का पंजीकृत पता : F-2/28, सेक्टर–15, रोहिणी, नई दिल्ली–110089 आईबीबीआई के साथ पंजीकृत ई–मेल आईडी : ml_jain@sumedhamanagement.com **दिनांक : 17.03.2020** **स्थान : नई दिल्ली**	परिसमापक का परियोजना विशिष्ट पता : C/o सुमेधा मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स प्रा.लि. बी–1/12, दूसरी मंजिल, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली–110029 ई–मेल : ciro.kaliberaol@gmail.com दूरभाष : 011 4165 4481/85 | +917042773564

TATA

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
सम्पर्क का पता: 7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली–110055, भारत

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (''नियमावली'') के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (''अधिनियम'') की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में

1. सरणजीत सिंह सोढ़ी, फ्लैट नं. पी 402, आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014
   साथ हीः IIसी/88 ए, रचना, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010
   साथ हीः 202, गोल्ड क्रेस्ट, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014
   साथ हीः फ्लैट नं. 602, छठा तल, टाइप–III, ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. सी/जीएच 03, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014
2. मै. कन्ट्रोल टेक सिस्टम्स प्रा.लि., कैबिन नं.–2, सी–46, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लैक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–110055
   साथ हीः 202, गोल्ड क्रेस्ट, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014
   साथ हीः फ्लैट नं. 602, छठा तल, टाइप–III, ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. सी/जीएच 03, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014
3. श्रीमती गुरमीत कौर, फ्लैट नं. पी 402, आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014
   साथ हीः IIसी/88 ए, रचना, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201010
   साथ हीः फ्लैट नं. 602, छठा तल, टाइप–III, ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. सी/जीएच 03, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014
4. हरमीत सिंह सोंढ़ी
   साथ हीः 202, गोल्ड क्रेस्ट, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014
   साथ हीः फ्लैट नं. 602, छठा तल, टाइप–III, ग्रुप हाउसिंग कॉम्प्लैक्स, प्लॉट नं. सी/जीएच 03, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014

सम्पत्ति का पताः
फ्लैट नं. पी 402, आदित्य मेगा सिटी, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201014

प्रिय महोदय/ महोदया,

28.2.2016 एवं 26.2.2016 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 13.3.2020 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 5777902 एवं 5777447 में रु. 7321277.99 (रुपए तिहत्तर लाख इक्कीस हजार दो सौ सतहत्तर एवं पैसे निन्यानवे मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार–बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 29 फरवरी, 2020 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 13.3.2020 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ रु. 7321277.99 (रुपए तिहत्तर लाख इक्कीस हजार दो सौ सतहत्तर एवं पैसे निन्यानवे मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची

प्लॉट नं. सी/जीएच–3, वैभव खंड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित फ्लैट नं. पी–402, टाइप–IV, 4था तल (बिना छत के अधिकार के) जिसका सुपर एरिया 2200 वर्ग फीट (204.46 वर्ग मी.) है जिसका विस्तृत विवरण वॉल्यूम 1, बुक नं 16156, पेज 169 से 214 में क्रमांक 21642, तिथि 30.8.2010 के माध्यम से उप रजिस्ट्रार, गाजियाबाद के कार्यालय में पंजीकृत सरमजीत सिंह सोंढी के पक्ष में निष्पादित बिक्री प्रलेख तिथि 30 जुलाई, 2010 में दिया गया है।

सम्पत्ति की चौहद्दीः
पूर्वः 100' चौड़ा रोड
पश्चिमः 120' चौड़ा रोड
उत्तरः 120' चौड़ा रोड
दक्षिणः 120' चौड़ा रोड

चूंकि सूचना 13.03.2020 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली — **प्राधिकृत अधिकारी**
तिथिः 17.3.2020 — **टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.**

कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड — **कब्जा सूचना**

kotak Kotak Mahindra Bank

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी 27, जी–ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा (ई), मुम्बई, महाराष्ट्र, पिन कोड–400051
शाखा कार्यालय : 7वां तल, प्लॉट नं. 7, सेक्टर–125, नोएडा उत्तर प्रदेश–201313

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते सम्बद्ध कर्जदारों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, प्रभारों एवं व्ययों सहित पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सम्बद्ध कर्जदार/रों को को माँग सूचना निर्गत की थी। कथित कर्जदार(रों)/सह–कर्जदार(रों) के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों/सह–कर्जदारों तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर साथ में वर्णित तिथियों पर कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उपर्युक्त कर्जदारों तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार सम्बद्ध तिथियों से भावी ब्याज, लागतों तथा प्रभारों सहित यहाँ निर्दिष्ट राशि के लिए कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा। प्रतिभूत आस्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमन्त्रित किया जाता है।

कर्जदारों, अनुसूचित सम्पत्ति, बकाया देयों, धारा 13(2) के तहत भेजी गयी माँग सूचनाओं तथा उसके तहत दावाकृत राशियों, कब्जा करने की तिथि का विवरण यहाँ नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	कर्जदार, सह–कर्जदार का नाम तथा पता, ऋण खाता सं., ऋण की राशि	अचल सम्पत्ति का विवरण	1. कब्जा की तिथि 2. माँग सूचना की तिथि, 3. बकाया राशि रु. में
1	दीपक कुमार पुत्र चन्दर सेन एवं श्रीमती नीतू अग्रवाल पत्नी दीपक कुमार दोनों निवासी : एफ–156, विजय नगर, गाजियाबाद–201001, दोनों साथ ही : एफएस–1, सेक्टर–12, प्रताप विहार निकट विजय नगर, गाजियाबाद–201001 (उ.प्र.) ऋण खाता सं. : LNDEL00616-170000498 स्वीकृत ऋण राशि : रु. 38,73,081/– (रुपये अड़तीस लाख तिहत्तर हजार इक्यासी मात्र)	जी.एम.पी. सेक्टर–12, प्रताप विहार, ब्लॉक–एफ, गाजियाबाद, तहसील एवं जिला गाजियाबाद पर स्थित वाणिज्यिक प्लॉट सं. एफएस–1, दो दुकानों से निर्मित माप क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर छत के अधिकार सहित का सम्पूर्ण भाग। सीमाएँ : पूर्व : 80 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम : प्लॉट सं. एफ/एस–2, उत्तर–अन्य का प्लॉट, दक्षिण : 30 फीट चौड़ी सड़क बन्धककर्ता का नाम : श्री दीपक कुमार पुत्र चन्दरसेन	1. 14.03.2020 2. 18.10.2019 3. रु. 57,78,055/–)(रुपये सत्तावन लाख अठहत्तर हजार पचपन मात्र) 18.10.2019 तक बकाया तथा 19.10.2019 से पूर्ण भुगतान तक भावी प्रयोज्य ब्याज
2	पूजा डेयरी प्रोपराइटर श्री नितिन चन्देला के माध्यम से एवं श्री नितिन चन्देला पुत्र श्री कृष्णपाल चन्देला, दोनों निवासी : सी–65, डिफेंस कॉलोनी, ग्राम–भोपुरा, गाजियाबाद–201005 तथा पूजा डेयरी इसके प्रोपराइटर श्री नितिन चन्देला के माध्यम से साथ ही : ए–83, डी.एल.एफ., दिलशाद एक्सटेंशन, गाजियाबाद–201005 ऋण खाता सं. : LNDEL00614-150000040 स्वीकृत ऋण राशि : रु. 30,00,000/– (रुपये तीस लाख मात्र)	डिफेंस कॉलोनी, ब्रह्मपुर उर्फ भोपुरा, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद पर स्थित अचल सम्पत्ति प्लॉट सं. सी–65, क्षेत्रफल 200 वर्ग गज अर्थात 167.22 वर्ग मीटर, द्वितीय श्रेणी का सम्पूर्ण भाग। बन्धककर्ता का नाम : श्री नितिन चन्देला पुत्र श्री कृष्ण पाल चन्देला।	1. 14.03.2020 2. 14.10.2019 3. रु. 53,79,281/– (रुपये तिरेपन लाख उन्यासी हजार दो सौ इक्यासी मात्र) 14.10.2019 तक देय तथा 15.10.2019 से पूर्ण भुगतान की तिथि तक भावी प्रयोज्य ब्याज।

तिथि : 14.03.2020
स्थान : नोएडा

कृते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
अधिकृत प्राधिकारी

किसी पूछताछ के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री विवेक कनोजिया (+91 9205177091) तथा श्री राजेन्दर दाहिया (+91 8448264515)

This is an advertisement for information purposes and is not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the letter of offer dated January 31, 2020 (the "**Letter of Offer**" or "**LOF**") filed with the stock exchanges, namely BSE Limited ("**BSE**") and National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**" and together with BSE, "**Stock Exchanges**"), and the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), followed by an addendum cum corrigendum thereto dated February 13, 2020 (the "**Addendum cum Corrigendum**").

BAJAJ
Bajaj Electricals Ltd.
Inspiring Trust

BAJAJ ELECTRICALS LIMITED

Bajaj Electricals Limited (the "**Company**") was originally incorporated as "*Radio Lamp Works Limited*" on July 14, 1938, pursuant to a certificate of incorporation issued by the Registrar of Joint Stock Companies, Punjab. Our Company received the certificate of commencement of business from the Registrar of Joint Stock Companies, Punjab on September 12, 1938. Subsequently, the name of our Company was changed to its present name, i.e., Bajaj Electricals Limited, pursuant to a certificate of change of name dated October 1, 1960, issued by the RoC.

Registered Office: 45/47, Veer Nariman Road, Mumbai 400 001, Maharashtra, India; **Corporate Office:** 001, 502, 701 & 801, Rustomjee Aspiree, Bhanu Shankar Yagnik Marg, Off Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai 400 022, Maharashtra, India; **Tel.:** +91 22 6110 7800; **Contact Person:** Ajay Nagle, Company Secretary and Compliance Officer, **Tel:** +91 22 6110 7800 / 6149 7000; **E-mail:** legal@bajajelectricals.com; **Website:** www.bajajelectricals.com; **Corporate Identity Number:** L31500MH1938PLC009887.

PROMOTERS OF OUR COMPANY:
RAHULKUMAR BAJAJ, SHEKHAR BAJAJ, MADHUR BAJAJ, NIRAJ BAJAJ AND NIRAVNAYAN TRUST

ISSUE OF UP TO 11,290,142* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 2 EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 310 PER RIGHTS EQUITY SHARES (INCLUDING A PREMIUM OF ₹ 308 PER RIGHTS EQUITY SHARE) AGGREGATING UP TO ₹ 3,499.94 MILLION ON A RIGHTS BASIS TO THE ELIGIBILE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 13 RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY 118 EQUITY SHARES HELD BY THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY ON THE RECORD DATE, THAT IS, ON FEBRUARY 6, 2020 (THE "ISSUE").

Including 2,186 Rights Equity Shares kept in abeyance on account of the moratorium imposed on Yes Bank Limited. Accordingly, the number of Rights Equity shares allotted are 11,287,956.

BASIS OF ALLOTMENT

The Board of Directors of Bajaj Electricals Limited wishes to thank all its members and investors for their response to the Issue which opened for subscription on February 18, 2020 and closed on March 3, 2020. Out of a total of 8,401 Composite Application Forms ("**CAFs**") (including 7,265 ASBA applications) received, 208 CAFs (includes 1 CAF that was partial rejection case) were rejected on technical grounds. The total number of valid CAFs received were 8,193 for 14,531,949 Rights Equity Shares, which was 1.29 times of the total issue size. The Basis of Allotment was approved by BSE, the Designated Stock Exchange on March 9, 2020. The Rights Issue Committee of the Company at its meeting approved the allotment of 11,287,956 Rights Equity Shares on March 13, 2020. In the Issue, 2,186 Rights Equity Shares have been kept in abeyance on account of the moratorium imposed on Yes Bank Limited. All valid CAFs (including ASBA applications) have been considered for allotment.

1. Basis of Allotment:

Category	No. of Valid Applications (Including ASBA Applications) Received	No. of Rights Equity Shares Accepted and Allotted against Rights Entitlement (A)	No. of Rights Equity Shares Accepted and Allotted against Additional Rights Equity Shares Applied (B)	Total Rights Equity Shares Accepted and Allotted (A +B)
Equity Shareholders	7,042$	1,03,18,338	7,69,158	1,10,87,496*
Renouncees	1,104	2,00,460	0	2,00,460
Total	**8,146**	**1,05,18,798**	**7,69,158**	**1,12,87,956**

$ *Including 1 application that was partially accepted to the extent of their entitlement, 35 Yes Bank applications from whom substitute funding was received and does not include 48 Yes Bank applications which have been held in abeyance as funds have not been received.*

* *Including 31,156 Rights Equity Shares allotted to the Yes Bank Applicants after receiving substitute funding from 35 Yes Bank Applicants and does not include 2,186 Rights Equity Shares against Yes Bank applications which have been kept in abeyance.*

2. Information regarding total Applications received (including ASBA applications received):

Category	Applications Received		Rights Equity Shares Applied for			Rights Equity Shares Allotted		
	Number	%	Number	Value (₹)	%	Number	Value (₹)	%
Equity Shareholders	7,283	86.69%	1,42,66,865	4,42,27,27,850.00	98.13%	1,10,87,496	3,43,71,23,760.00	98.22%
Renouncees	1,118	13.31%	2,72,601	8,45,05,925.00	1.87%	2,00,460	6,21,42,600.00	1.78%
Total	**8,401**	**100.00%**	**1,45,39,466**	**4,50,72,33,775.00**	**100.00%**	**1,12,87,956**	**3,49,92,66,360.00**	**100.00%**

Out of the total amount of ₹ 3,49,92,66,360.00 an amount of ₹ 685.00 will be borne by the Company towards postal & bank charges.

Dispatch/Refund orders: The dispatch of allotment advice cum refund orders and allotment advice cum refund intimation to the Allottees, as applicable, have been completed on March 16, 2020. The refund instructions to HDFC Bank Limited (Escrow Collection Bank) for electronic credit cases and to the Self Certified Syndicate Bank ("**SCSB(s)**") for unblocking of funds was given by March 13, 2020. The listing application was filed with BSE and NSE on March 13, 2020. The credit in respect of allotment of Rights Equity Shares offered pursuant to the Issue in dematerialized form in National Securities Depository Limited & Central Depository Services (India) Limited, as applicable was completed on March 16, 2020, to the respective demat accounts. The Equity Shares Allotted to the Applicants who do not have demat accounts or who have not specified their demat details, have been kept in share escrow account till the receipt of the details of the demat account of such Applicants. The Rights Equity Shares offered pursuant to the Issue are expected to commence trading on BSE and NSE with effect from March 18, 2020, pursuant to their listing and trading approvals and shall be traded under the same ISIN: INE193E01025, as the existing Equity Shares.

INVESTORS MAY PLEASE NOTE THAT THE RIGHTS EQUITY SHARES CAN BE TRADED ON THE STOCK EXCHANGES ONLY IN DEMATERIALISED FORM.

NO OFFER IN THE UNITED STATES

The Rights Entitlements and the Rights Equity Shares have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or under any securities law of any state of the United States of America and may not be offered or sold in the United States (as defined in Regulation S under the Securities Act ("**Regulation S**")) except pursuant to an exemption from, or a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and the applicable securities law of any state of the United States. The Rights Equity Shares are being offered and sold only outside the United States in reliance on Regulation S.

DISCLAIMER CLAUSE OF SEBI: Submission of the LOF to SEBI should not in any way be deemed or construed that SEBI has cleared or approved the LOF. The Investors are advised to refer to the full text of the *"Disclaimer Clause of SEBI"* beginning on page 81 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (Designated Stock Exchange): It is to be distinctly understood that the permission given by BSE should not, in anyway, be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by BSE; nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of BSE"* beginning on page 84 of the LOF.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE: It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Letter of Offer has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Letter of Offer. The Investors are advised to refer to the Letter of Offer for the full text of the *"Disclaimer Clause of NSE"* on page 84 of the LOF.

LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Edelweiss **Edelweiss Financial Services Limited** 14th Floor, Edelweiss House, Off CST Road, Kalina, Mumbai 400 098, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4009 4400 **E-mail:** bel.rights@edelweissfin.com **Website:** www.edelweissfin.com **Investor Grievance E-mail:** customerservice.mb@edelweissfin.com **Contact Person:** Yashraj Shetty **SEBI Registration Number:** INM0000010650	LINK Intime **Link Intime India Private Limited** C-101, 247 Park, L. B. S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 4918 6200 **E-mail:** bajajelectricals.rights@linkintime.co.in **Website:** www.linkintime.co.in **Investor grievance e-mail:** bajajelectricals.rights@linkintime.co.in **Contact Person:** Sumeet Deshpande **SEBI Registration No.:** INR000004058	**Ajay Nagle,** Company Secretary and Compliance Officer **Bajaj Electricals Limited** 45/47, Veer Nariman Road, Mumbai 400 001, Maharashtra, India **Tel:** 022-6110 7800 / 6149 7000 **E-mail:** legal@bajajelectricals.com Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company Secretary and Compliance Officer for any pre-Issue/ post-Issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the CAF, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the ASBA Investors.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES OR THE BUSINESS PROSPECTS OF THE COMPANY.

The LOF and the Addendum cum Corrigendum are available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the Stock Exchanges, i.e., National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com, and BSE Limited at www.bseindia.com, and the website of the Lead Manager to the Issue, i.e., Edelweiss Financial Services Limited at www.edelweissfin.com. Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" on page 13 of the LOF.

For **BAJAJ ELECTRICALS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ajay Nagle
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: March 16, 2020

Adfactors 483

AU SMALL FINANCE BANK

एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए.यू. फाईनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात)

रजिस्टर्ड ऑफिसः 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में एयू फाइनेंसियर्स (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से ज्ञात) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/जमानतदार का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
हरजीत सिंह चावला, श्रीमती मनजीत कौर, अमर जीत चावला, खाता सं.:15GUR02715-160331154 (L9001060100967222)	3 जून 2017 ₹1022362/- अक्षरे दस लाख बाईस हजार तीन सौ बासठ मात्र दिनांक 26 मई 2017 तक	कब्जे में केवल ग्राउण्ड फ्लोर लिया, प्लाट नं.-260 एवं 261, खेवात/खाता नं. 227/336, रेक्ट नं. 93, किल्ला नं. 1, बदकल, तहसील एवं जिला-फरीदाबाद, हरियाणा. **क्षेत्रफल : 70 वर्ग गज,** पूर्व : नं. 260, पश्चिम : नं. 262, उत्तर: सड़क, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति	12 मार्च 2020
पिनकेश कुमार, छितर मल, श्रीमती निशा देवी, श्रीमती कथा देवी (जमानतदार एवं बंधककर्ता), ललीत शर्मा (जमानतदार) खाता सं.: LSFRB05716-170501175 (L9001060700908502)	25 सितम्बर 2017 ₹1169214/- अक्षरे ग्यारह लाख उनहत्तर हजार दो सौ चौदह मात्र दिनांक 20 सितम्बर 2017 तक	मकान नं. 5296/689, खसरा नं. 6/8/1, गाका मौजे गोंछी, तहसील-बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा. **क्षेत्रफल : 50 वर्ग गज,** पूर्व : नं. अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : प्लॉट नं. 150, उत्तर: सड़क, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति	13 मार्च 2020
राजु सिंह, श्रीमती अमृत पाल कौर खाता सं.: L9001060714339204	31 जुलाई 2019 ₹1593405/- अक्षरे पंद्रह लाख तिरानवे हजार चार सौ पांच मात्र दिनांक 24 जुलाई 2019 तक	प्लॉट नं. डब्ल्यूजेड 59, सर्वे नं. 14/2/2, संत गढ़, ग्राम केशोपुर, राज्य दिल्ली. **क्षेत्रफल : 59 वर्ग गज,** पूर्व : अन्य सम्पत्ति, पश्चिम : अन्य सम्पत्ति, उत्तर: सड़क, दक्षिण : अन्य सम्पत्ति	13 मार्च 2020
सत्यवान, श्रीमती परमीला देवी खाता सं.: L9001060113476281	31 जुलाई 2019 ₹1502298/- अक्षरे पंद्रह लाख दो हजार दो सौ अठानवे मात्र दिनांक 24 जुलाई 2019 तक	सम्पत्ति नं. 3, लक्ष्मी पुरी विपिन गार्डन, ग्राम नवादा, नगर - उत्तम नगर, दिल्ली. **क्षेत्रफल : 75 वर्ग गज,** पूर्व : रोड, पश्चिम : अन्य प्लॉट, उत्तर: अन्य सम्पत्ति, दक्षिण : गली	12 मार्च 2020

ऋणियों द्वारा यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन को एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक ''एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड'' के प्रभार के अधीन होगा।

स्थानः दिल्ली **दिनांकः 16–मार्च–2020** **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

www.readwhere.com

संकट और मदद

दक्षिण एशियाई क्षेत्र में कोरोना संकट से निपटने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ जिस तरह से संवाद किया और मदद के हाथ बढ़ाए, वह सिर्फ सार्क देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा संदेश है। भारत ने इस तरह की पहल करके यह दिखाया है कि जब दुनिया एक महामारी का सामना कर रही है तो ऐसे में वह सारे मतभेदों को भुलाते हुए सबके साथ मिल कर इस चुनौती से निपटने को तैयार है और जो भी मदद मांगेगा, उसे दी जाएगी। कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने सार्क देशों के समक्ष एक आपात कोष बनाने का प्रस्ताव रखा और उसमें भारत की ओर से एक करोड़ डॉलर देने की घोषणा भी की गई। यह कदम इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि सार्क देशों में दुनिया की कुल आबादी का पांचवां हिस्सा रहता है और सार्क क्षेत्र में कोरोना के अब तक एक सौ चौहत्तर मामले सामने आए हैं, जिनमें एक सौ सात भारत में हैं। भारत का यह प्रयास जरूरी इसलिए भी है कि अभी सार्क देशों में कोरोना की स्थिति चीन या यूरोप की तरह बेकाबू नहीं हुई है।

चीन से फैली इस बीमारी ने जिस तरह से पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है, उसे देखते हुए यह डर बना हुआ है कि कहीं यह संक्रमण सार्क देशों में फैल जाए। हालांकि थोड़े-थोड़े मामले सभी देशों में देखने को मिले हैं। लेकिन अब सतर्कता जरूरी है। सतत निगरानी और बचाव के जरूरी उपायों से ही इसे फैलने से रोका जा सकता है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के सबसे करीबी पड़ोसी हैं। ऐसे में इन देशों को बचाना और जरूरत पड़ने पर मदद करना भारत का दायित्व है। भारत ने सिर्फ पैसे के जरिए ही नहीं, बल्कि इलाज में इस्तेमाल होने वाले जरूरी सामान और उपकरणों की मदद भी देने की बात कही है। भारत ने कोरोना के मरीजों और संदिग्धों की पहचान और उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारी देने वाला इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस पोर्टल तैयार किया है और सभी सार्क देशों को भी इसे उपलब्ध कराने की बात कही है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों की टीम भी भेजने का भरोसा दिया है। भारत इसी तरह की मदद के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जी-20 समूह के देशों की मदद का भी प्रस्ताव रख चुका है।

लेकिन दुख और हैरानी की बात यह है कि संकट के इन क्षणों में भी हमारा सबसे करीबी पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। जब प्रधानमंत्री मोदी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे और दूसरे राष्ट्राध्यक्ष गंभीरता से उन्हें सुन रहे थे, तब पाकिस्तान ने सीधे कश्मीर की बात की। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो इस बैठक में शरीक भी नहीं हुए और उन्होंने स्वास्थ्य मामलों के अपने एक विशेष सहायक जफर मिर्जा को बैठक में भेज दिया। इससे पता चलता है कि संकट के वक्त में भी पाकिस्तान की प्राथमिकता क्या है। बेहतर होता इमरान खान खुद बैठक में पहुंचते और कोरोना से निपटने के लिए मदद का कोई ऐसा प्रस्ताव रखते या ऐसी बात करते जिसमें इंसानियत झलकती। इसके उलट जफर मिर्जा ने यह कह दिया कि हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत सबसे पहले जम्मू-कश्मीर से सारे प्रतिंबध हटाए। हालांकि पाकिस्तान से किसी अच्छी पहल की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जब दुनिया में लोग महामारी से मर रहे हों और खुद पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं है, ऐसे में कश्मीर का मुद्दा उठा कर उसने अपना असली चेहरा ही दिखाया है।

सेहत की सूरत

देश में स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। यह तब ज्यादा साफ होकर उभरती है, जब अचानक ही सेहत संबंधी कोई बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। हालांकि अपनी सीमा में समूचा तंत्र चुनौतियों का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं, जब लगता है कि हमारा स्वास्थ्य तंत्र न केवल संसाधनों, बल्कि सेवा संबंधी कमियों की वजह से भी संतोषजनक नहीं है। शायद इसी तरह की समग्र तस्वीर पर गौर करने के बाद संसद की एक स्थायी समिति ने स्वास्थ्य देखरेख की वास्तविकता का पता लगाने और उपलब्ध मानव संसाधनों का उपयोग करने में देश के वर्तमान स्वास्थ्य ढांचे को विफल बताया है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संबंधी इस स्थायी समिति ने देश में चिकित्सा पेशे को बेहतर बनाने के लिए उत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग करने और गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी यानी पीपीपी को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। चिकित्सा क्षेत्र में गुणवत्ता की बुनियाद सीधे-सीधे संसाधनों, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण पर निर्भर है। इसलिए समिति ने इसके हरेक पाठ्यक्रम को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने पर जोर दिया है। जाहिर है, अगर इन सुझावों पर सरकार आगे बढ़ी तो पाठ्यक्रम निर्धारण, व्यावहारिक प्रशिक्षण और मूल्यांकन के मानकीकरण को सुनिश्चित करना होगा।

इसमें दो राय नहीं कि अब तक चिकित्सा संबंधी पढ़ाई और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता का दावा कमोबेश सही रहा है। इसके बावजूद आज भी कई स्तरों पर कमियां दर्ज की जा रही हैं और अच्छा यह है कि उस पर गौर करके उसे दूर करने की कोशिश भी हो रही है। हालांकि यह देखने की बात होगी कि स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या के हल के लिए जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं, उनका हासिल कैसी तस्वीर रचेगा। मसलन, समिति ने गुणवत्ता में बेहतरी के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर जोर दिया है। सही है कि निजी भागीदारी से सेवा की गुणवत्ता को बेहतर करने का दावा किया जाता रहा है। लेकिन क्या यह मान लिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के तहत मुहैया कराई जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं निजी भागीदारी से ही बेहतर और गुणवत्ता से युक्त होंगी? यह किसी से छिपा नहीं है कि महानगरों से लेकर शहरों और कस्बों तक में निजी क्षेत्र की चिकित्सा-व्यवस्था की सुविधा का लाभ किन लोगों को और कितना मिल पाता है! इसके समांतर सार्वजनिक क्षेत्र के जो अस्पताल समाज के कमजोर तबकों की आम पहुंच में रहते हैं, जबकि निजी संचालन वाली चिकित्सा तक पहुंच एक खास तबके तक सिमट कर रह जाती है।

यह तथ्य है कि देश में आज भी चिकित्सकों की भारी कमी है। इसी तरह अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं से लेकर चिकित्सा के आधुनिक संसाधनों के मामले में भी स्थिति बेहतर नहीं है। देश के स्वास्थ्य ढांचे को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित करने के लिए सरकार को हर संभव कदम उठाना चाहिए। लेकिन पीपीपी के विकल्प की ओर बढ़ने के बजाय खुद सरकार को अपने स्तर पर इस मोर्चे पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए! आखिर देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे अस्पताल चिकित्सा क्षेत्र में बेहतरीन गुणवत्ता के लिए ही जाने जाते हैं। विडंबना यह है कि देश के बजट में आज भी स्वास्थ्य क्षेत्र के मद में अपेक्षा से काफी कम राशि आबंटित की जाती है। इस लिहाज से देखें तो संसदीय समिति के सुझाव अहम हैं, लेकिन यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो अस्पताल समाज के कमजोर तबकों के लिए सहारा रहे हैं, पीपीपी के बाद उनका स्वरूप कैसा रहेगा और अच्छी चिकित्सा तक कितने लोगों की पहुंच रहेगी!

कल्पमेधा

उड़ने के बजाय जब झुकते हैं, तब बुद्धि के ज्यादा पास होते हैं।
– वर्ड्सवर्थ

विनाश से बचने के विकल्प हैं गांधी

जगमोहन सिंह राजपूत

भारत का दुर्भाग्य यह रहा कि सामाजिक सद्भाव और पंथिक समरसता का जो मंत्र गांधी देश को सिखा गए थे, उसे स्वतंत्रता के बाद की राजनीति ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यदि गांधी के प्रति राष्ट्र का सम्मान वास्तविक और व्यावहारिक होता, तो क्या फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में छत्तीस घंटे तक दिल्ली में हुई हत्याएं, लूट, हिंसा संभव थी?

वर्ष 1996 में यूनेस्को के तत्वावधान में आयोजित एक सम्मलेन में विश्व के समक्ष उपस्थित समस्याओं पर गहन विचार-विमर्श में यह उभरा कि मूल रूप से हर देश प्रगति और विकास की सही अवधारणा की खोज से जूझ रहा है। ऐसा भी कोई देश नहीं है जिसके सामने आर्थिक संकट समस्या बन कर न उपस्थित हो। इसी प्रकार हर देश 'किसी न किसी प्रकार के नैतिक संकट' से भी ग्रस्त है। पिछले पच्चीस वर्षों में बहुत कुछ बदल गया है। वैश्विक समस्याओं का निर्धारण और उनके समाधान की प्राथमिकताएं अलग-अलग ढंग से देखी और समझी जा सकती हैं, मगर ऊपर लिखे तीनों पक्ष कहीं भी सुलझ गए हों, ऐसा उदाहरण शायद ही मिल सके।

आज के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन और उससे जुड़े अनेक पक्ष समस्या बन कर उभरते हैं, जल और वायु की अलग-अलग स्थितियां भी विकट होती जा रही हैं। मनुष्य और प्रकृति के संबंध लगातार छिन्न-भिन्न होते जा रहे हैं, सुधारने के उपाय अपर्याप्त हैं, विकसित देश सहयोग करने में आनाकानी करा रहे हैं। इसके साथ ही हिंसा, युद्ध, आतंक, असुरक्षा, अविश्वास करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। मनुष्य और प्रकृति के आपसी संबंध तहस-नहस हो चुके हैं। हर चर्चा में समस्याओं की सूची बढ़ती जाती है। यह भी हमारे समक्ष स्पष्ट है कि इक्कीसवीं सदी के दो दशक पूरे हो रहे हैं, मगर भौतिकवाद की दौड़ में कोई कमी नहीं आई है, परिणामस्वरूप अनेक देश हिंसा और हथियारों के जखीरे को प्रगति और विकास का पर्याय मानते हुए उसी को बढ़ाने में लगे हैं।

इस समय विश्व में सामजिक सरोकार भी अप्रत्याशित गति से बदल रहे हैं। यूरोप के अनेक देश जो एक जाति, धर्म और भाषा से सदियों से परिचित रहे, आज बड़े बदलावों को संभालाने के प्रयासों में लगे हैं। जनसंख्या, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा, रंग, धर्म इत्यादि सभी के अनुपात तेजी से बदल रहे हैं। जहां विविधता की स्वीकार्यता का अनुभव नहीं है, वहां अविश्वास, आशंका और हिंसा लगातार बढ़ रहे हैं। अपेक्षा तो यह थी कि अपने हजारों साल के 'हर प्रकार की विविधता की व्यावहारिक स्वीकार्यता' के अनुभव के आधार पर भारत वैश्विक परिवर्तन में असमंजस के इस कठिन दौर में विश्व को रास्ता दिखाएगा। इस अपेक्षा को अनेक प्रबुद्ध जन बहुत पहले से ही विश्व के सम्मुख रखते आ रहे हैं। भारत की इस संस्कृति को गहराई तक समझने वाले डा. अर्नाल्ड टायनबी ने उसके महत्त्व को इन शब्दों में वर्णित किया था-'यह भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि एक अध्याय जिसकी शुरुआत पाश्चात्य थी, उसका समापन भारतीय होगा....। मानव इतिहास के इस सबसे अधिक खतरनाक क्षण में मानव जाति की मुक्ति का यदि कोई रास्ता है तो वह भारतीय है- चक्रवर्ती अशोक और महात्मा गांधी का अहिंसा के सिद्धांत और रामकृष्ण परमहंस के धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश ही मानव जाति को बचा सकते हैं। यहां हमारे पास एक ऐसी मनोवृत्ति व भावना है जो मानव जाति के लिए एक परिवार के रूप में विकसित होने में सहायक हो सकती है और इस अणुयुद्ध में विनाश का यही विकल्प है।'

महात्मा गांधी के विश्व पटल पर उभरने के बाद इस सोच को सारी दुनिया में सराहना तो मिली, मगर उसे अपनाने का साहस मार्टिन लूथर किंग जूनियर और नेल्सन मंडेला जैसे लोग ही कर सके। भारत की संस्कृति में जो सर्वश्रेष्ठ था, अद्वितीय था, उसे गांधी ने पहचाना, परखा और रोजमर्रा के जीवन में व्यवहार में अंतर्निहित किया। उन्होंने लोगों को एकजुट होकर राष्ट्रीय संघर्ष में सब कुछ भूल कर केवल भारतीय होकर शामिल होने का सफल आह्वान किया था। भारत का दुर्भाग्य यह रहा कि सामाजिक सद्भाव और पंथिक समरसता का जो मंत्र गांधी देश को सिखा गए थे, उसे स्वतंत्रता के बाद की राजनीति ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। यदि गांधी के प्रति राष्ट्र का सम्मान वास्तविक और व्यावहारिक होता, तो क्या फरवरी 2020 के अंतिम सप्ताह में छत्तीस घंटे तक दिल्ली में हुई हत्याएं, लूट, हिंसा संभव थी? इसके कारण तो संचार माध्यमों द्वारा चर्चित होते रहेंगे, राजनेता अपने-अपने दलगत स्वार्थों से आगे नहीं बढ़ेंगे और सार-तत्व आरोपों और प्रत्यारोपों में खो जाएगा। जब तक भारत का संपूर्ण समाज और राजनीति से अनछुए प्रबुद्ध जन आगे नहीं आएंगे, तब तक देश अपने सही रास्ते, अपनी क्षमता और वैश्विक उत्तरदायित्व को नहीं पहचान पाएगा। इसका खमियाजा सारे विश्व को उठाना पड़ेगा।

भारत क्या अपने उस राष्ट्रपिता के सिद्धांतों को अनदेखा कर सकता है, जिसके देहांत पर फ्रांस के मशहूर सोशलिस्ट नेता लीओन ब्लूम ने कहा था- 'न मैंने उन्हें देखा है, न उनके देश गया हूं, न उनकी भाषा जानता हूं, लेकिन मुझे लग रहा कि मेरा निकट का स्नेही परिवारजन ही बिछुड़ गया है। सारा विश्व दुःख में डूब गया है।' आइंस्टीन ने लिखा था कि गांधी जैसी वैश्विक स्वीकार्यता, जन-प्रेम और श्रद्धा केवल उच्चतम स्तर के नैतिक आचरण द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। क्या भारत के हर बच्चे को अपने संवेदनशील वर्षों में ही इस प्रकार के तथ्यों को नहीं जानना चाहिए? विचारणीय है कि हमने शिक्षा में नैतिकता और चरित्र निर्माण को उचित स्थान क्यों नहीं दिया। आज विश्व में विकसित देश ही नहीं, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा से जूझ रहे देश भी नए-नए हथियार खरीदने पर क्षमता से अधिक खर्च कर रहे हैं, परमाणु हथियारों से अपनी संपन्नता को गवर्पूर्ण ढंग से प्रचारित करते हैं। इनके सामने गांधी के विचारों, मूल्यों और सिद्धांतों को तो वही रख सकता है जो उनका कम से कम आंशिक रूप से पालन कर रहा हो। ऐसी अपेक्षा तो भारत से ही की जा सकती है और लोग कर भी रहे हैं, मगर हम स्वयं अपना घर ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी और को कैसे राह दिखा सकते हैं? सामान्यतः निरस्त्रीकरण की कोई संभावना आज के वातावरण में नज़र नहीं आती है।

अर्नाल्ड टायनबी सम्माननीय विद्वान, अध्ययनकर्ता, दार्शनिक और नव-ज्ञान के सर्जक के रूप में जाने जाते रहे। उन्होंने गांधी के रास्ते को मानवता के बचाने का विकल्प माना और ऐसा मानने वाले वे अकेले नहीं थे। गांधी के प्रभाव का विस्तार कितना वृहद् और विस्तृत था, इसका अनुमान आज भी लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। जनरल डगलस मकार्थर मित्र-राष्ट्रों की उन सेनाओं के सर्वोच्च सेनानायक थे, जिन्होंने जापान पर कब्जा किया था। उनका सारा जीवन हिंसा को समझने, उसका उपयोग कर दूसरों द्वारा की जा रही हिंसा को शांत करने, यानी युद्ध में विजय प्राप्त करने में ही लगा रहा। वे युद्धक हथियारों की उपयोगिता और उपयोग के उच्चतम स्तर के विशेषज्ञ माने जाते थे। गांधी के सिद्धांतों के प्रति उनके उद्गारों को कुछ इस तरह समझा जा सकता है- 'सभ्यता के विकास में और यदि उसे जारी रहना है, यह समझना आवश्यक है कि सभी मनुष्यों द्वारा गांधी के इस विश्वास को स्वीकार करना ही होगा कि बल प्रयोग द्वारा विवादों का सुलझाया जाना न केवल गलत है, बल्कि उसमें मानव जाति के लिए आत्मघाती तत्व निहित हैं।' यह एक ऐसे व्यक्ति का विश्लेषण है जिसकी प्रखरता, अनुभव और प्रतिबद्धता पर प्रश्न चिह्न लगाना किसी के लिए भी कठिन होगा।

यहां केवल चार संदर्भ दिए गए हैं: राजनेता, विद्वान, वैज्ञानिक और योद्धा! अनगिनत संदर्भों का हवाला दिया जा सकता है। रास्ता तो ज्ञात है, मगर उस पर चल सकने की रणनीति निर्धारित करना उतना ही कठिन है, जितना कि किसी भी देश को आज अपनी विकास की अवधारण निश्चित कर पाना। उचित और उपयोगी मार्ग तो ज्ञान, विवेक और नैतिकता के पथ पर चल कर ही ढूंढ़ा जा सकता है। इन तीनों का द्वार उस सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा खुलता है, जिसकी जड़ें गहराई तक देश की संस्कृति में समाई हों और जो नए ज्ञान को ग्रहण करने के लिए सदा प्रतिबद्ध हो।

मिट्टी में खेलना

निर्मल कुमार शर्मा

दुनिया मेरे आगे

विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने कहा है कि 'कोई बच्चा खेल रहा है तो उसे स्वच्छंद खेलने दीजिए। इस पर आपका प्रश्न होगा कि बच्चे व्यर्थ में खेलने में समय बर्बाद करेंगे तो उनका व्यक्तित्व कब निखरेगा, वे कब पढ़ेंगे! यहां मेरा प्रति-प्रश्न है कि उस बच्चे का बचपना क्या आप फिर एक बार लौटा सकते हैं? आप कहेंगे कि जी नहीं। तो आपको उस बच्चे को खेलने से रोकने का कतई अधिकार नहीं रखते हैं। उन्हें इस धरती पर स्वच्छंद रूप से खेलने दीजिए... उनके व्यक्तित्व का स्वाभाविक और नैसर्गिक विकास होने दीजिए।'

प्राचीन काल से ही भारत के गांवों में हमारे बड़े-बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि मानव शरीर मिट्टी का बना है... यह एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। इसका जरूरत से अधिक ध्यान रखने से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन आज के कथित आधुनिक मां-बाप लाड़-प्यार में अपने बच्चों पर मिट्टी का एक कण भी नहीं लगने देते! पुराने जमाने के बच्चे सारा दिन मिट्टी में ही खेलते रहते थे और वे निश्चित तौर पर आज की नौजवान पीढ़ी से हर तरह से मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से अधिक स्वस्थ रहते थे। बच्चों को मिट्टी में खेलने देने से उन्हें कई तरह के फायदे हो सकते हैं। मिट्टी में खनिज, जल, वायु, कार्बनिक पदार्थ और अनगिनत जीवों के जटिल मिश्रण पाए जाते हैं। मिट्टी को 'पृथ्वी की त्वचा' भी कहा जाता है। साथ ही यह शरीर को कई बीमारियों से दूर रखने में भी मदद करती है। पुराने जमाने में कोई चोट लग जाने पर एक खास मिट्टी, अक्सर खेत की शुद्ध काली मिट्टी का लेप लगा कर ही चोट को ठीक कर लिया जाता था। मुल्तानी मिट्टी का 'फेसपैक' भी मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्त्वों के कारण ही इतना फायदेमंद है। मिट्टी में सेहत के अनुकूल कई तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। बच्चा चाहे गरीब का हो या फिर अमीर का, मिट्टी में खेलना हर बच्चे की पहली पसंद होती है। यह अलग बात है कि कई मां-बाप बच्चों को मिट्टी में नहीं खेलने देते। उन्हें डर होता है कि कहीं बच्चों में संक्रमण न फैल जाए। लेकिन ऐसा कतई नहीं है।

बच्चों के दिमाग में सबसे अधिक नए-नए विचार आते रहते हैं। मिट्टी में जब बच्चे खेलते हैं तो वे अपने विचारों को एक नया रूप देते हैं। रोजाना ऐसा करने से उनकी रचनात्मक सोच में वृद्धि होती रहती है। आजकल अक्सर हम देखते हैं कि बच्चों को जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि बच्चों का 'इम्यून सिस्टम' यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमजोर हो चुकी है। अगर हम अपने बच्चों को मिट्टी में खेलने देते हैं, तो इससे बच्चे की रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी। साथ ही उन्हें मानसिक तौर पर भी मजबूती मिलती है। हाल ही में एक नए शोध में अमेरिका की 'यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल' में हुए एक शोध के अनुसार जो मां-बाप अपने बच्चों को बचपन में मिट्टी में खेलने से रोकते हैं, उन बच्चों को आगे चल कर रक्तचाप और अन्य कई खतरनाक बीमारियों के होने का खतरा कई गुना ज्यादा बना रहता है, बनिस्बत उन बच्चों के जो स्वच्छंद रूप से खुले, कच्चे मैदानों या पार्कों में खेलते रहते हैं। इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके, खुले वातावरण में हंसने और खेलने के लिए भेजना चाहिए।

आजकल बच्चे ज्यादातर 'इनडोर गेम्स' यानी घरों के भीतर खेलना पसंद करते हैं। मां-बाप बच्चों को वीडियो गेम खुद लेकर देते हैं, पर वे इस बात को नहीं जानते कि इन सबके इस्तेमाल से उनका दिमाग धीरे-धीरे मंद होता जा रहा है। जबकि मिट्टी में खेलने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। उनका स्वाभाविक शारीरिक और मानसिक विकास होता है। साथ ही बच्चे वातावरण से जुड़े रहते हैं। उनकी शारीरिक गतिविधि भी इसी सहारे बहुत होती रहती है। मिट्टी की खुशबू और मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म लाभदायक कीटाणु बच्चों के मिजाज को हमेशा खुशनुमा बनाए रखते हैं। इसके अलावा, दूसरे बच्चों के साथ मिट्टी में खेलना उनके तनाव के स्तर को कम करता है। इसलिए बच्चों को मिट्टी में खेलने की अनुमति देना उनको सुकून देने और शांत रखने में मदद करता है। जिन बच्चों को खुले वातावरण और मिट्टी में खेलने की इजाजत नहीं मिलती, उन बच्चों को प्रकृति के महत्त्व के बारे में बहुत कम जानकारी हो पाती है। बाहर खुले मैदानों में, पार्कों में खेलने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि मिट्टी में पाए जाने वाले तत्त्व बच्चों की त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। असल में मिट्टी में खेलने से त्वचा के रोमकूप खुलते हैं, जिससे संपूर्ण शरीर का रक्त का संचार बढ़िया तरीके से होता है। बच्चों को मिट्टी में खेलने देने से उन्हें बड़ी से बड़ी बीमारी की चपेट में आने से भी बचाया जा सकता है।

तेल का खेल

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम तेजी से गिरे हैं। भारत के लिए यह राहत की खबर है। इसी साल यानी 2020 में ही दाम करीब 45 फीसद तक गिर चुके हैं। दाम गिरने की वजह रूस और सऊदी अरब के बीच टकराव है। सऊदी अरब तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक का सबसे ताकतवर सदस्य है और दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक भी। रूस उन देशों में एक बड़ी हैसियत रखता है जो ओपेक के सदस्य नहीं हैं लेकिन तेल निर्यात करते हैं। ये दोनों ही पिछले कुछ समय से मिल कर काम कर रहे थे और उन्हें ओपेक प्लस कहा जाता है। ओपेक प्लस ने मिल कर यह तय कर रखा था कि ये सारे देश कुल मिला कर हर महीने कितना तेल निकालेंगे, ताकि कच्चे तेल का बाजार भाव एक सीमा से नीचे न गिर पाए।

इसके लिए जरूरी था कि सभी देश अपने लिए तय सीमा से ज्यादा तेल उत्पादन न करें। बल्कि समझौता तो यह भी था कि दाम गिरने पर ये देश अपना-अपना उत्पादन घटाएंगे भी। मार्च तक के लिए यह समझौता हुआ था। इसे आगे बढ़ाने पर बातचीत चल ही रही थी, लेकिन अचानक रूस ने न सिर्फ समझौता आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया, बल्कि अपना तेल उत्पादन बढ़ाने का भी एलान कर दिया। इससे खफा सऊदी अरब ने भी अपने ग्राहकों के लिए तेल के दाम में रियायत देने और तेल उत्पादन बढ़ाने का भी एलान कर दिया।

भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका बन कर आया, क्योंकि भारत को अपनी जरूरत का 80 फीसद से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से ही खरीदना पड़ता है। पिछले वित्त वर्ष यानी 2018-19 में 112 अरब डॉलर का कच्चा तेल भारत ने आयात किया था। चालू वित्तीय वर्ष में जनवरी तक ही 87.7 अरब डॉलर का कच्चा तेल भारत खरीद चुका है। कच्चे तेल के दाम में एक डॉलर की गिरावट से भारत के आयात बिल में 10700 करोड़ रुपए की कमी आती है। यानी करीब 30 डॉलर की गिरावट का अर्थ सरकार के लिए लगभग तीन लाख करोड़ रुपए की बचत। तेल के दाम में 10 डॉलर की गिरावट से भारत की जीडीपी में आधा प्रतिशत का असर पड़ता है, यानी देश की अर्थव्यवस्था में करीब 15 अरब डॉलर का इजाफा हो जाता है। दस डॉलर की गिरावट से भारत में महंगाई की दर 0.3 फीसद तक कम हो सकती है, यानी 33 डॉलर की गिरावट से महंगाई दर में करीब एक फीसद की गिरावट संभव है।

कच्चा तेल सस्ता होने का मतलब है पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के साथ-साथ तमाम उद्योगों में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल सस्ता होना। करीब-करीब हर फैक्ट्री में आने और वहां से निकलने वाला माल जिन ट्रकों पर ढोया जाता है उनका किराया भी डीजल के दाम से ही तय होता है। अगर किराया कम हुआ, कच्चा माल सस्ता हुआ तो मौजूदा हाल में कंपनियां मांग बढ़ाने के लिए दाम भी घटाने की सोचेंगी। दाम कम होता है तो खरीदार भी हाथ खोल कर खर्च करना शुरू करते हैं और इसी तरह कारोबार का चक्र घूमना शुरू करता है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम गिरना भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक शुभ साबित हो सकता है।

● *संजीव कुमार, एमएस कॉलेज, सहारनपुर*

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

युवा नेताओं की उपेक्षा

कांग्रेस के लिए वर्षों से वफादार रहे सिंधिया परिवार के उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीते दिनों कांग्रेस को छोड़ भाजपा की सदस्यता ले ली। इसी के साथ कांग्रेस की युवाओं के प्रति बेरुखी भी जगजाहिर हो गई। कांग्रेस नेतृत्व पिछले पांच साल से ज्योतिरादित्य सिंधिया को नजरअंदाज करता आ रहा था। एक ओर पहले तो कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस युवा नेता को कोई सम्मानजनक पद नहीं दिया, दूसरी तरफ मध्यप्रदेश में हुए चुनावों में सिंधिया ने दिन-रात कांग्रेस के लिए प्रचार किया और कांग्रेस ने जनता के सामने चुनाव के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से सिंधिया को ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए रखा। चुनाव के नतीजे आए कांग्रेस को बहुमत मिला, लेकिन शीर्ष नेतृत्व ने जनभावनाओं के विपरीत जाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया। इसी तरह से राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव में वहां के लोकप्रिय युवा कांग्रेसी नेता सचिन पायलट ने जम कर प्रचार किया और पार्टी ने उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए रखा था। लेकिन जैसे ही राजस्थान चुनाव नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी, तो आश्चर्यजनक रूप से अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री पद दे दिया गया। हालांकि राजस्थान में सचिन पायलट को उपमुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का पद देकर शांत किया गया।

वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को अपने युवा नेताओं को दरकिनार करने की नीति पर पुनर्विचार करना होगा। जिस प्रकार से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा युवाओं की दरकिनार किया जा रहा है, वह कांग्रेस के भविष्य के साथ-साथ भारत के लोकतंत्र के भविष्य के लिए भी सही नहीं है। फिलहाल अभी भी कांग्रेस में रणदीप सुरजेवाला, सचिन पायलट, मनीष तिवारी जैसे बहुत से युवा नेता हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व ने समय रहते युवा नेताओं को तवज्जो नहीं दी तो जल्दी ही कांग्रेस युवामुक्त हो जाएगी।

● *आकाश सिंह, इलाहाबाद विवि, प्रयागराज*

संकीर्णता की राजनीति

भारत के पिछले कई दशकों से जाति और धर्म की राजनीति का दौर जारी है। भेदभाव सदियों से हमारे देश में पनपता रहा है और इसी को खत्म करने के लिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था को शामिल किया था। परंतु क्या पता था कि आरक्षण महज कमजोर वर्ग की प्रगति के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ राजनेताओं द्वारा अपनी राजनीति की प्रगति के लिए प्रयोग किया जाएगा। पहले राजनीति राष्ट्रहित में समर्पित थी, लेकिन अब देश के हालात बिगड़ चुके हैं और धर्म व जाति की राजनीति हावी है।

जाति, वर्ग या धर्म सिर्फ इंसान को बांटने का काम करते हैं जिसका लाभ राजनेता उठाते रहे हैं। लोगों को समझना होगा कि राजनीति किसी वर्ग या जाति की सगी नहीं होती, न ही किसी धर्म या जाति तक सीमित रहती है। इसलिए समाज को सही और समझदार तरीके से फैसले करने की जरूरत है।

● *सिमरन, देहरादून*

www.readwhere.com

कोरोना विशेष

बोल

कोरोना वायरस एक स्वास्थ्य संकट है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर भी इसका गंभीर असर पड़ रहा है। मुझे यह बात मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी-20 देशों के बीच सामंजस्य बनाने को लेकर उत्सुक दिख रहे हैं। यह सराहनीय प्रयास है। – स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, ट्विटर पर

विवाद

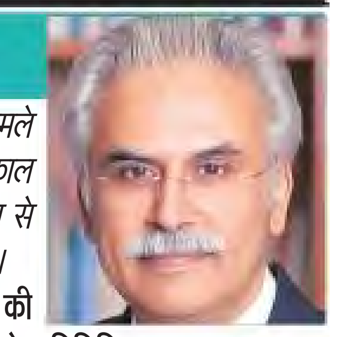

जम्मू-कश्मीर से कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य आपातकाल को देखते हुए यह जरूरी है कि क्षेत्र से सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए जाएं। – जफर मिर्जा, दक्षेस राष्ट्राध्यक्षों की वीडियो कांफ्रेंसिंग में पाक प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि

सम-सामयिक

कोरोना : दुनिया से कौन सा सच छुपा रहा है चीन

जनसत्ता संवाद

कोरोना विषाणु के संक्रमण के बारे में चीन लगातार कहता रहा है कि इसकी शुरुआत वुहान प्रांत के ह्युवेई से हुई। सात जनवरी को चीनी अधिकारियों ने ऐलान किया कि उन्होंने नए तरह के विषाणु संक्रमण का पता लगाया है और दावा किया गया कि पहला मरीज एक महीने पहले आठ दिसंबर को बीमार पड़ा था। लेकिन कुछ दस्तावेज सामने आने के बाद चीन के इस दावे पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जाने लगा है कि चीन अगर सच नहीं छुपाता तो संक्रमण इस कदर बेकाबू नहीं होता। क्या हुआ था? दस्तावेजों के खुलासे के बाद ऐसे दावे सामने आ रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि चीन की सरकार खामियां उजागर करने वाली रिपोर्ट को सेंसर कर रही है।

बेजिंग के एक अखबार और उसकी वेबसाइट 'साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट' का दावा सामने आया है कि उसके हाथ कुछ सरकारी दस्तावेज लगे हैं, जिसके मुताबिक चीन ने पहला मरीज मिलने के 21 दिन बाद यानी आठ दिसंबर 2019 को कोरोना के पहले मरीज के बारे में खुलासा किया था। दरअसल, चीन ने 17 नवंबर को ही संक्रमित पहले मरीज का पता लगा लिया था, लेकिन यह जानकारी छुपाई गई।

दस्तावेजों के मुताबिक, 17 नवंबर को ह्युवेई में जिस पहले मरीज का पता चला था उसकी उम्र 55 साल थी।

17 नवंबर को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद हर दिन औसतन तीन से चार मामले सामने आए। 27 दिसंबर को ह्युवेई के एक अस्पताल के चिकित्सक जैंग जिक्सियन ने बताया कि कोरोना नाम के विषाणु से लोग संक्रमित हो रहे हैं लेकिन इस बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा था। इसके बाद संक्रमण अनियंत्रित होने लगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) की वेबसाइट कहती है कि चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला आठ दिसंबर को सामने आया था, जबकि मेडिकल जर्नल 'द लैंसेट' की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला एक दिसंबर को सामने आया। इस मरीज को वुहान के झिंयिंतान अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

चीन के डॉक्टर अब इस बात का पता लगा रहे हैं कि आखिर इतनी तेजी से ये बीमारी फैली कैसे? चीन ने संक्रमण को लेकर सरकारी दस्तावेज जनता को उपलब्ध नहीं करवाए हैं। हालांकि यह बताया गया है कि शुरुआत में इसका संक्रमण कैसे फैला और किस तेजी से यह फैलता गया।

दस्तावेजी खुलासे के बाद चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लगातार इस आशय की खबरें छाप रहा है कि चीन में संक्रमण अब नियंत्रण में है। उसने हाल में राष्ट्रपति शी जिनपिंग की वुहान यात्रा का जिक्र करते हुए खबर छापी कि 'चाइना आउट ऑफ डारकेस्ट मोमेंट'। इस अखबार का एक ट्वीट भी चर्चा में है, जिसमें कहा गया है कि चीन में कोरोना वायरस के छह नए मामले बाहर के देशों से आए हैं। इनमें से पांच इटली से आए लोगों में और एक अमेरिका से आए व्यक्ति में मिला है। समाचार एजंसी शिन्हुआ पर भी लगातार इस तरह की ख़बरे हैं, जिसमें सरकार की जम कर सराहना की गई है कि कैसे उन्होंने कोरोना पर काबू करने के लिए बेहतरीन काम किया है।

सूचनाओं पर अंकुश

चीन में कोरोना पर काबू पाने का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन यह चीन की तस्वीर का एक पक्ष है। आलोचकों का कहना है कि चीन की सरकार ने सूचनाएं रोकना शुरू कर दिया है। कोरोना संक्रमण के बारे में सबसे पहले खुलासा करने वाले डॉ. ली वेन लियांग का आरोप था कि उनपर चुप रहने के लिए दबाव डाला गया। बाद में डॉक्टर वेन लियांग की मौत हो गई। पीड़ित से बातचीत रिकॉर्ड कर रहे एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है।

शोध

भ्रम पर क्या है डब्लूएचओ की सलाह

जनसत्ता संवाद

कोरोना वायरस की दहशत इस कदर बढ़ी है कि सावधानियों के बीच ऐसी कई अफवाहें हैं, जो फैल रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने ऐसी ही बातों की सूची बनाई है, जो भ्रम हैं, लेकिन दुनिया भर में वायरल हो रहे हैं। ऐसे मिथकों को लेकर डब्लूएचओ ने सलाह जारी की है।

तापमान के बढ़ने से कोरोना विषाणु का प्रभाव कम होगा

किसी भी वैज्ञानिक या संस्थान ने पुष्टि नहीं की है। अगले एक-दो महीने में तापमान में वृद्धि होने पर ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि कोरोना के विषाणु गर्मी से कितने प्रभावित होते हैं।

कोरोना विषाणु को हेंड ड्रायर से मारा जा सकता है

कोरोना विषाणु को हेंड ड्रायर से नहीं मारा जा सकता है। हाथों को अल्कोहल मिश्रित साबुन के घोल या हैंड वॉश से धोने एवं अच्छी तरह से पोंछने या सुखा लेने की सलाह दी गई है।

कोरोना के विषाणुओं को खत्म कर सकते हैं...

अल्ट्रावायलेट लाइट स्टरलाइजर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अल्ट्रावायलेट विकिरण से त्वचा जल सकती है।

संक्रमित लोगों का पता लगाने में तापीय परीक्षण उपयोगी है

तापीय परीक्षण से उन लोगों का पता लगाया जा सकता है जो कोरोनो के संक्रमण के कारण बुखार से पीड़ित हैं। हालांकि, इससे उन लोगों का पता नहीं लगाया जा सकता जो कोरोना से संक्रमित तो हैं लेकिन उन्हें बुखार नहीं है। कोरोना के संक्रमित व्यक्ति में बुखार का लक्षण दो से 10 दिन बाद दिखाई देता है।

अल्कोहल या क्लोरीन का छिड़काव ...

शरीर पर अल्कोहल या क्लोरीन के छिड़काव से आपके अंदर पहले से मौजूद कोरोना वायरस नहीं मरेंगे। अल्कोहल और क्लोरीन दोनों ही फर्श को कीटाणुरहित बनाने में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन कोरोना को लेकर ये प्रभावी नहीं हैं।

चीन से आने वाले पत्र या पार्सल से खतरा

चीन से आने वाले पत्र या कोई पार्सल को प्राप्त करने से कोरोना विषाणु को फैलने का कोई खतरा नहीं है। यह विषाणु वस्तुओं पर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता।

पालतू जानवर भी फैला सकते हैं संक्रमण

अभी तक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पालतू जानवर जैसे कुत्ता या बिल्ली से कोरोना संक्रमण फैला हो। हालांकि पालतू जानवरों के संपर्क के बाद अपने हाथों को साबुन और पानी से जरूर धोएं।

निमोनिया के टीके कोरोना वायरस से बचा सकते हैं!

निमोनिया के टीके जैसे न्यूमोकोकल वैक्सीन और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी (एचआइबी) वैक्सीन से कोरोना वायरस नहीं मरते हैं, ना ही ये टीके प्रभावित होने से बचा सकते हैं। कोरोना वायरस इतना नया और अलग है कि इसे विशेष तौर पर इसी बीमारी के लिए बनाए गए टीके से ही रोका जा सकता है।

गर्म मौसम और नमी में नहीं फैलता कोरोना

गर्म मौसम में कोरोना नहीं फैलता या नमी बनाए रखने के लिए बार-बार गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। कोरोना विषाणु कहीं भी, किसी भी क्षेत्र फैल सकता है। गर्म और नम मौसम में भी। कोरोना संक्रमण का पर्यावरण या जलवायु से कोई संबंध नहीं है।

विश्व परिक्रमा (कोरोना)

पाकिस्तान में आंकड़ा 94 तक पहुंचा

पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 41 नए मामले सामने आने के साथ ही सोमवार को देश में इसका आंकड़ा बढ़कर 94 हो गया है। रविवार तक कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 53 थी।

चीन में विदेशों से आए मामलों में इजाफा

चीन में विदेश से आने वाले लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। सोमवार को भी संक्रमण के ऐसे ही 12 नए मामले सामने आए। इस बीच, राजधानी ने संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके आने वालों को पृथक रखे जाने संबंधी नियमों को कड़ा किया है।

अमेरिका में आज से टीके का परीक्षण

अमेरिकी सरकार के एक अधिकारी के मुताबिक कोरोना वायरस से बचाने के लिए बनाए गए टीके का नैदानिक परीक्षण सोमवार से शुरू हो रहा है।

आरोन फिंच और डेविड वार्नर

दक्षिण अफ्रीका में आपदा घोषित

दक्षिण अफ्रीका ने कोरोना वायरस संकट को लेकर देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है। देश में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 61 पर पहुंच गई है।

ऑस्ट्रेलिया में संक्रमित लोगों की संख्या 350

ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सोमवार को बढ़कर 350 हो गई। देश के कुछ राज्यों ने आपातकाल जैसी स्थिति घोषित करते हुए पृथकता नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है।

पीएसएल के बीच से स्वदेश लौटे लिन

पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की ओर से खेलने वाले आस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम के बल्लेबाज क्रिस लिन कोविड-19 महामारी के संक्रमण के कारण सोमवार को इस टूर्नामेंट के बीच से स्वदेश लौट गए।

एहतियाती कदमों पर फिंच, वार्नर चिंतित

आस्ट्रेलिया के आरोन फिच और डेविड वार्नर ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की स्वपृथक्करण की नीति के प्रभाव पर चिंता जताई है।

जानें-समझें

महामारी और राष्ट्रीय आपदा

कहर ढा रहे कोरोना को कैसे देंगे मात

दीपक रस्तोगी

कोरोना विषाणु का कहर पूरी दुनिया में पसर चुका है। यह वायरस कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने अब इसे महामारी घोषित कर दिया है। भारत में भी कई राज्यों की सरकारें इसे महामारी घोषित कर चुकी हैं। केंद्र सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। भारत सरकार की पहल पर सार्क स्तर पर तैयारियों की कवायद शुरू की गई और इसी बहाने सही पाकिस्तान से संवाद शुरू हुआ।
तीनों स्तर पर हुई कवायद में कई ऐसे प्रावधान और कानूनी इंतजाम लागू हो गए हैं, जो महामारी से निपटने में मददगार हो सकते हैं। अर्थव्यवस्था की लगाम साधी जा सकती है। हालांकि, यह बहस भी तेज हो गई है कि विषाणु का जिस गति से प्रसार हो रहा है, उसके मद्देनजर कानूनी प्रावधान नाकामी साबित हो रहे हैं।

सभी महाद्वीपों में दस्तक

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ने कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करते हुए चेतावनी दी कि कोरोना विषाणु अगर सभी देशों में नहीं तो ज्यादातर देशों में फैल सकता है। यह चेतावनी सही साबित हुई है। अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो कोरोना का संक्रमण सभी महाद्वीपों में फैल चुका है। यह विषाणु अब ब्रिटेन, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपींस, थाईलैंड, ईरान, भारत, नेपाल और पाकिस्तान समेत दुनिया के 114 देशों में फैल चुका है और इसके सबसे अधिक मामले केवल चीन में पाए गए हैं। डब्लूएचओ के द्वारा इसे वैश्विक महामारी घोषित किए जाने के बाद बीमारी की रोकथाम और इलाज के लिए संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल किया जा सकता है। कोरोना वायरस महामारी का रूप ले लेगा इसका सही अंदाजा डब्लूएचओ को भी शायद नहीं था इसलिए इसे पहले महामारी माना गया था।

महामारी अधिनियम 1897

महामारी से निपटने के लिए हर देश के पास अपने अलग-अलग कानून हैं। भारत के महामारी अधिनियम, 1897 (एपीडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1897) के तहत कैबिनेट सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किए हैं। इस कानून के खंड-दो को लागू करने का निर्देश दिया है ताकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों के परामर्शों को लागू किया जा सके। इस अधिनियम की खास बातों में शामिल है- 1. सार्वजनिक सूचना के जरिये महामारी के प्रसार की रोकथाम के उपाय होंगे।

2. सरकार को पता लगे कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह महामारी से ग्रस्त है तो उन्हें किसी अस्पताल या अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा। 3. धारा तीन में कहा गया है कि सरकारी आदेश नहीं मानना अपराध होगा और आइसी की धारा 188 के तहत सजा भी मिल सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान है। 4. अगर कानून का पालन कराते समय कोई अनहोनी होती है तो सरकारी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

राष्ट्रीय आपदा

कोरोना का संक्रमण देश के 13 राज्यों में फैल चुका है। केंद्र सरकार ने शनिवार को दोपहर 3:13 बजे कोरोनावायरस को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया।

केंद्र सरकार से पहले ओडीशा ने कोरोना संक्रमण को आपदा घोषित कर दिया था। वहीं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड ने इसे महामारी घोषित किया।

राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए कोई तय मानक नहीं हैं। लेकिन उन हालात को राष्ट्रीय आपदा माना जाता है, जिनमें जनहानि या संपत्ति का इतना नुकसान हो कि स्थानीय समुदाय के लिए उससे निपटना असंभव हो। बाढ़, तूफान, चक्रवात, भूकंप, सुनामी को प्राकृतिक आपदा और एटमी, जैविक या रासायनिक आपदाओं को मानव जनित आपदा कहा जाता है।

राष्ट्रीय आपदा से क्या होगा

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के मुताबिक, राष्ट्रीय आपदा घोषित होने पर राष्ट्रीय आपदा राहत प्रबंधन बलों (एनडीआरएफ) को मदद के लिए भेजा जाता है।

आपदा राहत कोष के जरिए 75 फीसद मदद केंद्र और 25 फीसद राज्य सरकार करती हैं। जरूरत होने पर केंद्र के 100 फीसद फंडिंग वाले राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक फंड से अतिरिक्त सहायता दी जाती है। प्रभावित लोगों को कर्ज में रियायत दी जाती है। इसके बाद विभिन्न राज्यों ने अपने स्तर पर सतकर्ता का ऐलान किया है।

क्या कहते हैं जानकार

भारत में किसी तरह की महामारी रोकने के लिए एकीकृत, व्यापक और प्रासंगिक कानून की जरूरत है, जिसमें लोगों के अधिकारों का ध्यान रखा जाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्था हो। मौजूदा कानून की अपनी सीमाएं हैं।
– डॉ. राकेश पीएस, केरल में नीपाह और कोरोना वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए काम कर चुके विशेषज्ञ

भारत को कोरोना संक्रमण से बहुत चिंतित होने की जरूरत नही है। एचवनएनवन परिवार वाले विषाणु ज्यादा तापमान में जीवित नही रह पाते और भारत का मौसम अपेक्षाकृत गर्म है।
-डॉ. सुरेश राठी, एसोसिएट प्रोफेसर, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ

सार्क की पहल

कोरोना संक्रमण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की। कुछ समय पहले तक भारत की सरकार सार्क से अधिक बिमस्टेक, शंघाई सहयोग संगठन, जी-20 आदि को लेकर बातें कर रही थी, लेकिन वक्त की नजाकत ने सार्क को दोबारा जीवंत बनाने में मदद की। प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में पाकिस्तान को भी न्योता दिया, जहां आयोजित सार्क सम्मेलन में कुछ साल पहले भारत समेत बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान ने हिस्सा लेने से मना कर दिया था। ताजा कवायद को जरूरी माना जा रहा था, क्योंकि भारत की सीमाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका से जुड़ती हैं। अफगानिस्तान और मालदीव से भी भारत का सीधा आना जाना है। सार्क के बाद प्रधानमंत्री ने जी20 देशों के बीच संयुक्त रणनीति बनाने का प्रस्ताव दिया है।

व्यक्तित्व

संक्रमण : चपेट में नामचीन वैश्विक हस्तियां

जनसत्ता संवाद

दुनिया की कई नामचीन हस्तियां कोरोना वायरस के संक्रमण का शिकार हुई हैं। इनमें राजनीति, खेल, फिल्म समेत विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां शामिल हैं। ये हैं, हॉलीवुड अभिनेता टॉम हैंक्स, उनकी पत्नी और अभिनेत्री रीटा, जेम्स बॉन्ड की क्वांटम ऑफ सोलेस में नजर आ चुकीं ओल्गा कुरिलेंको, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी, आस्ट्रेलियाई क्रिकेटर केन रिचर्डसन आदि।

टॉम हैंक्स पहली ऐसी फिल्मी हस्ती बने, जिनमें संक्रमण की पुष्टि हुई है। टॉम हैंक्स ने ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए ही उन्हें बुखार हो गया था और कोरोना वायरस के कारण अब उन्हें अलग किया जाएगा। उनकी पत्नी और अभिनेत्री रीटा विल्सन में भी इस वायरस की पुष्टि हुई है।

टॉम हैंक्स के बाद जेम्स बॉन्ड सिरीज की फिल्म क्वांटम ऑफ सोलेसह्र में नजर आ चुकीं ओल्गा कुरिलेंको की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। खुद अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने बीमार होने की खबर दी। उन्होंने इस पोस्ट को अंग्रेजी के साथ रूसी में भी लिखा। 40 साल की ओल्गा टॉम क्रूज के साथ फिल्म 'ऑब्लिवियन', और 2007 में आई फिल्म 'हिटमैन' में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। उन्होंने हाल ही में 'द बे ऑफ साइलेंस' का काम पूरा किया है। ओल्गा फिल्म निर्माता और पटकथा लेखिका भी हैं।

हॉलीवुड में यूनिवर्सल म्यूजिक के चेयरमैन और सीईओ लूसियन ग्रैंज को कोरोना के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच, सोशल मीडिया पर यह खबर तेजी से फैली कि अभिनेता जैकी चैन भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, लेकिन चैन ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए बताया कि वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। इससे पहले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की पत्नी सोफी ट्रूडो को कोरोना संक्रमण की खबर आई। सोफी हाल ही में ब्रिटेन से लौटीं थीं। पत्नी सोफी ट्रूडो के संक्रमित होने के बाद जस्टिन ने खुद एक कमरे में सीमित कर लिया। ब्रिटेन की स्वास्थ्य मंत्री नैंडिन डोरिस भी कोरोना संक्रमण से ग्रस्त पाई गईं।

स्पेन की मिनिस्टर ऑफ इक्वलिटी आइरीन मोंटेरो भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई हैं। उन्हें उनके साथी और उप प्रधानमंत्री पैब्लो इग्लेसियास के साथ अलग रखा गया है।ऑस्ट्रेलिया के गृह मंत्री पीटर डटन का कोरोना वायरस टेस्ट पॉजिटिव आया है। ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनार के संचार प्रमुख फेबियो वाजनगार्टन बीते सप्ताह अमेरिकी यात्रा के बाद कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। इनके अलावा खेल जगत से जाने-माने फुटबॉल क्लब आर्सेनल के हेड कोच मिकेल अर्टेटा में भी कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इसके बाद लंदन स्थित प्रशिक्षण केंद्र को बंद कर दिया गया है। एनबीए स्टार 27 वर्षीय रूडी गोबर्ट में भी कोरोना के लक्षण पाए गए। इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने घोषणा की थी कि डिफेंडर डेनिएल रुगानी ने कोरोना वायरस के लिए परीक्षण करवाया है। उनका परीक्षण पॉजीटिव पाया गया है।

टॉम हैंक्स एवं रीटा विल्सन

www.readwhere.com

अदालत ने जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के मामले का खुद लिया संज्ञान

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना विषाणु महामारी को देखते हुए देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने और उनमें सुविधाओं का सोमवार को स्वतः संज्ञान लिया। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव के पीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जेल महानिदेशकों और मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए। अदालत ने इन सभी को 20 मार्च तक यह बताने का निर्देश दिया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्थिति से निबटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

अदालत ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से कहा है कि वे इस मामले में शीर्ष

कोरोना विषाणु पीठ ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जेल महानिदेशकों और मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए

अदालत की मदद के लिए 23 मार्च को एक अधिकारी तैनात करें। शीर्ष अदालत ने कहा कि जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने और इनमें उपलब्ध सुविधाओं के मामले का स्वतः संज्ञान लेने के कारणों को भी बताया जाएगा।

अदालत ने देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों के होने पर चिंता व्यक्त की और कहा कि बड़ी संख्या में लोगों का एक जगह होना बड़ी समस्या है और यह कोरोना विषाणु फैलने का बड़ा कारण हो सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इस स्थिति को देखते हुए हमें कुछ दिशा निर्देश तैयार करने होंगे। यहीं नहीं, कोरोना विषाणु के मद्देनजर जेलों में क्षमता से अधिक कैदी होने के मामले में भी दिशा निर्देश जारी करने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि कुछ राज्यों ने महामारी कोविड-19 के मद्देनजर कदम उठाए हैं लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी ही हैं जिन्होंने उचित उपाय नहीं किए हैं।

भीमा-कोरेगांव नवलखा-तेल्तुम्बडे की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले के सिलसिले में नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बडे की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति एम आर शाह के पीठ ने दोनों कार्यकर्ताओं को तीन सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। पीठ ने इन दोनों को अपने पासपोर्ट तत्काल जमा कराने का भी निर्देश दिया है।

शीर्ष अदालत ने छह मार्च को इन दोनों को गिरफ्तारी से प्राप्त अंतरिम संरक्षण की अवधि 16 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी। पुणे की सत्र अदालत से राहत नहीं मिलने पर गौतम नवलखा और आनंद तेलतुम्बडे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पिछले साल नवंबर में बंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ इन दोनों कार्यकर्ताओं ने शीर्ष अदालत में अपील दायर की थी।

राजस्थान सरकार ने सीएए की संवैधानिकता को न्यायालय में चुनौती दी

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार ने सोमवार को नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।

राजस्थान सरकार का कहना है कि इस कानून से संविधान में प्रदत्त समता के अधिकार और जीने के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। केरल के बाद राजस्थान दूसरा राज्य है जिसने नागरिकता संशोधन कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 का सहारा लेकर शीर्ष अदालत में वाद दायर किया है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र से विवाद होने की स्थिति में राज्य सीधे शीर्ष अदालत में मामला दायर कर सकता है। राज्य सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को संविधान के प्रावधानों के इतर और शून्य घोषित करने का अनुरोध किया है। इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब तक 160 से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं।

तेलंगाना में सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पारित

हैदराबाद, 16 मार्च (भाषा)।

तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार को संशोधित नागरिकता कानून, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया।

विधानसभा ने प्रस्ताव में केंद्र से भारत में लोगों के एक हिस्से में आशंका के मद्देनजर संशोधित नागरिकता कानून से किसी भी धर्म या अन्य देश का उल्लेख हटाने हुए उसमें संशोधन करने की अपील की है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर द्वारा पेश प्रस्ताव में कहा गया है कि सदस्य राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के प्रस्तावित क्रियान्वयन को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि 'इससे बड़ी संख्या में लोग बाहर हो सकते हैं।'

प्रस्ताव में तेलंगाना सरकार से राज्य के लोगों को एनपीआर और एनआरसी जैसे कार्यक्रमों से सुरक्षित रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की अपील की गई है।

शाहीन बाग धरने पर 'कोरोना संकट'

पेज 1 का बाकी

इजाजत नहीं दी जाएगी जिसमें 50 या उससे अधिक लोग जमा होते हों। सरकार का यह आदेश एहतियाती है लेकिन शाहीन बाग में धरना दे रही महिलाओं की राय कुछ अलग है। शाहीन बाग और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पिछले 90 दिन से धरना दे रही महिलाओं का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को मास्क और सैनिटाइजर मुहैया करा दिया गया है और कोरोना वायरस को लेकर कोई डर नहीं है।

उन्होंने खुद ही एहतियात बरता है, लिहाजा उनके धरने पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद दिल्ली पुलिस का कहना है कि वह शाहीन बाग में धरने पर बैठी महिलाओं से अपना धरना समाप्त करने को कहेंगे। दक्षिण पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त आरपी मीणा ने कहा कि हम शाहीन बाग में बैठी महिलाओं से कहेंगे कि वह अपना धरना तुरंत समाप्त करें। उन्होंने कहा कि पहले भी पुलिस धरने पर बैठी महिलाओं से आग्रह करती रही है कि वह अपना धरना खत्म करें।

दिल्ली में पचास से ज्यादा लोगों की मौजूदगी पर रोक

पेज 1 का बाकी

को आगे बढ़ाने पर विचार करने का सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑटो, टैक्सियों को मुफ्त में संक्रमण मुक्त किया जाएगा, अधिकतर स्थानों पर हैंड सैनिटाइजर मुहैया कराए जाएंगे। साथ ही दिल्ली मेट्रो में भी तापीय जांच संभव है या नहीं इस पर विचार किया जाएगा।

केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 से संक्रमित सात में से चार लोगों का इलाज जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पर्याप्त बिस्तरों का बंदोबस्त है। तीन होटलों लेमन ट्री, रेड फॉक्स और आइबीआइएस में लोगों को पृथक रखे जाने की व्यवस्था की गई है। दिल्ली सरकार ने शहर में सिनेमाघरों, स्कूलों, विश्व विद्यालयों और सभी स्विमिंग पूल 31 मार्च तक बंद रखने का पिछले सप्ताह आदेश दिया था। बाजारों में भी विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है। दूसरी ओर दिल्ली के तीनों नगर निगमों ने भी आदेश जारी कर शहर के रेस्त्राओं में साफ सफाई के खास इंतजाम करने को कहा है।

कुछ और देशों से आने पर पाबंदी

पेज 1 का बाकी

कुवैत से आने वाले यात्रियों को भी पृथक रखा जाएगा। अब यूएई, कतर, ओमान और कुवैत से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य तौर पर 14 दिन पृथक करके रखा जाएगा। इस संबंध में मंगलवार को नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसकी शुरुआत 18 मार्च की रात बारह बजे से होगी।

संस्कृति एवं दूसरी ओर पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रह्लाद सिंह पटेल ने ट्वीट किया कि भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआइ) के सभी टिकट वाले स्मारक और अन्य सभी संग्रहालय 31 मार्च तक बंद रहेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से तत्परता व सावधानी बरतने के लिए कहा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि संक्रमितों में से 13 लोग ठीक होकर घर जा चुके हैं जबकि दो लोगों की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि रविवार को रात साढ़े ग्यारह बजे तक कोरोना के कुल 110 मामले थे। खबर लिखे जाने तक यह संख्या बढ़कर 114 हो गई। पूर्वी राज्य ओड़ीशा में संक्रमण के पहले मामले की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हेल्पलाइन का नया टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इसके अलावा नंबर 01123978046 पहले से जारी है। मंत्रालय की ओर से सामुदायिक दूरी बनाने के तरीके भी जारी किए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से हुए संवाददाता सम्मेलन में बताया गया है कि उनकी जानकारी के मुताबिक कहीं से भी कोई कोरोना विषाणु संक्रमित मरीज नहीं भागा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि हमारी ओर से किसी राज्य को कोई स्कूल, मॉल या सिनेमा हॉल बंद करने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है। मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि अभी हम सामुदायिक स्तर पर जांच शुरू नहीं कर रहे हैं। इससे लोगों में भय फैलने की आशंका है। उन्होंने बताया कि अभी तक हम विदेश से आए या उनके संपर्क में आए ऐसे लोगों की जांच कर रहे हैं जिनमें हमें कोरोना विषाणु संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) के मुताबिक कोरोना विषाणु से 135 देशों में 1,53,517 लोग संक्रमित हैं और 6000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

सूचकांक में दूसरी बड़ी गिरावट, 2,713 अंक लुढ़का

पेज 1 का बाकी

नुकसान में रहे। सर्वाधिक नुकसान इंडसइंड बैंक को हुआ जो 17.50 फीसद नीचे आया। उसके बाद क्रम से टाटा स्टील (11.02 फीसद), एचडीएफसी (10.94 फीसद), एक्सिस बैंक (10.38 फीसद) और आइसीआइसीआइ बैंक (9.96 फीसद) का स्थान रहा। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा कि दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती और अन्य उपायों को देखते हुए ऐसा समझा जा रहा है कि कोरोना वायरस का प्रभाव कहीं व्यापक है। आर्थिक, व्यापार और यात्रा बंद होने से दुनिया भर के शेयर बाजार प्रभावित हो रहे हैं।

पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई राज्यसभा में नामित

पेज 1 का बाकी

बाद में सेवानिवृत्त हो गए थे। गोगोई ने साथ ही सबरीमला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और रफाल लड़ाकू विमान सौदे संबंधी मामलों पर फैसला देने वाले पीठों का भी नेतृत्व किया। केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (3) के साथ पठित खंड (1) के उपखंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने एक नामित सदस्य की सेवानिवृत्ति के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए, राज्यसभा में रंजन गोगोई को नामित किया है।

'कोरोना के इलाज में एचआइवी रोधी दो दवाओं का संयोजन अहम साबित'

पेज 1 का बाकी

थे। इसलिए उन्हें शुरुआत में मलेरिया रोधी और स्वाइनफ्लू रोधी दवाइयां दी गईं। इसके साथ-साथ हमारे चिकित्सक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के संपर्क में थे। चूंकि कोरोना वायरस और एचआइवी के स्ट्रक्चर में कुछ हद तक समानता है। इसलिए चिकित्सकों ने एचआइवी रोधी दो दवाओं के संयोजन का प्रयोग किया।

उन्होंने बताया कि दो दवाओं का संयोजन का परिणाम सार्थक साबित हुआ ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि तीन मरीजों में सुधार देखा गया। अच्छी बात यह है कि सभी तीनों मरीज बुजुर्ग हैं और इस उम्र के मरीजों में दवाइयों का सफल परिणाम मिलना बड़ी बात है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय के अधीक्षक डा डीएस मीणा ने बताया कि एचआइवी रोधी दवाइयां तीनों मरीजों के लिए कारगार साबित हुई। स्वास्थ्य में सुधार होने पर इतावली महिला को पहले ही अस्पताल से राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में शिफ्ट किया जा चुका है जबकि उनके इतावली पति और 85 वर्षीय जयपुर निवासी बुजुर्ग के कोरोना वायरस संक्रमण में सुधार होने पर अस्पताल के पृथक वार्ड से अस्पताल के आइसीयू में शिफ्ट किया जा रहा है। चौथे संक्रमित 24 वर्षीय युवक का उपचार सवाई मानसिंह चिकित्सालय के पृथक वार्ड में किया जा रहा है।

'इलाज का पूरा खर्च बिहार सरकार उठाएगी'

पेज 1 का बाकी

व्यक्ति की कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से मौत होने की स्थिति में मृतक के निकटतम संबंधी को चार लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। शिक्षकों और सरकारीकर्मियों को भी इस रोग के बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोरोना वायरस से खतरे को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। इसके संक्रमण को रोकने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने और इसके इलाज के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्था की गई है। सरकारी जिला अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में पृथक वार्ड और जीवन रक्षक की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा, 'मैंने स्वास्थ्य विभाग को सौ अतिरिक्त वेंटीलेटर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है और उस पर काम शुरू हो गया है।'

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के सीमावर्ती देश नेपाल और राज्य उत्तर प्रदेश में इस रोग के मामले सामने आ चुके हैं। राज्य के कई जिलों से विदेशों में लोगों का आना जाना लगा रहता है जिससे यहां भी संक्रमण का खतरा बना हुआ है। पटना और गया हवाई अड्डे पर प्रभावित देशों से आने वालों की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है। बिहार और नेपाल की सीमा पर 49 स्थानों पर आने वाले यात्रियों की सघन स्क्रीनिंग की जा रही है व प्रभावित देशों से आने वालों को अलग से रखने की जाने की व्यवस्था की जा रही है। संक्रमण को रोकने के उपायों के तहत शिक्षण संस्थाओं, सिनेमा हॉल और सार्वजनिक पार्कों को 31 मार्च तक बंद कर दिया गया है।

अंकित की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन गिरफ्तार

पेज 1 का बाकी

देने की मांग की। अर्जी को स्वीकार करते हुए अदालत ने हुसैन को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। शर्मा (26) के परिवार को उनका शव चांद बाग इलाके में स्थित उनके घर के पास नाले से मिला था। अंकित के पिता की ओर से मिली शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। हालांकि, हुसैन ने इन आरोपों से इनकार किया है।

उत्तरी पूर्वी दिल्ली में पिछले महीने हुई हिंसा के सिलसिले में पुलिस ने 700 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और 3,400 लोगों को हिरासत में लिया है या फिर गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने पिछले दिनों बताया कि कुल 718 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 55 मामले हथियार कानून के तहत दर्ज हुए हैं।

स्वास्थ्य कर्मचारियों का योगदान सराहनीय

पेज 1 का बाकी

कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री ने भारत द्वारा कोरोना विषाणु से मुकाबला करने के विभिन्न आयामों को रेखांकित करने वाले विभिन्न लोगों को अपने ट्वीट में टैग भी किया। हैशटैग 'इंडिया फाइट्स कोरोना' से संबंधित ट्वीट में मोदी ने कहा कि कोरोना विषाणु से निपटने में उठाए गए कदमों को लोगों द्वारा रेखांकित करने से उनका मनोबल बढ़ता है।

वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री ने सोमवार को ट्वीट कर लोगों से कोरोना विषाणु से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपाय साझा करने का आह्वान किया। उन्होंने ट्वीट किया कि स्वस्थ ग्रह (पृथ्वी) के लिए नवोन्मेष का इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों ने कोरोना विषाणु से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित उपाय साझा किए हैं। मैं आह्वान करता हूं कि वे उन्हें ऐट दि रेट एमवाइजीओवीआइएनडीआइए पर साझा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसी पहलों से कई लोगों को लाभ होगा। 'कोविड-19 सॉल्यूशन चैलेंज' एमवाइजीओवी डॉट इन वेबसाइट के जरिए चलाया जा रहा है।

वेबसाइट की पेज पर लिखा गया है कि कोरोना विषाणु के संक्रमण को रोकने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण पहलू है कि नागरिकों को सही सूचना से सशक्त किया जाए और वे एहतियात बरतें। हमें इस संबंध में लोगों और कंपनियों से सूचना मिल रही है जिन्होंने प्रौद्योगिकी विकसित की है, नवोन्मेषी उपाय खोजे हैं, इलाज के लिए बायोइंफॉर्मेटिक डाटासेट और ऐप बनाए हैं। इनमें कोरोना विषाणु के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने की क्षमता है। इसमें कहा गया कि समुदाय को कोरोना विषाणु से लड़ने के लिए तैयार करने के लिए, हम चाहते हैं आप कोरोना विषाणु से लड़ने के उपायों को साझा करें।

अमेरिका में कोरोना वायरस के टीके का परीक्षण

पेज 1 का बाकी

रहा है और यह सिएटल में 'कैसर परमानेंट वाशिंगटन हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट' में हो रहा है।

जन स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि किसी भी संभावित टीके की पुष्टि में एक साल से 18 महीने तक का वक्त लगेगा।

यह परीक्षण 45 युवा व स्वस्थ स्वेच्छाकर्मियों के साथ शुरू होगा जिन्हें एनआइएच और मॉडर्ना इंक के संयुक्त प्रयासों से विकसित टीके लगाए जाएंगे हालांकि प्रत्येक प्रतिभागी को अलग-अलग मात्रा में सुई लगाई जाएगी।

इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई भी प्रतिभागी इससे संक्रमित होगा क्योंकि इस टीके में वायरस नहीं है।

इस परीक्षण का लक्ष्य सिर्फ यह जांचना है कि टीकों का कोई चिंताजनक दुष्प्रभाव न हो।

और फिर इस आधार पर बड़े पैमाने पर परीक्षण किया जा सके।

कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच विश्व भर के दर्जनों शोध संगठन टीका विकसित करने के प्रयासों में जुटे हुए हैं।

कमलनाथ आज ही साबित करें बहुमत : राज्यपाल

पेज 1 का बाकी

केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का हवाला दिया।

हंगामे के बीच ही विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने व्यापक जनहित में 26 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित करने की घोषणा कर दी। 26 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होना है।

इसके बाद टंडन ने सोमवार को कमलनाथ को लिखे अपने पत्र में कहा कि मेरे पत्र दिनांक 14 मार्च 2020 का उत्तर आपसे प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। मुझे खेद है कि पत्र का भाव/भाषा संसदीय मर्यादाओं के अनुकूल नहीं है।

राज्यपाल ने आगे लिखा कि मैंने अपने 14 मार्च 2020 के पत्र में आपसे विधानसभा में 16 मार्च को विश्वास मत हासिल करने के लिए निवेदन किया था। आज (सोमवार) विधानसभा का सत्र शुरू हुआ। मैंने अपना अभिभाषण पढ़ा, परंतु आपके द्वारा सदन का विश्वास मत हासिल करने की कार्यवाही शुरू नहीं की गई और इस संबंध में कोई सार्थक प्रयास भी नहीं किया गया और सदन की कार्यवाही दिनांक 26 मार्च 2020 तक स्थगित हो गई।

राज्यपाल ने कहा कि आपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय का जिक्र किया है, वह वर्तमान परिस्थितियों और तथ्यों में लागू नहीं होता है। जब यह प्रश्न उठता है कि किसी सरकार को सदन का विश्वास प्राप्त है या नहीं, तब ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने कई निर्णयों में निर्विवादित रूप से स्थापित किया गया है कि इस प्रश्न का उत्तर अंतिम रूप से सदन में शक्ति परीक्षण के माध्यम से ही हो सकता है।

उन्होंने लिखा कि यह खेद की बात है कि आपने मेरे द्वारा दी गई समयावधि में अपना बहुमत सिद्ध करने के बजाय, यह पत्र लिखकर विश्वास मत प्राप्त करने व विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है/आना-कानी की है, जिसका कोई भी औचित्य व आधार नहीं है। आपने अपने पत्र में शक्ति परीक्षण नहीं कराने के जो कारण दिए हैं, वे आधारहीन व अर्थहीन हैं।

फरवरी में थोक महंगाई घटकर 2.26 फीसद

पेज 1 का बाकी

श्रेणी में थोक मुद्रास्फीति कम होकर 3.38 फीसद और अखाद्य सामग्रियों में कम होकर 6.82 फीसद पर आ गई। विनिर्मित वस्तुओं की थोक मुद्रास्फीति बढ़कर 0.42 फीसद हो गई। एलपीजी की थोक मुद्रास्फीति भी जनवरी के 1.78 फीसद से बढ़कर 21.85 फीसद पर पहुंच गई।

इक्रा की अर्थशास्त्री अदिति नैयर ने कहा कि फरवरी 2020 में थोक मुद्रास्फीति में ठीकठाक गिरावट देखने को मिली है। यह हमारे अनुमान के अनुकूल है।

यह गिरावट मुख्यतया खाद्य सामग्रियों के दाम कम होने और कच्चा तेल व खनिजों के दाम में भी कुछ नरमी आने के कारण है। कच्चा तेल और खनिजों के दाम में आई गिरावट का असर आने वाले महीने में अधिक होने वाला है।

पिछले दो सालों में हुआ है कोरोना विषाणु पर शोध का सबसे ज्यादा काम | **खुलासा** | **वुहान स्थित कृषि विश्वविद्यालय इस संबंध में रिसर्च के मामले में सबसे आगे है**

संक्रमण की गिरफ्त में आने से पहले चीन करा चुका है कोरोना पर 362 पेटेंट

प्रतिभा शुक्ल
नई दिल्ली,16 मार्च।

कोरोना विषाणु पर चल रहे विवादों के बीच तथ्यों पर गौर करें तो पता चलता है कि चीन लंबे समय से इस पर काम कर रहा था। यही नहीं, चीन इस तक कोरोना से संबंधित 362 पेटेंट करा चुका है। इस सिलसिले में चीन में सबसे ज्यादा काम पिछले दो सालों में हुआ है। वुहान स्थित कृषि विश्वविद्यालय इस संबंध में रिसर्च के मामले में सबसे आगे है।

वुहान प्रांत से ही इस बीमारी का प्रसार शुरू हुआ है। चीन के एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज ने भी कोरोना विषाणु से संबंधित कई पेटेंट कराए हैं। साफ है कि कोरोना के संक्रमण

कोरोना से जुड़े शोध को लेकर यह खुलासा हुआ है पेटेंट व मार्केट रिसर्च पर काम कर रही संस्था 'एन्फोल्ज' के एक अध्ययन से।

ने आज भले पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, पर कम से कम चीन के शोध संस्थानों के लिए यह बीमारी नई नहीं है। खासकर चीन के वुहान शहर में स्थित संस्थानों के लिए तो यह बिल्कुल ही नई बीमारी नहीं है। दिलचस्प है कि वुहान प्रांत से ही कोरोना संक्रमण पूरी दुनिया में फैला है। कोरोना से जुड़े शोध को लेकर यह खुलासा हुआ है पेटेंट व मार्केट रिसर्च पर काम कर रही संस्था 'एन्फोल्ज' की ओर से किए गए एक अध्ययन से।

एन्फोल्ज के अध्ययन के मुताबिक चीन में कोरोना विषाणु को लेकर कई सालों से काफी शोध चल रहा है। इस दिशा में सबसे अधिक काम करने वाले संस्थानों में वुहान स्थित हुआजॉन्ग एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी का नाम भी शामिल है, जिसके नाम कोरोना से संबंधित 15 पेटेंट है और इनमें से नौ पेटेंट वर्ष 2018-19 में कराए गए हैं। किसी भी क्षेत्र में शोध व विकास का ठोस पैमाना होता है आविष्कार, जिसकी वैधता की पुष्टि पेटेंट के जरिए होती है। एन्फोल्ज ने कोरोना वायरस की दिशा में चल रहे शोध व विकास के बारे में पता लगाने के लिए एक संक्षिप्त अध्ययन किया, जिसका आधार पेटेंट को बनाया गया। अध्ययन में पता चला कि पिछले कुछ वर्षों में दुनिया भर में इससे संबंधित 1286 पेटेंट कराए गए हैं, जिनमें से 1002 पेटेंट सीधे तौर पर कोरोना वायरस से संबंधित हैं। अधिकतर पेटेंट श्वसन (रेस्पिरेटरी) से संबंधित प्रयोगों को लेकर ही हैं। इनमें से एक तिहाई,यानी कि 362 पेटेंट सिर्फ चीन के पास हैं। एन्फोल्ज के अध्ययन के मुताबिक वुहान स्थित हुआजॉन्ग एग्रिकल्चरल यूनिवर्सिटी के अलावा चीन के पांच अन्य संस्थानों ने कोरोना वायरस के संबंध में सबसे अधिक काम किया है। इनमें क्विंगडाओ बायो इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के पास कोरोना से संबंधित 15 पेटेंट हैं। इसी तरह फुलाइक बायोलाजिकल इंजीनियरिंग के पास 18 पेटेंट हैं।

इनके अलावा साउथ चाइना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और चीन की एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज के नाम भी कोरोना से संबंधित कई पेटेंट हैं। एन्फोल्ज के निदेशक और सह संस्थापक विनोद सिंह का कहना है कि दुनिया भर के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके कोरोना विषाणु का वास्तविक स्रोत क्या है, इस बात को लेकर अब तक कयास ही लगाए जा रहे हैं। सबसे अधिक आशंका चमगादड़ और सांपों को लेकर है। गौरतलब है कि इनका इस्तेमाल चीन में खानपान में होता है।

www.readwhere.com

राहुल के सवाल पर लोस में हंगामा, कांग्रेस सांसदों का बहिर्गमन

सरकार ने कांग्रेस नेता पर लगाया राजनीति करने का आरोप

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 मार्च।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक सवाल पर सोमवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। सरकारी रवैए से नाराज कांग्रेस सांसदों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। राहुल ने राजग सरकार पर देश के 50 बड़े बैंक ऋण चूककर्ताओं को बचाने का आरोप लगाया। राहुल ने दावा किया कि जानबूझकर कर्ज की अदायगी नहीं करने वालों (विलफुल डिफाल्टर्स) को लेकर उन्हें लोकसभा में पूरक प्रश्न पूछने नहीं दिया गया और बतौर सांसद उनके अधिकार की रक्षा नहीं की गई। वहीं, वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेता इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और कुछ लोग अपने पापों को दूसरों के सिर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम होने नहीं देंगे ।

राहुल गांधी को प्रश्नकाल में अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दिए जाने पर कांग्रेस सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई और इसके विरोध में आसन के समक्ष आकर नारेबाजी भी की। सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि यह सरासर नाइंसाफी है कि राहुल गांधी को अनुपूरक प्रश्न नहीं करने दिया गया जबकि प्रश्नकाल समाप्त होने में अभी थोड़ा समय बाकी था। इसके बाद कांग्रेस सदस्य इसके विरोध में सदन से वाकआउट कर गए ।

इससे पूर्व, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि देश के सभी बैंक सुरक्षित हैं और यस बैंक के जमाकर्ताओं का पैसा भी सुरक्षित है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि इनकी सरकार ने पैसा देकर लोगों को देश से बाहर भगाया। लेकिन मोदी जी वही पैसा वापस ला रहे हैं। मोदी सरकार ही भगौड़ा आर्थिक अपराधी संबंधी विधेयक लाई है। ऐसे आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त किया गया है।

इसी क्रम में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वह इस चर्चा में पेंटिंग खरीदने बेचने की बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी मंशा इस मुद्दे पर राजनीति करने की नहीं है। यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर ने कुछ साल पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से एम एफ हुसैन की पेंटिंग खरीदी थी जिसे लेकर पिछले दिनों राजनीति गर्मायी रही थी।

ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी पूरी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जो इनकी नासमझी दिखाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी ने अपने मूल प्रश्न को उठाते हुए कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है, व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो बैंकिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण बड़ी संख्या में लोग बैंकों का पैसा चुराकर भाग रहे हैं। उन्होंने सरकार से देश के शीर्ष 50 चूककर्ताओं के नाम बताने की मांग की। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने उनके सवाल का घुमाफिरा कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि जिन लोगों ने बैंकों का पैसा हड़पा है उन्हें वह पकड़ कर लाएंगे लेकिन उनकी सरकार 50 बड़े चूककर्ताओं के नाम तक नहीं बता रही है।

राहुल के सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने भूमिका इतनी ज्यादा बांधी है क्योंकि उन्हें पता है कि कमियां कहां हैं। उन्होंने कांग्रेस की ओर इशारा करते हुए कहा कि कुछ लोग अपने पापों को दूसरों के सिर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हम होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि साल 2010-14 के बीच सकल अग्रिम दर 0.64 फीसदी था जो 2018 . 19 में कम होकर 0.18 फीसदी, 2019 . 20 में 0.08 फीसदी रह गया है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार ने इन्हें कम करने के लिए कदम उठाए, वास्तविक गैर निष्पादित आस्तियों का पता लगाया गया, बैंकीय ढांचे का पुनर्गठन किया गया ।

ठाकुर ने कहा कि जहां तक देश के शीर्ष 50 चूककर्ताओं की बात है तो इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। 25 लाख रुपये से अधिक के चूककर्ताओं के नाम केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

कांग्रेस का आरोप, सरकार ने की संसद की अवमानना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 मार्च।

कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि जानबूझकर कर्ज की अदायगी नहीं करने वाले चूककर्ताओं के बारे में उसके नेता राहुल गांधी के सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं देकर सरकार ने संसद और संसदीय प्रक्रिया की अवमानना की है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने यह दावा भी किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद जानबूझकर कर्ज अदायगी नहीं करने में 60 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

सिंघवी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा- राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे थे वो पूरी तरह तरह स्पष्ट हैं। फिर भी सरकार ने किसी सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सदन में राज्य मंत्री ने जवाब दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से संसद और संसदीय प्रक्रिया की अवमानना की गई है। उन्होंने यह दावा भी किया कि चूककर्ताओं के संदर्भ में तथ्यों को छिपाने का प्रयास कर रही है।

'दो हजार रुपए के नोट बंद करने का प्रस्ताव नहीं'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 मार्च।

केंद्र ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार का 2000 रुपए के बैंक नोट को प्रचलन से वापस लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी।

पांच लाख करोड़ से अधिक की वसूली : सीतारमण

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 मार्च।

वित्त मंत्री ने दिया राहुल गांधी के सवाल का जवाब

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के प्रश्न के उत्तर में सोमवार को कहा कि पिछले करीब पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज की वसूली की गई है।

गांधी के प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने यह भी कहा कि 31 मार्च, 2018 को 10,36,187 करोड़ रुपए का एनपीए था जो 31 दिसंबर, 2019 की स्थिति के अनुसार घटकर 9,58,156 करोड़ रुपए हो गया।

कांग्रेस नेता ने सोमवार को इसी लिखित प्रश्न को लेकर सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्न किया और जानबूझकर कर की अदायगी नहीं करने वाले 50 चूककर्ताओं के नाम बताने की मांग की।

गांधी के प्रश्नों के लिखित उत्तर में निर्मला ने कहा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) ने विगत चार वित्तीय वर्षों और चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 5,12,687 करोड़ रुपए के कर्ज की वसूली की। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1,56,692 करोड़ रुपए कर्ज की वसूली की गई।

ओड़ीशा में जहर खाने से महिला की मौत

संबलपुर, 16 मार्च (भाषा)।

ओड़ीशा के संबलपुर जिले में कथित तौर पर जहर का सेवन करने के बाद 62 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई जबकि उसका पति और बेटा जिंदगी के लिए जूझ रहे हैं। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी।

एक अधिकारी ने बताया कि कतरबगा पुलिस थानाक्षेत्र के अंतर्गत रुकीडिही गांव में हुई वारदात की शुरुआती जांच में सामने आया कि शनिवार को पहले तीनों लोगों ने शराब पी और खाना खाया।

उन्होंने बताया कि उसके बाद किसी मामूली बात पर बहस होने पर इन लोगों ने कीटनाशक का सेवन कर लिया।

अधिकारी ने बताया कि मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब मृतक का छोटा बेटा घर पहुंचा और उसने तीनों को गंभीर हालत में फर्श पर पड़े हुए पाया।

उन्होंने बताया कि तीनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार को महिला की मौत हो गई। उसके पति और बेटे की हालत नाजुक बनी हुई है। कतरबगा पुलिस थाना के प्रभारी अजय जेना ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

TENNECO POWERTRAIN — फेडरल-मोगुल गोएट्जे (इंडिया) लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : [illegible] ... नई दिल्ली 110020, [CIN]: L74899DL1954PLC002452
टेली./फैक्स : +91 11 - 49057597
E mail : investor.grievance@tenneco.com, Website : www.federalmogulgoetzeindia.net

अंश प्रमाण-पत्र खोने एवं उनके एवज में दूसरे प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के सम्बन्ध में

[illegible] 15 दिनों के भीतर प्राप्त न हो।

अंशधारक का नाम	प्रमाण पत्र सं.	विशिष्ट सं. से - तक	अंशों की सं.
मिस नूरजहाँ बेगम	98998	4710055-4710067	13
	199136	19073887-19073891	5
	199137	19073892-19073892	1
मि. गुरु शिवशाम सिंह सोधी	11536	3034776-3034825	50
	230944	21843345-21843369	25
मिस जतिन्दर कौर	98167	11603524-11603564	41
	104020	11830263-11830275	13
	99013	11644119-11644139	21
मिस अमरजीत कौर	72739	6453916-6453931	16
	11656	3040201-3040250	50

सर्वसाधारण को, विशेषकर निवेशकों एवं शेयर ब्रोकरों को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि उक्त अंश प्रमाण-पत्रों से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें।

कृते फेडरल-मोगुल गोएट्ज (इंडिया) लिमिटेड
हस्ताक्षर/-
(डॉ. खालिद इकबाल खान)
पूर्ण-कालिक निदेशक-विधिक एवं कम्पनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 16 मार्च, 2020

बिक्री नोटिस

डिलिशियस कोको वाटर प्राइवेट लिमिटेड - परिसमापन के अधीन
दिवाला और दिवालिया संहिता, 2016 के तहत परिसंपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री
ई-नीलामी की तारीख और समय: शनिवार, 28 मार्च, 2020 को प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक
(10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)
डिलिशियस कोको वाटर प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन) परिसंपत्तियों की ई-नीलामी बिक्री "जैसी है उसी आधार पर", "जहां जो भी है उसके साथ" और "उसमें चूक पर बिना किसी अवलंब के आधार पर" की जाएगी।

संपत्तियों की प्रकृति	विवरण	आरक्षित मूल्य (₹)	अग्रिम जमा राशि (₹)	वार्षिक बोली राशि (₹)
भवन भूमि और एयर कंडीशनर और वायु निकास सिस्टम और लिफ्ट और फायर सिस्टम आदि	डी-13, उद्योग नगर, इंडस्ट्रियल एरिया, पीरागढ़ी, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली 110041 पर स्थित **भूमि और भवन, जिसकी भूमि का** कुल क्षेत्रफल 2651.694 वर्ग मीटर (3171.40 वर्ग गज) है। यह भूमि फ्रीहोल्ड है और कंपनी के नाम पर पंजीकृत है। इसकी भूमि पर सहायक संरचनाओं के साथ बैंक्विट हॉल का निर्माण किया गया है, जिसका कुल बिल्ट-अप एरिया लगभग 1,00,000 वर्ग फुट है जिसमें भवन का निचला बेसमेंट, अपर बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, पहली मंजिल और दूसरी मंजिल के हिस्से सम्मिलित हैं। **एयर कंडीशनर और वेंटिलेशन सिस्टम** परिचालन के साथ यूटिलिटी में स्थापित उपकरणों को संचालित करने के लिये स्थापित किये गये हैं। इसमें फर्नीचर और फिक्सचर, कार्यालय के उपकरण आदि भी शामिल हैं। भवन के भीतर 2015 में **3 लिफ्टें** लगाई गई थी, 2015 में **फायर सिस्टम, बोरवेल-1** लगाये गये थे	46,50,00,000 (केवल छियालीस करोड़ और पचास लाख रुपए)	2,00,00,000 (केवल दो करोड़ रुपए)	10,00,000 (केवल दस लाख रुपए)

ई-नीलामी के नियम और शर्तें
1. ई-नीलामी प्रक्रिया का पूर्ण ज्ञापन जिसमें नियम और शर्तें शामिल हैं, ई-नीलामी के लिए अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स राइट2वोट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://right2vote.in पर उपलब्ध है - किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए श्री नीरज गुरुपुरिया से उनके ईमेल neeraj@right2vote.in पर संपर्क करें।
2. परिसमापक के पास किसी भी संपत्ति या उसके किसी हिस्से के किसी भी या सभी प्रस्ताव(वों) को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को रद्द करने / आगे बढ़ाने / वापस लेने का पूरा अधिकार प्राप्त है।

हस्ता./-
किशन गोपाल सोमानी - परिसमापक
आईबीबीआई पंजीकरण नंबर: IBBI/IPA-001/IP-P00300/2017-18/10544
केजी सोमानी इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
पता: 3/15, चौथी मंजिल, आसफ अली रोड, नई दिल्ली - 110002
ईमेल आईडी: kgs.deliciouscocowater@gmail.com, संपर्क नंबर: 011-41426262

दिनांक :12.03.2020
स्थान: नई दिल्ली

पंजाब नैशनल बैंक ...भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

सामान्य सेवाएं प्रशासन प्रभाग
प्रधान कार्यालय: प्लॉट सं.-4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110 075
ई-मेल: smonga@pnb.co.in; hogad@pnb.co.in , फोन: 011-28044405

ई-नीलामी बिक्री की सूचना (शुद्धिपत्र)

पंजाब नैशनल बैंक प्लॉट संख्या 7, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली (पिन -110607) में स्थित अपने पूर्व प्रधान कार्यालय भवन को बेचने का प्रस्ताव कर रहा है और वर्तमान में सरकारी / सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता / एजेंट्स के माध्यम से बोली लगाने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है।
संपत्तियों का विवरण यहां दिया गया है।
खुले फर्नीचर और जुड़नार को छोड़कर संपत्ति बिक्री के लिए है। अतः जो संपत्ति खरीदने में रुचि रखते हैं वे नीचे अनुसूची-ए में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बोली लगा सकते हैं।
जो संपत्ति खरीदने में रुचि रखते हैं वे इस उद्देश्य हेतु बोली प्रेषित करके ऐसा कर सकते हैं।

अनुसूची-ए

संपत्ति का विवरण (7, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली)	सामान्य क्षेत्र को छोड़कर विक्रय योग्य क्षेत्र (वर्गमीटर)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (रुपए करोड़ में)	बयाना जमा राशि (ईएमडी) राशि और जमा की अंतिम तिथि (आरक्षित मूल्य का @ 10%) 24.03.2020 तक	निरीक्षण की तिथि और समय	नीलामी की तिथि और समय
ए. द्वितीय तल	1497.84	रु० 82.38	रु० 8.24 करोड़	नियोजित भेंट आधार पर 24.03.2020 तक	26.03.2020 को 11:00 बजे
बी. छठा तल	992.40	रु० 48.23	रु० 4.83 करोड़		26.03.2020 को 12:30 बजे
सी. सातवां तल	992.40	रु० 48.23	रु० 4.83 करोड़		26.03.2020 को 15:00 बजे

इच्छुक पार्टियां उपरोक्तानुसार संपत्ति का निरीक्षण कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया https://www.pnbindia.in; https://etender.pnbnet.in:8443; https://ibapi.in, https://eprocure.gov.in/epublish/app वेब साइट्स पर जाएं और / या **श्री समीर मोंगा - मुख्य प्रबंधक से संपर्क करें। - (मोबाइल नंबर 9816610262)**
उपर्युक्त नीलामी के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र / विस्तार की तिथि / स्पष्टीकरण केवल हमारी वेबसाइट **https://www.pnbindia.in** पर जारी किया जाएगा जो कि इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा नियमित रूप से देखी जा सकती है।

दिनांक: 16.03.2020
स्थान: नई दिल्ली

एस.के. मोंगा, मुख्य प्रबंधक
(मोबाइल नंबर-9816610262)

मिड कॉर्पोरेट शाखा
SyndicateBank सिंडिकेटबैंक
यू-16/73, 74, डीएलएफ, फेज-III, डीएलएफ सिटी, गुड़गाँव, हरियाणा-122010
फोन: 0124-2354447, ईमेल: br.8181@syndicatebank.co.in

(प्रारूप-X-II)
परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जो भी लागू हो) किया गया है, की मै. ओम साई एण्टरप्राईजेज प्रॉप्राइटर श्री रवि प्रकाश (ऋणधारक) तथा श्रीमती राजिन्दर कौर तथा श्रीमती मंजू कौर (गारन्टर) से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाए लागतों तथा ब्याज के साथ 30.06.2017 को रु. 2,06,23,573.54 (रुपए दो करोड़ छह लाख तैईस हजार पांच सौ तिहत्तर एवं पैसे चौवन मात्र) की वसूली के 31.3.2020 "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर बिक्री की जाएगी।
आरक्षित मूल्यः रु. 1,13,49,800.00 (रुपए एक करोड़ तेरह लाख उन्चास हजार आठ सौ मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 11,34,980 (रुपए ग्यारह लाख चौंतीस हजार नौ सौ अस्सी मात्र) है।

सम्पत्ति का विवरण
ग्राम नांगली सकरावती, खसरा नं. 230 का भाग, अर्जुन पार्क, नजफगढ़ रोड नई दिल्ली माप 325 वर्ग यार्ड्स (लगभग) में भूखंड सं 65, ब्लॉक ए, अजुर्न पार्क।
चौहद्दीः
उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः अन्य सम्पत्ति, पूर्वः रोड, पश्चिमः रोड
स्वामी का नामः श्रीमती राजिन्दर कौर, पत्नी अजीत सिंह (मार्टगैजर)

नियम एवं शर्तें
1. ईएमडी का भुगतान ऑन लाइन बोली जमा करने से पूर्व खाता सं. -81813020000026, सिंडिकेट बैंक, डीएलएफ फेज-III, शाखा आईएफएससी कोडः SYNB0008181 में क्रेडिट के लिये आरटीजीएस/ एनईएफटी/ निधि अंतरण द्वारा किया जायेगा। ईएमडी का भुगतान सिंडीकेट बैंक के पक्ष में देय गुड़गाँव- डीएलएफ फेज-III, (BIC-8181) शाखा में भुगतान योग्य पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी किया जा सकता है।
2. इच्छुक बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी, श्री सुशील कुमार जैन, मख्य प्रबंधक, सिंडीकेट बैंक डीएलएफ फेज-III, (BIC-8181) शाखा को संबोधित मुहरबंद लिफाफे में डीडी/ पीओ/ यूटीआर नं. का उल्लेख करते हुए एनईएफटी/ आरटीजीएस प्रेषण द्वारा ईएमडी के साथ विधिवत भरी गई बोली प्रपत्र (प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध) को इस तरह से जमा करना होगा ताकि वह 30.3.2020 को या उससे पूर्व पहुंच जाये। मुहरबंद लिफाफे के ऊपर मै. ओम साई की खाता में "ई-नीलामी बिक्री में भागीदारी के लिये बोली प्रपत्र" शीर्षांकित किया जायेगा।
3. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी सूचना के विवरणों के लिये वेबसाईट www.//syndicatebank.in देखें जिसमें ई-नीलामी बिक्री के सभी नियम एवं शर्तें दिये गये हैं। बोलीदाता सेवा प्रदाता की वेबसाईट भी देख सकते हैं अथवा किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरणों/ प्रश्नों के लिए उपरोक्त विवरणों के अनुसार उनसे सम्पर्क कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाता के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर, सक्रिय ई मेल आईडी तथा पैन नम्बर होना चाहिये।
5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/ निलंबित/ रद्द करने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिक्री के लिये नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का बिना कोई कारण बताए सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है।
6. यह बिक्री अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों तथा वेबसाईट में प्रकाशित विस्तृत नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.syndicatebank.in में दी गई लिंक देखें।
तिथिः 16.3.2020
स्थानः गुड़गाँव
प्राधिकृत अधिकारी

मिड कॉर्पोरेट शाखा
SyndicateBank सिंडिकेटबैंक
यू-16/73, 74, डीएलएफ, फेज-III, डीएलएफ सिटी, गुड़गाँव, हरियाणा-122010
फोन: 0124-2354447, ईमेल: br.8181@syndicatebank.co.in

(प्रारूप-X-II)
परिशिष्ट-IV-ए [नियम 8(6) का प्रावधान देखें
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना
एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारकों(कों) तथा गारन्टर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा रचनात्मक/भौतिक कब्जा (जो भी लागू हो) किया गया है, की मै. रॉयल, फ्रैग्रेन्सेस, प्रॉपराइटर श्री राजेन्दर सिंगला (ऋणधारक) तथा श्री सोमेश चौधरी (गारन्टर) से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाए लागतों तथा ब्याज के साथ 2.4.2016 को रु. 2,62,54,375.38 (रुपए दो करोड़ बासठ लाख चौवन हजार तीन सौ पचहत्तर एवं पैसे अड़तीस मात्र) की वसूली के 31.3.2020 को "जैसा है जहां है" तथा "जो भी वहां है" आधार पर बिक्री की जाएगी। सम्पत्ति के लिए (प्रत्येक तल पर चार फ्लैट) के लिए आरक्षित मूल्य भूतल के लिए रु. 992500.00 (रुपए नौ लाख बानवे हजार पांच सौ मात्र), प्रथम तल के लिए रु. 9,63,900/- (रुपए नौ लाख तिड़ेसठ हजार नौ सौ मात्र) तथा दूसरे तल के लिए रु. 9,49,725.00 (रुपए नौ लाख उन्चास हजार सात सौ पच्चीस मात्र) है।

सम्पत्ति का विवरण
"शाध" अपार्ट. ग्रुप हाउसिंग सोसायटी, निकट कश्मीरी कॉलोनी एवं मैन (इंडिया) गैस गोदाम, बीपीओः खैरा (विस्तारित लाल डोरा) खैरा-फिरनी रोड, तहसील नजफगढ़, नई दिल्ली-110043 में स्थित खसरा नं. 437 (4-4) के भाग की सम्पत्ति में 3/4 अविभाजित, इन्डिबायजेवल तथा इम्पार्टिवल स्वामित्व अधिकार, नीचे की भूमि में तथा स्टिल्ट में 12 कार पार्किंग एवं छत के सामूहिक अधिकार के साथ, कब्जा के स्वामी अधिकारों (किन्तु छत/टैरेस के अधिकार के बिना) के साथ सम्पूर्ण 3तल (यू, जी, एफ, एफ.एफ, एस.एफ) पर 12 "2 बीएचके" फ्लैटों से शामिल सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।
चौहद्दीः
उत्तरः रोड 16'6' फीट चौड़ा दक्षिणः 8 फीट चौड़ी गली, पूर्वः 15 फीट चौड़ा रोड, पश्चिमः 12 फीट चौड़ी गली
स्वामी का नामः श्री सोमेश चौधरी (मार्टगैजर)

नियम एवं शर्तें
1. ईएमडी का भुगतान ऑन लाइन बोली जमा करने से पूर्व खाता सं. -81813020000026, सिंडिकेट बैंक, डीएलएफ फेज-III, शाखा आईएफएससी कोडः SYNB0008181 में क्रेडिट के लिये आरटीजीएस/ एनईएफटी/ निधि अंतरण द्वारा किया जायेगा। ईएमडी का भुगतान सिंडीकेट बैंक के पक्ष में देय गुड़गाँव- डीएलएफ फेज-III, (BIC-8181) शाखा में भुगतान योग्य पे आर्डर/ डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भी किया जा सकता है।
2. इच्छुक बोलीदाता को प्राधिकृत अधिकारी, श्री सुशील कुमार जैन, मख्य प्रबंधक, सिंडीकेट बैंक डीएलएफ फेज-III, (BIC-8181) शाखा को संबोधित मुहरबंद लिफाफे में डीडी/ पीओ/ यूटीआर नं. का उल्लेख करते हुए एनईएफटी/ आरटीजीएस प्रेषण द्वारा ईएमडी के साथ विधिवत भरी गई बोली प्रपत्र (प्रपत्र उपरोक्त वेबसाईट पर उपलब्ध) को इस तरह से जमा करना होगा ताकि वह 30.3.2020 को या उससे पूर्व पहुंच जाये। मुहरबंद लिफाफे के ऊपर मै. रॉयल फ्रैग्रेन्सेस की खाता में "ई-नीलामी बिक्री में भागीदारी के लिये बोली प्रपत्र" शीर्षांकित किया जायेगा।
3. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि ई-नीलामी सूचना के विवरणों के लिये वेबसाईट www.//syndicatebank.in देखें जिसमें ई-नीलामी बिक्री के सभी नियम एवं शर्तें दिये गये हैं। बोलीदाता सेवा प्रदाता की वेबसाईट भी देख सकते हैं अथवा किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरणों/ प्रश्नों के लिए उपरोक्त विवरणों के अनुसार उनसे सम्पर्क कर सकते हैं।
4. इच्छुक बोलीदाता के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर, सक्रिय ई मेल आईडी तथा पैन नम्बर होना चाहिये।
5. प्राधिकृत अधिकारी को किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त करने अथवा बिक्री को स्थगित/ निलंबित/ रद्द करने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिक्री के लिये नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का बिना कोई कारण बताए सम्प्रभु अधिकार प्राप्त है।
6. यह बिक्री अधिनियम में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों तथा वेबसाईट में प्रकाशित विस्तृत नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.syndicatebank.in में दी गई लिंक देखें।
तिथिः 16.3.2020
स्थानः गुड़गाँव
प्राधिकृत अधिकारी

HDFC WITH YOU, RIGHT THROUGH
हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
उत्तरी क्षेत्र कार्यालय : द कैपिटल कोर्ट, मुनिरका, आउटर रिंग रोड, ओलोफ पाल्मे मार्ग, नई दिल्ली-110 067
दूरभाष: 011-41115111, कॉर्पोरेट पहचान संख्या: L70100MH1977PLC019916, वेबसाइट: www.hdfc.com

कब्जा सूचना

चूंकि, **हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारियों ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अधीन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन निम्नलिखित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों को एक मांग सूचना जारी की जिसमें उनके नामों के सम्मुख दर्शाई गई राशि और कथित सूचना में दर्शाये गए विवरण के अनुसार लागू दर पर ब्याज तथा भुगतान की तिथि और / या वसूली तक प्रासंगिक व्यय, लागत एवं प्रभार आदि के साथ राशि को कथित मांग सूचना(ओं) की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा गया।

क्र. सं.	कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों का नाम / ऋण खाता संख्या	बकाया राशि	मांग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि	अचल सम्पत्ति / प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण
1.	श्री ए एस सचदेव एवं श्रीमती परमीत सचदेव ऋण खाता सं. 618844859	30 नवम्बर, 2019* को बकाया रु. 58,27,084 /-, (केवल अट्ठावन लाख सत्ताईस हजार चौरासी रुपए)	17 दिसम्बर, 2019	13 मार्च 2020 (भौतिक)	फ्लैट नं. 202, दूसरी मंजिल, टॉवर 29, श्री सी लोटस पांचे, प्लॉट जीएच-05, सैक्टर 110, सैक्टर 110, नोएडा, उत्तर प्रदेश निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
2.	डॉ0 मुकेश कुमार ऋण खाता सं. 621506549 व 620896381	30 नवम्बर, 2019* को बकाया रु. 57,66,658 /-, (केवल सत्तावन लाख छियासठ हजार छह सौ अट्ठावन रुपए)	20 दिसम्बर, 2019	13 मार्च 2020 (भौतिक)	फ्लैट न. ए एम-102, पहली मंजिल जन सेवक को-ऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाईटी लिमिटेड जिसे अभिमन्यु अपार्टमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है, प्लॉट 65, वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली निचली भूमि पर अविभाजित आनुपातिक हिस्से के साथ।
3.	श्री राहुल ममगई, श्री हरीश चन्द्र एवं श्रीमती अनिता चन्द्र ऋण खाता सं. 613836464	30 अप्रैल, 2019* को बकाया रु. 32,26,278 /-, (केवल बत्तीस लाख छब्बीस हजार दो सौ अठहत्तर रुपए)	31 मई, 2019	13 मार्च 2020 (भौतिक)	फ्लैट नं. 302, (एम.आई.जी.), दूसरी मंजिल (छत के अधिकार सहित) प्लॉट न. 6/66, सैक्टर-6, वैशाली, तहसील और जिला गाजियाबाद- 201010, उत्तर प्रदेश स्थित, कवर्ड एरिया 45 वर्ग मीटर और उस पर वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण।
4.	श्रीमती पूजा तिवारी ऋण खाता सं. 606564052	31 जुलाई, 2019* को बकाया रु. 49,57,750 /-, (केवल उनचास लाख सत्तावन हजार सात सौ पचास रुपए)	28 अगस्त, 2019	14 मार्च 2020 (भौतिक)	सीएच-1204, 12वीं मंजिल, ब्लॉक I, आदित्या सेलिब्रिटी होम्स, प्लॉट नं. जीएच-01/बी, सैक्टर 76, नोएडा, उत्तर प्रदेश और उस पर वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण।
5.	मैसर्स भामा प्रोपर्टीज प्रा. लि., श्री नवनीत कुमार सुरेका, श्री विष्णु कुमार सुरेखा, श्रीमती दीपा सुरेखा, श्रीमती प्रेम लता सुरेखा एवं मैसर्स मौर्या उद्योग लि. ऋण खाता सं. 615619108 व 604354582	30 नवम्बर, 2019* को बकाया रु. 21,50,80,004 /-, (केवल इक्कीस करोड़ पचास लाख अस्सी हजार चार रुपए)	30 दिसम्बर, 2019	13 मार्च 2020 (प्रतीकात्मक)	गाँव रजोकरी, तहसील महरौली, नई दिल्ली में खसरा सं. 921/1 मिन. (1-9), 922 (5-5), 923 (5-6) स्थित भूमि और भवन का एक-एक हिस्सा जिसका कुल माप 12 बीघा है और उस पर वर्तमान एवं भविष्य में निर्माण।

*भुगतान और / या वसूली की तिथि तक लागू ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के रूप में आगे ब्याज के साथ।
तथापि, उपरोक्त वर्णित कर्जदार बकाया राशि का भुगतान करने में असफल रहे। विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि एचडीएफसी लि. के प्राधिकृत अधिकारियों ने अधिनियम की धारा 13(4) के पठित कथित अधिनियम के नियम 8 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 1, 2, 3 और 4 की अचल परिसम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **भौतिक कब्जा** तथा उपरोक्त वर्णित क्र.सं. 5 की अचल परिसम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों पर **प्रतीकात्मक कब्जा** ले लिया है।
विशेषतः उपरोक्त वर्णित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शाई गई अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का किसी भी तरह से लेनदेन न करें और कथित अचल सम्पत्तियों / प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का कोई भी लेनदेन हाउसिंग डेवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि. के अधीन होगा।
प्रतिभूत संपत्ति (संपत्तियां) वापस लेने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों / कानूनी प्रतिनिधियों का ध्यान कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।
तैयार पंचनामा और बनाई गई इन्वेंट्री की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध हैं। कथित कर्जदारों / कानूनी उत्तराधिकारियों और कानूनी प्रतिनिधियों से आग्रह है कि संबंधित प्रति अधोहस्ताक्षरी से किसी कार्य दिवस में सामान्य कार्य अवधि में प्राप्त कर लें।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 16.03.2020

कृते हाउसिंग डिवेलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लि.
ह0/-
प्राधिकृत अधिकारी

पंजीकृत कार्यालयः रेमन हाउस, एच.टी. पारेख मार्ग, 169, बैकबे रीक्लेमेशन, चर्चगेट, मुंबई-400 020

ANTONY WASTE HANDLING CELL LIMITED

Registered Office: 1403, 14th Floor, Dev Corpora Building, Opp. Cadbury Company, Eastern Express Highway, Thane - 400 601, Maharashtra, India;
Corporate Office: 1402 and 1404, 14th Floor, Dev Corpora Building, Opp. Cadbury Company, Eastern Express Highway, Thane - 400 601, Maharashtra, India; **Contact Person:** Harshada Rane, Company Secretary and Compliance Officer; **Telephone:** +91 (22) 4100 9295; **Email:** investor.relations@antonyasia.com; **Website:** www.antony-waste.com; **Corporate Identity Number:** U90001MH2001PLC130485

PROMOTERS OF OUR COMPANY: JOSE JACOB KALLARAKAL, SHIJU JACOB KALLARAKAL AND SHIJU ANTONY KALLARAKKAL

PUBLIC ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH (THE "EQUITY SHARES") OF ANTONY WASTE HANDLING CELL LIMITED (OUR "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SECURITIES PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) (THE "ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (THE "ISSUE") CONSISTING OF A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 350 MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 5,700,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION COMPRISING UP TO 1,390,322 EQUITY SHARES BY LEEDS (MAURITIUS) LIMITED AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, UP TO 2,085,502 EQUITY SHARES BY TONBRIDGE (MAURITIUS) LIMITED AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION, UP TO 769,917 EQUITY SHARES BY CAMBRIDGE (MAURITIUS) LIMITED AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION AND UP TO 1,454,259 EQUITY SHARES BY GUILDFORD (MAURITIUS) LIMITED AGGREGATING UP TO [•] MILLION (THE "SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE SELLING SHAREHOLDERS, THE "OFFERED SHARES") ("OFFER FOR SALE"). THE ISSUE WILL CONSTITUTE [•] % OF THE FULLY DILUTED POST ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

PUBLIC NOTICE

This is in relation to proposed Issue of the Company which opened for subscription on March 4, 2020 and was scheduled to close on March 16, 2020. We would like to inform you that due to prevailing market conditions, the Company in consultation with the Selling Shareholders and Equirus Capital Private Limited (the "**BRLM**") has decided to withdraw the Issue, pursuant to resolution passed by the IPO Committee on March 16, 2020.
The refund to the Anchor Investor and the blocked amount in the ASBA accounts of the ASBA Bidders shall be unblocked, in compliance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulation 2018, as amended from time to time and in accordance with the Red Herring Prospectus dated February 26, 2020 (the "**RHP**") filed with the Registrar of Companies, Mumbai, Securities and Exchange Board of India and BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited. Investors may contact the Company Secretary and Compliance Officer and/or the BRLM or the Registrar to the Issue incase of any post-Issue related matters at the following address:-

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE ISSUE
Equirus	LINK Intime
Equirus Capital Private Limited 12th Floor, C Wing, Marathon Futurex, N.M. Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 **Telephone:** +91 (22) 4332 0600 **Website:** www.equirus.com **Email:** awhcl.ipo@equirus.com **Contact person:** Pavan Naik / Gaurav Phadke **Investor Grievance Email:** investorsgrievance@equirus.com **SEBI Registration Number:** INM000011286	**Link Intime India Private Limited** C-101, 247 Park, L.B.S. Marg, Vikhroli (West), Mumbai - 400 083 **Telephone:** +91 (22) 4918 6200 **Website:** www.linkintime.co.in **E-mail:** antony.ipo@linkintime.co.in **Contact person:** Shanti Gopalkrishnan **Investor Grievance Email:** antony.ipo@linkintime.co.in **SEBI Registration Number:** INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

For **ANTONY WASTE HANDLING CELL LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Managing Director

Place : Mumbai
Date : March 16, 2020

Adfactors 482

www.readwhere.com

आरोपमुक्त करने की बिशप की याचिका खारिज

कोट्टयम (केरल), 16 मार्च (भाषा)।

यहां की एक निचली अदालत ने नन से बलात्कार के आरोपी बिशप फ्रैंको मुलक्कल के आरोपमुक्त करने संबंधी आवेदन को सोमवार को खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला व सत्र अदालत एक के समक्ष दायर याचिका में मुलक्कल ने दावा किया है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने का कोई मामला नहीं बनता है।

कोरोना वायरस से कई शहरों में ठहर गया संगठित खुदरा क्षेत्र : एनरॉक

बंगलुरु, 16 मार्च (भाषा)।

कई राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बड़े शहरों में मॉल तथा मल्टीप्लेक्स को फिलहाल बंद करने का निर्णय लिया है। इससे उन शहरों में संगठित खुदरा क्षेत्र में पूरी तरह से ठहराव आ गया है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।

संपत्ति को लेकर परामर्श देने वाली कंपनी एनरॉक रिटेल ने एक बयान में कहा कि अमदाबाद, बंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली-एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे में 126 मॉल हैं। ये मॉल सम्मिलित तौर पर 6.1 करोड़ वर्गफुट से अधिक में बने हुए हैं। इनमें से 100 से अधिक मॉल में मल्टीप्लेक्स भी हैं।

एनरॉक रिटेल के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुज केजरीवाल ने एक बयान में कहा, 'जहां भी इस तरह की रोक के निर्णय लिए गए हैं, वहां ढेर सारे प्रतिष्ठानों का परिचालन बंद करने की जरूरत पड़ी है। इन प्रतिष्ठानों को कुछ ही दिन के लिए बंद करने के भी गंभीर वित्तीय परिणाम होंगे।' हालांकि उन्होंने कहा, 'ऐसी जगहों पर बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर जिस तरह का संकट उपस्थित हुआ है, नुकसान कम करने के लिए इन जगहों को बंद करने का निर्णय अपरिहार्य हो जाता है।'

ब्रिज एंड रूफ क. (इंडिया) लि.

(भारत सरकार का उपक्रम)

CIN No. U27310WB1920GOI003601

"कंकड़िया सेन्टर", (4था एवं 5वाँ तल), 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता-71

ई-निविदा आमंत्रण सूचना (इएनआइटी) नं.: बीएंडआर/एचओ/ईआरई/40079/कोल्ड इंसुल/पारादीप/एनआईटी/01, तिथि: 17.03.2020

आइओसीएल साउथ आयल जट्टी एरिया एवं एलपीजी टर्मिनल, पारादीप, उड़ीसा में प्रॉडक्ट्स के कोल्ड इन्स्युलेशन कार्य, यूटिलिटी एवं अग्नि शमन पाइप लाइन के कार्यान्वयन के लिये प्रख्यात्, साधन-सम्पन्न तथा अनुभवी एजेंसियों से दो भाग की बोली प्रणाली में ऑन लाइन एकल प्रतिशत दर प्रस्ताव आमंत्रित है। इच्छुक बोलीदाता को सरकार की ई-प्रापण प्रणाली में सूचीकरण एवं पंजीकरण कराना होगा तथा http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर लॉगिंग के माध्यम से निविदा दस्तावेज डाउनलोड करना होगा।

शुद्धिपत्र/संवर्धन, यदि कोई हो कम्पनी की वेबसाईट http://www.bridgeroof.co.in तथा सीपीपी पोर्टलः http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ही प्रकाशित की जायेगी।

COURT NOTICE

In the court of Shaminder pal singh Judicial magistrate first class-6, Jalandhar

CNR NO:PBJL03-006596-2019

NEXT DATE: 20-05-2020

BASTI BAWA KHEL

Satpal

V/s

Happy Sports

Publication Issued To: Happy Sports R/o Prop Hsyed Yousef 13/3 Wallajah Road, Chepak Chennai 600002, H. Syed Yousef Prop M/s Happy Sports 13/3, Wallajah Road Chepak Chennai 600002

If above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on **20-05-2020** at 10.00 a.m. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Jalandhar

Judicial magistrate first class-6 Jalandhar

COURT NOTICE

In the court of Sh. Devnoor Singh Judicial magistrate- 1st class, ludhiana

Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC

Complaint R/w sec -138 of N. I ACT

CNR NO:PBLD03-013687-2019

PESHI: 18-04-2020

Nahar Poly Films

V/s

M/s Sthuthi Enterprises

Notice to:1. M/s sthuthi enterprises#3-51, near ram mandir, chowti saroor nagar, hyderabad-500035 2. Nagraj partner m/s sthuthi enterprises#3-51, near ram mandir, chowti saroornagar, hyderabad-500035 3. Ajay kumar partner sthuthi enterprises#3-51, near ram mandir, chowti saroornagar, hyderabad-500035

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 18-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Devnoor singh Judicial magistrate-1st class, ludhiana

Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC

Complaint R/ w sec-138 of N. I. ACT

CNR NO:PBLD03-078046-2018

PESHI: 13-04-2020

Gopal Sankhla

V/s

Jitendra Kumar Nirban

Notice To: Jitendra Kumar Nirban S/o Sh. Roop Chand, R/o Add-d-1, FIT, JJ Colony, Camp No.2, Nagloi, New Delhi.

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you,the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on **13-04-2020** at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC LUDHIANA

COURT NOTICE

In the court of Sh. Devnoor Singh Judicial magistrate- 1st class, ludhiana

Publication notice for proclamation under section 82 CR.PC

Complaint R/w sec -138 of N. I ACT

CNR NO:PBLD03-022376-2019

PESHI: 15-04-2020

Nahar poly films V/s M/s sunraj plastics Notice to:1. M/s sunraj plastics,110 ground floor, shantinagar, near anajana farm, Umarwada, surat-395010(gujarat). 2. Partner m/s sunraj plastics,110 ground floor, shantinagar, near anajana farm, Umarwada, surat-395010(gujarat) [illegible]

Whereas it has been proved to the satisfaction of the court that you, the accused above named cannot be served in the ordinary way of service. Hence, this proclamation under section 82 CRPC is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 16-04-2020 at 10.00 a.m. Or within 30 days from the date of publication of this proclamation. Take notice that, in default of your part to appear as directed above, the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. Given under my hand and the seal of the court. For details logon to: https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=ludhiana

JMIC LUDHIANA

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI

नई दिल्ली ओवरसीज शाखा, जी 40, आउटर सर्किल, कनॉट प्लेस नई दिल्ली-110001, फोन- 011-23357605, 23326819

परिशिष्ट- IV नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन **नई दिल्ली ओवरसीज शाखा (बैंक ऑफ इंडिया)**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार **मैसर्स के पी इंटरनेशनल, इसके पार्टनर श्री प्रवेश तलवार, श्रीमती मीरा तलवार, श्री कृष्ण कुमार पुरी और गारंटर श्रीमती प्रेम तलवार** को मांग सूचना दिनांकित 06.01.2020 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **313.42** लाख (रुपये तीन सौ तेरह लाख ब्यालीस हजार मात्र) उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये हैं, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **13.03.2020** को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते रु. **313.42** लाख (रुपये तीन सौ तेरह लाख ब्यालीस हजार मात्र) और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं कि उपरोक्त ऋण के अलावा, जिसके लिए रु. 313.42 लाख का नोटिस दिनांक 06.01.2020 को जारी किया गया था, यह संपत्ति हमारे बैंक की कनॉट सर्कस शाखा के साथ श्री प्रवेश तलवार के हाउसिंग ऋण में भी बंधक है (रु. 34.42 लाख के वर्तमान बकाया के साथ हाउसिंग ऋण स्वीकृति की लिमिट रु. 55.00 लाख है)

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी सम्पत्ति राईट साईड फ्लैट प्रा. नं. 1st-B प्रथम तल (बिना छत्त / टैरेस अधिकार के) प्लॉट नं. 20, ब्लॉक 60, प्रभात रोड, रामजस रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में स्थित, यह सम्पत्ति श्री प्रवेश तलवार और श्रीमती मीरा तलवार के नाम पर है। क्षेत्रफल 2296 वर्ग फीट (स्टिल्ट पर कवर्ड क्षेत्रफल 396 वर्ग फीट के साथ) चौहद्दी : उत्तर में – सर्विस लेन, दक्षिण में – रोड, पूरब में – प्रोप. नं. 19, पश्चिम में – शेष हिस्सा / सामने फ्लैट

दिनांक : 13.03.2020, स्थान : नई दिल्ली संगीता खोसला, सहायक महाप्रबंधक/प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया,

---

फार्म नं. आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

और

आर के एच टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U72900DL2000PTC106586)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **सी -5/40, दूसरी मंजिल, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली -110016** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, का विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु **02 मार्च 2020** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **सी -5/40, दूसरी मंजिल, सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया, नई दिल्ली -110016** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **आर के एच टैक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड**

ऋषि बई (निदेशक)

दिनांक: 17 मार्च 2020

स्थान: नई दिल्ली

डीआईएन: 02989228

फार्म नं. आईएनसी-26

(कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में)

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

और

पेट्रोकेयर लुब्रिकेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U24304DL2016PTC301529)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **केएच. नं. 844 और 845, पहली मंजिल, मौर्य एनक्लेव, गली -1, लाल डोरा गांव, बुराड़ी, लैंडमार्क स्वीटी प्रोप के पास, दिल्ली -110084** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, एक विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"मध्य प्रदेश राज्य"** में बदलने हेतु **12 फरवरी 2020** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **केएच. नं. 844 और 845, पहली मंजिल, मौर्य एनक्लेव, गली -1, लाल डोरा गांव, बुराड़ी, लैंडमार्क स्वीटी प्रोप के पास, दिल्ली -110084** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **पेट्रोकेयर लुब्रिकेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड**

रोशन सिंह (निदेशक)

दिनांक: 17 मार्च 2020

स्थान: दिल्ली

डीआईएन: 07489394

पूर्व रेलवे

निविदा सं. : ईएलईजी-ओटी-753-2019-20-आर, दिनांक 11.03.2020। वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता/(सामान्य), पूर्व रेलवे, सियालदह, दूसरी मंजिल, रिमोट कंट्रोल बिल्डिंग, कोलकाता 700014 द्वारा निम्नलिखित कार्य के निष्पादन के लिए नीचे उल्लिखित ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। **कार्य का विवरण :** 03 वर्षों के लिए एसएसई/ई(जी)/एसडीएएच। के क्षेत्राधिकार के अधीन ड्राइवर के साथ 24 घंटे के लिए 2 टन क्षमता वाला सामग्री प्रबंधन वाहन किराए पर लेना। **निविदा मूल्य :** रु. 16,66,742.40। **बयाना राशि :** रु. 33,300/-। **निविदा जमा शुरू होने की तारीख :** 24.03.2020। **निविदा जमा करने की अंतिम तारीख :** 07.04.2020 को अपराह्न 2.00 बजे। **निविदा बोली खुलने की तारीख :** 07.04.2020 को अपराह्न 2.00 बजे के उपरांत। निविदा सूचना का विस्तृत विवरण एवं समय-समय पर जारी संशोधनों वेबसाइट **www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है।

SDAH-313/2019-20

निविदा सूचना वेबसाइट : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

ई-निविदा सूचना सं. : आरई-केकेके-सिग-आरपीएच-जीआरएच-ओटी-48, दिनांक: 08.03.2020। उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता/भुवनेश्वर, रेलवे विद्युतीकरण, 11, कॉन्वेंट लेन, बेलियाघाटा, कोलकाता-700015 द्वारा नीचे उल्लिखित कार्यों के लिए पात्रता के वांछित मानदंड को पूरा करने वाले निविदादाताओं से वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर ई-बोलियां आमंत्रित की जाती हैं : **कार्य का नाम साथ में उसका स्थान :** 25 केवी एसी ट्रैक्शन के लिए उपयुक्त उप मुख्य संकेत एवं दूरसंचार अभियंता, रेलवे विद्युतीकरण, भुवनेश्वर के अधीन पूर्व रेलवे के हावड़ा एवं आसनसोल मंडलों के रामपुरहाट-देवघर खंड अनुभाग तथा मधुपुर-गिरिडीह अनुभाग में एलसी गेटों पर एसएसएलएस के प्रावधान तथा स्टेशनों के पीआई/ईआई/आरआरआई के बदलाव के संबंध में खड्डों की खुदाई तथा भूमिगत सिग्नलिंग केबलों/पावर केबलों को बिछाना, नींव डालना, कुछ उपकरणों/सामग्रियों की आपूर्ति, एपरेटस केसों की स्थापना तथा उपकरणों की फिटिंग, वायरिंग, जांच तथा चालू करना। **अनुमानित लागत :** रु. 6,21,25,015.48। **ईएमडी:** रु. 4,60,600। **निविदा बंद होने की तारीख एवं समय :** 03.04.2020 को अपराह्न 2.00 बजे तक। **खुलने की तारीख एवं समय :** 03.04.2020 को अपराह्न 2.00 बजे। उपरोक्त ई-निविदा के ई-निविदा दस्तावेज के साथ परिपूर्ण जानकारी वेबसाइट : **http://www.ireps.gov.in** पर उपलब्ध है। इस निविदा के जारी किए जाने वाले किसी भी बदलाव/संशोधन को नोट करने के लिए प्रत्याशित निविदादाताओं को निविदा के बंद होने की तारीख से चौदह दिन पहले वेबसाइट पुनः देखने की सलाह दी जाती है। वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in.**

MISC-362/2019-20

निविदा सूचना वेबसाइट : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in पर भी उपलब्ध है

सूचना

सूचित किया जाता है कि श्री आशीष कुमार सेन, सुपरवाइजर (सिविल) कोड सं. 22057 दिनांक 16.08.2019 से बिना कोई सूचना दिये, ड्यूटी से गायब हैं। कई बार आपके पते पर पत्र भेजा गया, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। यदि आप 15 दिन के अन्दर कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए, तो आपकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

प्रबन्ध निदेशक

कृभको फर्टिलाइजर्स लिमिटेड

पिपरोला, शाहजहाँपुर

फार्म नं. आईएनसी-26

[कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा13(4) और कम्पनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(5) (ए) के मामले

और

जेएचएम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

(CIN: U45200DL2007PTC159762)

जिसका पंजीकृत कार्यालय : **फ्लैट नंबर 869, सैक्टर -19, पॉकेट-3, द्वारका, नई दिल्ली -110075** में है, के मामले में

....आवेदक कंपनी / याचिकाकर्ता

एतद्द्वारा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन लाने हेतु पुष्टिकरण के लिए केंद्र सरकार को आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव किया है, यह विशेष प्रस्ताव एक असाधारण आम बैठक में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय को **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"पश्चिम बंगाल राज्य"** में बदलने हेतु **शुक्रवार, 14 फरवरी 2020** को पारित किया गया।

यदि किसी व्यक्ति का हित कंपनी के इस पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्रपत्र फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** में शिकायत दर्ज करें अथवा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित / विपक्ष के आधार हों, कारण देते हुए, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, बी-2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली-110003 को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें तथा इसकी एक कॉपी आवेदक कम्पनी को इसके पंजीकृत कार्यालय **फ्लैट नंबर 869, सैक्टर -19, पॉकेट-3, द्वारका, नई दिल्ली -110075** पर इस सूचना के छपने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर भेज दें।

कृते **जेएचएम डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड**

उत्तम अग्रवाल (निदेशक)

दिनांक: 17 मार्च 2020

स्थान: नई दिल्ली

डीआईएन: 01673305

आईबीसी, 2016 के अंतर्गत बिक्री सूचना

आर्चिड सैलून सर्विसेस प्रा.लि. (परिसमापन में)

पंजी. कार्यालय: 14 बी, शिव शक्ति अपार्टमेन्ट्स, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075

आदेश तिथि 10.01.2020 के द्वारा माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ कोर्ट II द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाली ऑर्चिड सैलून सर्विसेस प्रा.लि. (परिसमापन में) की परिसम्पत्तियों तथा सम्पत्तियों की बिक्री आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 32(ए) के अनुसार "जैसा है जहां है" तथा "जो कुछ भी वहां है" आधार पर बिक्री की जायेगी।

सम्पत्ति का विवरण	बिक्री का तरीका	निरीक्षण तिथि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (लाखों में)	दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा	ईएमडी राशि	बोली वृद्धि राशि
1. स्विफ्ट बीडीआई कार, जन. 2015 डीजल मॉडल	स्टैंडएलॉन आधार पर परिसम्पत्तियों की बिक्री	22.3.2020	26.3.2020 को 11.30 पूर्वा. से 3.30 अप.	2.25	24.3.2020	25000/-	रु. 5000

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफार्मः http://eauctions.org द्वारा की जायेगी।

1. इच्छुक आवेदक ऑन लाइन ई-नीलामी के नियमों एवं शर्तों, ई-नीलामी बोली प्रपत्र, योग्यता मानदंड, बोलीदाताओं द्वारा उद्घोषणा, ईएमडी के विवरणों से शामिल सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज (निविदा दस्तावेज) सेवा प्रदाता के वेब पोर्टल अर्थात् Claim-Bridge Technologies पर उपलब्ध है। ई-नीलामी के विवरणों के लिये सम्पर्क करेंः श्री अंकित, एम-9873694065, ई-नीलामी प्लेटफार्मः https://eauctions.org अथवा कम्पनी की वेबसाईट https://orchidsalonservices.wordpress.com/ अथवा परिसमापक, एम-9810060524
2. परिसमापक को बिना कोई कारण बताये किसी भी समय ई-नीलामी को स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा उसके नियमों एवं शर्तों में परिवर्तन करने तथा किसी भी बोली को निरस्त करने का अधिकार है।

हस्ता./-

तिथिः 15.3.2020 राकेश कुमार जैन, परिसमापक

स्थानः नई दिल्ली IBBI/IPA-002/IP-N00053/2017-18/10105

पंजाब एण्ड सिंध बैंक

(भारत सरकार का उपक्रम)

जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

शाखा: चावड़ी बाजार, हौज काज़ी, दिल्ली-110006

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन ऐक्ट 2002 (2002 का 54) के तहत **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** का प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्जदारों / गारंटरों को निम्नलिखित दिनांकों को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करने को कहा गया था।

उधारकर्ताओं / गारंटरों उक्त राशि का भुगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतद्द्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत निम्नलिखित दिनांक को ले लिया है।

उधारकर्ताओं / गारंटरों को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिये सावधान किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन-देन **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	प्रभारित / बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तारीख / कब्जा सूचना की तारीख	बकाया राशि (रु. में)
उधारकर्ता श्री मोह. शमीम सह उधारकर्ता श्रीमती तरन्नुम परवीन गारंटरः श्री अनिल कपूर	सम्पत्ति पर मालिकाना : श्री मोह. शमीम और श्रीमती तरन्नुम प्रवीन सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि रिहायशी फ्लैट नं. एफ-1, प्रथम तल, सामने की तरफ एमआईजी टाईप, कवर्ड क्षेत्रफल 65.03 वर्ग मी., प्रथम तल, सम्पत्ति नं. 66, ब्लॉक बी-1, गाँव बेहरामपुर, भोपुरा, डीएलएफ दिलशाद गार्डन II, लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित.	22-07-2019 / 12-03-2020	रु. 18,21,940.26 दिनांक 30.06.2019 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित।
उधारकर्ता 1. श्री संजय कुमार 2. श्रीमती अनुराधा गारंटरः श्री योगेन्द्र कुमार	सम्पत्ति पर मालिकाना : श्रीमती अनुराधा सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि द्वितीय तल छत के स्तर तक, सम्पत्ति नं. 1/5541-ए का हिस्सा, क्षेत्रफल 70 वर्ग गज, खसरा नं. 172, गाँव सिकदरपुर क्षेत्र में, आबादी बलबीर नगर इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित	17-09-2018 / 12-03-2020	रु. 23,85,743.50 दिनांक 17.09.2018 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित।

दिनांक 12.03.2020, स्थान : गाजियाबाद, यू.पी. प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

DEMAND NOTICE 13(2) OF SECURITISATION ACT2002

शाखा कार्यालयः गाँव सेहानी, मेरठ रोड, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विवरण नीचे दिया गया हैः**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
कर्जदारः 1) **श्री सुशील दास, पुत्र श्री युसुफ दास** 2) **श्रीमती कान्ता दास, पत्नी श्री सुशील दास, दोनों का पताः** सी-47, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र. **साथ हीः** सी-9, गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.	ग्राम गरिमा गार्डन कॉलोनी हदबस्त, ग्राम पसोण्डा, जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित **सुश्री कान्ता दास, पत्नी श्री सुशील दास** के नाम में मकान सं. प्लॉट नं. सी-9 का ए-भाग, खसरा नं. 311 मिन, क्षेत्रफल 20.90 वर्ग मी. में तीन मंजिला भवन में भूमि का सभी भाग तथा हिस्सा का इक्विटैबल मार्टगैज। **चौहद्दीः** **उत्तरः** रोड, **दक्षिणः** प्लॉट नं. सी-9 का भाग **पूर्वः** प्लॉट नं. सी-9 का भाग **दक्षिणः** प्लॉट नं. सी-9 का भाग	**एनपीए तिथिः** 29.12.2019 **को** 2.1.2020 **को हमारी बकाया रु.** 2098501.80 (जो मूलधन तथा इस सूचना की तिथि को ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है।)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत पूर्व में जारी सभी सूचनाएं वापिस ली जाती हैं।

स्थानः गाज़ियाबाद, उ0प्र0 प्राधिकृत अधिकारी,

दिनांकः 02.01.2020 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद, उ0प्र0।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911

DEMAND NOTICE 13(2) OF SECURITISATION ACT2002

शाखा कार्यालयः गाँव सेहानी, मेरठ रोड, गाज़ियाबाद, उ0प्र0

यह मांग सूचना वित्तीय परिसम्पत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत एतद्द्वारा कर्जदारों / गारंटरों को उनकी गारंटी में दी गई ऋण सुविधा की बकाया राशि का भुगतान इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए जारी की गई है। यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत इस सूचना के संदर्भ में नीचे वर्णित राशि और उस पर आगे ब्याज और प्रासंगिक व्यय, लागत आदि का भुगतान करने में असफल रहते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) और अन्य लागू प्रावधान के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी या किसी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचना दी जाती है कि आप बिना बैंक की लिखित अनुमति लिये इस सूचना में नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री, पट्टे पर देने या अन्य लेनदेन नही कर सकते है। **बकाया राशि के साथ खाता और प्रतिभूत परिसम्पत्तियो का विवरण नीचे दिया गया हैः**

अचल सम्पत्ति की अनुसूची एवं अन्य विवरण

कर्जदार/गारंटर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति का विवरण	13(2) सूचना की तिथि एवं राशि
कर्जदारः 1) श्री शिवा नंद गौतम एवं 2) श्रीमती वैशाली गौतम, पत्नी श्री शिवा नंद गौतम, दोनों का पताः मकान सं. 139, गली नं. 13, बलवीर नगर एक्स्टें., शाहदरा, दिल्ली-110032 साथ हीः सम्पत्ति सं. ई-70, प्लॉट नं. 38, गली नं. 1, चन्दर लोक मंडोली रोड, विश्वकर्मा मंदिर के निकट, शाहदरा, दिल्ली-110093	चन्दर लोक, गली नं. 1, चन्दर लोक, मंडोली रोड, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110093 की आबादी में ग्राम सिकदरपुर में स्थित सम्पत्ति सं. ई-70, प्लॉट नं. 38 पर निर्मित जिसका क्षेत्रफल 41.80 वर्ग मी. है, खसरा नं. 550 में स्थित सम्पत्ति में अंतिम मंजिल तक ऊपरी निर्माण के अधिकार के साथ, जो श्रीमती वैशाली गौतम, पत्नी श्री शिवानंद गौतम के नाम में है, के सभी भाग तथा हिस्से का इक्विटैबल मार्टगैज। चौहद्दीः उत्तरः गली 10 फीट चौड़ा दक्षिणः अन्य की सम्पत्ति पूर्वः प्लॉट नं. 39 पश्चिमः प्लॉट नं. 36 एवं 37	एनपीए तिथिः 29.12.2019 को। 29.12.2019 को हमारी बकाया रु. 49,09,156.47 (जो मूलधन तथा इस सूचना की तिथि को देय ब्याज का प्रतिनिधित्व करता है)

आपका ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम के अनुच्छेद (13) के उप-अनुच्छेद (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के अंतर्गत पूर्व में जारी हमारी सभी सूचनाएं वापिस ली जाती हैं।

स्थानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी,

दिनांकः 02.01.2020 सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेहानी, गाजियाबाद, उ0प्र0।

PYRAMID INFRATECH PVT LTD

ALTIA

3 BHK ₹ 26 Lakhs onwards | Sector 70, Gurugram

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख रुपये की सब्सिडी

टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल : https://pmaymis.gov.in

HRERA REGISTERED

शहर एवं ग्राम्य नियोजन विभाग, हरियाणा सरकार की दिनांक **19/08/2013** की अधिसूचना स **PF-27/48921** एवं दिनांक **22/07/2015** अधिसूचना सं. **PF/27/2015/SECY/211** और उसमें संशोधन के अनुसार उल्लिखित नीति के नियमों और शर्तों पर विकसित किए जा रहे अफोर्डेबल ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत आवासीय अपार्टमेंट की बुकिंग के लिए सर्वसाधरण से आवेदन आमंत्रित किए जाते है। (विवरण विभागीय वेबसाईट **www.tcpharyana.gov.in** पर उपलब्ध है)

प्रोजेक्ट के विवरण

प्रोजेक्ट को प्राप्त स्वीकृति	कॉलोनाइजर / **डेवलपर: पिरामिड ड्रीम होमस एल. एल. पी.** लाइसेंस नं **109, 2019** दिनांक **11.09.2019** रेरा सं. **RC/REP/HARERA/GGM/394/126/2020/10** दिनांक **16.03.2020** प्रोजेक्ट स्वीकृति (भवन योजना) दिनांक **25.02.2020** वाइड मेमो सं **ZP-1355/JD(RD)/2020/5074**
स्थान	सेक्टर 70, गुरुग्राम, हरियाणा
प्रोजेक्ट के क्षेत्रफल संबंधी	प्रावधान: विक्रय मूल्य (कार्पेट एरिया पर) – 4000/- प्रति स्क्वायर फुट (बालकनी मूल्य अतिरिक्त 500/- प्रति स्क्वायर फुट) हाउसिंग स्किम के अंतरतगत 5.5625 एकड़ में कुल 818 अपार्टमेंट उपलब्ध हैं जिनमें से 95%(प्रतिशत) अपार्टमेंट आवेदकों के लिए उपलब्ध है, तथा 5%(प्रतिशत) अपार्टमेंट मैनेजमेंट कोटा(MQ) के लिए रिज़र्व हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पालिसी 2013 के अंतरतगत समुदाय सुविधाएं - एक सामुदायिक भवन और एक आगनवाड़ी-सह-क्रेच। खुली जगह, लिफ्ट, दो पहिया वाहन पार्किंग

अपार्टमेंट के विवरण, आवंटन दर और भुगतान के नियम

सं	कैटेगरी	टाइप	यूनिट संख्या	कार्पेट एरिया वर्गफुट (लगभग)	बालकनी एरिया वर्गफुट (लगभग)	विक्रय मूल्य (₹)	आवेदन के साथ बुकिंग राशि (5)
1.	3BHK	A	270	643.65	98.00	26,23,600	1,31,180
2.	3BHK	B	280	645.25	75.40	26,18,700	1,30,935
3.	1BHK	A	112	314.55	53.28	12,84,840	64,242
4.	1BHK	B	58	337.11	56.51	13,76,695	68,835
5.	1BHK	C	58	342.42	53.28	13,96,320	69,816
6.	3BHK (MQ)*	A	20	643.65	98.00	26,23,600	1,31,180
7.	3BHK (MQ)*	B	20	645.25	75.40	26,18,700	1,30,935

* मैनेजमेंट कोटा (MQ) के अपार्टमेंट टावर संख्या 1 में 1st फ्लोर से 5th फ्लोर तक रिज़र्व हैं।

अपार्टमेंट के बारे में सामान्य विवरण

• ड्राइंग/ लॉबी फ्लोरिंग: टाइल्स/ आईपीएस • ड्राइंग/ लॉबी दीवार छत: ओबीडी/ कलर वॉश • बेडरूम फ्लोरिंग: टाइल्स/ आईपीएस • बेडरूम की दीवार की छत: ओबीडी/ कलर वॉश • शौचालय की दीवार और शौचालय फर्श: टाइल्स 4 फीट और ओबीडी/ कलर वॉश शेष एरिया में टाइल्स/ आईपीएस • रसोई फर्श: टाइल्स/ आईपीएस • रसोई की दीवार: पत्थर/ टाइल्स काउंटर के ऊपर 2 फीट ऊंची टाइल्स और शेष क्षेत्र में ओबीडी/ कलर वॉश • फिक्स्चर और फिटिंग: एकल बाउल स्टील सिंक और सीपी/ पीवीसी फिटिंग • बालकनी फ्लोरिंग: टाइल्स/ आईपीएस • विंडो: हार्डवुड/ एमएस जेड-सेक्शन/ फाइबर/ कम्पोजिट/ एल्यूमीनियम/ फ्रेम विंडो आदि। • डोर फ्रेम/ दरवाजे: फ्रेम-हार्डवुड/ एम। एस।/ फाइबर दरवाजे-कम्पोजिट/ फाइबर/ एल्यूमीनियम/ फ्लश दरवाजे आदि। • सामान्य क्षेत्र फ्लोरिंग: पत्थर/ टाइल्स/ आईपीएस • लिफ्ट लॉबी: स्टोन/ टाइल्स/ आईपीएस • वाइनावेयर: स्टैंडर्ड फिटिंग • विद्युत: आईएसआई प्रमाणित उत्पाद तारों, स्विच और सर्किट के लिए • सुरक्षा: गेटेड कॉम्प्लेक्स

पेमेन्ट प्लॉन

सं	विवरण	भुगतान की प्राक्रिया
1.	आवेदन के समय	कुल बिक्री मूल्य का 5%
2.	आवंटन पत्र जारी होने के 15 दिन के भीतर	कुल बिक्री मूल्य का 20%
3.	आवंटन पत्र जारी होने के 06 महीने के भीतर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
4.	आवंटन पत्र जारी होने के 12 महीने के भीतर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
5.	आवंटन पत्र जारी होने के 18 महीने के भीतर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
6.	आवंटन पत्र जारी होने के 24 महीने के भीतर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
7.	आवंटन पत्र जारी होने के 30 महीने के भीतर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%
8.	आवंटन पत्र जारी होने के 36 महीने के भीतर	कुल बिक्री मूल्य का 12.5%

आवेदन की समय सीमाएँ

1) **आवेदन पत्र दिनांक 17/03/2020** से आवेदन शुल्क 1000 रुपये का भुगतान कर **डेवलपर: पिरामिड ड्रीम होमस एल. एल. पी.,** 217ए, 217बी तृतीय तल, सनसिटी बिज़नेस टॉवर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-54, गुरुग्राम से प्राप्त किया जा सकता है। **अंतिम तारीख 31.03.2020**

योग्यताः

1. **आवेदक पर किसी मौजूदा कानून के तहत कानूनी तौर पर संविदा करने पर रोक नहीं हो।**
2. **आवेदन कोई भी कर सकता है** हालांकि एलॉटमेंट में प्राथमिकता पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी जिनमें आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान शामिल हैं। जिनकी पहचान प्रधानमंत्री आवास योजना – सबके लिए आवास प्रोग्राम के तहत शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के तहत की गई हो। पहली प्राथमिकता कथित शहर के पहचान किए गए लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद हरियाणा राज्य के अन्य पीएमएवाई लाभार्थियों को दी जाएगी। इसके बाद बचे फ्लैट के एलॉटमेंट में ऐसे आवेदक समेत उनकी पत्नी (या पति) या आश्रित संतान को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका हुडा की किसी कॉलोनी / सेक्टर या हरियाणा शहरी क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की किसी लाइसेंस्ड कॉलोनी में अपना फ्लैट / प्लॉट नहीं हो। ऐसे सभी आवेदक इस आशय का एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे।
3. **एक व्यक्ति एक ही आवेदन कर सकता है।** इस नीति के तहत सफल कोई भी आवेदक इस नीति के तहत अन्य किसी कॉलोनी में अन्य फ्लैट के लिए आवंटन योग्य नही माना जाएगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक कॉलोनी में आवंटन के लिए सफल होता है तो पसंद का केवल एक फ्लैट चुनना होगा।

आवंटन के मानकः

1. **अपार्टमेंट का आवंटन एक समिति के सामने लॉट्री** से होगा। समिति में उपायुक्त या उनके प्रतिनिधि (न्यूनतम हरियाणा लोक सेवा स्तर के अधिकारी) वरिष्ठ नगर नियोजक (सर्कल कार्यालय), संबद्ध जिले के डीटीपी और संबद्ध कोलोनाइजर के प्रतिनिधि होंगे।
2. **लॉट्री की तिथि निर्धारित करने** के बाद डेवलपर उसी समाचार पत्र में विज्ञापन देंगे जिसमें यह मूल विज्ञापन प्रकाशित होगा। विज्ञापन में आवेदकों को लॉट्री की तिथि और स्थान के विवरण दिए जाएंगे।
3. **मानकों की पूरी जानकारी और आरंभिक** जाँच और आवंटन के लिए निर्धारित समय सीमा के लिए आवेदक अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के विवरण देखें जो 19.08.2013 दिनांक अधिसूचना स PF-27/48921 और उसमें संशोधन में उपलब्ध है। (विवरण विभागीय वेबसाइट www.tcpharyana.gov.in पर उपलब्ध है)।

जानकारी के लिए कॉल करे : + 91 9911971197

पिरामिड इन्फ्राटेक प्रा. लि., 217ए, 217बी तृतीय तल, सनसिटी बिज़नेस टॉवर, गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर-54, गुरुग्राम

फोन : +91-124-4274045; ईमेल :customercare@pyramidinfratech.com, वैब: www.pyramidinfratech.com

www.readwhere.com

कश्मीर में बर्फ में फंसे 160 नागरिकों को सेना ने सुरक्षित निकाला

जम्मू, 16 मार्च (भाषा)।

भारतीय सेना ने सोमवार को बताया कि जम्मू-कश्मीर में बर्फ से ढंके गुरेज में फंसे 160 नागरिकों को विमान के जरिये सुरिक्षत निकाल लिया गया। सकुशल निकाले गए लोगों में से चार गंभीर रोगी भी हैं।

उधमपुर स्थित रक्षा जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल अभिनव नवनीत ने यहां वक्तव्य जारी कर कहा कि सेना की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड की डावर बटालियन ने रविवार को यह बचाव अभियान चलाया। नियंत्रण रेखा के समीप स्थित गुरेज घाटी वर्तमान में बांदीपोरा जिला मुख्यालय से कटी हुई है। राजदान दर्रे और बांदीपोरा और कन्जलवान को जोड़ने वाली सड़क पर बर्फ की सफाई का काम शुरू हो चुका है और यह अप्रैल अंत तक ही समाप्त हो पाएगा।

रक्षा प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि सेना के डावर गैरिसन को गुरेज और बांदीपोरा में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए नागरिक प्रशासन से अनुरोध प्राप्त हुआ था। लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत ने कहा, 'आगामी उच्चतर माध्यमिक और स्नातक परीक्षाओं को देखते हुए स्थानीय लोग गुरेज लौटने के लिए परेशान थे। देश के विभिन्न भागों में पढ़ाई कर रहे छात्र भी अपने कालेज लौटना चाहते थे।' उन्होंने कहा कि अतिरिक्त सिविल मेडिकल कर्मचारियों को भी सेना की सहायता से कोविड-19 से लड़ने की तैयारी करने के लिए गुरेज भेजा गया था।

वायुसेना के जवानों की हत्या का मामला, यासीन मलिक और छह अन्य लोगों पर आरोप तय

जम्मू, 16 मार्च (भाषा)।

जम्मू की एक विशेष अदालत ने वायुसेना के जवानों की हत्या से संबंधित 30 साल पुराने एक मामले में प्रतिबंधित संगठन जेकेएलएफ के प्रमुख यासीन मलिक और छह अन्य लोगों के खिलाफ सोमवार को आरोप तय किए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टाडा मामलों पर सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को कहा था कि मलिक और छह अन्य के खिलाफ इस मामले में आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

अनुसूची-I
प्ररूप ए
सार्वजनिक घोषणा

(भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियम 14 के अधीन)

ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों के ध्यानार्थ

1.	कार्पोरेट व्यक्ति का नाम	ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कार्पोरेट व्यक्ति के निगमन की तिथि	29.11.1989
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट व्यक्ति निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज-दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान कॉर्पोरेट लोगों की संख्या	U74899DL1989PTC267533
5.	कार्पोरेट व्यक्ति के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो तो) का पता	808-809 मेघदूत 94, नेहरू प्लेस, दक्षिणी दिल्ली-110019
6.	कार्पोरेट व्यक्ति का परिसमापन प्रारंभ होने की तिथि	14.03.2020
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, दूरभाष संख्या तथा पंजीकरण संख्या	नाम - अतुल मित्तल पता : 163, वालको अपार्टमेंट्स, प्लॉट नंबर 5, आईपी एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 ईमेल आईडी IBBI के साथ पंजीकृत : a.mittalmc@gmail.com दावे भेजने के लिए ई-मेल आईडी olympiaelectronics@gmail.com, फोन: 9871530777 पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-00439/2017-18/10762
8.	दावे जमा करने की अन्तिम तिथि	13.04.2020

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने 14 मार्च 2020 को स्वैच्छिक परिसमापन आरम्भ किया है।

ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के हितधारकों को एतद्द्वारा मद 7 के सम्मुख उल्लिखित पते पर परिसमापक के पास 13 अप्रैल 2020 को या इससे पूर्व अपने दावों के प्रमाण जमा करने के लिए कहा जाता है।

वित्तीय लेनदार केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ही अपने दावों के प्रमाण जमा करेंगे। अन्य सभी पक्षकार अपने दावों के प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा जमा कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
अतुल मित्तल

दिनांक : 16.03.2020
स्थान : दिल्ली

ओलंपिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए परिसमापक
पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-00439/2017-18/10762

कॉर्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक
अंचल कार्यालय: दिल्ली उत्तर, द्वितीय तल, फैज रोड-1, नई दिल्ली-110005, फोन 011-28754615, 28754642,
ईमेल : dlirec@corpbank.co.in, वेबसाईट : www.corpbank.com

शुद्धिपत्र

दिनांक 06.03.2020 को दिल्ली संस्करण में इस समाचार पत्र में छपे विज्ञापन ई-नीलामी बिक्री सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि बैंक शाखा एआरएमबी शाखा के खाते के कर्जदार : मैसर्स स्वस्तिक ट्रेडर्स की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 21-03-2020 को होनी थी हम इस सम्पत्ति की ई-नीलामी को निरस्त करते है। अन्य सभी खातों / विवरण उपरोक्तानुसार अखबार में छपे ई-नीलामी सूचना के अनुसार रहेगीं।

प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय ऋणशोध एवं दिवाला (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 12(3) के साथ पठित विनियम 31(2)]
कॉम्पैक्ट लैम्प्स लिमिटेड परिसमापनाधीन के हितधारकों के ध्यानार्थ

भारतीय ऋणशोध एवं दिवाला (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 31(2) के अनुसार एतद्वारा सार्वजनिक घोषणा की जाती है कि कॉम्पैक्ट लैम्प्स लिमिटेड परिसमापनाधीन ("कॉर्पोरेट देनदार") के हितधारकों की सूची परिसमापक द्वारा तैयार की गयी है जिसे 11 मार्च, 2020 को माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, नई दिल्ली पीठ ("माननीय एनसीएलटी") के समक्ष दाखिल किया गया है।

चूँकि कॉर्पोरेट देनदार की कोई क्रियात्मक वेबसाइट नहीं है अतः परिसमापक द्वारा स्वीकृत दावों की राशि का सम्पूर्ण विवरण प्रदर्शित करते हुए जिस सीमा तक दावे प्रतिभूति/अप्रतिभूत हैं, हितधारकों का विवरण तथा खण्ड में स्वीकृत/अस्वीकृत तथा पूर्ण रूप से अस्वीकृत प्रमाणों, यदि कोई हो, को परिसमापक के अग्रलिखित लिंक : "http://www.insolvencyand-bankruptcy.in/notices" पर देखा जा सकता है। दावे अस्थायी तौर पर स्वीकृत हैं और किसी परिवर्तन को माननीय एनसीएलटी को सूचित किया जायेगा।

हितधारकों को पुनः अधिसूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी के पास दाखिल हितधारकों की सूची में प्रविष्टियों में कोई संशोधन केवल माननीय एनसीएलटी के पास आवेदन दाखिल करके ही किया जा सकता है।

तिथि : 16 मार्च, 2020 — दीपिका भुगरा प्रसाद (परिसमापक)
स्थान : नई दिल्ली — कॉम्पैक्ट लैम्प्स लिमिटेड (परिसमापनाधीन)
आईपी पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-003/IP-N000110/201 7-2018/11186

कब्जा सूचना
DCB BANK

अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में डीसीबी बैंक लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर कॉलम 3 में वर्णित के अनुसार ऋणकर्ताओं/सह-ऋणकर्ताओं से कथित माँग सूचना में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए एक माँग सूचना जारी की थी। ऋणकर्ताओं तथा सह-ऋणकर्ताओं द्वारा नीचे कॉलम 6 में वर्णित राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता को व्यक्तिगत रूप से तथा जनसामान्य को सार्वजनिक रूप से एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में यहाँ नीचे कॉलम 4 में वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

ऋण खाताः HHOMDEL00042141/HHOMDEL00044397/DRST-DEL00401195/ DRBLDEL00401199

कर्जदार/सह-कर्जदार : मयूर कुमार/मंजू अग्रवाल/मैसर्स गिरधर ट्रेडिंग कम्पनी

प्रतिभूत आस्तियों का विवरण	माँग सूचना की तिथि	माँगकृत राशि
मकान नं. 9, रोड सं. 28, ब्लॉक-टी, डीएलएफ सिटी फेज-III, गुरुग्राम, हरियाणा 122001	04 दिसम्बर, 2019	रु. 3,14,63,319.81/-

कब्जा करने की तिथि : 11 मार्च, 2020

एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदारों तथा जनसामान्य को उपर्युक्त सम्पत्तियों के साथ कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और कथित सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का लेन-देन उपर्युक्त राशि तथा उस पर भावी ब्याज और लागत के लिए डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार का विषय होगा।

तिथि : 25.02.2020 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : गुरुग्राम — डीसीबी बैंक लिमिटेड

बिक्री सूचना
बेस्ट टेक्स्टाइल्स लिमिटेड
(परिसमापन में)
बी-85, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II, नई दिल्ली-110020 भारत
ई-नीलामी
दिवाला एवं दिवालिया संहिता, 2016 के अंतर्गत

आदेश तिथि 18 फरवरी, 2019 के माध्यम से माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली पीठ द्वारा नियुक्त परिसमापक, मनोज कुमार आनन्द द्वारा परिसमापन सम्पदा के भाग का निर्माण करने वाले बेस्ट टेक्स्टाइल्स लिमिटेड (परिसमापन में) के स्वामित्व के वाहनों की बिक्री। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह बिक्री वेब पोर्टल https://bankauctions.in के ई-नीलामी प्लेटफॉर्म द्वारा की जायेगी। इच्छुक आवेदक सेवा प्रदाता की वेबसाईट के अधोलिखित पते www.bankeauctions.in पर अपलोड की गई सम्पूर्ण ई नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में नीलामी के विवरणों को देख सकते हैं। यह बिक्री ई-नीलामी प्लेटफार्म के द्वारा की जायेगी (प्रति 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ)

वाहन का विवरण	बिक्री का तरीका	नीलामी की तिथि एवं समय	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी राशि एवं दस्तावेज जमा करने की समय-सीमा	बोली वृद्धि मूल्य
होण्डा एकॉर्ड मॉडल 2013 DL3CCC-2264	ई-नीलामी	27.3.2020 (11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप.)	411000/-	रु. 42000 (जमा करने की अंतिम तिथिः 25.3.2020	5000

नियम एवं शर्तें

ई-नीलामी स्वीकृत सेवा प्रदाता मै. 4 क्लोजर द्वारा की जायेगी। ऑनलाइन नीलामी बोली प्रपत्र, उद्घोषणा, ऑन लाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तों से शामिल ई-नीलामी निविदा दस्तावेज www.bankeauctions.in पर उपलब्ध है। सम्पर्क करें: श्री विकास कुमार (एम-8142000809), ईमेलः vikas@bankauctions.in वाहन के निरीक्षण की तिथिः 20 एवं 21 मार्च, 2020 को 12.15 अप. से 5.00 बजे अप. तक 2 कम्युनिटी सेन्टर, 3रा तल (पीवीआर/मैकडोनाल्ड के निकट), नारायणा, नई दिल्ली-110028 में।

इच्छुक बोलीदाताओं को बेस्ट टेक्स्टाइल्स लि. (सीआईआरपी के अंतर्गत परिसमापन में) के पक्ष में देय, नई दिल्ली में भुगतान होने योग्य डीडी) द्वारा अथवा अधोलिखित खाता में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी द्वारा ईएमडी का भुगतान करना होगा।
बैंक का नामः ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स
खाता धारक का नामः बेस्ट टेक्स्टाइल्स लि.
(सीआईआरपी के अंतर्गत परिसमापन में)
बैंक खाता सं.: 00071242000062
आईएफएससी कोड : ORBC0100007

हस्ता./-
मनोज कुमार आनन्द
परिसमापक
बेस्ट टेक्स्टाइल्स लिमिटेड
आईपी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P00084/2017-18/10180

तिथिः 17.3.2020 — ईमेल आईडीः anandmanoja@gmail.com
स्थानः नई दिल्ली — सम्पर्क नं.: 011-45051903, 45641903

ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
LUMAX — DK JAIN GROUP
सीआईएन : L74899DL1981PLC012804
पंजी. कार्यालय : द्वितीय तल, हरबंस भवन-II, कमर्शियल कॉम्पलेक्स, नांगल राया, नई दिल्ली-110046
वेबसाइट: www.lumaxworld.in/lumaxindustries दूरभाष : 011-49857832
ईमेल : lumaxshare@lumaxmail.com,

अंतरिम लाभांश के लिए अभिलिखित तिथि की सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि अध्याधीन निर्मित्त नियमों के साथ पठनीय कम्पनी अधिनियम, 2013 के धारा 91, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42, 47 के अनुसरण में कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा आज अर्थात सोमवार, 16 मार्च, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 10/- रूपए अंकित मूल्य के प्रति शेयर के लिए प्रति इक्विटी शेयर 17.50/- रूपए के अंतरिम लाभांश (अर्थात 175 प्रतिशत) की घोषणा की है।

कम्पनी द्वारा इसके संबंध में वित्तिय वर्ष 2019-2020 के उपर्युक्त अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए शेयरधारकों की अर्हता ज्ञात करने के उद्देश्य से बृहस्पतिवार, दिनांक 26 मार्च, 2020 को "रिकार्ड तिथि" निश्चित किया गया है।

कृते ल्यूमैक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड

स्थान : गुरुग्राम — श्री पंकज महेन्द्रू
दिनांक: 16.03.2020 — कंपनी सचिव

हमिंग बर्ड एजूकेशन लिमिटेड
सीआईएन : L80221DL2010PLC207436
पंजीकृत कार्यालय : 1374-1375, द्वितीय तल, कटरा लेहस्वान, चाँदनी चौक, दिल्ली-11006
वेबसाइट : www.hummingbirdeducation.com
ई-मेल : hummingbirdeducation@gmail.com

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के अनुसार निम्नलिखित सूचना दी जाती हैः

1. इकाई सं. 705, 7वीं मंजिल, बी-08, जीडी आईटीएल टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, नई दिल्ली-110030 पर 10 अप्रैल, 2020 को 12:30 बजे अपराह्न आयोजित की जाने वाली असाधारण आम बैठक हेतु 12 मार्च, 2020 को समस्त शेयरधारकों के पास भेजी गयी सूचना के प्रकार्य में निर्धारित लेन-देन इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से मतदान द्वारा किये जायेंगे।
2. रिमोट ई-वोटिंग 8 अप्रैल, 2020 को 09.00 बजे प्रातः खुलेगी तथा 09 अप्रैल, 2020 को 05.00 बजे अपराह्न बन्द होगी।
3. कट-ऑफ तिथि अर्थात 07 दिसम्बर, 2020 तक भौतिक प्रारूप या डी-मैटीरियलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारक सदस्य सेंट्रल डिपाजिटरी सर्विसेज (इण्डिया) लि. (सीडीएसएल) की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली तथा ईजीएम में बैलट के माध्यम से ईजीएम की सूचना में निर्धारित प्रकार्यों पर मतदान कर सकते हैं।
4. कोई भी व्यक्ति जो कम्पनी के शेयर धारण करता है और ईजीएम की सूचना भेजे जाने के पश्चात कम्पनी का शेयरधारक बन जाता है तथा कट-ऑफ तिथि अर्थात 07 अप्रैल, 2020 तक शेयर धारण करता है, उसे mayank@hummingbirdeducation.com पर निवेदन भेजकर रिमोट ई-वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा।
5. रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल सीडीएसएल द्वारा उपर्युक्त समय-सीमा के पश्चात निष्क्रिय कर दिया जायेगा और इसके पश्चात ई-वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
6. ईजीएम में बैलट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध होगी।
7. बैठक में भाग लेने वाले जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से पहले मतदान नहीं किया है वे बैठक में अपने अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जिन सदस्यों ने बैठक से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर लिया है उन्हें बैठक में शामिल होने की अनुमति होगी किन्तु वे पुनः मतदान करने के अधिकारी नहीं होंगे।
8. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यों के रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अन्तरण पुस्तिकाएँ मंगलवार, 07 अप्रैल, 2020 से शुक्रवार, 10 अप्रैल, 2020 (कथित ईजीएम हेतु दोनों तिथियाँ शामिल) तक बन्द रहेंगी।
9. जिस किसी व्यक्ति का नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर अथवा डिपाजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में रिकार्ड होगा केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग तथा असाधारण आम बैठक में मतदान की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।
10. अधिनियम की धारा 102 के तहत प्रारूप प्रस्ताव, संगत विवरण तथा मतदान के निर्देश सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर उपलब्ध है।
11. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा मतदान से सम्बन्धित किसी पूछताछ/शिकायत के लिए उपर्युक्त ई-मेल आईडी/अथवा पते पर कम्पनी सचिव से सम्पर्क करें।

कृते हमिंग बर्ड एजूकेशन लिमिटेड
ह./-
दिनांकः 16.03.2020 — नितेश जैन
स्थानः नई दिल्ली — डीआईएन : 03150675

FEDERAL BANK — YOUR PERFECT BANKING PARTNER

एलसीआरडी डिवीजन नई दिल्ली, 2/2, फेडरल टॉवर्स अपर ग्राउण्ड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008
दूरभाष नं. 011-40733980,40733978
ई-मेल: ndllcrd@federalbank.co.in

संदर्भ सं. : NDLW/ SPL907/2020 — दिनांक : 16.03.2020

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय आस्तियों के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

एतद्वारा जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि फेडरल बैंक लि. (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक/गिरवीकृत नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसपर फेडरल बैंक लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा 28.02.2020 को भौतिक कब्जा किया गया था, 1. श्री अरविन्द दास पुत्र श्री प्रसन्ना कुमार दास (2) श्रीमती प्रतिमा दास पत्नी श्री प्रसन्ना कुमार दास (3) श्री प्रसन्ना कुमार दास पुत्र श्री नन्दा पूर्णा दास सभी निवासी ई-10/8, वसन्त विहार, नई दिल्ली-110057 की उपर्युक्त तिथि तक फेडरल बैंक लिमिटेड (प्रतिभूत लेनदार) की बकाया लागतों तथा अन्य प्रभारों सहित रु. 6,50,63,425/- (रुपये छः करोड़ पचास लाख तिरेसठ हजार चार सौ पच्चीस मात्र) की वसूली के लिए "जो है वहीं है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी वहीं है" के आधार पर 24.04.2020 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 7,50,00,000/- (रुपये सात करोड़ पचास लाख मात्र) तथा जमा धरोहर राशि रु. 75,00,000/- (रुपये पचहत्तर लाख मात्र) होगी। आरक्षित मूल्य से कम की संविदाएँ तुरन्त अस्वीकार कर दी जायेंगी। इस प्रकार संविदाएँ आरक्षित मूल्य से ऊपर जमा की जानी हैं।

सम्पत्ति सं. ई-10/8, सम्पूर्ण भूतल सहित कार पार्किंग, सामने लॉन, पीछे कोर्टयार्ड, टॉप टेरेस के पिछले भाग पर साझा ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक के नीचे एक टॉयलेट सहित सर्वेन्ट क्वार्टर और 30 प्रतिशत अविभाजित अविभाजनीय अपक्षपाती स्वामित्व तथा प्लॉट सं. ई-10/8 में 10 प्रतिशत अविभाजित तथा अविभाजनीय अधिकार सहित सम्पूर्ण बेसमेंट, माप 450 वर्ग गज, वसन्त विहार, दिल्ली-110057, सीमाएँ : पूर्व : प्लॉट सं. 7, पश्चिम : प्लॉट सं. 9, उत्तर 15 फीट चौड़ी सर्विस रोड, दक्षिण : गली नं. ई-10.

सम्पत्ति की बिक्री फेडरल बैंक के अधिकृत प्राधिकारी के पर्यवेक्षण में बैंक के अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोजर के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा की जायेगी। ई-नीलामी संविदा प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम एवं शर्तों सहित ई-नीलामी निविदा दस्तावेज वेबसाइट : https//www.bankauctions.in में उपलब्ध हैं। सम्भावित संविदाकार मैसर्स 4क्लोजर, हैदराबाद से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। हेल्पलाइन नं. तथा ई-मेल आईडी :0814200062/65/66 तथा ई-मेल info@bankauctions.in एवं विकास कुमार-08142000809, 08076427383 तथा ई-मेल :vikas@bankauctions.in. निविदा दस्तावेज में प्रदत्त निर्धारित प्रारूप में संविदाएँ पोर्टल https://www.bankauctions.in के माध्यम जमा करनी होंगी। अन्यथा रूप में जमा संविदाएँ विचार हेतु पात्र नहीं होंगी। ईएमडी डिमाण्ड ड्राफ्ट, ईएफटी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से बैंक खाता 21470051030003, आईएफएससी FDRL0002147 में जमा करनी होगी। जमा की जाने वाली ईएमडी सम्पत्ति के आरक्षित मूल्य का 10% होगी जिसे निविदा अस्वीकार होने की स्थिति में वापस कर दिया जायेगा। ईएमडी सहित संविदा जमा करने की अन्तिम तिथि तथा समय 23.04.2020 को 5 बजे अप. तक है। कथित अवधि के पश्चात जमा की गयी संविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

सम्पत्ति का विवरण, सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि, नियम एवं शर्तें जिसके द्वारा विक्रय निर्देशित होगा, एनडीएल/एलसीआरडी डिवीजन, 2/2, फेडरल टावर्स, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 पर 23.04.2020 तक दूसरे तथा चौथे शनिवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य घण्टों के दौरान 12 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक प्राप्त किया जा सकता है।

सम्पत्ति की नीलामी से सम्बन्धित विस्तृत नियम एवं शर्तें शाखा निर्माण विहार, एनडीएल/एलसीआरडी डिवीजन, 2/2, फेडरल टावर्स, उपर ग्राउण्ड फ्लोर, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 पर प्रदर्शित की गयी है। इच्छुक व्यक्ति शाखा प्रमुख, एलसीआरडी डिवीजन, फेडरल बैंक से मोबाइल नं. 9818646777, तथा कार्यालय नं. : 011-40733980, 40733978, 011-40733981 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया फेडरल बैंक लि. की वेबसाइट में उपलब्ध लिंक :
1 .https://www.bankauctions.in 2.https://www.federalbank.co.in देखें।

कृते फेडरल बैंक लि.
नाम तथा पद (अधिकृत प्राधिकारी)

सिंडिकेट बैंक शाखा
SyndicateBank
177, हैदरपुर, निकट बस स्टैण्ड, दिल्ली-110088 दूरभाष : 011-27490670, 27490671
ई-मेल : br.9021@syndicatebank

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों एवं प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना। एतद्वारा सार्वजनिक रूप से तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिस पर प्रतिभूत लेनदार के अधिकृत प्राधिकारी ने सांकेतिक कब्जा कर लिया था, का विक्रय सम्बद्ध कर्जदार(रों) जमानती(यों) से नीचे तालिका में उल्लिखित तिथि पर बैंक/प्रतिभूत लेनदार के बकाये की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा की जाने वाली धरोहर राशि नीचे तालिका में सम्बद्ध सम्पत्तियों के सम्मुख लिखित के अनुरूप की जायेगी।

प्रतिभूत आस्तियों की अनुसूची

क्र. सं.	कर्जदारों/जमानतियों का विवरण	सम्पत्तियों का विवरण	(अ) सरफाएशी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि (ब) बकाया राशि	कब्जे की प्रकृति तथा तिथि	(अ) आरक्षित मूल्य (ब) ईएमडी राशि/ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि (स) संविदा वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय
1.	कर्जदार : सैफी मोटर्स मोहम्मद अकील 613 नूर नगर सिहानी, गाजियाबाद-201001 आश्वस्तियाँ : 1. आस मोहम्मद म.नं. ए-102, रघुवीर एन्कलेव ग्राम पसोंदा, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201005 2. नवाब अली पुत्र नजीर अहमद म.नं. 457, हिंडन विहार, 300 फीट सड़क, हिंडन धर्म कांटा के पीछे, मेरठ रोड, गाजियाबाद-201001. 3. मोहम्मद अकील म.नं. 525 (पुराना) 613 (नया) मोहल्ला नूर नगर, हिंडन विहार, निकट बड़ी मस्जिद, गाँव सिहानी, गाजियाबाद-201001	खसरा नं. 644, म.नं. 525, नया नं. 613, वार्ड सं. 30, नूर नगर, गाजियाबाद, उ.प्र. स्वामित्व श्री मोहम्मद अकील	1.7.2019 30.06.2019 तक रु. 2132588.40 (रुपये इक्कीस लाख बत्तीस हजार पाँच सौ अट्ठासी एवं चालीस पैसे मात्र) तथा ब्याज एवं लागत।	11.12.2019 को सांकेतिक कब्जा लिया गया	(अ) रु. 34,00,000/- (ब) 340000/- 27.4.2020 (स) रु. 50000	30.4.2020/ 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.
2.	कर्जदार : सैफी फर्नीचर 613, निकट न्यू मस्जिद, नूर नगर, सिहानी, गाजियाबाद-201001 आश्वस्तियाँ : 1. म.नं. 525 (पुराना) 613 (नया) मोहल्ला नूर नगर, खसरा नं. 644, वार्ड सं. 30, गाँव सिहानी, गाजियाबाद-201001 2. आकिब सैफी म.नं. 613, मोहल्ला नूर नगर, बड़ी मस्जिद, ग्राम सिहानी, गाजियाबाद-201001	खसरा नं. 644, म.नं. 525, नया नं. 613, वार्ड सं. 30, नूर नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, स्वामित्व श्री मोहम्मद अकील	1.7.2019 30.06.2019 तक रु. 1612977.44 (रुपये सोलह लाख बारह हजार नौ सौ सहतत्र एवं चौवालीस पैसे मात्र) तथा ब्याज एवं लागत	11.12.2019 को सांकेतिक कब्जा लिया गया	(अ) रु. 34,00,000/- (ब) 340000/- 27.4.2020 (स) रु. 50000	30.4.2020/ 11:00 बजे पूर्वा. से 1:00 बजे अप.

नियम एवं शर्तें :

1. यहाँ ऊपर अनुसूची में निर्दिष्ट प्रतिभूत आस्तियों के विवरण अधिकृत प्राधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान से उल्लिखित हैं किन्तु अधिकृत प्राधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलतबयानी या विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2. विक्रय के विस्तृत नियम तथा शर्तों के लिए कृपया प्रतिभूत क्रेडिटर की वेबसाइट www.syndicatebank.in में प्रावधानित लिंक देखें।

दिनांक : 16.03.2020 — अधिकृत प्राधिकारी
स्थान : नई दिल्ली — (सिंडीकेट बैंक)

प्रपत्र क
सार्वजनिक घोषणा

[भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]

ओसवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण

1	कार्पोरेट देनदार का नाम	ओसवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	21.12.1984
3	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित / पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U19202DL1984PTC019646
5	कार्पोरेट देनदार की पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	ग्राउंड फ्लोर, 4532 / 12, जय माता मार्केट, त्री नगर, नई दिल्ली-110035
6	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरंभन तिथि	आदेश की तिथि - 16.01.2019 को 16.01.2020 सही माना गया है, आदेश दिनांक 13.03.2020 का IA संख्या 1599 में C.P. एनसीएलटी, नई दिल्ली द्वारा आई.बी.-2217 (एनडी) / 2019 एनसीएलटी की वेबसाइट पर आदेश अपलोड करने / और की तिथि या आईआरपी को आदेश की सूचना - 16.03.2020
7	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	14.07.2020
8	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	सुनील प्रकाश शर्मा पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00551/2017-18/11726
9	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई-मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	लोअर ग्राउंड फ्लोर, ई-25, लाजपत नगर-3, नई दिल्ली -24 ईमेल : adv.sunilprakash@gmail.com
10	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त, पता और ई-मेल	लोअर ग्राउंड फ्लोर, जे-12, जंगपुरा एक्सटेंशन, नई दिल्ली -14 फोन: 011-41716695 ईमेल : irpsunil.oswalindustries@gmail.com
11	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	31.03.2020
12	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की 6 उप-धारा (6क) के क्लॉज (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	अभी तक पता नहीं चला है
13	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिह्नित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	लागू नहीं
14	(क) संबंधित प्रपत्र (ख) फॉर्म डाउनलोड किए जा सकते हैं	विनियम 7, 8, 8ए, 9 और 9ए के संदर्भ में कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया विनियम, 2016 के अनुसार दावे, निर्दिष्ट प्रपत्रों में प्रस्तुत किया जा सकते हैं फॉर्म बी- परिचालन लेनदारों द्वारा दावों के लिए कामगारों और कर्मचारियों को छोड़कर फॉर्म सी- वित्तीय लेनदारों द्वारा दावों के लिए फॉर्म डी- काम करने वालों और कर्मचारियों द्वारा दावा के लिए फॉर्म ई- श्रमिकों और कर्मचारियों के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दावों के लिए फार्म एफ- लेनदारों द्वारा दावों के लिए https://ibbi.gov.in/home/downloads

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण ने दिनांक 16 जनवरी 2020 को ओसवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है।

ओसवाल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 31 मार्च 2020 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर आइटम 10 के सम्मुख वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।

वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

हस्ता/-
सुनील प्रकाश शर्मा
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
दिनांक : 16 मार्च 2020
स्थान : दिल्ली
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00551/2017-18/11726

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA
7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में
1. संजय तँवर
डब्ल्यूजेड-513डी, बसई दारापुर, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, मो.: +91-8010197944
2. सुनील तँवर, ऊर्फ सुनील कुमार
डब्ल्यूजेड-513डी, बसई दारापुर, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, मो.: +91-8010197944
3. श्रीमती बिमला
डब्ल्यूजेड-513डी, बसई दारापुर, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015, मो.: +91-8010197944
सम्पत्ति का पताः डब्ल्यूजेड-513डी, बसई दारापुर, रमेश नगर, नई दिल्ली-110015

11.3.2020 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 11.3.2020 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये ऋण खाता सं. 21180396 में रु. 8178676.8 (रुपये इक्यासी लाख अठहत्तर हजार छः सौ छियत्तर एवं पैसे आठ मात्र) की राशि बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 3 अगस्त, 2020 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 12 मार्च, 2020 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ रु. 81,78,676.8 (रुपये इक्यासी लाख अठहत्तर हजार छः सौ छियत्तर एवं पैसे आठ मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची

बसई दारापुर, नई दिल्ली में स्थित सम्पत्ति नया नं. डब्ल्यूजेड-513-डी, एरिया माप 80 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 698 में जिसका विशेष रूप से विवरण बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 15673, पेज नं. 149 से 154, तिथि 24.1.2008 में पंजीकरण सं. 1752 के माध्यम से पंजीकृत उप रजिस्ट्रार (II) जनकपुरी, नई दिल्ली के कार्यालय में विमला देवी के पक्ष में निष्पादित बिक्री प्रलेख तिथि 24 जनवरी, 2008 में वर्णित है।
सम्पत्ति की चौहद्दीः
पूर्वः गली;
पश्चिमः गली;
उत्तरः अन्य सम्पत्ति;
दक्षिणः उक्त सम्पत्ति का भाग

बसई दारापुर, नई दिल्ली में सम्पत्ति नया नं. डब्ल्यूजेड-513-डी, एरिया माप 50 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 698 में जिसका विस्तृत विवरण बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 15673 में पेज नं. 142 से 148 तिथि 24.1.2008 में पंजीकृत सं. 1751 के माध्यम से पंजीकृत उप रजिस्ट्रार (II) जनकपुरी, नई दिल्ली के कार्यालय में विमला देवी के पक्ष में निष्पादित बिक्री प्रलेख तिथि 24 जनवरी, 2008 में दिया गया है। सम्पत्ति की चौहद्दीः
पूर्वः हॉस्पीटल
पश्चिमः लेन
उत्तरः अन्य सम्पत्ति
दक्षिणः अन्य सम्पत्ति

चूंकि सूचना 12 मार्च 2020 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 17.3.2020 — टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

टाटा कैपिटल फाइनेंशिल सर्विसेज लिमिटेड
TATA
7वीं मंजिल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियो के प्रतिभूतिकरण तथा पुनर्निर्माण की धारा 13(2) तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियम") के नियम 3 के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") के प्रवर्तन के तहत

सेवा में,
1. विपिन कुमार शर्मा
पुत्र रामानन्द शर्मा
निवासी आर-111-2, आर ब्लॉक, मॉडल टाउन III, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
साथ ही : निवासी आर-111/5, रिशिब नगरी, ग्राम धीरपुर, मॉडल टाउन III, दिल्ली-110009.
2. वीके बिल्डिंग मैटीरियल्स
इसके प्रोपराइटर विपिन के माध्यम से
म.नं. 43, दुकान नं. 4, भूतल, ब्लॉक-एम-2, मोहन पार्क, मॉडल टाउन, दिल्ली-110009
3. जतिन शर्मा,
पुत्र श्री विपिन शर्मा
निवासी आर-111-2, आर ब्लॉक, मॉडल टाउन III, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
4. श्रीमती रेखा शर्मा
पत्नी विपिन शर्मा
निवासी आर-111-2, आर ब्लॉक, मॉडल टाउन III, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
साथ ही : निवासी आर-111/5, रिशिब नगरी, ग्राम धीरपुर, मॉडल टाउन III, दिल्ली-110009.

प्रिय श्रीमान,
27.07.2018 तथा 20.12.2017 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के तहत भावी ब्याज सहित 12.03.2020 तक क्रमशः ऋण खाता सं. 20980289 तथा 8747578 में टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके पश्चात "टीसीएफएसएल" सन्दर्भित) का रु. 93,04,227.49/- (रुपये तिरानबे लाख चार हजार दो सौ सत्ताईस एवं उनचास पैसे मात्र) बकाया है। हमारे बार-बार निवेदन के बावजूद अपने अपने खाते में बकाया राशि के प्रति कोई भी भुगतान नहीं किया है जिसे आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनुसार टीसीएफएसएल के बकायों में चूक के चलते 8 दिसम्बर, 2019 को एनपीए खाते के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। मैंने स्वयं वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत आपको भावी ब्याज एवं लागत सहित रु. 93,04,227.49/- (रुपये तिरानबे लाख चार हजार दो सौ सत्ताईस एवं उनचास पैसे मात्र) के कथित ऋण का भुगतान सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने को कहते हुए 12.03.2020 को एक माँग सूचना निर्गत की थी जिसमें असफल रहने पर टीसीएफएसएल आपके द्वारा सृजित प्रतिभूति हित के प्रवर्तन सहित उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत वर्णित समस्त या किन्हीं अधिकारों का उपयोग नीचे वर्णित सम्पत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में करेगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

ग्राम धीरपुर, आबादी रिशिब नगरी, मॉडल टाउन, नई दिल्ली-110009 के क्षेत्र में स्थित बिल्ट अप सम्पत्ति सं. आर-111/5, माप क्षेत्रफल 100 वर्ग गज, खसरा नं. 17, विक्रय विलेख दिनांक 03.08.2016 में अधिक वर्णित, 03.08.2016 को पेज 98 से 104 पर बुक सं. 1 वॉल्यूम सं. 6438 में पंजीकरण सं. 10146 के माध्यम से कार्यालय उपरजिस्ट्रार IV-ए नई दिल्ली में रेखा शर्मा के पक्ष में क्रियान्वित।
सम्पत्ति की सीमाएँ निम्नलिखित हैं :
पूर्व : सड़क
पश्चिम : अन्य
उत्तर : स्कूल
दक्षिण : 111/-1

चूँकि आप लाभ हेतु जिस मूल पते पर निवास/व्यापारिक कार्य/व्यक्तिगत कार्य करते हैं उस पर 12.03.2020 को भेजी गयी सूचना सर्व नहीं हुई, अतः हम यह सूचना प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद्वारा आपको उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त देयताएँ अदा करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर टीएसएफएसएल उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी या किन्हीं अधिकारों का प्रयोग करेगा। आप उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के तहत उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्य किसी विधि से अन्तरित नहीं कर सकेंगे।

स्थान : नई दिल्ली — अधिकृत प्राधिकारी
तिथि : 17.03.2020 — कृते टाटा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड
TATA
7वाँ तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली-110055,

मांग सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13 (2) के अंतर्गत

सेवा में
1. वरुण दुआ, मकान सं.131, 2रा तल, एजीसीआर एन्क्लेव, दिल्ली-110092
साथ हींः मकान सं. IX/2122, गली नं. 8, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031
2. श्रीमती उषा रानी, उर्फ उषा दुआ, मकान सं. IX/2122, गली नं. 8, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031
साथ हीः मकान सं.131, 2रा तल, एजीसीआर एन्क्लेव, दिल्ली-110092
3. नीरज दुआ, मकान सं.131, 2रा तल, एजीसीआर एन्क्लेव, दिल्ली-110092
साथ हींः मकान सं. 2122, गली नं. 8, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031
4. मै. विहान एस ऑटो नेशन 9, भू तल, प्रिया एन्क्लेव, कड़कड़डूमा, दिल्ली-110092
सम्पत्ति का पताः मकान सं. IX/2122-ए, गली नं. 8, कैलाश नगर, गांधी नगर, दिल्ली-110031

प्रिय महोदय,
30.6.2017 को टीसीएफएसएल द्वारा आपको स्वीकृत होम इक्विटी (एलएपी) ऋण के अंतर्गत आगे के ब्याज के साथ 5.3.2020 को टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. (यहां के बाद टीसीएफएसएल वर्णित) के लिये रु. 68,51,902.55 (रुपये अड़सठ लाख इक्यावन हजार नौ सौ दो एवं पैसे पच्चीस मात्र) बकाया हो गया है। हमारी बार-बार की गई मांगों के बावजूद आपने अपनी खाता में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है जिसे टीसीएफएसएल के बकाये के पुनर्भुगतान में आपकी चूक के कारण भा.रि.बैं. के दिशानिर्देशों के अनुसार 7 सितम्बर, 2020 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है। वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि. के प्राधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैंने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना तिथि 05.03.2020 जारी कर आपको सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर आगे के ब्याज एवं लागतों के साथ रु. 68,51,902.25 (रुपये अड़सठ लााख इक्यावन हजार नौ सौ दो एवं पैसे पच्चीस मात्र) की उक्त ऋण राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभूति हित के प्रवर्त्तन सहित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत वर्णित किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा।

संपत्तियों की अनुसूची

सम्पत्ति सं. IX/2122-ए, खसरा नं. 614/490/23/2 में जो ग्राम सीलमपुर, गली नं. 08, की आबादी, कैलाश नगर इलका शाहदरा, दिल्ली-110031 में स्थित है जिसका क्षेत्रफल माप 28.25 वर्ग यार्ड्स अर्थात् 23.62 वर्ग मी. है जिसका विशेष रूप से विवरण बुक नं. 1, वॉल्यूम नं. 1137 में पेज 137 से 145 तिथि 21.07.2017 में पंजीकरण सं. 4864 के माध्यम से उषा रानी (ऊर्फ उषा दुआ) के पक्ष में पंजीकृत बिक्री प्रलेख तथा रेलिंक्विशमेन्ट डीड तिथि 20.07.2017 में दिया गया है।
सम्पत्ति की चौहद्दीः पूर्वः गली नं. 8 पश्चिमः सम्पत्ति सं. IX/2122-बी
उत्तरः अन्य सम्पत्ति
दक्षिणः सम्पत्ति सं. IX/2123

चूंकि सूचना 05.03.2020 आपके उस पते जिसमें आप मूल रूप से निवास/ व्यवसाय/ व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं, पर भेजी गई जो सर्व नहीं हो सकी अतः हम इस सूचना को प्रकाशित करने के लिए बाध्य हैं। एतद् द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत आपको निर्देश दिया जाता है कि इस सूचना के 60 दिनों के भीतर ऊपर वर्णित अपनी देयताओं को निष्पादित करें, अन्यथा टीसीएफएसएल उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत किसी या सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार आप बिक्री, पट्टा या अन्य रूप से उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का अंतरण नहीं करेंगे।

स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 17.3.2020 — टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लि.

www.readwhere.com

वोडाफोन आइडिया ने किया दूरसंचार विभाग को 3,354 करोड़ का भुगतान

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने सोमवार को कहा कि उसने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के बकाए को लेकर दूरसंचार विभाग को 3,354 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान कर दिया है। कंपनी ने बंबई शेयर बाजार को बताया कि उसने स्व-आकलन के हिसाब से अब एजीआर बकाए की मूल राशि का पूरा भुगतान कर दिया है।

इस भुगतान के साथ ही कंपनी ने अभी तक सरकार को एजीआर बकाए को लेकर 6,854 करोड़ रुपए दिए हैं। कंपनी ने कहा कि उसने सोमवार को दूरसंचार विभाग को 3,354 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इस तरह एजीआर बकाए की मूल राशि में बचे हुए का भुगतान हो गया है। कंपनी ने एजीआर बकाए की 6,854 करोड़ रुपए की पूरी मूल राशि का भुगतान कर दिया है।

दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया से एजीआर बकाए को लेकर करीब 53 हजार करोड़ रुपए की मांग की है। इसमें ब्याज, जुर्माना और राशि के भुगतान में की गई देरी पर ब्याज भी शामिल है। कंपनी ने कहा कि वह एजीआर देनदारी के स्व-आकलन की रिपोर्ट दूरसंचार विभाग को छह मार्च को सौंप चुकी है।

रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर में कटौती के संकेत दिए

मुंबई, 16 मार्च (भाषा)।

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को नीतिगत दर में कटौती के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर तीन अप्रैल को होने वाली अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती समेत और कदम उठाए जा सकते हैं। उन्होंने तंत्र में नकदी बढ़ाने के और उपायों की भी घोषणा की। कोरोना संक्रमण के कारण वैश्विक व घरेलू बाजार में जारी नरमी के बीच उन्होंने यह बात कही।

रिजर्व बैंक ने अचानक से दोपहर में संवाददाता सम्मेलन बुलाए जाने की सूचना दी। इसको देखते हुए बाजार नीतिगत दर में कटौती की उम्मीद कर रहा था। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने पिछले 10 दिनों में नीतिगत दर में दोबारा कटौती की और यह शून्य के करीब पहुंच गई है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी नीतिगत दर में 0.50 फीसद की कटौती की है। यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने भी इसी प्रकार का कदम उठाया है।

उन्होंने कहा कि कानून के तहत नीतिगत दर में कटौती मौद्रिक नीति समिति की बैठक में होने वाले फैसले के जरिए होती है लेकिन वह किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर रहे। जरूरत पड़ने पर अगली मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती समेत और कदम उठाए जा सकते हैं। आरबीआइ ने नकदी बढ़ाने के इरादे से विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में 23 मार्च को बिक्री/खरीद अदला-बदली के जरिए 2 अरब डॉलर डालने की घोषणा की है। साथ ही जरूरत पड़ने पर रेपो दर पर दीर्घकालीन एक लाख करोड़ रुपए मूल्य के बांड की खरीद-फरोख्त का एक और दौर शुरू करेगा।

यस बैंक धनशोधन मामला : अनिल अंबानी, सुभाष चंद्रा, समेत कुछ उद्योगपति तलब

नई दिल्ली/ मुंबई, 16 मार्च (भाषा)।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यस बैंक के प्रवर्तक राणा कपूर और अन्य के खिलाफ दायर धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में एस्सेल समूह के प्रवर्तक सुभाष चंद्रा, जेट एअरवेज के संस्थापक नरेश गोयल और इंडिया बुल्स के चेयरमैन समीर गहलोत समेत कुछ अन्य शीर्ष उद्योगपतियों को इस सप्ताह तलब किया है।

अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि डीएचएफएल के मुख्य प्रबंध निदेशक कपिल वाधवान के अलावा रिलायंस अनिल धीरूभाई समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को भी 19 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय के मुंबई के बल्लार्ड एस्टेट स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। वाधवान को हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने अन्य मामले में गिरफ्तार किया था और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। ये उद्योगपति उन शीर्ष पांच कंपनियों का नेतृत्व करते हैं जिन्होंने संकट में फंसे यस बैंक से कर्ज लिया या इसी तरह का सौदा किया।

राणा कपूर की हिरासत अवधि 20 तक बढ़ी

मुंबई, 16 मार्च (भाषा)। विशेष अदालत ने धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार येस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को दी गई हिरासत अवधि सोमवार को 20 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। निजी क्षेत्र के बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ को ईडी ने आठ मार्च को धनशोधन निषेध कानून के तहत गिरफ्तार किया क्योंकि वह येस बैंक से जुड़े संकट की जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। शुरुआत में कपूर को 11 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजा गया था। फिर हिरासत की अवधि में विस्तार करते हुए उसे 16 मार्च तक कर लिया गया।

ये कर्ज या तो समय पर लौटाए नहीं गए या फिर फंसे हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार इन आरोपों की पूरी जांच की जरूरत है। अधिकारियों का कहना है कि 60 वर्षीय अंबानी को सबसे पहले सोमवार को बुलाया गया था लेकिन उन्होंने कुछ निजी कारणों से उपस्थिति से छूट का आग्रह किया है। रिजर्व बैंक ने संकट में फंसे यस बैंक पर इस महीने की शुरुआत में रोक लगाई। इसके बाद ईडी ने कपूर और अन्य के खिलाफ धनशोधन की जांच शुरू की है। इस रोक के तहत यस बैंक के जमाकर्ताओं को खाते से 50,000 रुपए ही निकालने की अनुमति दी गई थी। ईडी ने कपूर और उनके परिवार के सदस्यों पर गलत तरीके से 4,300 करोड़ रुपए कमाने ओर उसे सफेद बनाने का आरोप लगाया है। उन लोगों को ये पैसे अपने बैंक के जरिये बड़े कर्ज देने के एवज में कथित रिश्वत के रूप में मिले। बाद में ये सभी कर्ज गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गई। अनिल अंबानी की नौ समूह कंपनियों ने यस बैंक से करीब 12,800 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। पिछले सप्ताह रिलायंस समूह ने बयान में कहा था कि उसका बैंक से पूरा कर्ज सुरक्षित है और कारोबार के लिए सामान्य प्रक्रिया के तहत लिए गए।

येस बैंक के ग्राहकों को कल से हो जाएंगी सभी सेवाएं उपलब्ध

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

संकटग्रस्त येस बैंक के ग्राहक बुधवार शाम से बैंक की सभी सेवाओं का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस दिन बैंक के कामकाज पर लगाई गई रोक को उठा लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 मार्च को येस बैंक के कामकाज पर पाबंदी लगा दी थी। बैंक के ग्राहकों के लिए 3 अप्रैल तक खाते से 50 हजार रुपए तक की निकासी सीमा तय कर दी गई थी। बहरहाल, शनिवार को जारी अधिसूचना में सरकार ने कहा कि बैंक पर लगी इस रोक को 18 मार्च शाम छह बजे उठा लिया जाएगा।

येस बैंक ने ट्वीट जारी कर कहा है कि हम बुधवार 18 मार्च, 2020 को शाम छह बजे से अपनी सभी बैंकिंग सेवाओं को शुरू कर देंगे। बैंकिंग सेवाएं शुरू होने के बाद 19 मार्च, 2020 को आप हमारी देशभर में फैली 1,132 शाखाओं में से किसी भी शाखा में जा सकते हैं और हमारी तमाम सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। आप हमारी सभी डिजिटल सेवाओं और प्लेटफार्म को भी प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार ने शनिवार को संकट में फंसे येस बैंक को उबारने के लिए पुनर्गठन योजना को अधिसूचित कर दिया था। येस बैंक ने चालू वित्त वर्ष की 31 दिसंबर को समाप्त तीसरी तिमाही के दौरान 18,654 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया है। बैंक को दिए गए कर्ज के लिए ऊंचा प्रावधान किए जाने की वजह से उसका घाटा बढ़ा है। इससे एक साल पहले 2018-19 में इसी तिमाही में बैंक ने 1,001.8 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया था।

बैंक के शेयर 58 फीसद से अधिक चढ़े

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

पुनर्गठन योजना को सरकार की मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को संकटग्रस्त येस बैंक के शेयर में 58 फीसद से अधिक की जबरदस्त उछाल देखी गई।

बंबई शेयर बाजार में येस बैंक के शेयर ने शानदार वापसी करते हुए 58.12 फीसद की छलांग लगाई। नेशनल स्टाक एक्सचेंज में भी इसका शेयर 58.12 फीसद उछलकर 40.40 रुपए पर रहा। बीएसई में इसके 112.78 लाख शेयरों और एनएसई में 9.55 करोड़ शेयरों का कारोबार हुआ।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले सप्ताह कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने येस बैंक के पुनर्गठन की योजना को मंजूरी दे दी है। रिजर्व बैंक ने पांच मार्च को येस बैंक का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। इसके बाद येस बैंक के खाताधारकों के लिए अधिकतम 50 हजार रुपए की निकासी समेत कुछ बैंकिंग सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी।

इसी बीच, संकटग्रस्त येस बैंक को निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और अन्य निफ्टी सूचकांकों से 19 मार्च को हटा दिया जाएगा। एनएसई इंडिसेज ने सोमवार को इसकी जानकारी दी।

पैन को 31 मार्च तक आधार से जोड़ना अनिवार्य

आधार से नहीं जोड़ा गया तो पैन काम नहीं करेगा

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

आयकर विभाग ने सोमवार को कहा कि आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य है और लोगों को इसके लिए 31 मार्च की निर्धारित समय सीमा का पालन करने को कहा है। विभाग ने पिछले महीने कहा था कि अगर 31 मार्च तक स्थायी खाता संख्या को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो पैन काम नहीं करेगा।

आयकर विभाग ने कहा कि इस समय सीमा का पालन करें। विभाग ने सोशल मीडिया पर दिए पोस्ट में कहा है- पैन को 31 मार्च, 2020 से पहले आधार से जोड़ना अनिवार्य है।

आप इसे बायोमीट्रिक आधार पर सत्यापन के जरिए या फिर एनएसडीएल और यूटीआइटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। विभाग ने ट्विटर पर वीडियो डालते हुए कहा कि यह आगे के लिए फायदेमंद है।

वीडियो में कहा गया है कि दो तरीके से यह काम किया जा सकता है। पहला, 567678 या 56161 पर संदेश भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआइडीआईपैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- डब्लूडब्लूडब्लू.इंकमटैक्सइंडियाईफाइलिंग.गोव.इन के जरिए पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 27 जनवरी तक 30.75 करोड़ पैन आधार से जोड़े जा चुके हैं। अभी 17.58 करोड़ पैन को आधार से जोड़ना बाकी है।

कोरोना वायरस से झटका

सीएपीए ने विमानन कंपनियों के मई अंत तक दिवालिया होने की आशंका जताई

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के संक्रमण से फैली महामारी के कारण दुनिया भर की अधिकांश विमानन कंपनियां मई के अंत तक दिवालिया हो सकती हैं। विमानन कंपनियों के वैश्विक संगठन सीएपीए ने सोमवार को यह आशंका व्यक्त की। संगठन ने कहा कि इस तबाही से तभी बचा जा सकता है, जब सरकारें व उद्योग जगत तत्काल संगठित कदम उठाएं।

संगठन ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कई सरकारों ने यात्रा पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिससे दुनिया भर की कई विमानन कंपनियां पहले ही तकनीकी रूप से या तो दिवालिया हो चुकी हैं या फिर कर्ज की देनदारियों के भुगतान में चूक करने की दहलीज पर हैं। दुनिया भर में विमानन कंपनियां महामारी को देखते हुए उड़ानों में कटौती कर रही हैं। अटलांटा स्थित कंपनी डेल्टा एअरलाइंस ने रविवार को कहा कि वह अपने बेड़े के 300 वाहनों को परिचालन से बाहर कर रही है और उड़ानों में 40 फीसद की कटौती कर रही है। अमेरिका ने ब्रिटेन और आयरलैंड समेत पूरे यूरोप के लिए पर्यटक वीजा फिलहाल निलंबित कर दिए हैं। भारत सरकार ने भी 11 मार्च तक जारी किए गए सभी पर्यटन वीजा और ई-वीजा को फिलहाल निलंबित कर दिया है।

सीएपीए ने कहा कि मई 2020 के अंत तक दुनिया भर की अधिकांश विमानन कंपनियां दिवालिया हो जाएंगी। यदि इस तबाही को रोकना है तो सरकार और उद्योग को संगठित कदम उठाने की जरूरत है। संगठन ने कहा कि विमानन कंपनियों का नकदी भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। बेड़े के विमानों को परिचालन से बाहर किया जा रहा है। परिचालन आधा से अधिक कम हो गया है। आने वाले समय के लिए कराए गए टिकट रद्द किए जा रहे हैं। सरकार के हर सुझाव से यात्री हवाई यात्रा के प्रति हतोत्साहित हो रहे हैं। मांग इस तरह से कम हो रही है, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित है। परिस्थिति का सामान्य होना दूर-दूर तक दिख नहीं दे रहा है।

निवेशकों को झांसा देने के आरोप में संजीवनी बिल्डकॉम का निदेशक गिरफ्तार

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

झारखंड की एक कंपनी के निदेशक को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ठगी के मामले में गिरफ्तार किया है। ईडी ने सोमवार को कहा कि उसने राज्य में भूखंड दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठे।

ईडी ने एक बयान में कहा कि रांची की संजीवनी बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्याम किशोर गुप्ता को धनशोधन (मनी लांड्रिंग) रोकथाम कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसे भूखंड दिलाने के नाम पर लोगों के साथ कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने कहा कि आरोपी निदेशक ने प्लॉट खरीदने के नाम पर लोगों से उसकी कंपनी में निवेश करने के लिए कहा और बाद में उस धन के साथ हेरफेर किया। ईडी ने कहा कि उसकी अब तक की जांच में बड़ी संख्या में लोगों के साथ कथित ठगी के मामले में गुप्ता के अलावा कंपनी के प्रबंध निदेशक जयंती दयाल नंदी और अन्य का नाम भी सामने आया है। ईडी का दावा है कि कंपनी ने निवेशकों से करीब 80 करोड़ रुपए जुटाए लेकिन किसी को भी प्लॉट या फ्लैट का आबंटन नहीं किया गया। निवेशकों से जुटाए गए पैसे को कंपनी और निदेशकों के बैंक खातों में रखा गया। ईडी का आरोप है कि इस पैसे से गुप्ता व अन्य ने कई तरह की चल-अचल संपत्ति बनाई।

SBI

भारतीय स्टेट बैंक
रिटेल एसेट्स प्रोसेसिंग सेंटर (आरएसीपीसी)
59, कम्युनिटी सेंटर, निकट पीवीआर, नारायण इण्डस्ट्रियल एरिया, फेज-I, नई दिल्ली-110028
दूरभाष : 01147074302,01147064302,01147027897
ई-मेल : sbi.50792@sbi.co.in

कब्जा सूचना (सांकेतिक)
नियम 8(1) तथा (2) के तहत (अचल सम्पत्ति हेतु)

जैसा कि,
जैसा कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अब तक सूचना में लिखित राशि तथा ब्याज एवं अन्य व्ययों का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए कर्जदारों को एक 13(2) माँग सूचना जारी की थी। कर्जदार/रों द्वारा सूचना में लिखित राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण ऋणकर्ता/जमानती को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 12 मार्च, 2020 को कब्जा कर लिया है।
व्यक्तिगत रूप से कर्जदार/रों और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन नीचे लिखित राशि तथा उससे सम्बद्ध ब्याज के लिए भारतीय स्टेट बैंक, रिटेल एसेट्स प्रोसेसिंग सेंटर (आरएसीपीसी), शाखा के अभियोग का विषय होगा :
प्रतिभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के सन्दर्भ में ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

क्र. सं.	खाता सं.	कर्जदार का नाम	13(2) सूचना तिथि एवं राशि	बंधक सम्पत्ति
1.	64186731340	श्री दीपक शर्मा पुत्र बी.एन. शर्मा एवं श्रीमती बबली शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा	तिथि 06.012020 एवं रु. 5,00,0751/- तथा भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार	एजी-296, भूतल एवं प्रथम तल, शालीमार बाग, दिल्ली-110088, ब्लॉक सं. 1 वॉल्यूम 6050, पृष्ठ 173 से 181 में पंजीकरण सं. 51, दिनांक 02.01.2016, श्रीमती बबली शर्मा पत्नी श्री दीपक शर्मा के नाम पर
2.	65105061881 तथा 65166173324	श्री मुकुन्द कुमार पुत्र श्री राघवेन्द्र शर्मा	दिनांक 23.102019 तथा रु. 14,23,456/- एवं भावी ब्याज तथा अन्य प्रभार	डीडीए, एलआईजी, फ्लैट सं. 633, तीसरी मंजिल, ब्लॉक-बी, लोकनायकपुरम, नई दिल्ली, दिनांक 14.01.2011 को पृष्ठ 139 से 143 पर बुक नं. 1 वॉल्यूम नं. 1606 में पंजीकरण सं. 220 श्री मुकुन्द कुमार पुत्र श्री राघवेन्द्र शर्मा के नाम पर।

उपर्युक्त सम्पत्ति पर दिनांक 12.03.2020 को कब्जा किया गया।
तिथि : 17.03.2020
स्थान : दिल्ली
ह./- अधिकृत प्राधिकारी
भारतीय स्टेट बैंक

भारत गीयर्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 20 कि.मी. मथुरा रोड, पो. ओ. अमर नगर, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)
फोन : +91 (129) 4288888, फैक्स: +91 (129) 4288822-23, वेबसाईट: www.bharatgears.com
ई-मेल: info@bglindia.com, सीआईएन: L29130HR1971PLC034365

सूचना
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि शेयर प्रमाण पत्र सं. 1965, 10031, 12305, 23692, 38825, 38826 जिनमें शेयर विशिष्ट सं. 251251-251300, 1016501-1016550, 1130201-1130250, 1460951-1461000, 2401642-2401691, 2401692-2401741 धारण है जो कि प्रेमलता शिवकुमार डागा संयुक्त संजय शिवकुमार डागा के नाम पर हैं, कंपनी को उनके खोने/गुम होने की सूचना प्राप्त हुई है।
यदि कंपनी को इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो वह डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने की ओर अग्रसर होगी।
उपरोक्त विषय में अधिक जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.bharatgears.com तथा स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com एवं www.nseindia.com पर उपलब्ध है।
कृते भारत गीयर्स लिमिटेड
हस्ता/-
प्रशांत खत्री
प्रमुख (विधि) एवं कम्पनी सचिव
स्थानः फरीदाबाद
तिथिः 13.03.2020

सिंडीकेटबैंक SyndicateBank
शाखा ईस्ट पटेल नगर
7, सेठी भवन, राजेन्द्रा प्लेस, नई दिल्ली-110008
दूरभाषः 01 1-25860570 फैक्स : 011-25752545

प्रतिभूतिकरण अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना
एतद्वारा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (2002 का 54) की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण की धारा 13(2) के तहत इसके पश्चात अधोलिखित कर्जदार तथा जमानतियों को इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर उन्हें/उनकी गारंटी पर प्रदत्त साख सुविधाओं की बकाया राशि अदा करने के लिए कहते हुए यह माँग सूचना दी जाती है।
यदि आप अधिनियम की धारा 13(2) के सन्दर्भ में भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्ययों, लागतों आदि सहित नीचे वर्णित राशि बैंक को अदा करने में असफल होते हैं तो बैंक कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) एवं अन्य प्रयोज्य प्रावधानों के तहत वर्णित सभी या किसी अधिकार का उपयोग करेगा।
आपको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा की उपधारा 13 के सन्दर्भ में आप इस सूचना के नीचे वर्णित कथित प्रतिभूत आस्तियों का अन्तरण बिक्री, पट्टे या अन्य प्रकार से बैंक की लिखित सहमति के बिना नहीं कर सकेंगे। बकाया राशि सहित खाते तथा प्रतिभूत आस्तियों का विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र.सं.	कर्जदार तथा जमानतियों के नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण	बकाया राशि
1.	श्री फजलू रहमान पुत्र श्री अब्दुल सत्तार (कर्जदार) श्रीमती नसीमा बानो पत्नी श्री फजलू रहमान, 1030, गली नं. 33, न्यू जाफराबाद, दिल्ली-110053. साथ ही : श्रीमती नसीमा बानो, बी-9/5, भूतल, ओखला विहार, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 साथ ही : 615/ई, गली नं. 1, मस्जिद गली, बाबरपुर, शाहदरा, दिल्ली-110032 साथ ही : 996, गली नं. 31, मेन रोड, जाफराबाद, दिल्ली-110053.	फ्लैट सं. 1ए, क्षेत्रफल प्रथम तल छत के अधिकार रहि, सीलिंग लेवल तक, सम्पत्ति सं. डी-23 का भाग, माप क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर, तीन रूम सेट, तीन साइड ओपन, बायीं ओर ऊपर जाने की सीढ़ी, साझा स्टेयर केस, रास्ता तथा अन्य साझा सुविधाएँ अपने सम्पूर्ण स्ट्रक्चर सहित का भाग तथा कथित ब्लॉक डी, डीडीए कॉलोनी, न्यू जाफराबाद आवासीय स्कीम, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110032 में आनुपातिक वैयक्तिक अधिकार	29.02.2020 तक रु. 20,13,046.70/- + भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार आदि
2.	श्री मोहम्मद फाजिल पुत्र मोहम्मद यासिन निवासी 2685, गली ताश वाली, बारादरी, शेर अफगान, दिल्ली-110006 साथ ही : C/o मीनार गारमेंट्स, 1133, गली नं. 37, जाफराबाद, दिल्ली-110053 साथ ही : मकान नं. 1164, गली नं. 41, जाफराबाद, दिल्ली-110053		
3.	मोहम्मद शफीउद्दीन पुत्र स्व. श्री फजलू रहमान, 1030, गली नं. 33, न्यू जाफराबाद, दिल्ली-110053. साथ ही : C/o अलफिया कलेक्शन, 5405, प्रताप मार्केट, घोड़े वाली सराय, सदर बाजार, दिल्ली-110006		

तिथि : 07.03.2020
स्थान : नई दिल्ली
(अधिकृत प्राधिकारी)
सिंडीकेट बैंक

ओंमकारा एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
पंजिकृत कार्यालयःसी/515,कनाकीया जिलोन,एलबीएस रोड़ का जंक्शन एंव सीएसटी रोड, बीकेसी एंक्स,इक्यूनेक्स के पास,कुरला वेस्ट मुम्बई-400070
रजिस्टेड ऑफिसः9,एमपी नगर, प्रथम स्ट्रीट,कोंगु नगर विस्तार त्रिरपुर-641607

अनुछेद IV कब्जा सूचना [नियम-8(1)]
(अचल सम्पत्ति के लिये)
जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि. का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12)और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 का सपठित नियम 3 के तहत् प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणी श्रीमती दिपती मावी एंव जमानतदार 1. श्री गौरव मावी, 2. रामप्रकाश मावी को मांगती करते हुए, मांग सूचना पत्र दिनांकित 18.09.2017 रूपये 3,15,61,336/- (शब्दों में अक्षरें रूपयें तीन करोड़ पन्द्रह लाख इकसठ हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) 18.09.2017 तक एंव अर्जित ब्याज/अवास्तविक ब्याज दिनांक 01.09.2017 तक निर्माण दर खर्च के साथ सूचना-पत्र में उल्लेखित राशि पूर्ण भुगतान तक लागू तथा आगे में भविष्य का देय ब्याज सहित बकाया राशि को 60 दिनों के भीतर उक्त सूचना-पत्र की दिनांक/प्राप्ति दिनांक से लौटाने के लिये निर्गमित किया।
उधारकर्ता कंपनी के वित्तीय आस्तियों/ ऋणों का अधिग्रहण ओमकारा द्वारा किया गया था एसेट्स रीकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से डीड की वीडियोग्राफी की गई दिनांक 31.03.2018 का असाइनमेंट पंजीकृत। ऋण के उत्तरकार्य के लिए ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वित्तीय संपत्ति। लि। और विलेख के संदर्भ में असाइनमेंट, इसने ऋण के साथ-साथ सभी अधिकार, शीर्षक और सुरक्षा हित हासिल कर लिए हैं अंतर्निहित प्रतिभूतियों और न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के सुरक्षा दस्तावेज असाइनर / मूल सुरक्षित ऋणदाता।
ऋणी / जमानतदार के राशि लौटाने में विफल होने पर, ऋणग्रहिता / जमानतदार को एतद् द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ओमकारा एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्ति का आधिपत्य दिनांक 13 माह मार्च वर्ष 2020 को सांकेतिक कब्जा ग्रहण कर लिया है।
ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ कोई व्यवहार ओमकारा एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड के 3,15,61,336/- (शब्दों में अक्षरें रूपये तीन करोड़ पन्द्रह लाख इकसठ हजार तीन सौ छत्तीस मात्र) 18.09.2017 तक एंव अर्जित ब्याज/अवास्तविक ब्याज दिनांक 01.09.2017 तक निर्माण दर खर्च के साथ सूचना-पत्र में उल्लेखित राशि पूर्ण भुगतान तक लागू तथा आगे से भविष्य का देय ब्याज सहित एंव अन्य खर्च प्रभार के अधीन होगा।
प्रतिभूत सम्पत्ति के मोचन हेतु उपलब्ध समय के संबंध में ऋणी का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण
सम्पत्ति के सभी अंश और हिस्से जिसमें प्लॉट नं.एनएस-59 जो सेक्टर सिगमा-1ग्रेटर नोयडा जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में ढांचे सहित स्थित है जो श्रीमती दीपती मावी के नाम से है।
हस्ताक्षर
दिनांक :- 13.03.2020
प्राधिकृत अधिकारी
स्थान :- गौतम बुद्ध नगर
ओंमकारा एस्सेट रिकंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

सिंडीकेट बैंक SyndicateBank
सिंडीकेट बैंक, जी.बी. रोड, दिल्ली
गावड़ी बिल्डिंग, प्रथम तल, 5200, जी.बी. रोड, श्रद्धानन्द मार्ग, दिल्ली ई-मेल: br.9037@syndicatebank.co.in

कब्जा सूचना
[परिशिष्ट-IV, अधिनियम के तहत-नियम 8(1)]
जैसा कि, प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में सिंडीकेट बैंक, श्रद्धानन्द मार्ग शाखा, नई दिल्ली के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कर्जदार श्री हरी राम गर्वित कुमार को सूचना में लिखित राशि रु. 2,11,00,625.70 (रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख छः सौ पच्चीस एवं सत्तर पैसे मात्र) एवं उस पर 01.12.2019 से भावी ब्याज तथा आकस्मिक प्रभारों आदि का कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए 10.12.2019 को एक माँग सूचना निर्गत की थी।
ऋणकर्ता द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण सम्पत्ति के स्वामी तथा जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 16 मार्च, 2020 को कब्जा कर लिया है।
व्यक्तिगत रूप से ऋणकर्ता/जमानती और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का लेन-देन रु. 2,11,00,625.70 (रुपये दो करोड़ ग्यारह लाख छः सौ पच्चीस एवं सत्तर पैसे मात्र) एवं 01.12.2019 से उस पर भावी ब्याज तथा आकस्मिक प्रभारों आदि के लिए सिंडीकेट बैंक श्रद्धानन्द मार्ग शाखा, नई दिल्ली के अभियोग का विषय होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण
ग्राम सिरस पुर निकट जी.टी. रोड, एनएच-1, दिल्ली-110042 पर स्थित खसरा नं. 684, 692, 693, 694 पर सम्पत्ति 1-1/2 मंजिला भवन (औद्योगिक शेड तथा गोदाम) का यूआरईएम। स्वामित्व श्रीमती मंजुला बंसल
सीमाएँः
उत्तरः स्कूल
दक्षिणः 35 फीट चौड़ी सड़क
पूर्वः अन्य सम्पत्ति गोदाम
पश्चिमः अन्य सम्पत्ति
तिथिः 16.03.2020
स्थानः नई दिल्ली
अधिकृत प्राधिकारी
सिण्डीकेट बैंक

U.P. RAJKIYA NIRMAN NIGAM LIMITED
(ISO 9001:2008 Certified Company)
Vishweshwaraiya Bhawan, Vibhuti Khand, Gomtinagar, Lucknow
Notice No. 194/Cardiology Lift Tender / E.U.-Kannauj/RNN/2020 Dated : 06.03.2020

Short Term e-Tender Notice
E-Tender are invited from the eligible contractor/firms for the following given works on Trunkey Basis

Sl. No	Name of Work	Estimated cost Approx (in Lacs)	Bid Earnest Money (Rs. In Lacs)	Cost of Bid Documents	Time of Completion	Address of Unit	Address of tender Receiving Officer
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Lift Work for Cardiology Hospital Kannauj	29.37 Lakh (including all taxes)	1.50 Lakh	1180.00 (including Stationary charges)	02 Months (Including Rain Season	Addl. Project Manager(E) U.P.R.N.N. Ltd. Electrical Unit Rajkiya Medical College Kannauj Mob. 7007098225	Addl. Project Manager(E) U.P.R.N.N. Ltd. Electrical Unit Rajkiya Medical College Kannauj Mob. 7007098225

The Tender can only be downloaded from the website www.etender.up.nic.in during the period 06.03.2020 to 19.03.2020. All the prospective bidders are requested to get their digital signature, register themselves on the website www.etender.up.nic.in Any amendment should regularly be watched on above website and nigam website www.uprnn.co.in. Undersigned reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reason.
Addl. Project Manager (E)
Electrical Unit, Kannauj

प्रपत्र सं. यूआरसी-2
शीर्षक XXI के भाग-1 के अंतर्गत पंजीकरण के विषय में सूचना देने के लिये विज्ञापन
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 374 (बी) तथा कम्पनी (पंजीकरण के लिये प्राधिकृत) नियमावली, 2014 के नियम 4 (1) के अनुपालन में]
1. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी, क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा में कम्पनी के रस्ट्रिार के पास इस आशय का एक आवेदन प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है कि मै. कैम्ब्रिज शेखर एक पार्टनरशिप फर्म को शेयर्स द्वारा एक कम्पनी लिमिटेड के रूप में कम्पनी अधिनियम, 2013 के शीर्षक XXI के भाग-1 के अंतर्गत पंजीकृत किया जाये।
2. कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार होंगेः
जेट्टीज, पन्टून्स, कार्गो तथा यात्री संचालन टर्मिनल्स, मल्टी मॉडल टर्मिनल (एमएमटी), इन्टर मोडल टर्मिनल (आईएमटी), वाटर वेज पर निर्माण एवं प्रचालन, कार्गो, रो-रो, आरओपीएएक्स बेसल्स, क्रुज शिप तथा वार्जेज, वोएज चैटरिंग, बेअर बोट चार्टरिंग का प्रचालन, रखरखाव तथा आवागमन, जहाजों, डम्ब वार्जेज, पन्टून्स का प्रचालन तथा हायरिंग नैविगेशनल सहयोग, पायलटेज, फेयरवे विकास आदि के ड्रेजिंग के साथ ही ईरेक्शन के क्रिया क्लापों का कार्यान्वन करना। (उपरोक्त कम्पनी के मैमोरैण्डम ऑफ एसोसिएशन के प्रारुप का सार है। सम्पूर्ण उद्देश्यों को देखने के लिए कृपया कम्पनी से सम्पर्क करें)
3. प्रस्तावित कम्पनी के ड्राफ्ट मेमोरैंडम तथा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति 11 मस्जिद मोठ, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 में कार्यालय में देखी जा सकती है।
4. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस आवेदन के प्रति कोई आपत्ति हो, वे उसके पंजीकृत कार्यालय में कम्पनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर लिखित में अपनी आपत्ति केन्द्रीय पंजीकरण केंद्र, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान, प्लॉट नं. 6, 7, 8 सेक्टर-5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिनकोड-122050 में रजिस्ट्रार के पास जमा करें।
आवेदकों का नाम
राज शेखर (पार्टनर)
तिथिः 16 मार्च, 2020
कैम्ब्रिज कन्स्ट्रक्शन (दिल्ली), प्राईवेट लिमिटेड (पार्टनर)

DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-I, DELHI
4th Floor, Jeevan Tara Building, Parliament Street, New Delhi-110001
OA No. 789/2016
HDFC Bank Limited ....Applicant
Versus
Eco Polyfibres Private Limited & Ors
To, Respondents
1. Eco Polyfibres Private Limited Through Its Director Vinod Kumar, 1107-1108, 11th Floor, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, Jasola Metro Station, New Delhi-110025. Also at : Eco Polyfibres Private Limited Through Its Director Vinod Kumar, Plot No.92, Gali No.3, Gurukul Industrial Area, Sarai Faridabad, Faridabad-121002
2. Vinod Kumar, C-540, 22 Foot Road, SGM Nagar, Near Sabji Mandi, Faridabad-121001, Also at: Vinod Kumar 1107-1108, 11th Floor, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, Jasola Metro Station, New Delhi-110025.
3. Sanjay Kumar Aggarwal, House No.272, Sector-46, Opp. Kapil Vihar Society, Faridabad-121006, Also at : Sanjay Kumar Aggarwal 1107-1108, 11th Floor, DLF Tower B, Jasola Commercial Complex, Jasola Metro Station, New Delhi-110025
Whereas the above named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 17,29,797.33/- (Rupees Seventeen Lacs Twenty Nine Thousand Seven Hundred Ninety Seven & Thirty Three Paise Only) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Ld. Registrar on 26.03.2020 at 10.30 A.M.
Take notice that in case of your failure to appear on the above mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in your absence.
Given under my hand and seal of the Ld. Registrar on this 22-01-2020
Seal
BY ORDER OF THIS TRIBUNAL
For Registrar

सार्वजनिक सूचना
एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि ई आई ड्यूपॉन्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे अब "कॉर्तेवा" के रूप में जाना जाता है) ने बेंसूलफुरॉन-मिथाईल के लिए भारत में कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अंतर्गत, पीआई कुमियाई प्राइवेट लिमिटेड (जिसका कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) U51909HR2017PTC069751), जिसका पंजीकृत कार्यालय 2-बी, 1601, 16वीं मंजिल, दो होराइजन सेंटर, डीएलएफ सिटी फेज-V, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा) में स्थित है, जो कि पीआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड एवं कुमियाई केमिकल्स इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड का संयुक्त उद्यम है, अपने पंजीकरण को स्थानांतरित करने हेतु सहमति व्यक्त की है। इस सूचना के प्रकाशन एवं प्राधिकारी की स्वीकृति के बाद, पंजीकरण प्रमाण-पत्र पीआई कुमियाई प्राइवेट लिमिटेड के नाम से विधिवत हस्तांतरित होंगे।
कृते पीआई कुमियाई प्राइवेट लिमिटेड
हस्ता/-
प्रवीन जाजू
स्थान : गुरुग्राम
निदेशक
दिनांक : 16.03.2020 (डीआईएन 08686897)

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
शाखाः न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली, सर्किल कार्यालय, मध्य दिल्ली
कब्जा सूचना (अचल/चल सम्पत्ति के लिये)
एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13(4) तथा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तालिका में नीचे वर्णित तिथि को जारी कर ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक तथा गारन्टर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, गारन्टरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों एवं गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक/गारन्टर का नाम	प्रतिभूत परिसम्पत्ति(यों) का विवरण	सूचना 13(4) में बकाया राशि	मांग सूचना तिथि/ कब्जा की तिथि
श्री जिले सिंह राणा (प्रॉप) खाता नं.: 0619008700403673	1) मै. योगी ट्रेडर्स, एसएस ऑम्निया कॉमर्सियल कॉम्प्लैक्स, सेक्टर 86, गुरुग्राम, हरियाणा 2) मकान सं. 813ए, सेक्टर 22बी, गुरुग्राम, हरियाणा	16.12.2019 को रु. 4140266/- + सम्पूर्ण भुगतान तक जमा की गई राशि, यदि कोई हो, को घटाकर आगे का ब्याज एवं लागत	18.12.2019/ 13.3.2020

तिथिः 14.3.2020
स्थानः नई दिल्ली
(प्राधिकृत अधिकारी)

www.readwhere.com

चीन में विदेश से आए कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा

बेजिंग, 16 मार्च (एएफपी)।

चीन में विदेश से आने वाले लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। सोमवार को भी संक्रमण के ऐसे ही 12 नए मामले सामने आए। इस बीच, राजधानी ने संक्रमण की रोकथाम के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय यात्रा करके आने वालों को पृथक रखे जाने संबंधी नियमों को कड़ा किया है।

चीन की ओर से संक्रमण को 'मूलतः काबू' किए जाने की घोषणा के बाद अब अधिकारी दूसरे देशों से आए संक्रमण के मामलों को लेकर चिंतित हैं। बेजिंग शहर की सरकार ने आदेश दिया है कि सोमवार से विदेशों से आने वाले लोगों को 14 दिनों के लिए पृथक केंद्रों में रहना होगा। यात्रियों को पहले घर पर ही अनिवार्य रूप से पृथक रहने की अनुमति दी गई थी लेकिन अब केवल खास परिस्थिति वाले लोगों को ही नए नियम से छूट मिलेगी और पृथक केंद्रों में भेजे जाने वालों को इसका भुगतान करना होगा। हालांकि, अधिकारियों ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन यात्रियों को नए पृथक नियमों से छूट दी जाएगी। चीन में अब तक विदेश से आए कुल 123 लोगों में कोरोना संक्रमण की जानकारी मिली है।

स्पेन में 24 घंटे में आए एक हजार नए मामले

मेड्रिड/ मनामा, 16 मार्च (एएफपी)।

कोरोना वायरस से इटली के बाद स्पेन यूरोप का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। स्पेन में सोमवार को कोराना वायरस संक्रमण के करीब एक हजार नए मामले आए। वहीं, बहरीन में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय में आपात स्थिति के समन्वयक फर्नांडो सिमोन ने बताया कि सोमवार को करीब एक हजार नए मरीज सामने आए हैं जिसके साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 8,744 हो गई है।

उन्होंने बताया कि नौ और मौतों के साथ देश में कोरोना वायरस से मरने वाली की संख्या 297 तक पहुंच गई है। हालांकि, गत सप्ताहांत के मुकाबले यह संख्या कम है क्योंकि शनिवार और रविवार के बीच 2,000 नए मामले आए थे और 100 लोगों की मौत हुई थी। सिमोन ने बताया कि मेड्रिड स्पेन का सबसे प्रभावित इलाका है क्योंकि यहां 4,665 लोग संक्रमित पाए गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आपात सेवाओं को छोड़ सभी सेवाओं को बंद करने और 4.6 करोड़ आबादी को घर में ही रहने का आदेश दिया गया है। प्रशासन केवल खाना और दवाएं खरीदने या इलाज के लिए ही घर से निकलने की अनुमति दे रहा है।

बहरीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि कोरोना वायरस से एक महिला की मौत की पुष्टि हुई है और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्यों देशों में इस वायरस के संक्रमण से यह पहली मौत है। मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया, '65 वर्षीय महिला पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से ग्रस्त थी।' हालांकि, जीसीसी के सदस्य देशों में अबतक एक हजार के करीब मामले आ चुके हैं। संक्रमित मरीजों में अधिकतर ईरान की यात्रा करने वाले हैं। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, बहरीन, कतर और ओमान जीसीसी के सदस्य हैं और इस महामारी पर काबू पाने के लिए सीमा को बंद करने सहित सख्त कदम उठाए हैं।

इस बीच, हंगरी यूरोप का नया देश है जिसने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक जीवन पर पाबंदियां लगाई हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बन ने सोमवार को संसद में दिए भाषण में कहा, "हम यात्रियों के लिए सीमाओं को बंद कर रहे हैं। इसपर समन्वय करने के लिए अतंरराष्ट्रीय बात चल रही है।

ट्रंप ने लोगों से जरूरी सामान एकत्र नहीं करने की अपील की

वाशिंगटन, 16 मार्च (भाषा)।

कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर जरूरी दैनिक घरेलू सामान खरीदने के लिए मची होड़ के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जनता से अपील की है कि वह गैरजरूरी तौर पर सामान एकत्र नहीं करें। उन्होंने कहा कि देश की आपूर्ति श्रृंखला दुनिया में सबसे मजबूत है और यहां दैनिक उपयोग के सामान की कोई कमी नहीं है।

देश में मुख्यधारा की मीडिया के चैनलों और अखबारों में आई वीडियो और तस्वीरों में किराना दुकानों की खाली अलमारियों को दिखाया गया है। इटली और स्पेन जैसे यूरोपीय देशों में तालाबंदी के हालात की खबरों के कारण अमेरिकी नागरिकों में चिंता की भावना पैदा हुई, जिसके चलते लोगों ने कई हफ्तों के लिए सामान इकट्ठा कर लिया।

ऐसे हालात के मद्देनजर ट्रंप ने रविवार को किराना स्टोर चलाने वाली कंपनियों के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की थी। दर्जन भर किराना स्टोर संचालकों के साथ बैठक के बाद ट्रंप ने वाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों को बाहर निकलना और खरीदना नहीं चाहिए। तसल्ली रखिए। लोग जा रहे हैं और अधिक खरीदारी कर रहे हैं। हम अच्छा कर रहे हैं और यह समय बीत जाएगा।

कोरोना से ईरान में एक दिन में 129 लोगों की मौत

अब तक 853 लोगों की मौत हुई

तेहरान, 16 मार्च (एपी)।

- अब तक इस वायरस से सोमवार को एक ही दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं।
- वरिष्ठ अधिकारी भी संक्रमण की चपेट में।
- ईरान के 80 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई को भी सावधानी बरतते हुए हाल के कार्यक्रम में हाथों में दस्ताने पहने हुए देखा गया। प्रकोप से निपटने वाले अभियान का नेतृत्व कर रहे अली रेजा जाली ने कहा कि अगर यह हालात बरकरार रहे तो यह हमारे पास उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी पड़ सकता है।

ईरान में सोमवार को एक ही दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 129 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 853 तक पहुंच गया जबकि संक्रमण के 14,991 पुष्ट मामले हैं। पश्चिम एशिया क्षेत्र में ईरान में कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे अधिक है।

महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक इस वायरस से सोमवार को एक ही दिन में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। इतना ही नहीं वरिष्ठ अधिकारी भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। फार्स और तस्नीम न्यूज एजंसी ने सोमवार को बताया कि विशेषज्ञों की समिति के एक सदस्य, जिसके पास देश के सर्वोच्च नेता को नामित और निष्काषित करने की शक्ति है, की भी कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत हो गई। अयातुल्लाह हाशेम बठाई (78) ईरान के हाल के उन वरिष्ठ अधिकारियों में शुमार हैं, जिनकी इस वायरस से मौत हुई है। ईरान के 80 वर्षीय सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई को भी सावधानी बरतते हुए हाल के कार्यक्रम में हाथों में दस्ताने पहने हुए देखा गया। प्रकोप से निपटने वाले अभियान का नेतृत्व कर रहे अली रेजा जाली ने कहा कि अगर यह हालात बरकरार रहे तो यह हमारे पास उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी पड़ सकता है। तेहरान के अस्पतालों में 30,000 बिस्तरों के साथ ही देशभर के अस्पतालों में करीब 110,000 बिस्तरों की क्षमता है।

अमेरिका स्थित यूएसए इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने कहा

कोरोना से निपटने की मोदी की कार्ययोजना प्रशंसनीय

वाशिंगटन, 16 मार्च (भाषा)।

- मोदी ने दक्षेस देशों के सदस्यों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कोविड-19 आपात कोष बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए शुरुआत में भारत ने एक करोड़ अमेरिकी डालर देने की पेशकश की है।

अमेरिका स्थित यूएसए इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स (यूएसएआइसी) ने कोरोना से निपटने के लिए दक्षेस देशों के साथ बनाई गई मोदी की कार्ययोजना की प्रशंसा की है। समूह ने कहा कि ऐहतियाती कदम उठाने को लेकर बनाई गई यह रणनीति इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए शानदार पहल है।

मोदी ने रविवार को दक्षेस देशों के सदस्यों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में कोविड-19 आपात कोष बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके लिए शुरुआत में भारत ने एक करोड़ अमेरिकी डालर देने की पेशकश की है। मोदी ने जोर देकर कहा कि महामारी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका एक साथ आना होगा। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये संवाद में मोदी के अलावा श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य ममलों पर विशेष सहायक जफर मिर्जा शामिल हुए। यूएसए इंडिया चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (यूएसएआईसी) के करुण रिषी ने कहा, 'नोवेल कोरोना वायरस से निपटने के लिए दक्षेस नेताओं के साथ संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के विचार और उनकी कार्य योजना प्रशंसनीय है। ऐहतियाती कदम उठाने को लेकर बनाई गई यह रणनीति इस अभूतपूर्व स्थिति से निपटने के लिए शानदार पहल है।'

पिछले साल दिसंबर में चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ कोरोना वायरस अब तक 135 देशों और क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले चुका है। इससे अबतक 6500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 169,000 लोग संक्रमित हैं।

भारतीय-अमेरिकी डॉक्टरों ने कोरोना से निपटने के ट्रंप प्रशासन के तरीके की प्रशंसा की

वाशिंगटन, 16 मार्च (भाषा)।

अमेरिका में प्रभावशाली भारतीय-अमेरिकी चिकित्सा समुदाय ने कोरोना वायरस प्रकोप से निपटने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के कदमों की सराहना की है। अमेरिका में वायरस के चलते 69 लोगों की जान चली गई है और 3,700 से अधिक लोग संक्रमित हैं।

अमेरिकी-भारत संबंधों के समर्थक अल मासोन के जरिए बयान में अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडियन ऑरिजन (एएपीआई) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र कुमार ने कहा, 'कोरोना वायरस की स्थिति से सक्रियता से निपटने का ट्रंप प्रशासन का तरीका सराहनीय है।' अमेरिका में भारतीय मूल के अमेरिकी डॉक्टरों की तादाद 1,00,000 के करीब है। ग्लोबल रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट, एजुकेशनल एंड हॉस्पिटल के सलाहकार मासोन ने बताया कि संकट के मद्देनजर बड़ी संख्या में भारतीय-अमेरिकी चिकित्सक हर वक्त काम कर रहे हैं। डॉक्टर कुमार ने बताया कि कोरोना वायरस पर वाइट हाउस टास्क फोर्स ने बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सभी जरूरी संसाधनों का इस्तेमाल किया है।

ऑस्ट्रेलिया में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 350 हुई

मेलबर्न, 16 मार्च (भाषा)।

ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सोमवार को बढ़कर 350 हो गई। देश के कुछ राज्यों ने आपातकाल जैसी स्थिति घोषित करते हुए पृथकता नियमों को तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने रविवार को घोषणा की कि विदेश से ऑस्ट्रेलिया आने वाले किसी भी व्यक्ति को दो सप्ताह तक खुद को अलग रखना होगा। साथ ही विदेशी बंदरगाहों से आने वाले जहाजों को ऑस्ट्रेलिया में ठहरने नहीं दिया जाएगा। न्यू साउथ वेल्स से रविवार से 37 मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 171 हो गई है। विक्टोरिया में 13 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही इसकी चपेट में आए लोगों की संख्या 71 हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में दो बुजुर्ग महिलाओं की मौत के बाद मृतकों की संख्या पांच हो गई है। कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है जबकि विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड सरकारों ने पृथकता नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है।

भारतीय-अमेरिकी संगठनों ने संभाली मदद की कमान

वाशिंगटन, 16 मार्च (भाषा)।

अमेरिका के कई प्रमुख भारतीय-अमेरिका समूहों ने कोरोना संकट से प्रभावित भारतीय छात्रों समेत समुदाय के अन्य सदस्यों की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू करने के साथ ही स्वयंसेवियों की तैनाती की है।

कोविड-19 वैश्विक महामारी ने देश में 3,777 लोगों को संक्रमित किया है और 69 लोगों की इसके चलते मौत हो गई है। देश ने यात्रा प्रतिबंध लागू कर, स्कूल, रेस्तरां और बार बंद करने के साथ ही मनोरंजक कार्यक्रमों को रद्द कर वायरस को रोकने के प्रयासों को तेज कर दिया है। प्रमुख भारतीय-अमेरिकी गैर लाभकारी संगठन, सेवा इंटरनेशनल ने अपनी हर वक्त चालू हेल्पलाइन के संचालन के लिए और 20 फीजिशियनों की टीम के जरिए कोरोना वायरस जागरूकता अभियान चलाने के लिए 10,000 डॉलर दिए हैं। इसके अलावा संगठन ने देश भर में कई इकाइयां स्थापित की हैं जो भारतीय दूतावास एवं वाणिज्य दूतावासों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आपात स्थिति में परिवारों को भारत यात्रा के लिए वीजा मिल सके।

सेवा इंटरनेशनल के अध्यक्ष प्रोफेसर श्री श्रीनाथ ने कहा, 'अमेरिकी विश्वविद्यालयों में ढाई लाख से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं। 300 से ज्यादा विश्वविद्यालय बंद हो गए हैं और कुछ ने अपने छात्रावस भी बंद कर दिए हैं। सेवा को ऐसे विश्वविद्यालय से भारतीय विदेशी छात्रों के फोन आए हैं जो भावनात्मक, स्वास्थ्य और आर्थिक दृष्टि से उबरने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं।' श्रीनाथ ने कहा, 'हमें भारत से भी कुछ चिंतित परिजन के फोन आए हैं।' आपदा प्रबंधन के लिए सेवा के उपाध्यक्ष स्वदेश कटोच ने कहा, '20 फीजिशियनों की एक टीम सेवा कोरोना वायरस हेल्पलाइन के जरिए मुफ्त सलाह देने में सेवा की मदद कर रही है। देश के 20 बड़े शहरों में 400 से अधिक स्वयंसेवी इस मुश्किल वक्त में मदद देने के लिए अथक मेहनत कर रहे हैं।' संगठन के स्वयंसेवक मुफ्त भोजन, किराने के सामान की खरीदारी और डॉक्टर के पास जाने में बुजुर्गों की मदद और यात्रा एवं वीजा संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे लोगों की मदद समेत कई सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।

लागोस में विस्फोट में मरने वालों की संख्या 17 हुई

लागोस, 16 मार्च (एएफपी)।

नाइजीरिया के सबसे बड़े शहर लागोस में रविवार को हुए कथित गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या सोमवार को बढ़कर 17 हो गई है। रविवार को यह विस्फोट तेल पाइपलाइन के पास हुआ जिसमें कई इमारतें, लॉरी और कारें नष्ट हो गईं। लागोस की प्रांतीय सरकार ने ट्वीट किया है, 'मलबे से अभी तक 17 शव निकाले गए हैं, 25 लोग घायल हुए हैं। सभी का मौके पर इलाज चल रहा है।' अधिकारियों ने रविवार को बताया था कि हादसे में 15 लोगों की मौत हुई है।

जर्मनी ने सीमाओं को नियंत्रित करना शुरू किया

बर्लिन, 16 मार्च (एएफपी)।

कोरोना वायरस प्रकोप के मद्देनजर जर्मनी ने सोमवार से ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, लक्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड के साथ सटी सीमाओं को नियंत्रित करना शुरू कर दिया।

पाक में 41 नए मामलों के साथ आंकड़ा 94 तक पहुंचा

इस्लामाबाद, 16 मार्च (भाषा)।

- पंजाब प्रांत ने त्वरित तैयारियों के तहत सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और छात्रावासों को पृथक केंद्रों में तब्दील किया है

पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 41 नए मामले सामने आने के साथ ही सोमवार को देश में इसका आंकड़ा बढ़कर 94 हो गया है। रविवार तक कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 53 थी। सभी नए मामलों का पता दक्षिणी सिंध प्रांत में चला, जहां सरकार के प्रवक्ता मुर्तजा वहाब ने कहा कि ये वह लोग थे, जिन्हें ईरान की सीमा पर ताफतान से सिंध स्थानांतरित किया गया था।

उन्होंने बताया कि और नतीजे आए हैं। इस तरह सिंध में संक्रमितों की संख्या 76 तक पहुंच गई है। इन 76 मरीजों में से दो की सेहत में सुधार हुआ और बाकी 74 को पृथक रखा गया है। हाल के नए मामलों के जुड़ने के बाद देश में आंकड़ा 94 तक पहुंच गया है। इस बीच, सरकार महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए कदम उठा रही है। इसके मद्देनजर पंजाब प्रांत ने त्वरित तैयारियों के तहत सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और छात्रावासों को पृथक केंद्रों में तब्दील किया है।

कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान के सभी शिक्षण संस्थानों को पांच अप्रैल तक बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कहा था कि वह देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर घोषणा की कि वह इससे निपटने के लिए उपायों के बारे में लोगों को विश्वास में लेने के लिए जल्द ही देश को संबोधित करेंगे।

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)
जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है

पंजाब एण्ड सिंध बैंक
जोनल आफिस-II, बी-38/39, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-I, नारायणा, नई दिल्ली - 110028

ई-नीलामी सूचना

चल/अचल बंधक सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी के लिए सार्वजनिक सूचना,
ईएमडी (धरोहर राशि) तथा दस्तावेजों को जमा करने की अंतिम तिथि व समय : 30.03.2020 को सांय 4.00 बजे तक

बैंक के प्रभाराधीन चल एवं अचल आस्तियों की वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन बिक्री। **पंजाब एण्ड सिंध बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी/अधिकारीगण निम्नलिखित ऋण खातों में नीचे दिए विवरण के अनुसार बैंक की बकाया राशि तथा उस पर ब्याज की वसूली के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 (2002 का 54) के साथ पठित धारा 13(2) के तहत नीचे खाते के सामने वर्णित तिथि को जारी की गई सूचना के अनुसरण में अधोवर्णित सम्पत्तियों का कब्जा उनको **"जैसा है जहां है" तथा "जो है जैसा है"** आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित प्राप्त कर चुके हैं और जबकि बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने के परिणामस्वरूप, अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंक की बकाया राशि की वसूली का प्रस्ताव किया जाता है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री **(https://www.disposalhub.com/PSB)** वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी।

अच/अचल सम्पत्ति का विवरण

क्र. सं.	शाखा एवं खाते का नाम	सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति मालिक का नाम	मांग सूचना की तारीख / बकाया राशि (सुरक्षित ऋण)	ई एम डी प्रेषण खाते का विवरण	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि / बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी का विवरण	सम्पत्ति निरीक्षण की तिथि व समय	ई-नीलामी की तिथि/समय
1	पीएसबी, नया बाजार / इंदू और दीपक	सम्पत्ति नं. – द्वितीय तल सम्पत्ति नं. 93, रेक्ट नं. –30, किला नं. 06, गाँव खुरेजी खास, सरोजिनी पार्क कॉलोनी, गली नं. 15, शिव काली मंदिर के पास, शास्त्री नगर, दिल्ली – 110031 में स्थित	16-12-2019 / रु. 48,71,232.05 दिनांक 29.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	खाता नं. 01751000052045 A/c Name : EMD AUCTION A/C DEEPAK & INDU Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE : PSIB0000175	₹ 36.00 लाख / ₹ 3.60 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री मोतीलाल कोटार्य शाखा: नया बाजार	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	31-03-2020 पूर्वाह्न 10.00 बजे से पूर्वाह्न 11.00 बजे तक
2	पीएसबी, पीरागढ़ी / जोगिंदर सिंह और भूपिंदर कौर	द्वितीय तल (बैक साइड) छत के अधिकार के साथ, संपत्ति नं. 34–बी, ब्लॉक बी–2, खसरा नं. 13/3, ग्राम मटियाला, कॉलोनी सेवक पार्क, उत्तम नगर, नई दिल्ली– 110059 में स्थित	18.11.2013 / रु. 30,86,305.30 दिनांक 29.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	खाता नं. 04131000040829 A/c Name : EMD AUCTION A/C Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE PSIB0000413	₹ 28.00 लाख / ₹ 2.80 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री राजीव कुमार त्यागी शाखा : पीरागढ़ी	25-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	31-03-2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक
3	पीएसबी, पीरागढ़ी / पवरटेक कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	एमआईजी तृतीय तल, फ्लैट नं. 27, विद्या अपार्टमेंट, प्लॉट नं. 12, ज़ोन 17, पश्चिम विहार, दिल्ली 110087 में स्थित	20.05.2014 / रु. 1,65,70,824.46 दिनांक 29.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	खाता नं. 04131000040829 A/c Name : EMD AUCTION A/C Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE PSIB0000413	₹ 66.00 लाख / ₹ 6.60 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री राजीव कुमार त्यागी शाखा : पीरागढ़ी	24.03.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	31-03-2020 दोपहर 12.00 बजे से अपाह्न 01.00 बजे तक
4	पीएसबी, राजौरी गार्डन / राज कुमार	WZ-24, तृतीय तल, छत के अधिकार के साथ, खसरा नं. 115/79/2, जोकि गाँव नंगली के जालिब के रैवेन्यू ईस्टेट में, जनकपुरी, नई दिल्ली में स्थित	26.04.2016 / रु. 80,51,518.60 दिनांक 29.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	खाता नं. 00751000071342 A/c Name : EMD AUCTION A/C RAJKUMAR Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE PSIB0000075	₹ 30.00 लाख / ₹ 3.00 लाख / ₹ 1.00 लाख	सुश्री एवलीन कौर शाखा : कीर्ति नगर	23.03.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	31-03-2020 11.00 AM to 12.00 Noon
5	पीएसबी, राजौरी गार्डन / आशी राजीव रॉय	WZ-24, द्वितीय तल, खसरा नं. 115/79/2, जोकि गाँव नंगली के जालिब के रैवेन्यू ईस्टेट में, जनकपुरी के पास, नई दिल्ली में स्थित	26.04.2016 / रु. 80,16,113.10 दिनांक 29.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	खाता नं. 00751000071343 A/c Name : EMD AUCTION A/C ASHI RAJEEV ROY Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE PSIB0000075	₹ 36.00 लाख / ₹ 3.60 लाख / ₹ 1.00 लाख	सुश्री एवलीन कौर शाखा : कीर्ति नगर	23.03.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	31-03-2020 दोपहर 12.00 बजे से अपाह्न 01.00 बजे तक
6	पीएसबी, राजौरी गार्डन / रचना और राज कुमार	WZ-24, प्रथम तल, खसरा नं. 115/79/2, जोकि गाँव नंगली के जालिब के रैवेन्यू ईस्टेट में, जनकपुरी के पास, नई दिल्ली में स्थित	10.10.2016 / रु. 77,19,421.00 दिनांक 29.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	खाता नं. 00751000071481 A/c Name : EMD AUCTION A/C RACHNA Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE: PSIB0000075	₹ 38.00 लाख / ₹ 3.80 लाख / ₹ 1.00 लाख	सुश्री एवलीन कौर शाखा : कीर्ति नगर	23.03.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	31.03.2020 अपाह्न 01.00 बजे तक अपाह्न 02.00 बजे तक
7	पीएसबी, राजौरी गार्डन / विनोद कुमार	WZ-24, ऊपरी भूतल, खसरा नं. 115/79/2, जोकि गाँव नंगली के जालिब के रैवेन्यू ईस्टेट में, जनकपुरी के पास, नई दिल्ली में स्थित	10.10.2016 / रु. 82,41,987.74 दिनांक 29.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	खाता नं. 00751000071482 A/c Name : EMD AUCTION A/C VINOD Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE PSIB0000075	₹ 45.00 लाख / ₹ 4.50 लाख / ₹ 1.00 लाख	सुश्री एवलीन कौर शाखा : कीर्ति नगर	23.03.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	31.03.2020 अपाह्न 02.00 बजे तक अपाह्न 03.00 बजे तक
8	पीएसबी, कशमीरी गेट / पूनम और अमित कुमार सिंह	प्रथम तल, सम्पत्ति नं. 10055–सी, खसरा नं. 428/309, गाँव बाबरपुर, मेन गली नं. 05, कॉलोनी, वैस्ट गौरख इलाका शाहदरा, दिल्ली–110032 में स्थित	18.07.2017 / रु. 31,08,839.01 दिनांक 29.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	खाता नं. 01141100005347 A/c Name : EMD KASHMERE GATE Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE PSIB0000114	₹ 18.00 लाख / ₹ 1.80 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री सुरेन्द्र कुमार सिरोहा शाखा: ज्वाला हेरी	19.03.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	31.03.2020 अपाह्न 01.00 बजे तक अपाह्न 02.00 बजे तक
9	पीएसबी, कशमीरी गेट / अजय आनंद और सोनिया आनंद	प्रथम तल का बैक साइड, प्राइवेट फ्लैट नं. 03, सम्पत्ति नं. ए–32 का राइट हैंड हिस्सा, ब्लॉक–ए, कॉलोनी शालीमार गार्डन एक्सटेन्शन II, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित	16.09.2017 / रु. 43,70,982.22 दिनांक 29.02.2020 तक प्लस भविष्य का ब्याज, खर्चे और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	खाता नं. 01141100005347 A/c Name : EMD KASHMERE GATE Name of the Beneficiary : PUNJAB & SIND BANK IFSC CODE PSIB0000114	₹ 27.00 लाख / ₹ 2.70 लाख / ₹ 1.00 लाख	श्री सुरेन्द्र कुमार सिरोहा शाखा: ज्वाला हेरी	20.03.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपॉ. 04.00 बजे तक	31.03.2020 दोपहर 12.00 बजे से अपाह्न 01.00 बजे तक

नियम व शर्तें:–

1. ई–नीलामी **"जैसा है जहां है" तथा "जैसा है जोभी है"** आधार पर आयोजित की जा रही है
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, किसी भी सम्पत्ति पर कोई ऋणभार नहीं है। तथापि इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार, नीलामी में रखी गई सम्पत्ति/यों के स्वामित्व तथा सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं स्वतंत्र जांच, अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, कर लेनी चाहिए। ई–नीलामी विज्ञापन, बैंक की कोई वचनबद्धता निर्मित नहीं करता है और न कोई वचनबद्धता या प्रतिनिधित्व करता समझा जाएगा। सम्पत्ति की बिक्री बैंक को ज्ञात और अज्ञात समस्त विद्यमान और भावी ऋणभारों सहित की जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत क्रेडिटर किसी तृतीय पक्ष दावों/अधिकारों/देय राशियों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. **बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण और संतुष्ट करने की बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी।**
4. **इच्छुक बोलीदाता जिन्होने धरोहर राशि जमा कर दी है वे लॉगईन आईडी एवं पासवर्ड बनाने, डाटा अपलोडिंग करने, बोली जमा करने, ई–बिडिंग प्रक्रिया पर प्रशिक्षण इत्यादि में अपेक्षित सहायता के लिए हैल्प लाईन न. +91-124 4233933, +91 98100 29926, हैल्प लाईन ई–मेल आईडी: csd@disposalhub.com से सम्पर्क कर सकते है**
5. एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से धरोहर राशि जमा करने के पश्चात ही, वेलिड यूजर आई डी और पासवर्ड धारक बोलीकर्ता ही ई–नीलामी में भाग ले सकेंगें।
6. दिनांक 30.03.2020 समय अप. 04:00 तक ऑनलाइन माध्यम से अपनी ईएमडी जो आरक्षित मूल्य से कम न हो, जमा करने वाले इच्छुक निविदाकार ई–निविदाकरण प्रक्रिया में भागीदारी के लिए पात्र होंगे। उपर्युक्त संपत्तियों की ई–नीलामी प्रत्येक संपत्ति के लिए निर्दिष्ट तिथि और समय पर निविदाकारों के बीच परस्पर बोली द्वारा आयोजित की जायेगी। निविदाकार प्रत्येक संपत्ति के लिए कॉलम "बोली वृद्धि राशि" के तहत बतायी राशि के गुणक के अपने प्रस्ताव बढ़ा सकेंगे। यदि ई–नीलामी समाप्ति के अंतिम 5 मिनटों में कोई बोली की जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट बढ़ (5 मिनट अवधि के सीमित विस्तारों के तहत) जायेगा। निविदाकार जो ई–नीलामी प्रक्रिया समाप्ति पर उच्चतम बोली (आरक्षित मूल्य से कम न हो) जमा करता है वह सफल बोलीकार घोषित किया जायेगा और इलैक्ट्रोनिक माध्यम से इस प्रभाव की सूचना दी जायेगी जो प्राधिकृत अधिकारी/प्रत्याभूत लेनदार द्वारा अनुमोदन के तहत होगी।
7. सफल बोलीकार की धरोहर राशि (ईएमडी) बिक्री राशि में समायोजन के लिए रोक ली जायेगी और असफल निविदाकारों की ईएमडी वापस कर दी जायेगी। धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं होगी। सफल बोलीकार को ईएमडी राशि समायोजित करते हुए बिक्री मूल्य की 25% राशि बोली मूल्य स्वीकार होने की 48 घंटों में प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करनी होगी और बिक्री मूल्य की शेष 75% राशि बिक्री के 15वें दिन या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विवेक से लिखित में सहमत ऐसी किसी विस्तारित अवधि में जमा करनी होगी। सफल बोलीकार द्वारा भुगतान में चूक पर पूर्व में ऑफर द्वारा जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा और संपत्ति की पुनः नीलामी की जायेगी और चूककर्ता कर्जदार का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
8. संभावी अर्ह बोलीकार ई–नीलामी की तिथि से पूर्व **मैसर्स नैक्सन सल्यूशन्स प्रा. लि.** से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। किसी इंटरनेट नेटवर्क समस्या के लिए न तो प्राधिकृत अधिकारी/बैंक और न ही **मैसर्स नैक्सन सल्यूशन्स प्रा. लि.** जिम्मेदार होगा और इच्छुक बोलीकार स्वयं सुनिश्चित करें कि वे ई–नीलामी में भागीदारी के लिए तकनीकी रूप में सुसज्जित हैं।
9. लागू स्टाम्प ड्यूटी/अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी/हस्तांतरण प्रभार, शुल्कों आदि और पूर्व में और भविष्य में किसी को देय सभी सांविधिक/गैर–सांविधिक देयों, करों, दरों, निर्धारण प्रभारा, शुल्क आदि क्रेता को स्वयं वहन करने होंगे।
10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और प्राधिकृत अधिकारी को बिना कोई कारण दिये किसी या सभी प्रस्ताव (ओं) को स्वीकार या अस्वीकार करने/ई–नीलामी को रोकने/स्थगित/रद्द करने का अधिकार होगा।
11. बोलीकारों को सलाह है कि अपनी निविदा जमा करने और ई–नीलामी में भागीदारी से पूर्व **मैसर्स नैक्सन सल्यूशन्स प्रा. लि.** की वेबसाइट **https://www.disposalhub.com/PSB** पर उपलब्ध ई–नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों को अच्छी तरह देख–समझ लें।

सरफासी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत सांविधिक 30 दिन बिक्री सूचना

नोटः यदि बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया तो उपरोक्त तिथि पर प्रत्याभूत परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी आयोजित करने के संबंध में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत उपर्युक्त ऋण के कर्जदार/जमानतियों/बंधककर्ताओं को यह भी एक सूचना है।

तिथि : 18.03.2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिंध बैंक

www.readwhere.com

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक

punjab national bank ...the name you can BANK upon!

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

वसूली विभाग, सर्कल कार्यालय : उत्तरी दिल्ली तीसरा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110125
फोन : 011-25744163, ई–मेल : condelrd@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस.

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि	कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण – बंधक/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में)	ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि)	बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एनकम्ब्रेन्स का विवरण प्राधिकृत ऑफिसर का नाम एवं पता
1	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स, श्रीमती मधु गुलाटी (प्रोप.)/श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा, श्री अमरजीत सिंह कालरा, जसपाल सिंह (गारंटर्स) डब्ल्यू–113, स्ट्रीट नं. 34, भूतल, संत गढ़, एमबीएस नगर, दिल्ली –110018	21.05.2019	रु. 3317.16 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	07.11.2019	भौतिक	फ्रीहोल्ड द्वितीय तल बिना छत/टेरेस के अधिकारों के साथ निर्मित संपत्ति नं. ए–2/122, जोकि गाँव बसई दारा पुर जिसे अब रजोरी गार्डन कहते है, नई दिल्ली 110027 में स्थित, क्षेत्रफल 241.9 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी अमरजीत सिंह कालरा के नाम पर है।	रु. 150.00 लाख	रु. 15.00 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
2	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स, (ईएमएस एक्पोर्ट में भी) श्रीमती मधु गुलाटी (प्रोप.)/श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा, श्री अमरजीत सिंह कालरा, जसपाल सिंह (गारंटर्स) डब्ल्यू–113, स्ट्रीट नं. 34, भूतल, संत गढ़, एमबीएस नगर, दिल्ली –110018	21.05.2019	रु. 3317.16 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	15.11.2019	भौतिक	फ्रीहोल्ड प्रथम तल बिना छत/टेरेस के अधिकारों के साथ निर्मित रिहायशी संपत्ति नं. सी–130, जोकि गाँव बसई दारा पुर जिसे अब मानसरोवर गार्डन कहते है, नई दिल्ली 110015 में स्थित, क्षेत्रफल 310 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी अमरजीत सिंह कालरा के नाम पर है।	रु. 303.00 लाख	रु. 30.30 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
3	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स, श्रीमती मधु गुलाटी (प्रोप.)/श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा, श्री अमरजीत सिंह कालरा, जसपाल सिंह (गारंटर्स) डब्ल्यू–113, स्ट्रीट नं. 34, भूतल, संत गढ़, एमबीएस नगर, दिल्ली –110018	21.05.2019	रु. 3317.16 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	23.12.2019	भौतिक	फ्री होल्ड मकान नं. 41 बी., खसरा नं. 1372/310, 1375/311, 1366/307/2, 1367/308-312/1] खाता नं. 160/165, गाँव ध्रोकी के रेवेन्यू ईस्टेट में, हदबस्त नं. 155, ओसी गार्डन, तहसील और जिला लुधियाना पंजाब में स्थित, यह सम्पत्ति मधु गुलाटी पत्नी जसपाल सिंह के नाम पर है। क्षेत्रफल 125 वर्ग गज	रु. 12.50 लाख	रु. 1.25 लाख [22.04.2020]	रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
4	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स, श्रीमती मधु गुलाटी (प्रोप.)/श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा, श्री अमरजीत सिंह कालरा, जसपाल सिंह (गारंटर्स) डब्ल्यू–113, स्ट्रीट नं. 34, भूतल, संत गढ़, एमबीएस नगर, दिल्ली –110018	21.05.2019	रु. 3317.16 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	13.11.2019	भौतिक	फ्री होल्ड इंडस्ट्रियल प्लॉट नं. 5/1, धारुहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, रेवाड़ी हरयाणा 122001, यह सम्पत्ति श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी अमरजीत सिंह कालरा के नाम पर है + कच्चे माल और पीए एम्पलीफायरों के तैयार माल के सभी स्टॉक, पीए स्पीकर सिस्टम, पीए चालक यूनिट, डायाफ्राम, रिफ्लेक्स हॉर्न्स, जिप्सी हॉर्न हॉर्न, पीए मेगा फोन, पीए माइक स्टैंड, पीए के सामान का तैयार माल कॉलम स्टैंड और विभिन्न कार स्पीकर वूफर और अन्य संबद्ध उत्पाद + चल प्लांट एवं मशीनरी प्लॉट नं 5/1 में संस्थापित जोकि मैसर्स नेहा एक्सपोर्ट्स के नाम पर, क्षेत्रफल 1089 वर्ग मीटर या 1302.44 वर्ग गज	रु. 166.48 लाख	रु. 16.65 लाख [22.04.2020]	रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
5	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	22.01.2020	भौतिक	फ्रीहोल्ड निर्मित सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रा. नं. 43–ए, सम्पत्ति म्युनिसीपल नं. 2287 का हिस्सा, जोकि गोरे सराई रोड, कौडिया पुल, सराई बर्फखाना, एवसी सेन रोड, दिल्ली–110006 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी एस. अमरजीत सिंह कालरा के नाम पर है। क्षेत्रफल 122.60 वर्ग मी. / 330 वर्ग फीट	रु. 248.00 लाख	रु. 24.80 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
6	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	07.10.2019	सांकेतिक	फ्रीहोल्ड प्रथम तल [GF+ 3 मंजिला बिल्डिंग में] बिना छत के अधिकार के साथ, संपत्ति नं. सी–130 बी, मानसरोवर गार्डन नई दिल्ली–110015 में स्थित, क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी एस. अमरजीत सिंह कालरा के नाम पर है।	रु. 63.00 लाख	रु. 6.30 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
7	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	07.10.2019	सांकेतिक	फ्रीहोल्ड द्वितीय तल, प्रा. नं. 113, (दक्षिणी पश्चिमी हिस्सा), बिना छत/टेरेस के अधिकारों के साथ निर्मित रिहायशी संपत्ति नं. 104ए, जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 540 वर्ग फीट, जोकि गाँव मटियाला, कॉलोनी जिसे अब टी–एक्स., पार्ट– III, (जैन कॉलोनी) कहते है, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी एस. अमरजीत सिंह कालरा के नाम पर है।	रु. 15.00 लाख	रु. 1.50 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
8	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	07.10.2019	सांकेतिक	फ्रीहोल्ड द्वितीय तल बिना छत/टेरेस के अधिकारों के साथ निर्मित रिहायशी संपत्ति नं. सी–130, जोकि गाँव बसई दारा पुर जिसे अब मानसरोवर गार्डन कहते है, नई दिल्ली–110015 में स्थित, क्षेत्रफल 2050 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति एस. अमरजीत सिंह कालरा पुत्र श्री सुरिंदर सिंह कालरा के नाम पर है।	रु. 270.00 लाख	रु. 27.00 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
9	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	07.10.2019	सांकेतिक	फ्रीहोल्ड नीचला भूतल बिना छत/टेरेस के अधिकारों के साथ निर्मित रिहायशी संपत्ति नं. सी–130, गाँव बसई दारा पुर जिसे अब मानसरोवर गार्डन कहते है, नई दिल्ली 110015 में स्थित, यह सम्पत्ति एस. अमरजीत सिंह कालरा पुत्र श्री सुरिंदर सिंह कालरा के नाम पर है। क्षेत्रफल 2050 वर्ग फीट	रु. 128.25 लाख	रु. 12.83 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
10	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	07.10.2019	सांकेतिक	फ्रीहोल्ड ऊपरी भूतल बिना छत/टेरेस के अधिकारों के साथ निर्मित रिहायशी संपत्ति नं. सी–130, सामने और पीछे के आंगन के साथ, गाँव बसई दारा पुर जिसे अब मानसरोवर गार्डन कहते है, नई दिल्ली 110015 में स्थित, क्षेत्रफल 2050 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति श्रीमती जगजीत कौर कालरा पत्नी श्री सुरिंदर कालरा के नाम पर है।	रु. 270.00 लाख	रु. 27.00 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
11	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	07.10.2019	सांकेतिक	फ्रीहोल्ड द्वितीय तल, बिना छत के अधिकारों के साथ निर्मित संपत्ति डब्ल्यू जेड–113, प्लॉट नं. 27 का हिस्सा, खसरा नं. 14/11/2, जोकि गाँव केशो पुर कॉलोनी जिसे अब संत गढ़ कहते है, नई दिल्ली–110018 में स्थित, क्षेत्रफल 315 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति ईएमएस एण्ड एक्सपोर्ट्स के नाम पर के नाम पर है।	रु. 10.20 लाख	रु. 1.02 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
12	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	07.10.2019	सांकेतिक	फ्रीहोल्ड भूतल और प्रथम तल, बिना छत के अधिकारों के साथ निर्मित संपत्ति डब्ल्यू जेड–113, क्षेत्रफल 35 वर्ग गज, प्लॉट नं. 27 का हिस्सा, खसरा नं. 14/11/2, जोकि गाँव केशो पुर कॉलोनी जिसे अब संत गढ़ कहते है, नई दिल्ली–110018 में स्थित, यह सम्पत्ति ईएमएस एण्ड एक्सपोर्ट्स के नाम पर के नाम पर है।	रु. 20.25 लाख	रु. 2.03 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
13	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	23.01.2020	भौतिक	फ्रीहोल्ड द्वितीय तल, बिना छत के अधिकारों के साथ निर्मित संपत्ति डब्ल्यू जेड–15–बी/1, प्लॉट नं. 14 और 15, क्षेत्रफल 153 वर्ग गज, गाँव तिहाड़ कॉलोनी जिसे अब उग्रसेन नगर कहते है, संत पुरा अशोक नगर, नई दिल्ली –110018 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम पर है।	रु. 85.00 लाख	रु. 8.50 लाख [22.04.2020]	रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
14	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	23.01.2020	भौतिक	फ्रीहोल्ड द्वितीय तल, बिना छत के अधिकारों के साथ निर्मित संपत्ति डब्ल्यू जेड–15, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, गाँव तिहाड़ कॉलोनी जिसे अब उग्रसेन मार्केट कहते है, अशोक नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018 में स्थित, यह सम्पत्ति ईएमएस एक्सपोर्ट के नाम पर है।	रु. 45.00 लाख	रु. 4.50 लाख [22.04.2020]	रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
15	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	27.01.2020	भौतिक	फ्रीहोल्ड प्लॉट नं. 1080 पी सैक्टर–1, पटौदी, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 450 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र श्री सुरिंदर सिंह कालरा के नाम पर है।	रु. 55.00 लाख	रु. 5.50 लाख [22.04.2020]	रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
16	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	23.01.2020	भौतिक	फ्रीहोल्ड नीचला तल, बिना छत के अधिकारों के साथ दक्षिणी हिस्सा, निर्मित संपत्ति डब्ल्यू जेड–15, गाँव तिहाड़ कॉलोनी जिसे अब उग्रसेन मार्केट कहते है, अशोक नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018 में स्थित, यह सम्पत्ति ईएमएस एक्सपोर्ट के नाम पर है।	रु. 25.00 लाख	रु. 2.50 लाख [22.04.2020]	रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
17	पीएनबी–शालीमार बाग, दिल्ली मैसर्स ईएमएस एक्सपोर्ट्स, सी–130, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली और फैक्टरी सी–17–18, इंडस्ट्रियल एस्टेट, काशीपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड – 244713 पार्टनर श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र सुरिंदर सिंह और श्री जगजीत कौर कालरा पत्नी सुरिंदर सिंह	25.06.2019	रु. 4815.03 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	23.01.2020	भौतिक	1. सम्पूर्ण प्रथम तल बिना छत/टेरेस अधिकार के, भूमि क्षेत्रफल 89 वर्ग गज (74.41 वर्ग मी.) और सम्पूर्ण द्वितीय तल, बिना छत/टेरेस अधिकार के भूमि क्षेत्रफल 89 वर्ग गज (74.41 वर्ग मी.) निर्मित संपत्ति डब्ल्यू जेड–40बी–1/ए निर्मित प्लॉट नं. 22 एवबी, जिसका खसरा नं. 282, गाँव तिहाड़ कॉलोनी जिसे अब मीनाक्षी गार्डन कहते है, नई दिल्ली–110018 में स्थित 2. सम्पूर्ण प्रथम तल बिना छत/टेरेस अधिकार के, भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (83.60 वर्ग मी.) और सम्पूर्ण द्वितीय तल, बिना छत/टेरेस अधिकार के भूमि क्षेत्रफल 100 वर्ग गज (83.60 वर्ग मी.) निर्मित संपत्ति डब्ल्यू जेड–40बी–1/सी निर्मित प्लॉट नं. 21 जिसका खसरा नं. 282, गाँव तिहाड़ कॉलोनी जिसे अब मीनाक्षी गार्डन कहते है, नई दिल्ली–110018 में स्थित 3. सम्पूर्ण प्रथम तल बिना छत/टेरेस अधिकार के, भूमि क्षेत्रफल 97 वर्ग गज (81.10 वर्ग मी.) और सम्पूर्ण द्वितीय तल, बिना छत/टेरेस अधिकार के भूमि क्षेत्रफल 97 वर्ग गज (81.10 वर्ग मी.) निर्मित संपत्ति डब्ल्यू जेड–40बी–1/बी निर्मित प्लॉट नं. 20, जिसका खसरा नं. 282, गाँव तिहाड़ कॉलोनी जिसे अब मीनाक्षी गार्डन कहते है, नई दिल्ली–110018 में स्थित, यह सम्पत्ति सुरिंदर कौर कालरा के नाम पर है।	रु. 420.00 लाख	रु. 42.00 लाख [22.04.2020]	रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री डीडी सोनी (एजीएम) (मो. नं. 8130694683) शाखा : शालीमार बाग, दिल्ली
18	पीएनबी–एआरएमबी, मयूर विहार फेज II, नई दिल्ली और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और एसबीआई भी **एफई इंडिया लिमिटेड** वर्तमान में परिसमापन के अंतर्गत (कर्जदार), डब्ल्यू–19 ग्रेटर कैलाश–II, नई दिल्ली–110048, श्रीमती अभिलाषा अग्रवाल (निदेशक सह गारंटर सह बंधककर्ता), एस–474, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–II, नई दिल्ली–48, मैसर्स वाईटवुड ट्रेडिंग प्रा. लि. (पूर्व में कृष्णा फिनलेज प्रा. लि.) (गारंटर सह बंधककर्ता) I एफ–2 और एफ –3 डब्ल्यू–19 ग्रेटर कैलाश पार्ट–II नई दिल्ली–48, मैसर्स नेप्च्यून बिल्डमार्ट प्रा. लि. लिमिटेड (गारंटर कम बंधककर्ता) एफ–4 डब्ल्यू–19 ग्रेटर कैलाश पार्ट–II, नई दिल्ली–48, मैसर्स विशेष रियलबिल्ड प्रा. लि. (गारंटर कम बंधककर्ता) एस–3 डब्ल्यू–19 ग्रेटर कैलाश पार्ट–II, नई दिल्ली–48 और अंदाज मर्केट प्रा. लि. (गारंटर) 90/एन, ब्लॉक–ई, तृतीय तल, न्यू अलीपुर, पश्चिम बंगाल–700053	पंजाब नेशनल बैंक 13.07.17 रु. 9343.22 लाख, भारतीय स्टेट बैंक 23.06.17 रु. 4025.35 लाख, केनरा बैंक 16.08.2017 रु. 4910.24 लाख, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 19.07.2017 रु. 2779.91 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे		08.03.2018	सांकेतिक	रिहायशी फ्लैट नं. 401, चतुर्थ तल, अरकोट सेंटर, सहार रोड, नियर ले मेरिडियन होटल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400099, क्षेत्रफल 1871 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स नेप्च्यून बिल्डमार प्रा. लि. के नाम पर है।	रु. 324.00 लाख	रु. 32.40 लाख [17.04.2020]	रु. 25000/-	18.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री सिबानंदा भांजा (एजीएम) मो. नं. 7044070601
19						फ्लैट नं. 404, चतुर्थ तल, अरकोट सेंटर, सहार रोड, नियर ले मेरिडियन होटल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400099, क्षेत्रफल 1478 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स नेप्च्यून बिल्डमार प्रा. लि. के नाम पर है।	रु. 277.20 लाख	रु. 27.72 लाख [17.04.2020]	रु. 25000/-		
20						फ्लैट नं. 403, चतुर्थ तल, अरकोट सेंटर, सहार रोड, नियर ले मेरिडियन होटल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई–400099, क्षेत्रफल 1478 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति मैसर्स नेप्च्यून बिल्डमार प्रा. लि. के नाम पर है।	रु. 277.20 लाख	रु. 27.72 लाख [17.04.2020]	रु. 25000/-		
21	पीएनबी–एमएसएमई पटपड़गंज दिल्ली –110092 मैसर्स एशियन कार्गो मूवर्स श्री बिपुल बंसल, बी–221, तृतीय तल, योजना विहार, नई–110092	02.07.2018	रु. 538.98 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	30-07-2019	भौतिक	फ्रीहोल्ड डुप्लेक्स फ्लैट नं. 17सी सैंथ हाउस और कवर्ड कार पार्किंग पीसी, सूर्या विहार दुन्दाहेड़ा गुड़गांव, हरियाणा –122016, (टेरेस क्षेत्रफल 105 और 745 वर्ग फीट के अनन्य छत क्षेत्र के साथ यूनिट नं. 17सी क्षेत्रफल 2090 वर्ग फीट कुल सेलेबल क्षेत्रफल 2391 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति विपुल बंसल पुत्र गणपति राय बंसल और श्रीमती हर्षिता बंसल पत्नी विपुल बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल 2391 वर्ग फीट कारपेट क्षेत्रफल 2150 वर्ग फीट	रु. 128.80 लाख	रु. 12.80 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री कौशिक नेहाल बेग मो. नं. 7897991900
22	पीएनबी–एमएसएमई पटपड़गंज दिल्ली –110092 मैसर्स एशियन कार्गो मूवर्स श्री बिपुल बंसल, बी–221, तृतीय तल, योजना विहार, नई–110092	02.07.2018	रु. 538.98 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	29.07.2019	भौतिक	फ्रीहोल्ड भूतल दक्षिणी पश्चिमी का पीछे का हिस्सा, (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 54 ब्लॉक सी विवेक विहार, दिल्ली–110095 में स्थित, यह सम्पत्ति विपुल बंसल पुत्र गणपति राय बंसल के नाम पर है। क्षेत्रफल 750 वर्ग फीट (सुपर क्षेत्रफल), 630 वर्ग फीट (कारपेट क्षेत्रफल)	रु. 101.50 लाख	रु. 10.15 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री कौशिक नेहाल बेग मो. नं. 7897991900
23	पीएनबी–खाड़ी बावली दिल्ली–110006 मैसर्स एच डी ट्रेडिंग कंपनी, लाल कृष्ण 1065 गंधी गली, फतेहपुरी दिल्ली 110006	10.07.2018	रु. 54.17 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	31.12.2019	भौतिक	फ्रीहोल्ड प्लॉट नं. 97, ब्लॉक टी, तृतीय तल, सामने की तरफ, बिंदापुर, गाँव शकुर बाजार रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059 में स्थित, क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मी., यह सम्पत्ति लाल कृष्ण पुत्र श्री राम बाबू शर्मा के नाम पर है।	रु. 50.25 लाख	रु. 5.03 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री राजी दीक्षित मुख्य प्रबंधक 8826938222 CLDM (NE) यमुना विहार सुश्री अंजू यादव 8130694637 BM खाड़ी बावली
24	पीएनबी–खाड़ी बावली दिल्ली–110006 मैसर्स अलंकार ऑफसेट प्रिंटर्स नीलू कपूर (प्रोप.)/संजय कपूर (गारंटर) डब्ल्यू जेड82/1, प्रथम तल, खसरा नं. 9/15, गाँव चौखण्डी कॉलोनी जिसे संत गढ़ के नाम से जाना जाता है। हिंद नगर, तिलक नगर, नई दिल्ली–110018	10.07.2018	रु. 41.17 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे	26.02.2020	भौतिक	फ्रीहोल्ड प्रथम तल बिना छत/टेरेस अधिकार के, निर्मित भूमि क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, निर्मित सम्पत्ति नं. WZ-82/1 के पीछे का हिस्सा, एकएफ, खसरा नं. 9/15 में से, गाँव चौखण्डी, कॉलोनी जिसे अब संत गढ़ एक्स कहते है, नई दिल्ली–110018 में स्थित, यह सम्पत्ति संजय कपूर के नाम पर है।	रु. 23.00 लाख	रु. 2.30 लाख [08.04.2020]	रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री राजी दीक्षित मुख्य प्रबंधक 8826938222 CLDM (NE) यमुना विहार सुश्री अंजू यादव 8130694637 BM खाड़ी बावली

Continued to Next Page...

केंद्रीय संस्कृत विवि विधेयक राज्यसभा से भी पास

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 मार्च।

लोकसभा के बाद सोमवार को राज्यसभा में भी केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक पास हो गया। विधेयक पास होने के बाद केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सदन के सभी सदस्यों को विधेयक पास कराने के लिए धन्यवाद दिया।

इसके तहत तीन मानद संस्कृत विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का रास्ता भी साफ हो गया। इनमें राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान–नई दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ–नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ–तिरुपति शामिल हैं।

मंत्री ने कहा कि संस्कृत भाषा भारत की ओर से पूरी मानवता के लिए उपहार है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पास होने के बाद इन तीन विश्वविद्यालयों के माध्यम से संस्कृत भाषा के प्रचार के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध होंगे। ये अवसर न सिर्फ भारतीयों के लिए होंगे बल्कि विदेशी नागरिक भी इसका लाभ उठा सकेंगे। मंत्री ने कहा कि संस्कृत वैज्ञानिक भाषा है। उन्होंने कहा कि दुनिया संस्कृत की ओर से देख रही है और इसलिए भारतीय कॉलेज और विश्वविद्यालयों में ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े विश्वविद्यालयों में इस भाषा को पढ़ाया जा रहा है। मंत्री ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संस्कृत की गुणवत्तापरक, नवाचार युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए पुनीत संकल्प के साथ संस्कृत के तीन मानद विश्वविद्यालयों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों का दर्जा दिए जाने संबंधी को राज्यसभा में पास होने पर सभी देशवासियों को बधाई दी।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पांडेय ने कहा कि आज मेरे जीवन का यह ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस कार्य के लिए बहुत धन्यवाद देता हूं।

दिल्ली में बिना परीक्षा अगली कक्षा में पहुंचेंगे केवी के पांचवीं तक के विद्यार्थी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 16 मार्च।

कोरोना विषाणु के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी प्राथमिक विद्यालयों को 31 मार्च तक के लिए बंद करने का आदेश दिया था। इसको देखते हुए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने भी दिल्ली स्थिति अपने सभी प्राथमिक विद्यालयों को 31 मार्च तक बंद कर दिया था। इस वजह से पांचवीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं भी स्थगित करनी पड़ गई थीं। अब निर्णय लिया गया है कि संगठन अपना दिल्ली स्थित विद्यालयों के पांचवीं तक के विद्यार्थियों की परीक्षाएं नहीं लेगा और उन्हें अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा।

केंद्रीय विद्यालय संगठन में दिल्ली संभाग के उपायुक्त नागेंद्र गोयल ने बताया कि हमने तय किया है कि बच्चों से परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी और बच्चों के पिछले प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा। शिक्षा अधिकार कानून में भी पांचवीं तक किसी भी बच्चे किसी कक्षा में नहीं रोकने के प्रावधान है। उसी प्रावधान के तहत यह निर्णय किया गया है।

दिल्ली पब्लिक स्कूल, विजयपुर
(दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी, नई दिल्ली के तत्वाधान में)
एन.एफ.एल. टॉउनशिप, विजयपुर-473111, जिला गुना (म.प्र.)

संशोधन सूचना

एन.एफ.एल. टॉउनशिप, विजयपुर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में समर्पित, प्रवीण एवं योग्य उम्मीदवारों से पीजीटी (भौतिकी विज्ञान) के पद पर स्थाई नियुक्ति हेतु दिनांक 15.3.2020 को प्रकाशित विज्ञापन में भौतिक विज्ञान के स्थान पर भौतिकी विज्ञान पढ़ा जाये। तथा (सेवायें स्थायीकरण के पश्चात) के स्थान पर (सेवायें स्थायीकरण के पश्चात) पढ़ा जाये। शेष विज्ञापन यथावत रहेगा।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टुरिजम कार्पोरेशन लि.
(भारत सरकार का उपक्रम - मिनी रत्न)
CIN NO – L74899DL1999GOI101707

खुली ई-निविदा आमंत्रण सूचना

आईआरसीटीसी-पश्चिम जोन की ओर से निम्नलिखित खुली ई- निविदा (दो लिफाफा प्रणाली के माध्यम से) आमंत्रित की जाती है :

यूनिट्स	विवरण	ई-निविदा कागजात की उपलब्धता	बोली पूर्व बैठक की तिथि	जमा करने की अंतिम तिथि
ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी)	05 वर्षों की अवधि के लिये पैंट्री कार रहित चिन्हित मेल / एक्सप्रेस/ सुपर फास्ट ट्रेनों में ट्रेन साइड वेंडिंग (टीएसवी) के जरिये ऑनबोर्ड कैटरिंग सेवाओं के प्रावधान के लिये खुली ई-निविदा (5 टीएसवी सेक्शन)।	दि. 16.03.2020 से प्रभावी	दि. 23.03.2020 को 15.00 बजे	दि. 07.04.2020 को 15.00 बजे तक

निविदा कागजात की डाउनलोडिंग तथा सहभागिता वेबसाइट :- www.tenderwizard.com/IRCTC पर की जा सकती है। उपरोक्त विज्ञापन के लिये जारी कोई भी शुद्धिपत्र/ परिशिष्ट, यदि है, तो उसे वेबसाइट www.irctc.com एवं www.tenderwizard.com/IRCTC पर ही प्रकाशित किया जायेगा।
कार्यालय का पता : आईआरसीटीसी लि., क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम जोन), 2 री मंजिल, नई प्रशासनिक भवन, डी एन रोड, मध्य रेलवे, सीएसएमटी मुंबई - 400001. टेली. 022-2618062/63/64

"अपना भोजन ऑनलाइन मंगाने के लिए कृपया www.ecatering.irctc.co.in पर लॉग ऑन करें या टोल फ्री नं. 1323 पर कॉल करें"

Continued from previous page

पंजाब नैशनल बैंक ....भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)
punjab national bank ...the name you can BANK upon!

वसूली विभाग, सर्कल कार्यालय : उत्तरी दिल्ली तीसरा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली–110125
फोन : 011-25744163, ई–मेल : condelrd@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि / मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि / सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि / कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण – बंधक/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	आरक्षित मूल्य (लाख रु. में) / ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) / बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	सुरक्षित लेनदारों को ज्ञात एन्कम्ब्रेन्स का विवरण प्राधिकृत ऑफिसर का नाम एवं पता
25	पीएनबी–कृष्णा नगर, दिल्ली श्री मोहित गौर, 207, पी.टी. नाथू राम बिल्डिंग गाँव घोंडली, कृष्णा नगर दिल्ली 110051	10.07.2017 रु. 107.95 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 08.06.2018 भौतिक	फ्रीहोल्ड आईपी निर्मित भूमि क्षेत्रफल 2480 वर्ग फीट (अर्थात 230.40 वर्ग मीटर), द्वितीय तल, बिना छत के अधिकार के, फ्लैट नं. एस –2, प्लॉट नं. 11 / एसएल–2, गौर शॉपर्स एम्पायर, सेक्टर–11, वसुंधरा, गाजियाबाद, यू.पी. में स्थित, यह सम्पत्ति मोहित गौर और निति गौर के नाम पर है।	रु. 86.00 लाख रु. 8.60 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्रीमती आशा देसाई मो. नं. 8130694640
26	पीएनबी–प्रीत विहार दिल्ली मैसर्स शांतिनाथ पेपर मार्ट एंड शांतिनाथ इंडस्ट्रीज, श्री राजिंदर जैन 3795 /12–13, भगवती मार्केट, गली लोहावली, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006	12.01.2018 रु. 908.93 लाख & 23.10.2018 Rs.99.86 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 13.10.2018 भौतिक	फ्रीहोल्ड रिहायशी फ्लैट नं. ए–6 / 2, द्वितीय तल सामने की तरफ, छत के अधिकार के, भूमि क्षेत्रफल 234 वर्ग गज, राणा प्रताप बाग, दिल्ली–110007 में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रजनी जैन के नाम पर है।	रु. 170.52 लाख रु. 17.06 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री जे.के बादसीवाल मो. नं. 8989996641
27	पीएनबी–प्रीत विहार दिल्ली मैसर्स शांतिनाथ पेपर मार्ट एंड शांतिनाथ इंडस्ट्रीज, श्री राजिंदर जैन 3795 /12–13, भगवती मार्केट, गली लोहावली, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006	12.01.2018 रु. 908.93 lacs & 23.10.2018 Rs.99.86 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 13.10.2018 भौतिक	लीजहोल्ड औद्योगिक सम्पत्ति प्लॉट नं. 42 / 56 पर निर्मागित, साईट IV, औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी –201005 में स्थित, कुल भूमि क्षेत्रफल 660.60 वर्ग मी. और कवर्ड क्षेत्रफल 375 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री राजिन्दर जैन के नाम पर है।	रु. 278.10 लाख रु. 27.81 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री जे.के बादसीवाल मो. नं. 8989996641
28	पीएनबी–प्रीत विहार दिल्ली मैसर्स शांतिनाथ पेपर मार्ट एंड शांतिनाथ इंडस्ट्रीज, श्री राजिंदर जैन 3795 /12–13, भगवती मार्केट, गली लोहावली, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006	12.01.2018 रु. 908.93 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 13.10.2018 भौतिक	फ्रीहोल्ड व्यवसायिक दुकान प्रा. नं. 113, क्षेत्रफल 107 वर्ग फीट लगभग, प्रथम तल सम्पत्ति एमसीडी नं. 3795 (भगवती मार्केट के नाम से जाने है) गली लोहवली, चरखेवला, चावड़ी बाजार, दिल्ली–110006 में स्थित, यह सम्पत्ति राजिन्दर जैन के नाम पर है।	रु. 10.80 लाख रु. 1.08 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री जे.के बादसीवाल मो. नं. 8989996641
29	पीएनबी–प्रीत विहार दिल्ली मैसर्स शांतिनाथ पेपर मार्ट एंड शांतिनाथ इंडस्ट्रीज, श्री राजिंदर जैन 3795 /12–13, भगवती मार्केट, गली लोहावली, चावड़ी बाजार, दिल्ली – 110006	12.01.2018 रु. 908.93 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 13.10.2018 भौतिक	फ्रीहोल्ड दुकान नं. 211 से 213, द्वितीय तल, अजय मार्केट, चावड़ी बाजार, दिल्ली–110006 में स्थित, क्षेत्रफल 264 वर्ग फीट, यह सम्पत्ति रजनी जैन के नाम पर है।	रु. 17.10 लाख रु. 1.71 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री जे.के बादसीवाल मो. नं. 8989996641
30	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली मैसर्स श्री पारस सेनेटरी एंड पाइप्स (प्रा.) लि., कर्जदार श्री प्रवीन कुमार जैन पुत्र श्री सतीश कुमार जैन, 13, द्वितीय तल, ऋषभ विहार दिल्ली 110092	12.07.2017 रु. 539.15 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 06.11.2019 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड दुकान नं. 17, भूतल (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 96 और 99, प्रकाश औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, यू.पी –201005 में स्थित, क्षेत्रफल 10.03 वर्ग मी., सम्पत्ति पर मालिकाना हक **श्री पारस सेनेटरी एंड पाइप्स (प्रा.) लि.**	रु. 4.60 लाख रु. 0.46 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
31	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली मैसर्स श्री पारस सेनेटरी एंड पाइप्स (प्रा.) लि., कर्जदार श्री प्रवीन कुमार जैन पुत्र श्री सतीश कुमार जैन, 13, द्वितीय तल, ऋषभ विहार दिल्ली 110092	12.07.2017 रु. 539.15 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 06.11.2019 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड दुकान नं. 1 से 9, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 और 99, प्रकाश औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, यू.पी –201005 में स्थित, क्षेत्रफल 1008 वर्ग फीट, कम्पनी के नाम पर	रु. 22.50 लाख रु. 2.25 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
32	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली मैसर्स श्री पारस सेनेटरी एंड पाइप्स (प्रा.) लि., कर्जदार श्री प्रवीन कुमार जैन पुत्र श्री सतीश कुमार जैन, 13, द्वितीय तल, ऋषभ विहार दिल्ली 110092	12.07.2017 रु. 539.15 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 06.11.2019 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड दुकान नं. 10, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 और 99, प्रकाश औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, यू.पी –201005 में स्थित, क्षेत्रफल 10.03 वर्ग फीट, कम्पनी के नाम पर	रु. 2.70 लाख रु. 0.27 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
33	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली मैसर्स श्री पारस सेनेटरी एंड पाइप्स (प्रा.) लि., कर्जदार श्री प्रवीन कुमार जैन पुत्र श्री सतीश कुमार जैन, 13, द्वितीय तल, ऋषभ विहार दिल्ली 110092	12.07.2017 रु. 539.15 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 06.11.2019 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड दुकान नं. 11 से 17, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. 86, प्रकाश औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, यू.पी –201012 में स्थित, क्षेत्रफल 756 वर्ग फीट., कम्पनी के नाम पर	रु. 16.20 लाख रु. 1.62 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
34	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली मैसर्स श्री पारस सेनेटरी एंड पाइप्स (प्रा.) लि., कर्जदार श्री प्रवीन कुमार जैन पुत्र श्री सतीश कुमार जैन, 13, द्वितीय तल, ऋषभ विहार दिल्ली 110092	12.07.2017 रु. 539.15 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 06.11.2019 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड दुकान नं. 10, द्वितीय तल (बिना छत के अधिकार के), प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 और 99, प्रकाश औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद, यू.पी –201005 में स्थित, क्षेत्रफल 10.03 वर्ग फीट., कम्पनी के नाम पर	रु. 2.70 लाख रु. 0.27 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
35	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली मैसर्स श्री पारस सेनेटरी एंड पाइप्स (प्रा.) लि., कर्जदार श्री प्रवीन कुमार जैन पुत्र श्री सतीश कुमार जैन, 13, द्वितीय तल, ऋषभ विहार दिल्ली 110092	12.07.2017 रु. 539.15 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 06.11.2019 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड दुकान नं. 3 और 8, भूतल, प्लॉट नं. 86, प्रकाश औद्योगिक क्षेत्र, साहिबाबाद (न्यू) यू.पी –201005 में स्थित, क्षेत्रफल 10.03 वर्ग मी., सम्पत्ति पर मालिकाना हक **श्री पारस सेनेटरी एंड पाइप्स (प्रा.) लि.**	रु. 10.00 लाख रु. 1.00 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
36	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली मैसर्स श्री पारस सेनेटरी एंड पाइप्स (प्रा.) लि., कर्जदार श्री प्रवीन कुमार जैन पुत्र श्री सतीश कुमार जैन, 13, द्वितीय तल, ऋषभ विहार दिल्ली 110092	12.07.2017 रु. 539.15 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 06.11.2019 सांकेतिक	लीजहोल्ड निर्मित सम्पत्ति जी–55, सेक्टर–39, नोएडा, यू.पी में स्थित, यह सम्पत्ति श्रीमती रिम्पी बमोला और श्री राहुल बमोला के नाम पर है। क्षेत्रफल 2672.37 वर्ग फीट / 248.27 वर्ग मी.	रु. 219.00 लाख रु. 21.90 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
37	शाखा : राधे पुरी दिल्ली मैसर्स दीप हर्षी एबीएस मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि., श्रीमती संदलजीत कौर, श्रीमती मनजीत कौर, एच–281, सेक्टर–2, डीएसआईडीसी बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली–110039 और: 27 / 103, डी / 3ए हनुमान गली पांडव नगर शाहदरा, नई दिल्ली–110032	07.06.2019 रु. 315.95 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 03.09.2019 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड सम्पत्ति नं.27 / 103 डी–3ए और नया नं. 351, खसरा नं. 2524 / 838 / 741 में से, गाँव चन्द्रावली, ज्वाला नगर, हनुमान गली, शाहदरा, दिल्ली – 110032 में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 214 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती मंजीत कौर पत्नी श्री जोगा सिंह के नाम पर है।	रु. 139.00 लाख रु. 13.90 लाख [22.04.2020] रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री एस.के. आज़ाद 9810876522 CLDM (EAST) सुश्री ममता 9205824003 BM राधे पुरी
38	शाखा : राधे पुरी दिल्ली मैसर्स दीप हर्षी एबीएस मैन्युफैक्चरिंग प्रा. लि., श्रीमती संदलजीत कौर, श्रीमती मनजीत कौर, एच–281, सेक्टर–2, डीएसआईडीसी बवाना औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली–110039 और: 27 / 103, डी / 3ए हनुमान गली पांडव नगर शाहदरा, नई दिल्ली–110032	07.06.2019 रु. 315.95 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 03.09.2019 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड एमआईजी फ्लैट नं. एस–।, द्वितीय तल, छत के अधिकार के, सम्पत्ति नं. सी –1 / 54, डीएलएफ दिलशाद एक्स–2, लोपुरा, गाजियाबाद में स्थित, जिसका क्षेत्रफल 173.33 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्रीमती हरमिन्दर सिंह पुत्र श्री जोगा सिंह और श्रीमती **संदलजीत** कौर पत्नी श्री हरमिन्दर सिंह के नाम पर है।	रु. 21.00 लाख रु. 2.10 लाख [22.04.2020] रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री एस.के. आज़ाद 9810876522 CLDM (EAST) सुश्री ममता 9205824003 BM राधे पुरी
39	पीएनबी–आनंद विहार दिल्ली मोहन प्रसाद गुप्ता और राजू गुप्ता 47 ए, ब्लॉक – ए –5, सेक्टर–71, मेट्रो एपार्टमेंट, नोएडा, यूपी –2013	15.01.2018 रु. 15.72 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 24.07.2019 भौतिक	लीजहोल्ड ईडब्ल्यूएस फ्लैट नं. 12 (प्रथम तल) ब्लॉक – सी–14 सेक्टर–71, नोएडा, यू.पी–201301 में स्थित, जिसका कवर्ड क्षेत्रफल 23.33 वर्ग मी., यह सम्पत्ति मोहन प्रसाद गुप्ता के नाम पर है।	रु. 12.80 लाख रु. 1.28 लाख [22.04.2020] रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री पी.के गुप्ता मो. 8130694612
40	पीएनबी– आनंद विहार दिल्ली मैसर्स आर्किन क्रिएशन प्रा. लि., श्री मनोज झा, श्रीमती ऋचा झा, श्रीमती नीता झा, सुश्री स्निग्धा झा (निर्देशक) एच–127, प्रथम तल, रेजीडेंसी ग्रीन, ग्रीन वुड सिटी, गाँव झारसा रोड गुड़गांव, हरियाणा–121003 और: I–45, डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र, फेज– I, एनएचपीसी चौक के पास, मेट्रो स्टेशन, फरीदाबाद, हरियाणा–122009 और: पता: ई–007, गौर ग्रीन एवेन्यू, अभय खंड–2, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी.–201010	23.08.2019 रु. 185.12 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 12.12.2019 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड रिहायशी निर्मित फ्लैट यूनिट नं. 127, ब्लॉक – एच, प्रथम तल, रैसीडेंसी ग्रीन, ग्रीनवूड्स सिटी, गाँव झारसा, गुड़गाँव, हरियाणा में स्थित, क्षेत्रफल 143.16 वर्ग मी.	रु. 165.00 लाख रु. 16.50 लाख [22.04.2020] रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री पी.के गुप्ता मो. 8130694612
41	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली रेणु गुप्ता और प्रदीप कुमार गुप्ता जी–17, बी ब्लॉक, भूतल महाराजा–। गौर होम गोविंदपुरम, गाजियाबाद, यूपी –201010 एसडी–351 शास्त्री नगर, कवि नगर गाजियाबाद यूपी	19.08.2019 रु. 15.16 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 14.01.2020 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड रिहायशी फ्लैट जी–17, बी–ब्लॉक भूतल, महाराजा–।, गौर होम गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, यू.पी–201010 में स्थित, सुपर कवर्ड क्षेत्रफल 1025 वर्ग फीट	रु. 25.50 लाख रु. 2.55 लाख [22.04.2020] रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
42	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली श्री अरुण बंसल और श्रीमती सरिता बंसल–11 पंचशील गार्डन नवीन शाहदरा दिल्ली 110032, फ्लैट नंबर एसएफ–01, दूसरी मंजिल पर प्लॉट नं. सी–2/1 और : सी–2/4 नीती खंड–।।।, इंद्रापुरम गाजियाबाद, यू.पी. 201010	02.09.2019 रु. 50.19 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 24.01.2020 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड रिहायशी फ्लैट एसएफ–01, द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी–2 / 1 और सी–2 / 4, नीति खंड–।।।, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, यू.पी – 201010 में स्थित, कवर्ड क्षेत्रफल 177.56 वर्ग मी.	रु. 91.74 लाख रु. 9.18 लाख [22.04.2020] रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
43	पीएनबी–मयूर विहार फेज–।।, दिल्ली प्रदीप कुमार शर्मा पुत्र श्री हरि नारायण शर्मा जी–4 प्लॉट नं. एम–16, सेक्टर 12, बिना छत के अधिकार के, प्रताप नगर गाजियाबाद यूपी 201009 मकान नं. 35 / 2, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008	18.06.2019 रु. 12.50 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 14.01.2020 सांकेतिक	फ्रीहोल्ड रिहायशी सम्पत्ति नं. जी–4, प्लॉट नं. एम–16, सेक्टर–12, बिना छत के अधिकार के, प्रताप नगर, गाजियाबाद, यू.पी – 201009 में स्थित, क्षेत्रफल 550 वर्ग फीट	रु. 19.12 लाख रु. 1.92 लाख [22.04.2020] रु. 25000/-	23.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्री चितरंजन चौधरी मो. नं. 9425501156
44	पीएनबी–गुजरांवाला टाउन, दिल्ली मैसर्स रिद्धि रोटोफ्लेक्स आशा जैन और विपिन जैन, ओल्ड के एच नं. 894, नया नंबर 115, ग्राम अलीपुर का पुराना लाल डोरा, दिल्ली–110036	17.01.2018 रु. 70.68 लाख + भविष्य का ब्याज, अन्य प्रभार एवं आकस्मिक खर्चे 29.08.2018 भौतिक	फ्रीहोल्ड आईपी 186, खसरा नं. 214 / 2, सराय पीपल थला, दिल्ली–110033 में स्थित, यह सम्पत्ति आशा जैन और विपिन जैन के नाम पर है। क्षेत्रफल 253 वर्ग गज	रु. 88.00 लाख रु. 8.80 लाख [08.04.2020] रु. 25000/-	09.04.2020 पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं श्रीमती इकबाल कौर मो. नं. 9968316607

ई–नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (1) सम्पत्तियों की बिक्री जैसी है जहां है आधार पर की जा रही है। (2) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (3) नीलामी ई–नीलामी प्लेटफार्म वेबसाईट https://www.mstcecommerce.com के माध्यम से उपरोक्तानुसार समय एवं तिथि के अनुसार की जाएगी। (4) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **www.ibapi.in, www.tenders.gov.in, www.mstcecommerce.com, https://eprocure.gov.in/epublish/app.** देखें।

दिनांक : 16.03.2020, स्थान : नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक

www.readwhere.com

कार्यालय बंद करेगा बीसीसीआइ, घर से काम करेंगे कर्मचारी

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

कोविड-19 महामारी के कारण बीसीसीआइ मंगलवार से मुंबई स्थित अपने मुख्यालय को बंद कर देगा और उसने अपने कर्मचारियों से घर से काम करने के लिए कहा है। सभी क्रिकेटिया गतिविधियां आगामी नोटिस तक पहले ही निलंबित कर दी गई और ऐसे में पता चला है कि कर्मचारियां को घर से काम करने के लिए कहा गया है।

बोर्ड के शीर्ष सूत्रों ने बताया, बीसीसीआइ के कर्मचारियों को आज सूचित किया गया कि कोविड-19 महामारी के चलते वानखेड़े स्टेडियम स्थित मुख्यालय बंद रहेगा। सभी कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहा गया है। बीसीसीआइ ने पहले ही आइपीएल को 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया है जबकि ईरानी कप और महिला चैलेंजर ट्रॉफी सहित सभी घरेलू टूर्नामेंट भी टाल दिए गए हैं।

भारत में अब तक कोरोना विषाणु के 114 मामले पाए गए हैं जबकि दो व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। विश्व स्तर पर इस बीमारी के कारण मृतकों की संख्या 6000 से अधिक हो गई है और संक्रमित लोगों की संख्या 160,000 से ऊपर पहुंच गई है।

भारत और विदेशों में अधिक से अधिक कंपनियां अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं और बीसीसीआइ ने भी यही रवैया अपनाया है। यह भी पता चला है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) ने अपने विभिन्न क्षेत्रीय शिविरों को बंद कर दिया है लेकिन बंगलुरु केंद्र में रिहैबिलिटेशन कार्यक्रम अभी चल रहा है।

इस बीच आइपीएल की आठों फ्रेंचाइजी ने टूर्नामेंट से पहले के अपने शिविर आगामी सूचना तक रद्द कर दिए हैं। रायल चैलेंजर्स बंगलुरु ने सोमवार को अपना अभ्यास शिविर रद्द कर दिया जो 21 मार्च से शुरू होना था। तीन बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने शिविर पहले ही रद्द कर दिए थे। आरसीबी ने ट्वीट किया, सभी की सुरक्षा और सेहत को ध्यान में रखकर 21 मार्च से शुरू होने वाला आरसीबी अभ्यास शिविर आगामी सूचना तक रद्द कर दिया गया है। हम सभी से स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करके सुरक्षित रहने का अनुरोध करते हैं। आरसीबी के कप्तान विराट कोहली हैं। तीन बार की चैंपियन सीएसके ने शनिवार को ही शिविर स्थगित कर दिया था जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई से रवाना हो गए।

कोविड-19 के कारण दुनिया को थमते हुए देखना दुखद : रोहित

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

भारत के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण दुनिया को थमते हुए देखना काफी मुश्किल है और उन्होंने लोगों को सलाह दी कि कोई भी लक्षण दिखने पर डाक्टरों को इसकी जानकारी देकर इस संकट से सक्रिय रूप से लड़ें।

इस सलामी बल्लेबाज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर वीडियो संदेश जारी किया। रोहित ने कहा, पिछले कुछ हफ्ते हम सभी के लिए मुश्किल रहे और दुनिया ठहर सी गई है जिसे देखकर काफी दुख होता है। उन्होंने कहा, एक ही तरीका है कि सब कुछ सामान्य हो सकता है और इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। हम थोड़े समझदार बनकर, थोड़े सक्रिय होकर, अपने आसपास की चीजों को जानकर और कोई लक्षण दिखाई देने पर निकटवर्ती चिकित्सा अधिकारी को सूचित करके हम ऐसा कर सकते हैं। चीन के वुहान शहर से फैसले इस संक्रमण से अब तक दुनिया भर में 6000 से

अधिक लोगों की मौत हो गई है और लगभग एक लाख 60 हजार लोग संक्रमित हुए हैं। देश की कई राज्य सरकारों ने स्कूलों, माल, सिमेना घरों को बंद करने के आदेश दिए हैं जिससे कि लोगों को एकत्रित होने से रोका जा सके। साथ ही लोगों को सामाजिक कार्यक्रमों से दूर रहने को कहा गया है। रोहित ने कहा, हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, हम माल जाना चाहते हैं और हम सभी सिनेमा घर में फिल्म देखना चाहते हैं। रोहित ने कहा, मैं दुनिया भर के डाक्टरों और मेडिकल स्टाफ के प्रयासों की सराहना करता हूं जिन्होंने कोरोना से संक्रमित लोगों का उपचार करके अपने जीवन को खतरे में डाला।

उन्होंने कहा, मैं उन लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करता हूं जिन्होंने अपने परिजनों को गंवाया है। ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।

आइपीएल मालिकों की टेली कांफ्रेंस में कोई फैसला नहीं हुआ

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा) ।

आइपीएल की आठ फ्रेंचाइजी टीमों के मालिकों की सोमवार को टेली कांफ्रेन्स के दौरान कोई फैसला नहीं किया गया क्योंकि देश और विश्व भर में कोरोना विषाणु महामारी को लेकर पिछले 48 घंटों में कोई बदलाव नहीं आया है।

आइपीएल-13 को पहले 29 मार्च से शुरू होना था लेकिन अब इसे 15 अप्रैल तक निलंबित कर दिया गया है। भारत में कोविड-19 के अब भी 114 मामले दर्ज किए गए हैं जबकि दो की मौत हो चुकी है। सभी विदेशी वीजा 15 अप्रैल तक रोक दिए गए हैं जबकि बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली ने छोटे आइपीएल के संकेत दिए हैं। एक आइपीएल फ्रेंचाइजी के मालिक ने एजंसी से कहा, आज की बैठक में कुछ भी ठोस चर्चा नहीं हुई। पिछले 48 घंटों में स्थिति में बदलाव नहीं आया है इसलिए आइपीएल के आयोजन की बात करना अभी जल्दबाजी होगी।

आस्ट्रेलिया के एहतियाती कदमों पर फिंच, वार्नर ने चिंता जताई

मेलबर्न, 16 मार्च (भाषा)।

आस्ट्रेलिया के सीमित ओवरों के कप्तान आरोन फिंच और सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार की स्वपृथक्करण की नीति के प्रभाव पर चिंता जताई है।

आस्ट्रेलिया सरकार ने घोषणा की है कि कोरोना विषाणु के संक्रमण को रोकने की कवायद में रविवार मध्यरात्रि (15 मार्च) के बाद जो भी विदेश से देश में लौटेगा उसे 14 दिन के स्वपृथक्करण से गुजरना होगा। आस्ट्रेलिया की खेल पत्रकार वेरोनिका ईगलटन ने ट्वीट किया, असली सवाल-सरकार को कैसे पता चलेगा कि बाहर से आने वाले लोगों ने स्वयं को पृथक रखा है? फिंच ने भी ईगलटन के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, मैं भी यही सोचकर हैरान हो रहा हूं। फिंच की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए वार्नर ने लिखा, हवाई अड्डे से घर आने के लिए उन्होंने उबर/टेक्सी/बस/ट्रेन या जो भी साधन लिया, उसका क्या होगा?

आगमन दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के खिलाड़ी सोमवार को कोलकाता पहुंचे। सभी खिलाड़ी आज अपने घरों के लिए रवाना हो जाएंगे।

स्थानीय लीग मैच के दौरान चोरी की घटना से डीएसए स्तब्ध

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

सीनियर डिविजन लीग मैच के दौरान यहां ड्रेसिंग रूम में चोरी की घटना से स्तब्ध दिल्ली साकर संघ (डीएसए) ने कहा है कि वह सुरक्षा से जुड़े नए कदम उठाकर स्थल को ऐसी घटनाओं से मुक्त बनाएगा।

यह घटना शुक्रवार को यहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली यूनाइटेड क्लब और सिटी एफसी क्लब के बीच डीएसए के सीनियर डिवीजन मैच के दौरान हुई। दिल्ली यूनाइटेड के कुछ खिलाड़ियों के मोबाइल फोन, नकदी और अन्य सामान ड्रेसिंग रूप से चुरा लिया गया। दिल्ली यूनाइटेड टीम के मैनेजर के बयान के आधार पर लोधी कालोनी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। डीएसए (फुटबॉल दिल्ली) भी मामले की जांच कर रहा है।

डीएसए अध्यक्ष शाजी प्रभाकरन ने एजंसी से कहा, हम नए कदम उठाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं नहीं हों। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि किसी को भी इस तरह की घटना का सामना नहीं करना पड़े। नए कदमों की सूची में प्रतिस्पर्धी टीमों से नहीं जुड़े लोगों की आवाजाही को सीमित करना और सीसीटीवी कैमरों से बेहतर निगरानी करना शामिल है।

उन्होंने कहा, यह (चोरी) निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति का काम है जो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से परिचित है। अन्यथा किसी व्यक्ति को कैसे पता होता कि इतने बड़े स्टेडियम में क्या चीज कहां है। उन्होंने कहा, यह गंभीर घटना है क्योंकि इस तरह की घटनाओं से खिलाड़ी असुरक्षित महसूस करेंगे। वे मैदान पर कैसे खेलेंगे।

प्रभाकरन ने बताया कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी सोमवार को उनसे मुलाकात करेंगे और उन्हें उम्मीद जताई कि दोषियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पांच-छह मोबाइल फोन चोरी हुए हैं। इसके अलावा नकदी, एटीएम कार्ड और अन्य दस्तावेज भी चुराए गए हैं।

स्वदेश वापसी में विलंब के बाद कमेंट्री में व्यस्त रहेंगे आनंद

चेन्नई, 16 मार्च (भाषा)।

कोविड-19 महामारी से जुड़ी पाबंदियों के कारण भारत वापसी में विलंब के बाद पांच बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद कमेंट्री का अपना पहला अनुबंध पूरा करेंगे। जर्मनी में मौजूद आनंद ने स्वयं को पृथक रखा हुआ है।

आनंद की पत्नी अरुणा ने बताया कि 50 साल के इस दिग्गज को बुंदेसलीगा शतरंज लीग में खेलने के बाद सोमवार को चेन्नई लौटना था लेकिन यात्रा पाबंदियों के कारण फ्रेंकफर्ट के समीप रुकना पड़ा।

रूस के येकाटेरिनबर्ग में मंगलवार से शुरू हो रहे फिडे कैंडीडेट्स टूर्नामेंट के लिए आनंद कमेंटेटर की भूमिका में नजर आएंगे और अपने मौजूद स्थल से ही कमेंटरी करेंगे। इस प्रतियोगिता से विश्व चैंपियन मैगनस कार्लसन के चैलेंजर का फैसला होगा।

अरुणा ने एजंसी को बताया, वह एक वेबसाइट के लिए कैंडीडेट्स टूर्नामेंट की कमेंट्री करेंगे। उम्मीद करती हूं कि इससे वह व्यस्त भी रहेंगे। आनंद बुंदेसलीगा शतरंज लीग में ओएसजी बेडेन-बेडेन की ओर से खेल रहे थे। अरुणा ने कहा, उनकी वापसी की योजना के लिए हमें इंतजार करना होगा। उन्होंने कहा, वह फ्रेंकफर्ट के समीप हैं। यात्रा पाबंदियों और परामर्शों को देखते हुए उनकी वापसी की

यात्रा पाबंदियों के कारण विश्वनाथन आनंद को फ्रेंकफर्ट के समीप रुकना पड़ा

योजना के लिए हमें इंतजार करना होगा। अरुणा ने कहा कि आनंद ने एहतियाती कदम उठाते हुए खुद को पृथक रखा हुआ है। उन्होंने कहा, कोरोना विषाणु के खतरे के कारण उन्होंने एहतियाती कदम उठाते हुए लोगों से दूरी बना रखी है। अरुणा ने कहा कि ये असाधारण परिस्थितियां हैं और आनंद नियमित तौर पर उनसे और बेटे अखिल से बात करते हैं। उन्होंने कहा, यह असाधारण स्थिति है। लेकिन हम तकनीक के मदद से लगातार संपर्क में हैं। हम फोन और वीडियो कॉल के जरिए संपर्क में हैं। यह आभासी छुट्टियों की तरह है। अरुणा ने कहा, अखिल फोन और वीडियो कॉल पर अपने पिता से बात कर रहा है जिससे उनकी कमी महसूस नहीं हो रही है उसे।

खिताब जीतने के बावजूद ओमान की यात्रा को गलती समझने लगे थे शरत

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

भारत के अनुभवी टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल ने रविवार को 10 साल में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय खिताब जीता लेकिन टूर्नामेंट के दौरान 37 साल का यह खिलाड़ी यह सोचने को बाध्य हो गया था कि कोविड-19 महामारी के कारण ओमान जाकर उन्होंने कहीं अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी।

शरत जब आइटीटीएफ चैलेंज प्लस टूर्नामेंट के लिए ओमान में थे तो दुनिया भर में खेल प्रतियोगिताओं के रद्द या स्थगित होने की खबरें आने लगी। ओमान में टूर्नामेंट के दौरान ही होने वाले पोलिश ओपन को स्थगित कर दिया गया और विश्व संस्था ने अप्रैल के अंत तक सभी गतिविधियों को निलंबित करने का फैसला किया। खिलाड़ियों को भी ऐसे हालात में भ्रम की स्थिति का सामना करना पड़ा। शरत उस समय भारत के तीसरे नंबर के एकल खिलाड़ी हरमीत देसाई सहित अन्य खिलाड़ियों के साथ मस्कट में थे। सोमवार तड़के चेन्नई लौटकर राहत महसूस कर रहे शरत ने एजंसी से कहा, जब मैंने सुना कि पोलिश ओपन निलंबित कर दिया गया है तो मैंने सोचा कि यहां आकर मैंने बड़ी गलती कर दी। शरत ने एहतियाती कदम उठाते हुए घर में खुद को पृथक रखा है।

तेंदुलकर के लिए सबसे मुश्किल शतक था महाशतक

इस शतक के लिए पूरे एक साल चार दिन तक इंतजार किया था

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

बल्लेबाजी के बादशाह सचिन तेंदुलकर के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 100 शतकों में सबसे मुश्किल शतक आज से ठीक आठ साल पहले शेरे ए बांग्ला स्टेडयिम में लगाया गया वह सैकड़ा था जिसके साथ उन्होंने महाशतक पूरा करके क्रिकेट इतिहास में नया अध्याय लिखा था।

तेंदुलकर ने इस शतक के लिए पूरे एक साल चार दिन तक इंतजार किया था। अपने करिअर में किसी भी शतक के लिए उन्हें इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ा था। इससे पहले एक बार वह 315 दिन तक शतक नहीं लगा पाए थे लेकिन 99वें से 100वें शतक तक पहुंचने का इंतजार क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन गया था और इसलिए इस स्टार क्रिकेटर ने इसे अपने सभी शतकों में मुश्किल शतक करार दिया था। एशिया कप में बांग्लादेश के खिलाफ 16 मार्च 2012 को ढाका में तेंदुलकर के बल्ले से वह पारी निकल गई जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दी थी। तेंदुलकर ने 114 रन बनाए थे जिससे इस बल्लेबाज के साथ क्रिकेट प्रेमियों ने भी राहत की सांस ली थी। तेंदुलकर ने यह शतक जड़ने के बाद कहा था, यह मेरे सभी शतकों में से सबसे मुश्किल शतक था, क्योंकि मैं कहीं भी जाता लोग इसी की चर्चा करते। कोई भी मेरे

99 शतकों के बारे में बात नहीं करता। असल में तेंदुलकर ने अपना 99वां शतक 12 मार्च 2011 को विश्व कप के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया था। इसके बाद कम से कम छह अवसर ऐसे आए जबकि वह शतक के करीब पहुंचे लेकिन इंतजार खत्म नहीं कर पाए थे। इनमें से दो बार तो वह 'नर्वस नाइंटीज' के शिकार बने थे। विश्व कप 2011 में ही पाकिस्तान के खिलाफ मोहाली में सेमी फाइनल में तेंदुलकर ने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें बढ़ा दी थी लेकिन जब वह 85 रन पर खेल रहे थे तब सईद अजमल की गेंद पर शाहिद अफरीदी ने उनका कैच लपक लिया था। तेंदुलकर पूरी तरह फिट होने के कारण वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं जा पाए थे लेकिन इंग्लैंड दौरे पर उनके पास शतक जड़ने का बेहतरीन मौका था। उस श्रृंखला में राहुल द्रविड़ को छोड़कर कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं चल पाया था। तेंदुलकर केवल ओवल में खेले गए चौथे टेस्ट में लय में दिखाई दिए। मैच के चौथे दिन तेंदुलकर 35 रन पर खेल रहे थे और अगले दिन जब वह केविन पीटरसन की गेंद पर चौका जड़कर 90 रन के पार पहुंचे तो सभी की जुबान पर महाशतक था। लेकिन तभी टिम ब्रेसनन की अंदर आती गेंद पर वह पगबाधा आउट हो गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तेंदुलकर दिल्ली में 76 और अपने घरेलू मैदान मुंबई में 94 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद जब भारतीय टीम आस्ट्रेलिया दौरे पर गई तो क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने 100वें शतक के सम्मान के लिए विशेष ट्रॉफी तैयार की थी। तेंदुलकर जहां जाते वहां ट्रॉफी जाती लेकिन यह बल्लेबाजी का बादशाह केवल मेलबर्न (73) और सिडनी (80) में ही उम्मीद जगा पाया था। एशिया कप के लिए जब तेंदुलकर बांग्लादेश गए तो उन्होंने अपना हेयर स्टाइल बदल दिया था जिसे उनके शतक और अंधविश्वास से जोड़ा गया था। श्रीलंका के खिलाफ पहले मैच में तेंदुलकर छह रन ही बना पाए थे लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ वह क्रीज पर टिके रहे और शतक पूरा करने में सफल रहे थे जो क्रिकेट इतिहास के सबसे महत्त्वपूर्ण शतकों में शामिल हो गया था।

सीडीसी ने खेलों को लंबे समय तक निलंबित रखने का दिया सुझाव

लॉस एंजिलिस, 16 मार्च (एएफपी)।

अमेरिका में एनबीए और अन्य बड़ी खेल लीग को शुरुआती अनुमान से अधिक समय तक बंद रखना पड़ सकता है क्योंकि रोग नियंत्रण केंद्र (सीडीसी) ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए इन्हें लंबे समय तक निलंबित रखने का सुझाव दिया है।

सीडीसी ने रविवार को सुझाव दिया कि खेल स्पर्धाएं और अन्य ऐसे कार्यक्रम जहां बड़ी संख्या में लोग एकत्रित होते हों, उन्हें अगले आठ हफ्तों तक रद्द या स्थगित किया जाए। एजंसी ने बयान में कहा, बड़े कार्यक्रम और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने से इन कार्यक्रमों के लिए आने वाले लोगों के जरिए अमेरिका में कोविड-19 फैल सकता है और नए समूहों में यह वायरस फैल सकता है। उन्होंने कहा, बड़े कार्यक्रम और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने वाली जगहों के उदाहरण संगोष्ठी, महोत्सव, परेड, कॉन्सर्ट, खेल प्रतियोगिताएं, विवाह समारोह आदी हैं।

मलखंभ, क्लारिपयाडू, गतका और थंग टा की पहचान की गई

सहायता

2019-20 के लिए 10.85 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई

खेलो इंडिया के तहत चार खेल विधाओं को दिया जा रहा बढ़ावा

नई दिल्ली, 16 मार्च (भाषा)।

खेलो इंडिया योजना के तहत ग्रामीण और देशज/जनजातीय खेलों का संवर्द्धन करने के उद्देश्स से चार खेल विधाओं मलखंभ, क्लारिपयाडू, गतका और थंग टा की पहचान की गई है। इसके लिए अवसंरचना विकास, उपकरण, कोचों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा छात्रवृत्ति के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने संसद की एक समिति को यह जानकारी दी।

लोकसभा में पेश महिलाओं के लिए योग एवं खेल सुविधाएं विषय पर संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रामीण और देशज/ जनजातीय खेलों का संवर्द्धन करने के उद्देश्य से चार खेल विधाओं मलखंभ, क्लारिपयाडू, गतका और थंग टा को बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कुल

रिजिजू ने कहा भारत को खेल की महाशक्ति बनाने का सपना है हमारा

10.85 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई। वर्तमान में 2.92 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने संसद की एक समिति को बताया कि मलखंभ, क्लारिपयाडू, गतका और थंग टा के 335 पदक विजेताओं को छात्रवृत्ति देने के लिए 4.02 करोड़ रुपए (एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति खिलाड़ी 10 हजार रुपए) धनराशि संस्वीकृत की गई है। मंत्रालय ने बताया कि 1 अक्तूबर 2019 से 185 खिलाड़ी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया मोबाइल एप का शुभारंभ किया गया था। उधर केंद्र सरकार ने कहा कि उसका सपना भारत को खेल की महाशक्ति बनाना है तथा इसके लिए खेलो इंडिया के तहत 15 हजार खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि प्रधानमंत्री ने खेलो इंडिया के माध्यम से जो कल्पना की थी, उसे देश के गांव-गांव तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के तहत विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में 15 हजार खिलाड़ियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, भारत को खेल के क्षेत्र में एक महाशक्ति बनाना हमारा सपना है। रिजिजू ने कहा कि इसके लिए प्रतिभा खोज समिति बनाने का निर्णय किया गया है। यह समिति गांव में तथा उन स्थानों पर जाकर प्रतिभाओं की तलाश करेगी, जहां इनके मिलने की संभावना रहती है। वहीं कोरोना विषाणु महामारी का असर देश के सभी खेल आयोजनों पर पड़ने के बीच खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को खिलाड़ियों से हिम्मत नहीं हारने और प्रतिस्पर्धाओं के बीच कड़ी मेहनत करते रहने का आग्रह किया। रिजिजू ने ट्वीट किया, कोरोना विषाणु के कारण खेल आयोजन अस्थायी तौर पर स्थगित हो रहे हैं लेकिन मैं खिलाड़ियों से अपील करता हूं कि हिम्मत नहीं हारे और अभ्यास करते रहे। सरकार ने पिछले सप्ताह संक्रमण पर काबू करने के मकसद से यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। खेल मंत्रालय ने सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों से स्वास्थ्य मंत्रालय की सलाह मानने को कहा है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि अभी तक देश में 3005 खेल मैदानों को जियो टैग दिया गया है और इनमें से 109 खेल मैदान तेलंगाना में हैं।

युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि खेल राज्य का विषय होने के कारण खेल मैदानों के विकास का उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है। केंद्र सरकार बड़ी कमियों को दूर कर उनके प्रयासों में सहयोग करती है। उन्होंने बताया कि खेलो इंडिया स्कीम के तहत इस मंत्रालय ने तेलंगाना सहित देश के राज्यों, संघ शासित प्रदेशों में खेल अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खेल मैदानों सहित 179 खेल अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 37, अंक 120, *हवाई शुल्क*: इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोनः (0120) 2470700/2470740, ई-मेलः edit.jansatta@expressindia.com, फैक्सः (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्षः विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार।
कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

www.readwhere.com